



वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली

www.plantauthority.gov.in



वार्षिक प्रतिवेदन

2019–20



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर, नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in

विषय—सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	आमुख एवं आभार ज्ञापन	1
	विशिष्ट सारांश	5
1	संक्षिप्त परिचय	8
2	पादप किस्म रजिस्ट्री	16
3	डीयूएस केन्द्र	32
4	डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	120
5	कृषकों से संबंधित गतिविधियां	128
6	भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन	136
7	डेटाबेस का विकास, इंडस, एनओआरवी तथा वेबसाइट	138
8	प्रशासनिक मामले, शिकायत प्रकोष्ठ एवं अन्य विविध गतिविधियां	146
9	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	162
10	31.03.2020 को प्राधिकरण के वित्तीय विवरण	165
11	नागरिक आचार संहिता	172
	अनुबंध	
I	पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के सदस्य (31 मार्च 2020 को)	174
II	31.03.2020 को प्राधिकरण का मानव संसाधन संबंधी विवरण	176
III	वर्ष 2019–20 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशियों को दर्शाने वाला विवरण	177
IV	वर्ष 2019–20 के दौरान वर्तमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी निधियों को दर्शाता विवरण	180
V	वर्ष 2019–20 के दौरान फील्ड जीन बैंकों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	184
VI	वर्ष 2019–20 के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठनों/केन्द्रों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	185
VII	पंजीकरण अधीन फसलें	186
VIII	वर्ष 2019–20 के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण—पत्र	193
IX	संक्षिप्तियां	211

आमुख एवं आभार ज्ञापन

मुझे संसद द्वारा लागू किए गए पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए) के वर्ष 2019–20 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अपार प्रसन्नता हो रही है।

पीपीवी और एफआरए न केवल भारत में पादप किस्मों पर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को विनियमित करता है बल्कि पादप प्रजनकों के साथ—साथ किसानों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। इस प्रकार, किसानों का कल्याण करने वाला विश्व का यह एक प्रमुख प्राधिकरण है। प्राधिकरण द्वारा एक ही स्थान पर खोजकर्ताओं (पादप प्रजनकों) और उपयोगकर्ताओं (किसानों), दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह पादप किस्म सुरक्षा प्रणालियों पर आधारित नई पादप किस्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (उपोव) जिनेवा से अलग हटकर है और विश्व में ऐसा कोई भी अन्य संगठन नहीं है। कुल मिलाकर प्राधिकरण का लक्ष्य यह देखना है कि किसान, यदि कोई किस्म असफल हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के अधिकार के साथ किस्म के सुनिश्चित निष्पादन वाली बड़ी संख्या में किस्मों को चुन सकें तथा पादप प्रजनकों को भी अपने व्यापार को सर्वाधिक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाता है। यह पादप प्रजनक व्यापार में वर्तमान किस्मों के मामले में किसानों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनसे निपटने के लिए नई—नई किस्मों के विकास में निवेश करने में ध्यान दे सकें। प्राधिकरण को परंपरागत पादप आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने तथा सुधारने की दिशा में उनके द्वारा किए गए योगदानों के लिए किसान समुदायों सहित सम्मानित करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जहां एक और प्रणाली का खुलापन व्यक्तिगत पादप प्रजनकों, किसानों, सार्वजनिक संस्थाओं व निजी संस्थाओं को एक समान अधिकारों की सुरक्षा या अनुमति देता है, इसके साथ ही उपयोगकर्ता किसानों के लाभ के लिए गुणवत्ता तथा मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धी बनाता है। वहीं दूसरी ओर, यह प्रजनक के अधिकारों के उल्लंघन के कारण होने वाली क्षति के दावे के लिए धारक पादप प्रजनक के अधिकार दिलाने की क्रियाविधि भी उपलब्ध कराता है, विशेष रूप से गैर प्राधिकृत बीज उगाने वालों या बीज बेचने वालों के मामले में यह और भी अधिक प्रभावी ढंग से लागू होता है। ये अधिकार प्रजनकों तथा उनके एजेंटों द्वारा सुरक्षित किस्म के बीज/पौध सामग्री को बेचने, उत्पन्न करने, विपणन करने, निर्यात व आयात करने की दृष्टि से सर्वाधिक लाभदायक रूप से उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसके कारण उपभोक्ता किसानों के लिए हर तरह से फायदेमंद की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे किसानों की पादप किस्म स्रोत से आय दुगुनी करने का अवसर प्राप्त होता है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वप्न है।

रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को 32 फसल जातियों से संबंधित 204 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से सर्वाधिक आवेदन चावल (37) थे, जिसके पश्चात् क्रमशः संकर मक्का (25), आलू (24), चतुर्गुणित संकर कपास (22), बाजरा संकर (15), टमाटर (12), मिर्च (11), गेहूं (10) आदि का स्थान था। प्राप्त हुए 204 आवेदनों में से 123 आवेदन निजी क्षेत्र द्वारा, 71 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा तथा केवल 10 कृषकों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह संख्या पिछले वर्ष प्राप्त आवेदनों की तुलना में काफी अलग है जिसमें कुल 592 आवेदनों में से कुल 465 (78.5%) कृषक किस्मों के क्षेत्र के थे, जबकि इस वर्ष के दौरान ये 10/206 थे (5% से कम)। समरूपता और आनुवंशिक स्थिरता की संकल्पना से अनभिज्ञ होने के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश में आनुवंशिक मिश्रण स्वीकार्य स्तर से काफी अधिक था। ऐसा इस कारण हुआ था कि बीज उन आधारभूत आवश्यकताओं के संदर्भ में बिना तकनीकी सत्यापन के सीधे—सीधे प्रस्तुत किए गए थे जो डीयूएस परीक्षण में स्थापित होनी सर्वाधिक आवश्यक हैं। यह पाते हुए कि ऐसा अपरिहार्य है कि कृषक किस्मों की सुरक्षा के लिए सफल पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदनों को सही ढंग से भरा जाए, इसलिए प्राधिकरण ने समरूपता और आनुवंशिक शुद्धता के सत्यापन के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की है जिसके अंतर्गत सुरक्षा के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के पूर्व किसान या तो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फसल विशिष्ट संस्थानों से प्रत्याशी किस्मों की समरूपता और आनुवंशिक शुद्धता की जांच करा ले। यही कारण है कि इस वर्ष किसानों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या बहुत कम है क्योंकि 300 से अधिक ऐसे आवेदन इस

निर्देश के साथ वापस कर दिए गए कि इन्हें औपचारिक रूप से प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के पूर्व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या भा.कृ.अ.प. संस्थानों से परीक्षण किया जाए, ताकि अनावश्यक स्वीकृति से बचा जा सके तथा ऐसी बहुमूल्य सामग्री और इसी के साथ—साथ किसानों द्वारा उन्हें संरक्षित किए जाने के प्रयास बर्बाद न हो जाएं। यह एक गुणवत्ता की दृष्टि से अपग्रेड किया गया सकारात्मक विकास है। जिन 158 फसल जातियों में से 22 से अधिक फसल जातियों की विद्यमान किस्मों की सुरक्षा की बढ़ी हुई अवधि समाप्त हो गई है, उनके संबंध में किसान अब केवल नई किस्मों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करेंगे जो पहले से ही उगाई जा रही हैं। इनमें अपवाद वे कृषक किस्में हैं जो मूल्य संबंधी गुणों के आधार पर प्रतिस्पर्धी रूप से तेजी से अपनाई जा सकती हैं, जलवायु परिवर्तन या पीड़कों व रोगों का सामना करने में सक्षम हैं। इन जातियों में नई प्रजातियों के रूप में विद्यमान किस्मों की तुलना में स्वीकार किए जाने की अधिक संभावना है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में दुगुनी किस्में (430) सुरक्षा के लिए पंजीकृत हुई जिनमें 119 कृषक किस्में, 84 नई किस्में और 13 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में, 133 सामान्य ज्ञान की किस्में और 82 विद्यमान अधिसूचित किस्में शामिल हैं।

इसकी तुलना में वर्ष 2018–19 में केवल 184 किस्में पंजीकृत हुई थीं। इस प्रकार, यह वृद्धि 235% है। इसी प्रकार, अनाजों (161) के सर्वाधिक प्रमाण—पत्र जारी किए गए जिसके पश्चात् क्रमशः सब्जियों (131), रेशा फसलों (60), फलों (41) और फलीदार फसलों (25) का स्थान था। इसके लिए रजिस्ट्री और समर्पित स्टाफ बधाई का पात्र है। अब भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्राधिकरण को सुधारों की आवश्यकता है।

मैं माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का प्राधिकरण को मार्गदर्शन देने और अबाध सहायता प्रदान करने, मंत्रालय में एकमात्र सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता देने के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं श्री संजय अग्रवाल, सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने, सकारात्मक विकास संबंधी मार्गदर्शन करने तथा इस अधिनियम के अंतर्गत सजीव पादप सामग्री से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की जटिलता को ध्यान में रखने के प्रति रुचि दिखाने और प्रस्तावित सुधारों को उपलब्ध कराने का आश्वासन देने के लिए समान रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्री बी. प्रधान, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो स्वयं संबंधित पहलुओं के लिए निधि प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के बारे में होने वाली चर्चाओं से स्वयं को सम्बद्ध किए रहते हैं। डॉ. डॉली चक्रवर्ती, अपर सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने भी प्राधिकरण को सक्रिय सहायता प्रदान की है। श्री अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज) प्राधिकरण के ऐसे समर्थक हैं जो उचित संदर्भ में किसी भी मुद्रे पर धैर्य से विचार करने के इच्छुक रहते हैं तथा उन पर बिना किसी हिचकिचाहट के चर्चा करते हुए विभाग के शासी निकाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वायत्तशासी इकाइयों या पीएसयू से निपटने के लिए अपने स्वयं के अनुभव से सहायता करते हैं।

मैं प्राधिकरण के माननीय सदस्यों के योगदान के लिए उनका आभार ज्ञापित करता हूं जिसमें पदेन सदस्य, कृषि एवं बागवानी विभाग के आयुक्त, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बीज) व अन्य अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने विभिन्न समितियों और कार्य दलों में कार्य किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने समर्थन भाव से नए आयाम तैयार करने तथा नए मानक स्थापित करने में प्राधिकरण की बहुत सहायता की है।

मैं सचिव, डेयर तथा महानिदेशक, भा.कृ.अ.प., भा.कृ.अ.प. के डीयूएस केन्द्रों के प्रमुखों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद और अन्य अनुसंधान संस्थाओं का प्राधिकरण को निरंतर सहायता उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री एम. गुणशेखरन, सहायक आयुक्त और उनके दल के साथ बीज प्रभाग के तकनीकी प्रखण्ड ने प्रशासनिक मंत्रालय तथा प्राधिकरण के बीच तकनीकी मामलों पर वांछित संबंध स्थापित करने के मामले में तत्परता प्रदर्शित की है। इस अवसर पर मैं डॉ. ए.के. सिंह, निदेशक, आईसीएआर—भारतीय कृषि अनुसंधान

संस्थान (आईएआरआई) और डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक, आईसीएआर–राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) को प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए विभिन्न उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक वहन करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं भारतीय स्टेट बैंक तथा सिंडिकेट बैंक को उनकी वित्तीय सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सीएजी दल को समय पर लेखापरीक्षा करने, मार्गदर्शन व निर्देश देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं संगठन की समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए सीएजी का आभारी हूं तथा कम स्टाफ होते हुए भी, आईएफडी यूनिट द्वारा रिकॉर्ड किए गए प्रलेखों का सही–सही मूल्यांकन करने के मामले में अतिरिक्त प्रयास करने के लिए दल का आभारी हूं। ऐसा इस दल ने बिना किसी समझौते के किया है। प्राधिकरण के वार्षिक लेख की लेखापरीक्षा की जा चुकी है तथा इन्हें निर्धारित समय–सीमा में सीएजी को प्रस्तुत किया जा चुका है।

नवम्बर 2019 में महा पंजीकार तथा प्राधिकरण के सदस्य–सचिव का पदभार छोड़ने वाले डॉ. आर.सी. अग्रवाल द्वारा निभाई गई भूमिका और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में सभी को याद दिलाना चाहूंगा जिनकी कमी हम स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे हैं क्योंकि प्राधिकरण को अभी उनके स्थान पर कोई और अधिकारी प्राप्त नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020 से अब तक प्राधिकरण की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हो पाई है। चूंकि यह एक वैधानिक पद है जिसका उत्तरदायित्व न्यायिक होने के कारण किसी अन्य को नहीं सौंपा जा सकता। इस कार्य में आदेशों या कार्यालय आदेशों की वैधानिक वैधता भी शामिल है। दोनों पंजीकारों नामतः डॉ. रवि प्रकाश और डॉ. टी.के. नागरत्न ने डीयूएस परीक्षणों के कई तकनीकी प्रोटोकालों के विकास, देश के 150 स्थानों पर अन्वेषकों के साथ प्राथमिकता के आधार पर कार्यशालाएं आयोजित करने ताकि, आंकड़े सृजित किए जा सकें, अधिनियम के अंतर्गत वांछित विशेष प्रकार के क्रियाविधि संबंधी अनेक सुधारों को करने के साथ–साथ आंकड़े सृजित करने में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। इसके परिणामस्वरूप पादप किस्मों पर प्राधिकरण के निर्णय वैश्विक रूप से स्वीकार और प्रासंगिक हुए हैं। इसमें कठोर परिश्रम तथा केन्द्रों पर अन्वेषकों को आमंत्रित करने की क्षमता और इसके साथ–साथ आवेदक प्रजनकों या आवेदकों के प्रतिनिधियों से निपटने की क्षमता शामिल है। उन्होंने मुझे जो अबाध तथा सम्पूर्ण हृदय से सहायता प्रदान की है, अपनी विशेषज्ञता का लाभ पहुंचाया है, प्राधिकरण के हित में लिए गए निर्णयों को लागू किया है, विनियमनकारी, न्यायिक तथा वैधानिक निकाय को पूरा करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निभाया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उनके दलों ने लगभग प्रतिदिन प्रशिक्षण के द्वारा कौशल को बढ़ाने व ज्ञान के उन्नयन में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जबकि प्रस्तुत आवेदनों तथा बीज सामग्रियों की क्रियाविधि को निर्धारित विधि से पूरा किया है। संयुक्त पंजीकार श्री दीपल रॉय चौधरी प्राधिकरण के सर्वाधिक अनुभवी तकनीकी स्टाफ हैं जिन्हें जीन बैंक का रखरखाव करने तथा अपने लंबे अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर कपास और चावल के आवेदनों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने सहित किसी भी उत्तरदायित्व में पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए विशेष सराहना की जानी चाहिए। श्री उमाकांत दुबे, श्री रविन्द्र सिंह सेंगर, श्री पी.एस. मालवीय तीनों ही उप पंजीकारों ने वांछित सहायता प्रदान की है। श्री दुबे और श्री सेंगर, दोनों ने स्टाफ की कमी के चलते प्रशासनिक तथा अन्य तकनीकी भूमिकाओं को कुशलतापूर्वक निभाया है जिसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉ. अजय कुमार सिंह और डॉ. डी.एस. पिलानिया ने अत्यधिक गोपनीय सामग्री की साज–संभाल करने, संकरों का सृजन करने तथा शिवमोगा शाखा में डॉ. टी.एच. गौड़ा, परामर्शक उप पंजीकार के नेतृत्व में ये परीक्षण करने का अत्यधिक उल्लेखनीय कार्य किया है। मैं श्री राजगणेश प्राधिकरण के विधिक सलाहकार तथा संगठन के सबसे पुराने कर्मचारी का विधिक सलाहकार के रूप में उत्तरदायित्व वहन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने रिपोर्टधीन वर्ष के अधिकांश भाग में वित्तीय सलाहकार के रूप में संगठन को अपनी समर्पित सेवाएं प्रदान की हैं जिससे नए वित्तीय सलाहकार श्री विपिन त्यागी को बहुत सहायता प्राप्त हुई है जो इस प्रतिवेदन के तैयार होने के समय इस पद पर विद्यमान हैं। श्री राजगणेश ने यह प्रतिवेदन दो भाषाओं में तैयार करने तथा इसका मसौदा तैयार करने में समन्वयन का कार्य किया है तथा इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त समय दिया है। मैं उन्हें और उनके दल का आभार व्यक्त करता हूं।

यह प्रतिवेदन मुख्य तथा सहकारी केन्द्रों के प्रधान अन्वेषकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों सहित उनके अन्य योगदानों के बिना पूरा नहीं हो सकता था। देश में 130 से अधिक ऐसे डीयूएस केन्द्र हैं जहां अतिरिक्त

कार्य के रूप में अमूल्य योगदान दिया गया है। इस संबंध में फसल अनुसंधान सुधार में उनके योगदानों को आभारपूर्वक ज्ञापित किया जाता है। ऐसा करना प्राधिकरण का राष्ट्रीय दायित्व है। डॉ. आर.सी. अग्रवाल, डॉ. रवि प्रकाश, डॉ. टी.के. नागरत्न, डॉ. डी.आर. चौधरी और डॉ. राजगणेश, रजिस्ट्री सहायकों तथा उनके साथ कार्य करने वाले अन्य स्टाफ की इस प्रतिवेदन को तैयार करने में योगदान देने के लिए प्रशंसा की जाती है। कम्प्यूटर सहायक शिप्रा माथुर, अरविंद राय, संजय गुप्ता, नितेश वर्मा और श्री श्याम नारायण ने रेट्रीवल सहायता के साथ समस्त डेटाबेस के संकलन उपलब्ध कराया है। सभी रजिस्ट्री सहायकों तथा डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने क्रमबद्ध ढंग से आवेदनों की समय पर साज—संभाल करने में अपना योगदान दिया है, इसके लिए उनका आभार ज्ञापित किया जाता है। कार्यालय सहायक तथा मुख्यालय पर एमटीएस और शाखा अधिकारियों ने भी उन्हें सौंपे गए कार्यों को तत्परता से पूरा किया है।

(के.वी. प्रभु)

अध्यक्ष

पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली

विशिष्ट सारांश

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001 का 53) एक अनूठा अधिनियम है जिसमें उपोव 1978 समझौते के प्रावधानों की पुस्ति की गई है तथा खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के निहितार्थ की पूर्ति हुई है। इसमें राष्ट्रीय अपेक्षा के अनुसार प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के बीच संतुलन रखा गया है। वर्ष 2005 में अपनी स्थापना के बाद प्राधिकरण निरंतर पादप किस्मों के पंजीकरण की प्रणाली को सुधारने, हितधारकों के परस्पर जोड़ने, बीज क्षेत्र में नवोन्मेषों को प्रोत्साहित करने तथा पादप प्रजनकों को उपलब्ध कराते हुए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में किसानों/समुदायों द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता प्रदान करने, राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने, जीन बैंकों का रखरखाव करने आदि जैसे विषयों में निरंतर कार्यरत है।

इस प्रतिवेदन के मुद्रण तक भारत सरकार ने पादप किस्म पंजीकरण हेतु पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण की सिफारिशों पर 161 फसल जातियों को अधिसूचित किया है। रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने मालाबार नीम के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात मेलिया फसल जातियों को अधिसूचित किया है। वर्ष 2019–20 के दौरान प्राधिकरण को तीन श्रेणियों, नामतः कृषक (10), नई (62) और विद्यमान (132) किस्मों के अंतर्गत कुल 204 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन 204 आवेदनों में से 123 आवेदन निजी क्षेत्र द्वारा, 71 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा और 10 आवेदन किसानों द्वारा दाखिल किए गए हैं। विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत 56 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त 76 विद्यमान वीसीके, 62 नई तथा 10 कृषक किस्म की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए। वर्ष 2019–20 के दौरान 32 फसल जातियों के संबंध में 204 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से सबसे अधिक आवेदन चावल (37) से संबंधित थे, इसके बाद क्रमशः मक्का संकर (25), आलू (24), चतुर्गुणित कपास संकर (22), बाजरा संकर (15), टमाटर (12), मिर्च (11), गेहूं (10) आदि का स्थान था। पूर्व में अधिसूचित 22 फसल जातियों में विद्यमान किस्म के अंतर्गत पंजीकरण की समय–सीमा (बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत विद्यमान अधिसूचित किस्मों तथा उन विद्यमान किस्मों जिनके बारे में सामान्य ज्ञान है) रिपोर्टर्डीन वर्ष के दौरान समाप्त हो गई। केवल कृषक किस्में तथा नई किस्में ही सुरक्षा की पात्र हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान पंजीकरण हेतु कुल 430 पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किए गए, जिनमें वे आवेदन भी शामिल हैं जो वर्ष 2016 से पूर्व प्राप्त हुए थे। कृषक किस्मों (119) के अलावा नई किस्मों (84), ईडीवी (13) तथा सामान्य ज्ञान की किस्मों (133) और विद्यमान अधिसूचित किस्मों (82) सहित अन्य श्रेणियों की किस्में पंजीकृत की गई। इसी प्रकार, सर्वाधिक प्रमाण–पत्र अनाजों (161) के मामले में जारी हुए जिसके पश्चात क्रमशः सब्जियों (131), रेशा फसलों (60), फलों (41) और फलीदार फसलों (25) का स्थान है।

प्राधिकरण पर उन किसानों व समुदायों को सम्मानित करने का भी दायित्व है जो उन परंपरागत किस्मों या उनकी वन्य संबंधी जातियों को सुरक्षित करने में रत हैं जिनका विशेष उपयोग या समाज में वाणिज्यिक मांग के कारण परंपरागत रूप से बहुत मूल्य है। इसके अंतर्गत प्रजनकों द्वारा उपयोग के लिए इन जीनोम को बचाने हेतु कृषकों/कृषक समुदायों को पुरस्कृत, प्रतिदानित और सम्मानित किया जाता है। भारत सरकार के माननीय कृषि एवं माननीय कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पांच समुदायों को पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों से सम्मानित किया; तीन किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कारों से तथा भारत के विभिन्न राज्यों से आए छह किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान से सम्मानित किया। श्री पुरुषोत्तम रूपाला

और श्री कैलाश चौधरी, दोनों राज्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार; श्री संजय अग्रवाल, सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा महानिदेशक, भा.कृ.अ.प.; डॉ. के.वि. प्रभु, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा संरक्षित कृषि जैवविविधता पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।

रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण की दो बैठकें आयोजित हुईं। दिनांक 30 अप्रैल 2019 को आयोजित प्राधिकरण की पिछली बैठक में बाजारा और ज्वार के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने, बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए पदों के सृजन, पंजीकरण हेतु प्रमाण-पत्र में संशोधन करने, कैरियर में प्रगति के लिए विशेष नीति संचालित करने, जागरूकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के लिए प्रस्तावों जैसे मुद्दों को स्वीकृत किया गया। प्राधिकरण की 32वीं बैठक जो 25 सितम्बर 2019 को आयोजित हुई थी, परवल, क्रॉसेंड्रा और लोबिया फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों, वार्षिक शुल्क वापस करने के साथ, वित्तीय सलाहकार के पद हेतु भर्ती नियमों, वर्ष 2018–19 के वार्षिक प्रतिवेदन के मसौदे व वार्षिक लेखे (2018–19) को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्राधिकरण के वैधानिक कोष्ठ द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दाखिल मुकदमों की पैरवी की गई। रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध 29 मुकदमे लंबित थे तथा 6 मुकदमे—2015 का डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 10203, 2013 का डब्ल्यू.पी. (सी.) सं. 6470, 2014 का डब्ल्यू.पी. (सी.) सं. 6208, 2020 का एलपीए 63 व 64 तथा 2015 का ओ.ए. सं. 190) निपटाए गए। नवीकरण शुल्क से संबंधित संशोधन के मामले में भारत सरकार के राजपत्र में अन्य अधिसूचनाएं प्रकाशित हुई जिनमें 20 नवम्बर 2019 को शामिल नवीकरण शुल्क से संबंधित राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 863 (ई) भी शामिल है।

रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को या तो आवेदकों द्वारा सीधे या अन्य विभागों द्वारा हस्तांतरित 15 आवेदन आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए। मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराई गई। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण या मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के समक्ष कोई भी अपील लंबित नहीं थी।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के नोडल बीज प्रभाग द्वारा समय पर उपलब्ध कराई गई सहायता के कारण अधिसूचित केन्द्रों पर डीयूएस परीक्षण करने हेतु विभिन्न सार्वजनिक (केन्द्र या राज्य सरकार) संस्थाओं को निधियां उपलब्ध कराना संभव हुआ। इन अधिसूचित केन्द्रों में शिवमोगा शाखा पर जनक व संकर परीक्षण पर डीयूएस तथा देशभर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाना संभव हुआ। प्राधिकरण ने कृषक के अधिकारों, कृषक किस्मों सहित विभिन्न किस्मों के पंजीकरण तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सूचना के प्रचार—प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान मेलों, कृषि मेलों आदि में भाग लिया।

भा.कृ.अ.प.—आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल में 19 से 20 फरवरी 2020 के दौरान पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. के.वि. प्रभु की अध्यक्षता तथा भा.कृ.अ.प.—आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल के निदेशक डॉ. जी. पी. सिंह की सह अध्यक्षता में बीज क्षेत्र पर भारत—जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग के तत्वावधान में 'गेहूं और जौ के डीयूएस परीक्षण' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई। भा.कृ.अ.प.—तोरिया—सरसों अनुसंधान

निदेशालय द्वारा 13–14 फरवरी 2020 को ‘तोरिया—सरसों के डीयूएस परीक्षण’ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की गई। इस कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए), नई दिल्ली, तथा जर्मनी के खाद्य एवं कृषि संघीय मंत्रालय (बीएमईएल) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

प्राधिकरण को वर्ष 2019–20 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से 5509.76 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए जिसमें से 315.10 लाख रुपये राशि को छोड़कर पिछले वर्ष की 50.15 लाख रुपये की राशि के समायोजन के पश्चात् 5244.81 लाख रुपये की राशि का उपयोग हुआ। प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा हो चुकी है तथा इसे निर्धारित समय—सीमा में सीएजी को प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्राधिकरण को किस्मों की सुरक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने तथा अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों को समय पर लागू करना है। तथापि, पिछले 4 वर्षों के दौरान मानव शक्ति, वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों की कमी के कारण इस संबंध में कुछ कमियां रह गई हैं।

प्राधिकरण को वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया गया तथा निर्धारित समय—सीमा में इनकी लेखापरीक्षा करने के पश्चात् निर्धारित समय—सीमा के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया। प्राधिकरण का वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को समय पर अग्रेषित किया जा रहा है।

अध्याय 1 : संक्षिप्त परिचय

पादप आनुवंशिक संसाधन मानवता के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भोजन, रेशे, चारा, वन तथा औद्योगिक उपयोग के लिए पौधों की नई किस्में सृजित करने में आनुवंशिक विविधता के एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। परंपरागत पादप प्रजनकों में खेती करने वाले समुदाय वनों के व निवासी शामिल हैं जिन्होंने इस विविधता का पालन–पोषण किया है तथा सदियों से पौधे उत्पन्न करने के लिए चयन का कार्य किया है। आधुनिक पादप प्रजनक जैव विविधता से समृद्ध अंचलों में खोजपूर्ण भ्रमण तथा अन्वेषण के माध्यम से आनुवंशिक विविधता संकलित करते हैं तथा खेती के लिए उनका मूल्य बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न युक्तियों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, पादप प्रजनकों के अधिकार उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा ऐसी पारिस्थितिक प्रणाली सृजित करने के लिए हैं जिनसे निरंतर नई खोज होती रहती है तथा जननद्रव्य पर उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व प्राप्त करने की क्रियाविधि स्थापित की जा सकती है तथा ऐसे दीर्घावधि अनुसंधान एवं विकास को सहायता मिलती है जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में पादप प्रजनन को बढ़ावा मिलता है तथा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री उपलब्ध होते हैं।

कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) को लागू करने के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में 'पादप पेटेंट अधिनियम, 1930' लागू हुआ तथा यूनियन इंटरनेशनाले पाऊर ला प्रोटेक्शन डेस ऑबटेंशंस वेजिटेले (उपोव) या पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 1961 में यूरोप में स्थापना हुई जिसे बाद में 1972, 1978 और 1991 में संशोधित किया गया। वर्तमान में, उपोव समझौते के अंग के रूप में 74 सदस्य स्टेट हैं जिनमें यूरोपीय यूनियन, ओएपीआई शामिल हैं। भारत उपोव का पर्यवेक्षक रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए बहुपक्षीय उपाय के रूप में टैरिफ तथा व्यापार पर सामान्य समझौते (गैट) के द्वारा पादप प्रजनकों के अधिकारों द्वारा पौधा किस्मों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। उरुग्वे वार्ता में गैट की संधियों से वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर हुए समझौते (ट्रिप्स) के अनुच्छेद 27.3 (बी) में यह प्रावधान है कि सभी सदस्य पौधा किस्मों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जिसके लिए या तो पेटेंट को अपनाया जाएगा या ऐसा कोई प्रभावी सु जेनेरेशन प्रणाली लागू करके किया जाएगा या इन सभी के उपयोग द्वारा ऐसा किया जाएगा।

भारत सरकार ने पौधा किस्मों की सुरक्षा, किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी सु जेनेरेशन प्रणाली की स्थापना हेतु भारतीय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एवं एफआर) अधिनियम, 2001 (2001 का 53) लागू किया।

भारतीय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम 12 सितम्बर 2003 को अधिसूचित हुए जिनमें बाद में समय–समय पर संशोधन हुआ। अंततः अधिनियम के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 1588(ई) के द्वारा 11 नवम्बर 2005 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।

1.1 पीपीवी और एफआर अधिनियम के उद्देश्य

उक्त अधिनियम के उद्देश्य हैं :

- पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

1.2 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम एक स्थू जेनेरिस प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें उपोव (पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जेनेवा) के समझौते को यदि नहीं अपनाया जाता है तो सदस्य देशों के लिए ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत विकल्पों पर आधारित पीपीवी और एफआर अधिनियम में प्रजनकों, किसानों (पादप प्रजनकों के रूप में उनके अधिकारों सहित), कृषक समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात और निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान कराता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज/रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन-सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, बशर्ते कि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो। अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें कृषक समुदायों/कृषकों को कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

1.3 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण

पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, 2001 के पीपीवी एवं एफआर अधिनियम के माध्यम से भारत की संसद द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। प्राधिकरण एक निकाय कारपोरेट है जिसकी अनवरत विरासत और सामान्य मुहर है और इसे चल और अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने, उन्हें बनाए रखने व उनका निपटान

करने तथा संविदा के अंतर्गत लेने का अधिकार है तथा इसे इसी नाम से जाना जाएगा। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सोसायटीज ब्लॉक, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। 31 मार्च 2020 को प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं। इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक रजिस्ट्री और अपीलीय निकाय है जिसे प्राधिकरण के तकनीकी सदस्य के साथ आईपीएबी (बौद्धिक सम्पदा अधिकार) अपीलीय मंडल के साथ समेकित कर दिया गया है।

1.4 पौधा किस्मों का पंजीकरण

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पंजीकरण हेतु 158 फसल जातियों के विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अनाज, दालें, मोटे अनाज, तिलहन, मसाले, सब्जियां, पुष्प, औषधीय व सगंधीय पौधे तथा रेशा फसलें और विद्यमान श्रेणियों के अंतर्गत किस्मों के लिए तीन और फसल जातियों सहित कुल 161 श्रेणियां शामिल हैं। प्राधिकरण ने रिपोर्टधीन वर्ष 2019–20 के दौरान पौधा किस्मों (नई, विद्यमान अधिसूचित और कृषक किस्म की श्रेणी में) के अंतर्गत 430 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं और अधिक आवेदकों को आकर्षिक करने के लिए प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए नियमित रूप से जागरूकता तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है।

पीपीवी और एफआरए द्वारा आवेदकों द्वारा प्रत्याशी किस्मों के दावों के सत्यापन, प्रजनन अनुरक्षण, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित संदर्भ/उदाहरण किस्मों/किस्मों के अनुरक्षण, प्रजनन व प्रगुणन संबंधी आवेदकों के दावों की पुष्टि के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किस्मगत गुणों का डेटाबेस सृजित करने के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत देशभर में डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल विशिष्ट केन्द्रों में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण किए जा रहे हैं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़े और विश्लेषण के लिए इन केन्द्रों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सक्षम फसल प्रजातियों की पहचान की है तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए परियोजनाओं को सहायता भी प्रदान की है। प्राधिकरण ने अपना राष्ट्रीय जीन बैंक तथा देशभर में फील्ड जीन बैंक स्थापित किए हैं। यह नियमित रूप से भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित कर रहा है तथा मुख्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है।

1.5 पादप किस्मों की सुरक्षा की श्रेणियां

अधिनियम के अंतर्गत नई किस्मों की नवीनता के लिए पौधा किस्म सुरक्षा में डीयूएस की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रणाली के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति निम्न में से किसी के लिए भी पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।

- नई किस्म अधिनियम की धारा 29(2) के अंतर्गत विशिष्टीकृत ऐसे गण या प्रजातियां
- विद्यमान किस्म,

- बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित,
- सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीक)

- **कृषक किस्म**

- किसानों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई किस्म,
- ऐसी वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।

- **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ई डी वी)**

आरंभिक किस्म से मुख्यतः व्युत्पन्न किस्म या ऐसी किस्म से व्युत्पन्न किस्म जो ऐसी आरंभिक किस्म से मुख्यतः व्युत्पन्न हो जिसमें अनिवार्य गुण की अभिव्यक्ति बनी रहे जिसके परिणामस्वरूप ऐसी आरंभिक किस्म के जीनप्ररूपों का संयोग या जीनप्ररूप प्राप्त हुआ हो।

1.6 कृषकों के अधिकार

अधिनियम में कृषकों को निम्न अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं :

- **अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार :** इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों द्वारा विकसित या संरक्षित परंपरागत किस्में या उनके द्वारा विकसित नई किस्में मान्यता की पात्र हैं।
- **बीज पर अधिकार :** इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी फसल से अपने बीज को बचाकर रखने, उसे बुआई, पुनः बुआई, आदान-प्रदान करने और अन्य किसानों के साथ साझीदारी करने या बेचने का अधिकार बशर्ते कि वह किसान किसी सुरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज की बिक्री न करे।
- **पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार :** इस अधिनियम के अंतर्गत जो किसान या कृषक समुदाय पादप आनुवंशिक संसाधनों (आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों) के सुधार के साथ भू-प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में रत हैं, वे पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान, सम्मान प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते कि उनकी पादप सामग्री का उपयोग इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों के विकास में किया गया हो।
- **अज्ञानता में हुए उल्लंघन के प्रति सुरक्षा :** यदि किसी किसान ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 65 के अनुसार अधिकार का उल्लंघन किया हो और वह न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध कर सके कि उसे उल्लंघन के समय ऐसे अधिकार के विद्यमान होने का ज्ञान नहीं था तो उसे आरोपी नहीं माना जाएगा।
- **शुल्क में छूट :** किसी किसान या किसानों के समूह को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय की प्रति प्राप्त करने, या आदेश अथवा दस्तावेज प्राप्त करने या उसका निरीक्षण करने के लिए कोई भी शुल्क अदा नहीं करना होगा। किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क अदा करने तथा किस्म के पंजीकरण में सामान्यतः अन्य लोगों द्वारा अदा किए जाने वाले शुल्क की तुलना में ऐसे भुगतानों से छूट प्राप्त है। उसे पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा किस्मों के परीक्षण तथा अन्य सेवाओं, इसके साथ ही अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कानूनी कार्रवाई या अदालत, न्यायाधिकरण आदि में चलाए जाने वाले मुकदमों के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्कों से छूट प्राप्त है।

- बीजों का तर्कसंगत मूल्य :** किसानों को तर्कसंगत तथा लाभप्रद मूल्य पर किसी पंजीकृत किस्म के बीजों को प्राप्त करने का अधिकार है। जब यह शर्त पूरी नहीं होती है तो अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत प्रजनक का यह एकमात्र अधिकार निलंबित कर दिया जाता है तथा प्रजनक को किसी किस्म के बीजोत्पादन, वितरण तथा बिक्री का अधिकार लेना पड़ता है। पादप सुरक्षा संबंधी अधिकांश कानूनों में सुरक्षित किस्मों को अनिवार्य लाइसेंस लेने का प्रावधान है, ताकि किसानों को बीजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- कृषक किस्मों का प्राधिकृतिकरण :** किसी कृषक किस्म से किसी अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के विकास तथा इसके वाणिज्यीकरण के लिए उस किसान (नों) या उस कृषक समूह(हों) से अनुमति के साथ प्राधिकरण प्राप्त करना होता है जिसने ऐसी किस्म के संरक्षण या विकास में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार की प्रक्रिया से किसान प्रजनकों के साथ प्राधिकार दिए जाने की शर्तों के बारे में परस्पर निर्धारण कर सकते हैं जिसमें रायल्टी, लाभ में भागीदारी आदि शामिल हैं।
- क्षतिपूर्ति का अधिकार :** जब इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म की किसी प्रवर्धित सामग्री को किसी किसान को बेचा जाना हो तो प्रजनक को दी गई शर्तों के अंतर्गत उस किस्म के अपेक्षित निष्पादन का खुलासा करना होता है। यदि प्रवर्धन सामग्री निर्धारित दशाओं के अंतर्गत ऐसा निष्पादन करने में असफल रहती है तो किसान प्राधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति का दावा पेश कर सकता है। प्राधिकरण संबंधित किस्म के प्रजनक को इस मुद्दे के बारे में अधिसूचित करेगा तथा उसे विरोध दाखिल करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके पश्चात् प्राधिकरण यदि उचित समझता है तो संबंधित किसान को क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश प्रजनक को दे सकता है।

प्राधिकरण में स्थित कृषक कोष की कृषक किस्मों के आईपीआर पंजीकरण की देखभाल करता है, देशभर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है तथा उन किसानों तथा कृषक समुदायों की पहचान करता है जिन्होंने जननद्रव्य के संरक्षण और नई किस्मों के विकास में अपने योगदान दिए हैं।

1.7 प्रजनकों के अधिकार

पंजीकरण से नाम के साथ—साथ किस्म को उत्पन्न करने, बेचने, विपणन करने, निर्यात या आयात करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार किसानों के अधिकार के रूप में इस शर्त के साथ है कि किसान गैर-ब्राण्ड वाले बीज की किसी भी किस्म के पंजीकृत बीज का उपयोग कर सकता है।

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम का अत्यंत प्रमुख प्रावधान है जिसका भारतीय कृषि तथा वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को भी अपनी किस्म के विरुद्ध अनंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि, पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई गलत कार्य न किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को भी अधिकार दिए गए हैं। तथापि, किसी नई किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है।

1.8 पादप किस्मों का पंजीकरण

किसी पौधा किस्म और इसके नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन निम्न श्रेणियों में दिया जा सकता है :

- **नई किस्म** : यदि कोई किस्म अपनी पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से एक वर्ष से कम अवधि के लिए वाणिज्यीकृत की गई है तो यह नई किस्म है।
- **विद्यमान किस्म**: इसमें निम्नलिखित श्रेणियां हैं :
 - **बीज अधिनियम, 1966** की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म : बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किस्में इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की पात्र हैं।
 - **कृषक किस्म** : कृषकों द्वारा विकसित और उनके खेतों में परंपरागत रूप से उगाई गई जिसमें वे वन्य संबंधी या भू-प्रजातियां या किस्में भी शामिल हैं जिनके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
 - **सामान्य ज्ञान की किस्म** : जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं की गई है और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वाणिज्यीकृत शृंखला में हैं।
- **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म** : वह किस्म जो मुख्यतः आरंभिक किस्म से विकसित की गई हो, नई या विद्यमान किस्म के अंतर्गत आती है।

1.9 किस्मों के फील्ड-परीक्षण की अवधि

आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है और आवेदक को डीयूएस परीक्षण शुल्क जमा कराना होता है। वांछित शुल्क और बीज प्राप्त करने के पश्चात् किस्म को डीयूएस परीक्षण करने के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र भेजा जाता है। डीयूएस परीक्षण केन्द्र की अवधि निम्नानुसार है :

- **नई किस्में** : दो स्थानों पर दो समान फसल वर्ष
- **कृषक किस्म और वी सी के** : दो स्थानों पर एक फसल मौसम
- **बीज अधिनियम, 1966** की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म : डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाता है लेकिन किस्म की ईवीआरसी समिति द्वारा जांच की जाती है जो इसके पंजीकरण की सिफारिश करती है।
- **ई डी वी** : डीयूएस परीक्षण अनिवार्य नहीं है लेकिन डीयूएस मानदंडों की पुष्टि के लिए फील्ड परीक्षण किया जाता है।

डीयूएस परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद आवेदन पर फिर कार्रवाई की जाती है और यदि दावा किए गए गुण तथा डीयूएस परीक्षण में ज्ञात किए गए गुण समान होते हैं तो उस किस्म का विज्ञापन किया जाता है। यदि दावा किए गए गुण और डीयूएस परीक्षण द्वारा निर्धारित गुण भिन्न होते हैं तो आवेदक को आवेदन में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अंततः किस्म के पासपोर्ट आंकड़े भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए जाते हैं।

आवेदन को भारतीय पौधा किस्म जरनल में विज्ञापित किया जाता है जिसमें प्रकाशन की तिथि से 3 माह की अवधि तक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि कोई विरोध दाखिल नहीं होती है या यदि दाखिल किया गया विरोध अस्वीकार कर लिया जाता है तो किस्म के पंजीकरण की कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा की अवधि निम्नानुसार है :

1.9.1 सुरक्षा की अवधि तथा फसलें

वर्तमान में कुल 161 फसल जातियां सुरक्षा की पात्र हैं (अनुबंध-VIII)। खेत फसलों की सुरक्षा की कुल अवधि 15 वर्ष है जिसमें पंजीकरण के समय सुरक्षा की अवधि 6 वर्ष है जो अगले 9 वर्ष तक नवीकृत हो सकती है, जबकि वृक्षों और लताओं के लिए यह अवधि 18 वर्ष है जिसमें पंजीकरण के समय सुरक्षा की अवधि 9 वर्ष है जो अगले 9 वर्ष तक नवीकृत हो सकती है। अधिसूचित विद्यमान किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से खेत फसलों या वृक्षों और लताओं को क्रमशः 15 और 18 वर्ष के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।


1.10 किसानों/कृषक समुदायों को पुरस्कार/प्रतिदान

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 70(2)(ए) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 45(2) में उन किसानों व कृषक समुदायों और विशेष रूप से आदिम जातियों तथा ग्रामीण समुदायों के किसानों को सहायता प्रदान करने और पुरस्कार देने का प्रावधान है जो विशेष रूप से कृषि जैव विविधता के हॉट-स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण में रत हैं। यह पुरस्कार/प्रतिदान राष्ट्रीय जीन निधि से दिए जाते हैं। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्ष 2009–10 में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ऐसे पांच पुरस्कार दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही 10 किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान तथा 20 किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान प्रमाण—पत्र दिए जाते हैं। दिए जाने वाले पुरस्कारों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है। इन पुरस्कारों का चयन किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की समिति द्वारा किया जाता है।

सारणी 1 : पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान एवं सम्मान का विवरण

पुरस्कार	विवरण	आवेदन
पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार	प्रत्येक वर्ष पांच कृषक समुदायों को पुरस्कार दिया जाता है।	
पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान	प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्घरण, स्मृति चिह्न व 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।	इन पुरस्कारों के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय दैनिक समाचार—पत्रों में प्रकाशित हुआ था तथा इसे प्राधिकरण की वेबसाइट: (http://www.plantauthority.gov.in/forms.htm पर भी दर्शाया गया था।
पादप जीनोम संरक्षण कृषक सम्मान	प्रत्येक वर्ष दस कृषकों को यह पुरस्कार दिया जाता है।	आवेदन संबंधित पंचायत समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव या संबंधित जिला कृषि अधिकारी या संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या जिला आदिवासी विकास कार्यालय द्वारा अग्रेषित किए जाने चाहिए।

1.11 संगठनात्मक ढांचा



अध्याय 2 : पादप किस्म रजिस्ट्री

2.1 फसल जातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रकाशन

वर्ष 2019–20 के दौरान तीन फसल जातियों के लिए डीयूएस दिशानिर्देश विकसित किए गए तथा इन्हें भारतीय पौधा किस्म जर्नल में प्रकाशित किया गया। इनका उल्लेख सारणी 2 में किया गया है। कुल 158 फसल जातियां जिनके लिए प्राधिकरण ने डीयूएस दिशानिर्देश विकसित किए हैं, उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इन विभिन्न फसल जातियों के अंतर्गत किस्मों हेतु पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए अब पंजीकरण खुला हुआ है।

सारणी 2: वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न फसल जातियों के लिए विकसित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश

क्र.सं.	फसल व जातियां	पीपीजे में प्रकाशन का विवरण
1	परवल (ट्राइकॉसेंथस लियोइका रॉक्सब.)	मार्च से अगस्त 2019 (खंड-13, अंक 3-8)
2	कोसेंड्रा (क्रॉसेंड्रा इफंडीबुलिफॉर्मिस (एल.) नीस.)	सितम्बर 2019 (खंड-13, अंक 9)
3	लोबिया (विग्ना अंगूयूकुलेटा (एल.)	अक्टूबर 2019 (खंड 13, अंक 10)

2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या

श्रेणी	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	किसान
नई	12	50	-
विद्यमान अधिसूचित	46	10	-
विद्यमान वीसीके	13	63	-
विद्यमान कृषक	-	-	10
ईडीवी	-	-	-

वर्ष 2019–20 के दौरान पंजीकरण हेतु कुल 204 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से प्रमुख आवेदन अनाजों, सब्जियों व रेशा फसलों के थे (सारणी 3)।

सारणी 3. प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या (फसल समूह–वार)

फसल समूह	कुल	फसल समूह	कुल
अनाज	94	तिलहन	3
कद्दूवर्गीय	3	मसाले	2
रेशा फसलें	23	शर्करा फसलें	5
फल	17	सब्जियां	51
फलीदार फसलें	6		
		कुल योग	204

सबसे अधिक संख्या में आवेदन चावल (37), मक्का(25), आलू (24), चतुर्गुणित कपास (22), बाजरा (15), टमाटर (12), मिर्च (11), गेहूं (10) आदि के थे (सारणी 4)।

सारणी 4: प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या (फसल वार)

क्र.सं.	सामान्य नाम	कुल	क्र.सं.	सामान्य नाम	कुल	क्र.सं.	सामान्य नाम	कुल
1	चावल	37	12	गन्ना	5	23	लौकी	1
2	मक्का	25	13	अमरुद	3	24	फूलगोभी	1
3	आलू	24	14	उड़द	2	25	चना	1
4	चतुर्गुणित कपास	22	15	झ्यूरम गेहूं	2	26	मूँगफली	1
5	बाजरा	15	16	लहसुन	2	27	सरसों	1
6	टमाटर	12	17	मूँग	2	28	पटसन	1
7	मिर्च	11	18	आम	2	29	सेम	1
8	गेहूं	10	19	भिण्डी	2	30	शहतूत	1
9	केला	5	20	सेब	1	31	नसदार तोरी	1
10	जौ	5	21	शिमला मिर्च	1	32	सूरजमुखी	1
11	अंगूर	5	22	करेला	1		कुल योग	204

कुल 204 आवेदनों में से 123 आवेदन निजी क्षेत्र द्वारा, 71 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा और 10 कृषकों द्वारा दाखिल किए गए। विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत 56 आवेदन प्राप्त हुए, विद्यमान वीसीके के अंतर्गत 76, नई के अंतर्गत 62 और कृषक किस्म श्रेणी के अंतर्गत 10 आवेदन भी पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए। वर्ष 2019–20 के दौरान 32 फसल जातियों से संबंधित 204 आवेदन प्राप्त हुए।

2.3 रजिस्ट्री के शाखा कार्यालयों के प्रतिवेदन

2.3.1 शाखा कार्यालय, गुवहाटी

रिपोर्टधीन अवधि वर्ष 2019–20 के दौरान गुवहाटी शाखा कार्यालय के प्रमुख श्री फूल सिंह मालवीय, उप पंजीकार (पीपीवी एवं एफआरए रांची शाखा कार्यालय) थे जिनके पास गुवहाटी शाखा कार्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार था। शाखा कार्यालय में एक डेटा आपरेटर तथा एक मल्टी टास्क स्टाफ आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनात थे।

डॉ. प्रकाश बोहरा, असम कृषि विश्वविद्यालय; निदेशक, एनईएच क्षेत्र, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, नागालैंड; भा.कृ.अ.प.–एनईएच क्षेत्र, उमियम, मेघालय; डॉ. अरुणिमा देब चौधरी, एसएसईएईपी, परमानंद भवन, एमजी मार्ग, नांगांव, असम; डॉ. बी.पी. बरुआ, मुख्य वैज्ञानिक, करीमगंज, जोरहट, असम तथा उत्तर पूर्व के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों को 30 जुलाई 2019 को कृषक किस्मों तथा बीज परीक्षण हेतु नई पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवेदन भेजे गए।

शाखा कार्यालय ने 09.01.2020 से 12.01.2020 तक राष्ट्रीय सिट्रस सम्मेलन–2020 आयोजित करने के लिए असम कृषि विश्वविद्यालय के विश्वनाथ चरेली केन्द्र के साथ सहयोग किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में विद्यमान जातियों में मौजूद आनुवंशिक विविधता को प्रकाशित करना था जिसके साथ उनकी प्रमुख विशेषताओं

क्यूलीनरी की दृष्टि से उनके मूल्य, औषधीय उपयोग और औद्योगिक उपयोग पर भी विचार किया जाना था। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने फसल पौधों में देसी विविधता पर बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा के द्वारा उनकी वाणिज्यिक क्षमता के प्रचार–प्रसार या एसोचैम के साथ उनके वन्य संबंधियों पर उभरते हुए उत्तर–पूर्व में इनकी संभावनाओं पर फरवरी 2020 में गुवहाटी में एक कार्यक्रम आयोजित किया।

वर्ष 2019–20 के दौरान जागरूकता कार्यक्रम के लिए उप पंजीकार, गुवहाटी शाखा कार्यालय की प्रतिभागिता की झलकियां



राष्ट्रीय सिट्रस सम्मेलन–2020 के लिए विश्वनाथ चरियाली कृषि महाविद्यालय, असम कृषि विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय कार्यशाला



मणिराम दीवान ट्रेड सेंटर, गुवहाटी में उभरते हुए उत्तर पूर्व पर एसोचैम

2.3.2 शाखा कार्यालय, रांची

रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान शाखा कार्यालय रांची में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई : कृषक, नई विद्यमान किस्मों के आवेदन : कृषक किस्मों के 74 आवेदन प्राप्त हुए। इनके अतिरिक्त शाखा कार्यालय रांची में 01 नई तथा 05 विद्यमान किस्मों के आवेदन भी प्राप्त हुए जिसमें से सभी कृषक किस्मों के आवेदन डीयूएस परीक्षण के लिए भेजे गए तथा अन्य विद्यमान किस्म के आवेदन सभी दिशानिर्देशों के साथ मुख्यालय को प्रस्तुत किए गए ताकि उन पर अगली कार्रवाई की जा सके। अपूर्ण आवेदन आवेदकों को वापस कर दिए गए।

- पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान संबंधी आवेदन :** रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान शाखा कार्यालय रांची को पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान (पीजीएससी) के लिए 08 आवेदन भी प्राप्त हुए। ये आवेदन उनके कार्य क्षेत्र में 2017–18 की अवधि के थे जिन्हें अगली कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया।
- बीज नमूने :** डीयूएस तथा ग्रोआउट परीक्षण (जीओटी) के लिए विभिन्न फसलों के **58 बीज/पादप नमूने** प्राप्त हुए और उन्हें पौधा किस्म रजिस्ट्री को भेजा गया।
- शुल्क प्रस्तुत करने के लिए समन्वयन :** शाखा कार्यालय, रांची विभिन्न संस्थानों से शुल्क जैसे वार्षिक शुल्क, नवीकरण शुल्क और डीयूएस शुल्क आदि प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रयास करता है।



डीयूएस समीक्षा 25.04.2019

डीयूएस केन्द्र समीक्षा बैठक और परियोजना स्थिति
बैठक दिनांक 26.04.2019

ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी) में प्रतिभागिता कृषक मेला 2020 और पीपीवी एवं एफआरए में क्षेत्रीय कार्यशाला

2.3.3 शाखा कार्यालय, शिवमोगा

2.3.3.1 शाखा कार्यालय, शिवमोगा का तकनीकी प्रगति प्रतिवेदन

पीपी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कपास, ज्वार, मूँग और उड्डद फसलों के कृषकों से कुल सात आवेदन बीज सहित प्राप्त हुए तथा प्राथमिक जांच के पश्चात उन्हें अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यालय भेजा गया।

सारणी 5. प्राप्त तथा अग्रेषित आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है :

फसल	आवेदनों की संख्या
कपास	04
ज्वार	01
मूँग	01
उड्डद	0 1
कुल	07

2.3.3.2 डीयूएस लक्षण—वर्णन, संकरीकरण तथा पुनरोद्धार कार्यक्रम

इस केन्द्र को कृषि तथा बागवानी फसलों की जनक सामग्री के डीयूएस परीक्षण केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार डीयूएस लक्षण—वर्णन, संकरीकरण तथा पुनरोद्धार के लिए खरीफ और रबी मौसम 2019 व ग्रीष्म मौसम 2020 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई गईं (सारणी 6):

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक
1.	अनाजों (मक्का और चावल को छोड़कर), दलहनों व सब्जी फसलों के लिए जनक वंशक्रमों के संकर बीजोत्पादन का स्थायित्व मूल्यांकन / डीयूएस लक्षण—वर्णन	डॉ. टी.के. नागरत्न पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली
2.	मक्का व तिलहनी फसलों के जनक वंशक्रमों के संकर बीजोत्पादन / डीयूएस लक्षण—वर्णन	डॉ. रवि प्रकाश पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली
3.	चावल और कपास के लिए जनक वंशक्रमों का स्थायित्व विश्लेषण / संकर बीजोत्पादन / डीयूएस लक्षण—वर्णन	डॉ. दिपल राय चौधरी संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली

2.3.3.3 वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त विभिन्न फसलों में डीयूएस लक्षण–वर्णन तथा संकरीकरण कार्यक्रम के लिए प्राप्त जनक तथा सामग्री की सूची

खरीफ और रबी 2019			ग्रीष्म ऋतु 2020		
क्र. सं.	फसल	प्राप्त प्रविष्टियों/जनकों/अंतःप्रजातों/किए गए परीक्षणों की संख्या	क्र.सं.	फसल	प्राप्त प्रविष्टियों/जनकों/अंतःप्रजातों/किए गए परीक्षणों की संख्या
1	मक्का	109	1	तरबूज	04
2	धान	20	2	भिण्डी	16
3	कपास	16	3	मिर्च	14
4	मूंग	05	4	टमाटर	14
5	बाजरा	04	5	सूरजमुखी	02
6	ज्वार	01	6	सरसों	05

‘अनाजों (मक्का और चावल को छोड़कर) दलहनों, सब्जी फसलों के लिए जनक वंशक्रमों के स्थायित्व मूल्यांकन, संकर बीजोत्पादन, डीयूएस लक्षण–वर्णन’ की प्रगति। इस परियोजना को वर्ष 2019–20 से चलाया जा रहा है तथा पीपीवी व एफआर शाखा कार्यालय, शिवमोगा में इसके लिए 232.11 लाख रुपये का बजट परिव्यय है (कोड सं. पीपीवी/इंटरनल/02/2019–20)

मुख्य उपलब्धियां

- वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (03), तकनीकी सहायक (01) और मल्टी टॉस्किंग स्टाफ (01) की भर्ती परियोजना की विभिन्न गतिविधियों जैसे जनकों का संकरीकरण और एफ, संकरों का सृजन, जनक वंशक्रमों का डीयूएस परीक्षण, संदर्भ किस्मों का रखरखाव आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए की गई।
- ज्वार (01), बाजरा (04), तरबूज (04), भिण्डी (16), मिर्च (14), टमाटर (14) तथा मूंग (5) की प्रत्याशी किस्मों के संकर बीजोत्पादन व डीयूएस लक्षण–वर्णन का कार्य वर्ष 2019–20 के दौरान किया गया।

परियोजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे की सुविधाएं

- यूएचएस, शिवमोगा में फार्म प्लॉट से पीपीवी और एफआरए प्रायोगिक प्लाटों तक सिंचाई पाइपलाइन (एचडीपीई) बिछाने की सुविधा सहित सिंचाई हेतु कार्य आरंभ किया गया। नालियों की खुदाई, सिंचाई पाइपलाइन डाले जाने तथा पम्प हाउस के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- बिजली लगाने, पार्टीशन, खिड़कियों में पैनल लगाने तथा दीवारों में पैनल लगाने जैसे सिविल निर्माण कार्य जिनमें कार्यालय नवीकरण व एल्यूमीनियम का पार्टीश करने का कार्य भी शामिल था, यूएचएस, शिवमोगा द्वारा मान्यता प्राप्त ठेकेदारों को सम्पन्न करने हेतु सौंपे गए।
- पीपीवी एवं एफआरए शाखा कार्यालय, शिवमोगा में 13.5 एकड़ के प्रायोगिक खेत में श्रृंखला की बाड़ उपलब्ध कराने का कार्य यूएचएस, शिवमोगा द्वारा मान्यता प्राप्त ठेकेदार को आबंटित किया गया।
- पीपीवी और एफआरए शाखा कार्यालय तथा प्रायोगिक प्लाटों में सीसीटीवी चौकसी प्रणाली स्थापित करने के लिए यूएचएस शिवमोगा के संपदा कार्यालय से आकलन मांगा गया है, ताकि उसे स्वीकृति प्रदान की जा सके।
- मुख्यालय द्वारा जीईएम के माध्यम से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा गया है तथा शाखा कार्यालय शिवमोगा को प्रिंटर सहित दो कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं।

फार्म उपकरण जैसे ब्रश/घास कटाई युक्त तथा बैटरी से चलने वाले पावर स्प्रेयर वांछित तकनीकी विशिष्टताओं के साथ जीईएम प्लेटफार्म जोड़े गए हैं।

2.3.3.4 पीपीवी और एफआरए, डीयूएस केन्द्र, शिवमोगा में 'मक्का और तिलहनी फसलों के जनक वंशक्रमों के संकर बीजोत्पादन/डीयूएस लक्षण–वर्णन और परीक्षण' पर डीयूएस परियोजना

पीपीवी एवं एफआरए शाखा कार्यालय, शिवमोगा में 79.14 लाख रुपये लागत से जुलाई 2019 में 3 वर्ष के लिए 'मक्का और तिलहनी फसलों के जनक वंशक्रमों के संकर बीजोत्पादन/डीयूएस लक्षण–वर्णन और परीक्षण' शीर्षक की एक परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना की साज–संभाल डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार कर रहे हैं जो इसके प्रधान अन्वेषक हैं। उनके साथ डॉ. आर.एस. सेंगर, उप पंजीकार; डॉ. अजय कुमार सिंह, पीवीई और डॉ. डी. एस. पिलानिया, तकनीकी सहायक क्रमशः परियोजना के सह प्रधान अन्वेषक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

रिपोर्टधीन अवधि वर्ष 2019–20 के दौरान पीपीवी और एफआरए शिवमोगा शाखा कार्यालय में डीयूएस परियोजना के अंतर्गत शाखा की अधिदेशित गतिविधियों के अलावा इस केन्द्र को विभिन्न कृषि व बागवानी फसलों के जनक वंशक्रमों के डीयूएस परीक्षण मूल्यांकन करने तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के अंतर्गत पंजीकरण व सुरक्षा के लिए प्रत्याशी किस्मों के आवेदन देने हेतु संकरों के उत्पादन का उत्तरदायित्व भी पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा सौंपा गया है। इस केन्द्र में उत्पन्न संकर बीजों की तुलना आवेदक द्वारा जमा किए गए प्रत्याशी संकर के बीज के साथ की जाती है, ताकि समरूपता की पुष्टि हो सके। इस संबंध में उल्लेख है कि मक्का तथा तिलहनी फसल जातियां डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आती है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान मक्का, सूरजमुखी तथा सरसों की विभिन्न प्रविष्टियों को डीयूएस परीक्षण तथा संकरों के उत्पादन के लिए लिया गया। रिपोर्टधीन वर्ष की बाद की अवधि के दौरान इन फसल जातियों के अंतर्गत आने वाली किस्मों की सुचारू साज–संभाल तथा कार्य के कुशल संपादन के लिए इन तीनों जातियों को समायोजित किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत फसलों की साज–संभाल के लिए दो वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता नामतः श्री चेतन के.जी. और श्री प्रसन्ना सखारे व एक तकनीकी सहायक सुश्री पल्लवी के.आर. की भर्ती की गई।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान चलाई गई गतिविधियों की सूचना का विवरण (इन फसलों के मामले में) निम्नानुसार है :

(क) मक्का (जी. मेज. एल.; 2n=20): खरीफ 2019 के दौरान शाखा कार्यालय शिवमोगा को जनक वंशक्रमों के डीयूएस परीक्षण तथा संबंधित जनकों के संकरीकरण के लिए 218 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं (अर्थात् 109 नर जनक + 109 मादा जनक और उनके साथ 16 संदर्भ वंशक्रम)। इन 218 प्रविष्टियों में से 38 प्रविष्टियां वीसीके और 180 प्रविष्टियां नई श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त हुई थीं। दो जुड़वां कतारों अर्थात् मादा जनकों की दो कतारों और नर जनकों की दो कतारों से युक्त प्रत्येक संकर संयोग के 20 पौधे तैयार किए गए। प्रत्येक कतार की लंबाई 4 मीटर तथा उनके बीच का अंतराल 70 x 20 मीटर था। कुल 16 संदर्भ वंशक्रम दो प्रतिकृतियों में बोए गए। इन प्रविष्टियों की बुआई अनुमोदित योजना के अनुसार की गई तथा प्रत्येक प्रविष्टि के 10 पौधों को चुना गया व उनके डीयूएस पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। फसल प्रबंधन की सभी निर्धारित तिथियां अपनाई गईं तथा निश्चित समय पर पीड़क नियंत्रण के उपाय किए गए और वे सभी उपाय किए गए जो स्वस्थ फसल को उगाने के लिए वांछित थे।

कुल 109 संकर संयोगों में से 103 उत्पन्न हुए और शेष संयोग जो या तो नर या मादा प्रविष्टियां थे, बुवाई के अनेक समयों में अंकुरित नहीं हुए। फसल मौसम के दौरान घटी घटनाओं की सारणी निम्नानुसार है (सारणी 8):

क्र.सं.	विवरण	तिथि
1	प्रथम और द्वितीय बुवाई की तिथि	25.07.2019 और 02.08.2019
2	भुट्टों की थेलाबंदी, वल्लर तथा संकरीकरण व स्वनिषेचन कार्यक्रम	18.09.2019 और 13.11.2019
3	परिपक्व भुट्टों की तुड़ाई	25.11.2019 और 20.12.2019

फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान मक्का की फसल के चित्र



शिवमोगा में सम्पन्न की गई मक्का संकरीकरण व स्वनिषेचन प्रक्रियाओं को दर्शाने वाले चित्र



1. मादा जनकों में वल्लर विहीनीकरण
2. मक्का वल्लर की थैलाबंदी
3. पराग एकत्र करना
4. संकरित भुट्टे पर लाल टैग लगाना

2. गैर खिले मादा जनक भुट्टों को काटना
4. नर वल्लर की थैलाबंदी
7. रेशे पर पराग छिड़कना
10. सफेद टैग युक्त स्वनिषेचित भुट्टा

3. भुट्टे की थैलाबंदी
5. वल्लर हटाना
8. परागण के पश्चात भुट्टे की थैलाबंदी
- 10क. सफेद टैग युक्त स्वनिषेचित भुट्टा

(ख) सूरजमुखी (एच. ऐनस) (2n=34) : रबी 2019 के दौरान शाखा कार्यालय शिवमोगा केन्द्र को 2 एबीआर प्रविष्टियां (अर्थात् 2 ए वंशक्रम + 2 बी वंशक्रम + 2 आर वंशक्रम) 06 संदर्भ वंशक्रमों के साथ जनक वंशक्रमों के डीयूएस परीक्षण व संबंधित जनकों के संकरीकरण हेतु प्राप्त हुए। प्रविष्टियों को तीन प्रतिकृतियों में अनुमोदित योजना के अनुसार बोया गया। सभी एबीआर वंशक्रम तीन कतारों में बोए गए अर्थात् ए वंशक्रम के लिए तीन कतारें,

बी वंशक्रम के लिए तीन कतारें और आर वंशक्रम के लिए तीन कतारें। 10 मीटर लंबी व 60 x 30 सें.मी. के अंतराल वाली प्रत्येक कतार में 10 पौधे थे। यही अंतराल 6 संदर्भ वंशक्रमों के लिए भी अपनाया गया। प्रत्येक प्रविष्टि में 10 पौधे चुने गए और डीयूएस पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। डीयूएस गुणों का पर्यवेक्षण किया गया तथा पीवीवी एवं एफआरए द्वारा प्रकाशित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जनक वंशक्रमों पर प्रत्येक वृद्धि अवस्था के दौरान गुण रिकॉर्ड किए गए। सभी निर्धारित फसल प्रबंधन विधियां व पीड़क नियंत्रण के उपाय समय पर किए गए और स्वस्थ फसल उगाने के लिए अपेक्षित सभी उपाय अपनाए गए।

सारणी 9. फसल मौसम के दौरान घटनाओं की सारणी निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	तिथि
1	बुआई की तिथि	09.12.2019
2	थैलाबंदी, स्वनिषेचन व संकरीकरण कार्यक्रम	03.02.2020 से 20.02.2020
3	परिपक्व शीर्षों की कटाई व घआई	23.03.2020 और 26.03.2020

सूरजमुखी में संकरीकरण व स्वनिषेचन संबंधी गतिविधियों के वित्र



Bagging for hybridization



Seed set of a hybrid



Recording DUS observation



A complete seed set of a hybrid

संकरीकरण के लिए थैलाबंदी

डीयूएस पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करना

संकर के बीज सैट

संकर का एक सम्पूर्ण बीज सैट

(ग) सरसों (ब्रैसिका जैसिया एल. सीजर्न और कॉस, n=18): रबी 2019 के दौरान शाखा कार्यालय शिवमोगा केन्द्र को 5 एबीआर प्रविष्टियां (अर्थात् 5 ए वंशक्रम + 5 बी वंशक्रम + 5 आर वंशक्रम) 16 संदर्भ वंशक्रमों के साथ जनक वंशक्रमों के डीयूएस परीक्षण व संबंधित जनकों के संकरीकरण हेतु प्राप्त हुए। प्रविष्टियों को तीन प्रतिकृतियों में अनुमोदित योजना के अनुसार बोया गया। सभी एबीआर वंशक्रम तीन कतारों में बोए गए अर्थात् ए वंशक्रम के लिए तीन कतारें, बी वंशक्रम के लिए तीन कतारें और आर वंशक्रम के लिए तीन कतारें। 5 मीटर लंबी व 60 x 15 सें.मी. के अंतराल वाली प्रत्येक कतार में 33 पौधे थे। यही अंतराल 16 संदर्भ वंशक्रमों के लिए भी अपनाया गया। प्रत्येक प्रविष्टि में 10 पौधे चुने गए और डीयूएस पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। डीयूएस गुणों का पर्यवेक्षण किया गया तथा पीवीवी एवं एफआरए द्वारा प्रकाशित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जनक वंशक्रमों पर प्रत्येक वृद्धि अवस्था के दौरान गुण रिकॉर्ड किए गए। सभी निर्धारित फसल प्रबंधन विधियां व पीड़क नियंत्रण के उपाय समय पर किए गए और स्वस्थ फसल उगाने के लिए अपेक्षित सभी उपाय अपनाए गए।

सारणी 10. फसल मौसम के दौरान घटी घटनाओं की सारणी निम्नानुसार है

क्र.सं.	विवरण	तिथि
1	बुआई की तिथि	09.12.2019
2	थैलाबंदी, स्वनिषेचन व संकरीकरण कार्यक्रम	20.01.2020 जव 26.02.2020
3	परिपक्व शीर्षों की कटाई व घआई	16.03.2020 जव 23.03.2020

संकरीकरण तथा रखरखाव गतिविधियों के दौरान यह देखा गया कि किसी भी संबंधित बी. वंशक्रम में परागों की उपलब्धता नहीं थी। इसकी पुष्टि बी. वंशक्रमों के अलग से थैलाबंद किए जाने के दौरान हुई। इसकी पुष्टि के लिए उसी समय पराग उर्वरता परीक्षण भी किए गए। विकल्प के तौर पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा पुष्टि का प्रयास किया गया तथा एसिटोकैरामीन स्टेन के साथ पराग जीवंतता परीक्षण भी किया गया। उपरोक्त उगाए गए वंशक्रमों की अनुक्रिया में निम्न दल के सदस्यों ने दिनांक 06.02.2020 को शिवमोगा में डीयूएस/संकरीकरण प्लॉट का दौरा किया। दल के सदस्यों में डॉ. डी.के. यादव, प्रभागाध्यक्ष, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईएआरआई तथा सहायक महानिदेशक (बीज), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली; डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार तथा प्रधान अन्वेषक पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली और आवेदक के प्रतिनिधि डॉ. गिरिश आर.सी. शामिल थे। दल ने किसी भी वंशक्रम में पराग के उपलब्ध न होने की पुष्टि की। तदनुसार बी वंशक्रम के स्वनिषेचन और ए वंशक्रम के रखरखाव (ए वंशक्रम x बी वंशक्रम के संकरीकरण द्वारा) का कार्य नहीं किया जा सका जिसका कारण बी वंशक्रम की वंधता था। इसलिए एफ, और केवल आर वंशक्रम के स्वनिषेचन का प्रयास किया गया।

फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान सरसों की फसल के चित्र




बुआई	चंटाई	डीयूएस पर्यवेक्षणों की रिकॉर्डिंग	संकरित फलियों की तुड़ाई
छिद्रण	स्व परागण तथा संकरीकरण के लिए थैलाबंदी	बड़ी मात्रा में गहाई	सफाई

डॉ. डी.के. यादव, प्रभागाध्यक्ष, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भा.कृ.अ.सं. तथा सहायक महानिदेशक (बीज), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली के नेतृत्व में विशेषज्ञ दल द्वारा किए गए सरसों के खेत के दौरे के चित्र



2.3.3.5 पीपीवी एवं एफआरए, शिवमोगा में डीयूएस तथा संकरीकरण गतिविधियां

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान 'चावल और कपास के जनक वंशक्रमों के संकर बीजोत्पादन/डीयूएस लक्षण—वर्णन व परीक्षण' शीर्षक की परियोजना के अंतर्गत समायोजित संकरों के उत्पादन और डीयूएस परीक्षण के लिए कपास की प्रविष्टियों को लिया गया। इस परियोजना का नेतृत्व श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, प्रधान अन्वेषक के रूप में कर रहे थे। उनके साथ डॉ. अजय कुमार सिंह, पीवीई और डॉ. डी.एस. पिलानिया, तकनीकी सहायक, परियोजना के क्रमशः सह—प्रधान अन्वेषक थे। इस परियोजना में फसलों की साज—संभाल के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता डॉ. नागराजू सी. एच. और तकनीकी सहायक सुश्री शिल्पा की भर्ती की गई। कपास फसल के अंतर्गत रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों और सूचना का विवरण निम्नानुसार है :



खरीफ 2019 के दौरान शाखा कार्यालय शिवमोगा में 47 प्रविष्टियां (अर्थात् 16 नर जनक + 16 मादा) प्राप्त हुई जिनमें गोसिपियम हिर्सुटम की 29 प्रविष्टियां, जी. बार्बीडेंस की एक और जी. आबर्डियम की दो प्रविष्टियां 15 संदर्भ किस्मों के साथ जनक वंशक्रमों के डीयूएस परीक्षण और संबंधित जनकों के संकरीकरण हेतु प्राप्त हुई। सभी जनक वंशक्रमों को प्रत्येक संकर संयोग के साथ तीन प्रतिकृतियों में

बोया गया जिनकी आठ कतारें थीं; मादा जनकों चार कतारें तथा नर जनकों की चार कतारें 3.6 मी. लंबी और 120 x 90 सें.मी. के अंतराल वाली प्रत्येक कतार में पांच पौधे थे। सभी प्रविष्टियों को अनुमोदित योजना के अनुसार बोया गया तथा प्रत्येक प्रविष्टि में दस पौधों को चुना गया और डीयूएस पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। सभी निर्धारित फसल प्रबंधन संबंधी विधियां व पीड़क नियंत्रण संबंधी सभी उपाय गए गए और स्वस्थ फसल उगाने के लिए वांछित सभी कार्य किए गए।



- वर्ग निर्माण के पश्चात् स्वनिषेचन, विपुंसीकरण और संकरीकरण किए गए।
- परागोद्भवों के एक दिन पूर्व अपराह्न 3.00 से 5.00 के बीच मादा के स्वस्थ पुष्प कलिकाओं को चुनकर मानवीय विधि से विपुंसीकरण किया गया।
- अंगूठे के नाखून से कली के आधार पर एक उथला काट बनाते हुए और एक झटके से कली को ऐंठते हुए परागकोष के कॉलम के साथ पंखुड़ी को हटा दिया गया। यदि परागकोष मौजूद थे तो उन्हें भी डिम्बाशय को बिना को क्षति पहुंचाए सावधानीपूर्वक हटा दिया गया।
- नर जनकों से परागोद्भव के लिए तैयार पूरी तरह खिले हुए पुष्पों को चुना गया तथा पके हुए परागकोषों को मादा जनक के वर्तिकाग्र पर बाद वाले दिन सुबह के समय पूर्वाह्न 9.00 से 11.00 बजे के बीच पर्याप्त मात्रा में छिड़का गया।
- परागित कलिकाओं को थैलाबंद करते हुए उन पर लेबल लगाया गया। गैर खुले पुष्पों पर बटर पेपर के थैले रखकर जनक वंशक्रमों तथा संदर्भ किस्मों का स्वनिषेचन किया गया।

परागण



पर्याप्त एफ, संकर बीज प्राप्त करने के लिए प्रत्येक संकर संयोग में 250 से अधिक संकर संकरीकरण किए गए। इनका उपयोग अगले वर्ष डीयूएस परीक्षण के लिए किया जाएगा। कम वर्षा के कारण गुलों का गिरना भी देखा गया। इस प्रकार सृजित सभी एफ, संकर नई दिल्ली स्थित पीपीवी और एफआरए मुख्यालय में प्रस्तुत किए गए।

डीयूएस पर्यवेक्षण

- त्रिगुणित और चतुर्गुणित कपास में क्रमशः कुल 31 और 37 डीयूएस पर्यवेक्षण किए गए।
- विशिष्टीकृत अवस्थाओं में डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक प्रविष्टि में यादृच्छिक 10 पौधे चुने गए।
- फील्ड रिकॉर्ड बुक में आंकड़े दर्ज किए गए तथा इन्हें मुख्यालय से प्राप्त प्रारूप के अनुसार सॉफ्ट कापी में भी दर्ज किया गया।



बिनौला अलग करने के लिए लिलिपुट ओटाई यंत्र

तकनीकी स्टाफ तथा सह प्रधान अन्वेषक ने भी कपास के डीयूएस निगरानी के दौरान यूएएफ, धारवाड़ का दौरा किया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. एस.ए. पाटिल, पूर्व निदेशक, भा.कृ.अ.सं.—भा.कृ.अ.प. और पूर्व कुलपति, यूएएस, धारवाड़ ने की।

पीपीवी एवं एफआरए, शिवमोगा में चावल में डीयूएस और संकरीकरण संबंधी गतिविधियां

खरीफ 2019 के दौरान केन्द्र को डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार संकरीकरण तथा डीयूएस लक्षण—वर्णन के लिए प्राधिकरण से 20 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। तदनुसार परीक्षण की योजना बनाई गई तथा परीक्षण किए गए लेकिन पर्याप्त


भूमि उपलब्ध न होने के कारण चावल के डीयूएस परीक्षण के लिए केवल एक प्रतिकृति ही रोपी जा सकी। अच्छी फसल उगाने के लिए अच्छी सस्यविज्ञानी प्रबंधन विधियां अपनाई गईं।

नर्सरी में बुवाई

• स्टर्गर्ड नर्सरी में तीन बार एक सप्ताह के अंतराल पर आर वंशक्रमों की बुवाई की गई, ताकि ए और आर वंशक्रमों के बीच समकालीनता लाई जा सके।

• बी वंशक्रमों के लिए सामान्य बुवाई की गई।

• समय पर नर्सरी उगाई गई तथा पौधों की उचित अवस्थाओं पर रोपाई की गई।



रोपाई

बी वंशक्रम (अनुरक्षण वंशक्रम) : (ए x बी ब्लॉक) बी वंशक्रमों (25 पौधों) के लिए एक ब्लॉक में 5 मीटर लंबी कतार में रोपाई की गई, ताकि बी वंशक्रम के बीज पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किए जा सकें।

• ए वंशक्रम (नरवंध्य वंशक्रम) : (ए x बी ब्लॉक) ए वंशक्रम के बीज पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए 5 मीटर लंबाई में 25 पौधे रखते हुए बीएबी विधि से रोपाई की गई।



- संकरीकरण ब्लॉक (ए x आर ब्लॉक) : 10 मीटर लंबी कतार में (प्रत्येक कतार में 50 पौधे) रखते हुए ए और आर वंशक्रमों के साथ एक अन्य ब्लॉक में रोपाई की गई। अलग—अलग तिथियों पर रोपे गए पौधे प्रतिरोपण के पूर्व आपस में मिला दिए गए, ताकि आरएआर विधि में ए और आर वंशक्रमों के बीच समकालिकता लाई जा सके।



डीयूएस पर्यवेक्षण

खेत में डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार सभी डीयूएस पर्यवेक्षण परियोजना स्टाफ द्वारा उचित अवस्थाओं पर रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड किए गए तथा उन्हें एकसेल डेटा शीट में (प्राधिकरण से प्राप्त प्रारूप के अनुसार) उचित रूप से दर्ज किया गया। तथापि, कुछ प्रविष्टियों में निश्चित पुष्पगुच्छ प्रकार के लक्षण देखे गए।



लोहे के खम्बे तथा परागण बाधाएं खड़ी करना

पुष्पन के पूर्व बाहरी परागों के प्रदूषण से बचने के लिए प्रवेश के अनुसार लोहे के खम्बे तथा टर्पेलीन की बाधाएं



खेत में 7 फुट की ऊंचाई तक खड़ी की गई और उन्हें फसल की कटाई तक बनाए रखा गया।

संकरीकरण / संकरण के लिए प्रयुक्त तकनीकें

अक्तूबर 2019 के अंतिम सप्ताह से परागण आरंभ हुआ और यह पुष्पों और परागों के उपलब्ध होने तक जारी रहा। परागण के लिए मानवीय विधि अपनाई गई और प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 10.30 से अपराह्न 12.30 बजे के बीच नियमित रूप से परागण किया गया।



तकनीकी स्टाफ का दौरा : दिनांक 25.11.2019 और 26.11.2019 को डॉ. डी.एस. पिलानिया, सह परियोजना समन्वयक; श्री वेंकटेश कुमार, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता तथा कुमारी रश्मि के.पी., रजिस्ट्री सहायक ने आसीएआर—आईआईआरआर विवरणों पर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने यह भी जाना कि बेमेल प्रकारों की पहचान किस प्रकार की जाती है तथा बेमेल प्रकारों की पहचान की अवस्था कौन सी है।

फसल कटाई

उचित लेबल रखते हुए प्रविष्टि वार और वंशक्रम वार (ए, बी और आर वंशक्रम) फसल कटाई की गई, ताकि कोई मिश्रण न हो। संदर्भ किस्मों की अलग से कटाई की गई।

गहाई और बीजों की सफाई

फसल कटाई के पश्चात् वंशक्रम वार मानव विधि से गहाई आरंभ की गई तथा यह अंतिम प्रविष्टि तक चलती रही। इसके पश्चात् बीज साफ किए गए और कई बार बीजों को सुखाने के लिए धूप में रखा गया, ताकि उनमें नमी की उचित मात्रा रखी जा सके और भंडारण के दौरान पीड़कों के आक्रमण से बचा जा सके।



प्राधिकरण को बीजों की उपस्थिति

बीजवार प्रविटि के आधार पर दानों के डीयूएस पर्यवेक्षण पूरे होने के पश्चात् उन्हें जलरोधी बीज पैकेटों/लिफाफों में पैकबंद किया गया, उचित रूप से लेबल लगाया गया और तौलने के बाद पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली के राष्ट्रीय जीन बैंक में प्रस्तुत किया गया।

2.3.4 शाखा कार्यालय, पालमपुर

'उज्ज्वल हिमाचल प्रदेश' चम्बा प्रदर्शनी कार्यक्रम में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण के बारे में दिनांक 28.07.2019 से 30.07.2019 तक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों/किसानों के प्रतिविधियों को पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, प्राधिकरण में चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों आदि के बारे में अवगत कराया गया। चम्बा जिले, हिमाचल प्रदेश के किसानों को जागरूक बनाने के लिए स्थानीय चैनल के माध्यम से एक टेलीविजन वार्ता भी प्रसारित की गई, ताकि किसान प्राधिकरण में अपनी स्थानीय किस्मों को पंजीकृत करा सके। इससे क्षेत्र की उपलब्ध जैव विविधता के संरक्षण में बहुत सहायता मिलेगी। शाखा कार्यालय में स्थानीय किसानों के बीच कृषक किस्मों के पंजीकरण और किसानों के अधिकारों के बारे में ज्ञान प्रदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

2.3.5 शाखा कार्यालय, पुणे

गतिविधियां

पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली को सूरजमुखी की विद्यमान अधिसूचित किस्म फुले भास्कर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा चने की फुले विक्रांत की एक नई किस्म का प्रस्ताव भी पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली को भेजा गया। प्राधिकरण को एनआईएफ, गांधी नगर, गुजरात से प्याज की कृषक किस्मों के दो प्रस्ताव स्पीड पोस्ट से प्राप्त हुए, ताकि उन्हें पीपीवी और एफआरए 2001 के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सके। विस्तृत प्रस्ताव इस प्रकार हैं 1) कृषक श्री बाला साहेब नानाभाऊ सोरे (09822991112), डाकघर वादगांव दौला, जिला बीड़, महाराष्ट्र, पिन 414203 से प्याज की किस्म 'सोना 40' तथा 2) किसान श्री संदीप विश्राम घोले, डाकघर पातस, तहसील दौँड़, जिला पुणे, पिन 412219, महाराष्ट्र से प्याज की किस्म संदीप प्याज। यह देखा जा सकता है कि प्याज की इन कृषक किस्मों का परीक्षण डॉ. बीएसकेवी, दपोली में किया गया है। इसलिए डॉ. बीएसकेवी, धपोली के अनुसंधान निदेशक से पृष्ठांकन प्राप्त करना आवश्यक है। इसके साथ शुद्धता और समरूपता का प्रमाणीकरण भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक किस्म का 100 ग्राम ताजा बीज उसकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए जाने के लिए एकत्रित किया जाएगा। लहसुन की फुले बासवंत नामक विद्यमान किस्म का प्रस्ताव पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार, भिण्डी के फुले विमुक्ता नामक विद्यमान अधिसूचित किस्म का प्रस्ताव मुख्यालय में, लहसुन की केवीके अंता गार्लिंक-1 नामक नई किस्म का प्रस्ताव भी मुख्यालय को प्रस्तुत किया गया। गोल्डन हार्वेस्ट फ्रूट जेनेटिक्स, नासिक कंपनी के श्री सिरिस कोठारे और श्री अमित पोडल ने पुणे रिथ्ट शाखा कार्यालय का दौरा किया, उनका उद्देश्य इजराइल से प्राप्त वोलकोनी 1500, वोलकोनी 1831 और वोलकोनी 1782 नामक अंतर्राष्ट्रीय किस्मों का पंजीकरण कराना था।


2.4 किस्मों का पंजीकरण

वर्ष 2019–20 के दौरान पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हुई तथा विभिन्न फसल जातियों के अंतर्गत 430 किस्मों के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए गए। सर्वाधिक प्रमाण-पत्र विद्यमान वीसीके के अंतर्गत जारी हुए (133), जिसके पश्चात् क्रमशः कृषक श्रेणी (118), विद्यमान अधिसूचित (82), नई किस्म (84) और ईडीवी (13) का स्थान था। इसी प्रकार, सर्वाधिक प्रमाण-पत्र अनाजों के लिए जारी हुए (160), जिसके पश्चात् क्रमशः सब्जियों (131), रेशा फसलों (60), फलों (41), फलीदार फसलों (25), तिलहनों (06), शर्करा फसलों (03), मसालों (02), पुष्पों (01) और कद्दूवर्गीय (01) का स्थान था।

सारणी 11. फसल समूहवार जारी किए गए प्रमाण—पत्रों की संख्या (2019–20)

फसल समूह	जारी किए गए प्रमाण—पत्रों की संख्या	फसल समूह	जारी किए गए प्रमाण—पत्रों की संख्या
अनाज	160	फलीदार फसलें	25
कद्दूवर्गीय	01	तिलहन	06
रेशा फसलें	60	मसाले	02
फल	41	शर्करा फसलें	03
पुष्प	01	सब्जियां	131
		कुल	430

लंबित आवेदन का विवरण (वर्षवार)




आवेदनों के लंबित होने के कारण

- पौधा किस्मों की पंजीकरण प्रक्रिया के लिए निम्न और मध्य स्तर के तकनीकी पदों के सृजन न होने के कारण कुल जनशक्ति की कमी होना।
- रजिस्ट्री अनुभाग में और तकनीकी स्टाफ को लगाने के लिए पर्याप्त स्थान का न होना।
- आवेदकों द्वारा वांछित दस्तावेज न दिए जाने के कारण आवेदनों का अधूरा होना तथा आवेदकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देर से दिया जाना (यह मामला प्राधिकरण में 2017 तक आने वाले पुराने आवेदनों से संबंधित है)
- पादप किस्म के अधिकारों को बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्राप्त करने में अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार की तुलना में अधिक समय लगता है क्योंकि खेत में परीक्षण किया जाना पड़ता है, बीज का विश्लेषण होता है तथा खेत में यह भी सत्यापित करना होता है कि प्रयुक्त संकर प्रस्तुत किए गए जनक वंशक्रमों से ही प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार, किस्म की खेप को खेत में बनाए रखने के लिए तथा उसे अनुरक्षित करने व अनवरत रिकॉर्ड रखने के लिए भी बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही प्रत्येक

दस्तावेज वैधानिक प्रकृति का होता है तथा इसकी जांच के लिए तकनीकी सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पौधा किस्म परीक्षक, उप पंजीकार तथा संयुक्त पंजीकार का एक संवर्ग बनाने की जरूरत पड़ती है।

- वर्तमान में कोई संवर्ग नहीं है और सभी पर विलगित प्रकृति के हैं जबकि अन्य बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों में संवर्ग है, अतः पदोन्नति के अवसर के साथ कार्मिकों का संवर्ग बनाने की आवश्यकता है जिससे रिकॉर्ड रखना और काम का निरंतर जारी रहना सुनिश्चित होगा। चूंकि यह कमी है इसलिए काम में बहुत देरी होती है। स्टाफ की कमी के कारण आउटसोर्स से स्टाफ लेना पड़ता है। इनके कार्य की सुरक्षा नहीं होती है तथा वे निरंतर बेहतर सेवा पाने में लगे रहते हैं, जिससे कार्य की निरंतरता प्रभावित होती है और विलम्ब होता है।

अस्वीकृत/बंद/वापस लिए गए आवेदन का विवरण (वर्षवार)



2.5 बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म तथा वह विद्यमान किस्म जिसके बारे में सामान्य ज्ञान है, के लिए उन फसल जातियों की सूची जिनकी समय-सीमा समाप्त हो गई है

विद्यमान किस्म की श्रेणी (कृषक किस्मों के अलावा) के अंतर्गत निम्न फसल जातियों की समय-सीमा पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए समाप्त हो चुकी है। केवल नई श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

क्र.सं.	फसल जातियां	समाप्त होने की तिथि
1	काली मिर्च	
2	छोटी इलायची	
3	भारतीय सरसों	
4	तोरिया	
5	सूरजमुखी	30.04.2019
6	कुसुम	
7	अरण्ड	
8	तिल	
9	अलसी	

10	मूँगफली	
11	सोयाबीन	
12	आलू	
13	लहसुन	
14	प्याज	
15	टमाटर	
16	बैंगन	
17	बंदगोभी	02.12.2019
18	फूलगोभी	
19	भिण्डी	
20	गुलाब	
21	आम	
22	गुलदाउदी	

अध्याय 3 डीयूएस केन्द्र

3.1 सरकार के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 19 तथा पीवीवी एवं एफआर नियमावली, 2003 के नियम 29(7) के अंतर्गत स्थापित डीयूएस परीक्षण केन्द्र

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान 40 फसल जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 364 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस लक्षण-वर्णन व मूल्यांकन देश के 42 केन्द्रों में किया गया। ये केन्द्र राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली कृषि अनुसंधान प्रणालियों में सर्वाधिक उचित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं और इनमें आईसीएआर, सीएसआईआर, डीबीटी, यूजीसी, एसएयू और सीएयू शामिल हैं। प्रत्येक केन्द्र पर समर्पित अनुसंधान स्टाफ और सहायता उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि अधिनियम के अंतर्गत वांछित परीक्षण और मूल्यांकन किया जा सके। ऐसा प्राधिकरण की स्वीकृति से परियोजना मोड में किया जाता है। प्रमुख परिणामों को नीचे दिया जा रहा है।

3.1.1 आईसीएआर—भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

खरीफ 2019 के दौरान कुल 16 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण हेतु मूल्यांकन किया गया, जबकि आईआईआरआर, हैदराबाद में 30 संदर्भ किस्मों का मूल्यांकन हुआ। इसके अतिरिक्त द्वितीय वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत 36 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध 25 नई किस्मों, 10 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध पांच वीसीके किस्मों का मूल्यांकन हुआ। इसके अतिरिक्त 12 कृषक किस्मों का डीयूएस लक्षण-वर्णन डीयूएस परीक्षण में शामिल किया गया। ये परीक्षण डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए। सभी कृषक किस्मों में से डीयूएस परीक्षण में शामिल चार किस्में अंकुरित होने में असफल रहीं, अतः उनसे संबंधित कोई आंकड़ा रिकॉर्ड नहीं किया गया।



फसल	नई		वीसीके	एफवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
चावल	16	25	5	12	25–26 नवम्बर 2019

डॉ. बी.सी. विरक्तमठ, पूर्व निदेशक, आईसीएआर—आईआईआरआर, हैदराबाद की अध्यक्षता में चावल के डीयूएस परीक्षणों की निगरानी की गई। दल के अन्य सदस्य थे : डॉ. च. दामोदर राजू, प्रधान वैज्ञानिक, पीजेटीएसएयू; डॉ. ए.ल. वी. सुब्बाराव, प्रधान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी और श्री दीप रॉय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए दल ने 25–26 नवम्बर 2019 के दौरान पाटनचेरू परिसर रिथ्ट इक्रीसेट में आईसीएआर—आईआईआरआर का दौरा किया तथा खरीफ मौसम 2019 के दौरान किए गए डीयूएस परीक्षणों की निगरानी की। दल ने आवेदक द्वारा किए गए गुण संबंधी दावों और परियोजना स्टाफ द्वारा रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों की आलोचनात्मक जांच की। दल ने यह सुझाव दिया कि जब कभी भी डीयूएस परीक्षण में कोई सीएमएस वंशक्रम हो तो आईआर 58025ए (अनेक सीएमएस वंशक्रमों के प्रमुख दाता) को शामिल किया जाए। टीम ने यह सुझाव भी दिया कि तत्काल संदर्भ के लिए प्रत्येक डीयूएस गुण को दर्शाने वाली उदाहरण किस्मों की रोपाई की जाए।



सारणी 12: अनुरक्षण/लक्षण–वर्णन की गई किस्में

फसल	2019–20 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या संख्या
चावल	अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत 320 किस्में

एआईसीआरआईपी समन्वित केन्द्रों और निजी व उद्योग कार्मिकों के लिए 24 अक्टूबर 2019 को विद्यमान किस्मों के पंजीकरण पर एक संवेदनकारी कार्यशाला आयोजित की गई। विभिन्न सहयोगी केन्द्रों तथा निजी बीज उद्योग से आए 50 प्रतिभागियों ने बैठक के दौरान परस्पर चर्चा की। पंजीकरण हेतु आवेदन भरने की क्रिया का सभी प्रतिभागियों के समक्ष विस्तार से प्रदर्शन किया गया। उन्हें पंजीकरण हेतु ईएनवी को किस प्रकार भरा जाता है, इससे संबंधित सूचना भी उपलब्ध कराई गई।



3.1.2 भा.कृ.अ.प.– राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

खरीफ मौसम 2019 के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए प्रयोग किया गया जिसके अनोखे परिणाम प्राप्त हुए। प्रत्याशी तथा वीसीके के दावा किए गए समूहीकरण संबंधी गुण आवेदकों द्वारा दावा किए गुणों से मेल होते हुए पाए गए। इन आकृतिविज्ञानी से जैव रासायनिक विश्लेषण आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। संदर्भ किस्मों को प्रत्याशी किस्मों के साथ उगाया गया तथा दावा किए गए गुणों को दर्शाने वाली वीसीके को जीन बैंक में संरक्षित किया गया। उचित प्रारूप में आंकड़े रिकॉर्ड करके प्राधिकरण को भेजे गए।

- I. प्रथम वर्ष का परीक्षण : डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष के परीक्षण के लिए 16 प्रत्याशी किस्मों और 33 संदर्भ किस्मों का एक सैट प्राप्त हुआ। इस सैट की बुवाई 18.06.2019 को की गई और 23.07.2019 को निर्धारित खेत में रोपाई की गई।
- II. डीयूएस परीक्षण करने के लिए 05 वीसीके और 13 संदर्भ किस्मों का एक सैट प्राप्त हुआ। इस सैट की बुवाई 18.06.2019 को की गई तथा 23.07.2019 को खेत में रोपाई की गई।
- III. प्रथम वर्ष का परीक्षण : एक सैट (33 कृषक किस्मों का सैट जिसमें तीन किस्में अंकुरित नहीं हुई) की बुवाई 18.06.2019 को की गई और 25.07.2019 को निर्धारित खेत में रोपाई की गई।
- IV. द्वितीय वर्ष :
 - डीयूएस परीक्षण के दूसरे वर्ष के लिए 41 संदर्भ किस्मों के साथ चावल की 26 प्रत्याशी किस्मों का एक सैट प्राप्त हुआ। ये किस्में 18.06.2019 को नर्सरी में बोई गई तथा मानक अनुशंसित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें 23.07.2019 को दो यादृच्छिक ब्लॉकों में रोपा गया।
 - कृषक किस्मों का एक अन्य सैट (234 कृषक किस्में जिनमें से 3 अंकुरित नहीं हुई) की 18.06.2019 को बुवाई की गई तथा 26.07.2019 को इनकी रोपाई की गई।

फसलें	नई		वीसीके	एफवी		निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां		प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	
चावल	16	26	5	30	231	11.11.2019

जैसा कि निगरानी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, फसल बहुत अच्छी थी। प्रथम वर्ष के परीक्षण के लिए संस्थान को 16 प्रत्याशी किस्में प्राप्त हुईं जिनका परीक्षण 33 संदर्भ किस्मों के साथ किया गया। कुल 14 किस्मों का प्रांकुरचोल रंगहीन था, जबकि 2880 / 3780, 2884 / 2054 के प्रांकुर चोल हरे थे। सफेद रंग के दाने सभी किस्मों के थे। अधिकांश परीक्षित किस्मों का तना बहुत छोटा (<91 सें.मी.) था। इनमें से 2884 / 2075 तने की लंबाई बहुत छोटी (91–110 सें.मी.) थी, जबकि 2884 / 2058 के तने की लंबाई मझोली (111–130 सें.मी.) थी। इन सभी किस्मों में से 2880 / 3780 और 2884 / 2880 नामक दो किस्मों के शूक थे। 2884 / 2052 के 1000 दानों का भार सर्वाधिक (32.0 ग्रा.) था। कुल 15 किस्मों के दाने की लंबाई मध्यम (8.6–10.5 मि.मी.) थी, जबकि केवल एक किस्म अर्थात् 2880 / 3780 के दाने की लंबाई कम थी (6.1–8.5 मि.मी.)। प्रति पौधा मध्यम पुष्प गुच्छ (11–20) वाली लगभग सभी किस्में थीं, जबकि केवल एक किस्म 2884 / 2074 में प्रति पौधा पुष्पगुच्छों की संख्या सर्वाधिक थी। चार किस्मों के दाने का रंग फिनॉल रंग के संदर्भ में सकारात्मक पाया गया। एक अन्य किस्म 2884 / 2056 में सर्वाधिक एमाइलेज प्रतिशत (24.90) था जिसके पश्चात् 2884 / 2880 में 23.025 प्रतिशत एमाइलेज था।

13 संदर्भ किस्मों के साथ 5 वीसीके का परीक्षण किया गया। इनमें से चार का प्रांकुरचोल रंगहीन था। केवल एक किस्म 2884 / 2070 का प्रांकुरचोल बैंगनी था। चार किस्मों का तना बहुत छोटा (<91 सें.मी.) था जिसमें से 2884 / 2065 के तने की लंबाई कम थी। इन सभी किस्मों में शूक नहीं थे। सर्वाधिक 1000 दानों वाली किस्म 2884 / 2070 (28 ग्रा.) थी जिसके पश्चात् 2884 / 2069 (24 ग्रा.) का स्थान था। 1000 दानों के सबसे कम भार वाली किस्म 2884 / 2066 थी (11 ग्रा.)। 2884 / 2070 के दाने की लंबाई 10.40 मि.मी. थी जबकि 2884 / 2069 थी (8.88 मि.मी.)। सभी किस्मों में प्रति पौधा पुष्पगुच्छों की संख्या मध्यम (11–20) थी। केवल एक किस्म 2884 / 2066 का पुष्पगुच्छ छोटा (16–20 सें.मी.), 2884 / 2065 और 2884 / 2068 का पुष्पगुच्छ मध्यम लंबाई (21–25 सें.मी.) वाला था और 2884 / 2069 व 2884 / 2070 का पुष्पगुच्छ लंबा (26–30 सें.मी.) था। 2884 / 2065 के अतिरिक्त चारों किस्में फिनॉल के प्रति सकारात्मक पाई गई। सभी किस्मों में क्रमशः 25.125, 21.75 और 20.925 प्रतिशत मध्यम एमाइलेज देखा गया।

कुल 30 कृषक किस्मों के एक सैट का परीक्षण किया गया तथा आकृतिविज्ञानी तथा जैवरासायनिक विश्लेषण द्वारा सभी आंकड़े प्राप्त किए गए। बैंगनी रंग के प्रांकुरचोल के साथ पाई गई किस्में 5 थीं, जबकि 25 का प्रांकुरचोल रंगहीन था। इन सभी किस्मों में से तीन में शूक थे, चार किस्मों की तना लंबाई सर्वाधिक (131–150 सें.मी.) थी, 11 किस्मों के तने की लंबाई मझोली (111–130 सें.मी.) जबकि 10 किस्मों का तना छोटा (91–110 सें.मी.) व 5 किस्मों का तना बहुत छोटा (<91 सें.मी.) था। बैंगनी रंग के प्रांकुरचोल वाली किस्मों का वर्तिकाग्र, गांठ तथा अंतरगांठों व शीर्ष का रंग बैंगनी था। 288 / 2174, 2876 / 3369 तथा मुंदका मिक्सर जैसी कृषक किस्म के शूक लंबे (3–4 सें.मी.) थे। सभी कृषक किस्मों में से मुंदका मिक्सर नामक कृषक किस्म के 1000 दानों का भार सर्वाधिक था। 2880 / 4297 और 2880 / 4296 के दाने की लंबाई अधिक (क्रमशः 10.38 मि.मी. और 10.25 मि.मी.) थी। इसी प्रकार 2877 / 2656 (6.19 मि.मी.) और 2880 / 4298 (6.42 मि.मी.) के दानों की लंबाई सबसे कम थी। किस्म 2880 / 4297 में प्रति पौधे पुष्पगुच्छों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक (>20) थी। 2883 / 2094 में एमाइलेज प्रतिशत उच्च (26.55) था। इस कृषक किस्म में केवल 2 किस्में नामतः 2877 / 2656 और 2883 / 2265 सुगंधित थीं।

3.1.3 आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल)

- कुल 21 प्रतिशत किस्मों के 18 संदर्भ किस्मों के साथ खरीफ 2019 के दौरान आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल में डीयूएस परीक्षण किए गए। दो कृषक किस्मों का लक्षण-वर्णन किया



गया तथा 19 कृषक किस्मों का परीक्षण दूसरे वर्ष किया गया। इसके अलावा खरीफ 2019 के दौरान 20 संदर्भ किस्में भी अनुरक्षित की गई।

- 14 जून 2019 को कृषक किस्मों और संदर्भ किस्मों की नर्सरी में बुवाई की गई और 17 जुलाई 2019 को रोपाई की गई। संदर्भ किस्मों के किस्मगत अनुरक्षण के लिए 20 जून 2019 को नर्सरी बोई गई तथा 22 जुलाई 2019 को रोपाई की गई।
- प्रति हैक्टर 100 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 40 कि.ग्रा. फास्फोरस, 30 कि.ग्रा. पोटाश और 15 कि.ग्रा. जस्ते का उर्वरक के रूप में उपयोग किया गया।
- कृषक किस्में जुड़वां कतारों में उगाई गई। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। जहां कहीं स्पष्ट रूप से बेमेल पौधे देखे गए उनको रिकॉर्ड और नोट किया गया।
- कुल 21 कृषक किस्मों के 18 संदर्भ किस्मों के साथ प्रक्षेत्र आंकड़े (गुण संख्या 01 से 49) तथा प्रयोगशाला आंकड़े (गुण संख्या 50 से 57) रिकॉर्ड किए गए। रासायनिक गुणों (गुण संख्या 58–62) को रिकॉर्ड करने के लिए कृषक किस्मों तथा संदर्भ किस्मों के नमूने नोडल अधिकारी (डीयूएस), आईसीएआर–आईआईआरआर, हैदराबाद को भेजे गए।

खरीफ 2019 के दौरान द्वितीय वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत कृषक किस्में					
क्र.सं.	पंजीकरण सं.	कृषक किस्म का नाम	क्र.सं.	पंजीकरण सं.	कृषक किस्म का नाम
1	Reg/2018/88	विराट	11	Reg/2017/1686	काउथिनी धान (जीकेएसएस धान-7)
2	Reg/2018/84	मणिरत्नम	12	Reg/2017/1687	काउनोवी धान (जीकेएसएस धान-8)
3	Reg/2018/87	खुशबू—100	13	Reg/2017/1688	गीता धान (जीकेएसएस धान-9)
4	Reg/2018/86	सिकंदर-01	14	Reg/2017/1689	जांलिया धान (जीकेएसएस धान-10)
5	Reg/2018/85	वसुंधरा दामिनी गोल्ड	15	Reg/2018/68	बरतिया धान
6	Reg/2017/1681	बातेश धान (जीकेएसएस धान-1)	16	Reg/2018/119	एस-101
7	Reg/2017/1682	बांकुआ धान (जीकेएसएस धान-2)	17	Reg/2018/120	एस-35
8	Reg/2017/1683	दूधिया / दूध धान (जीकेएसएस धान-3)	18	Reg/2018/121	एस-45
9	Reg/2017/1684	लाल धान (जीकेएसएस धान-5)	19	Reg/2017/1664	लाल चावल
10	Reg/2017/1685	लगुड़ी धान (जीकेएसएस धान-6)			

विभिन्न कृषक किस्मों में मुख्य वैविध्य/बेमेल प्रकार देखे गए। जैसे गुण 2 (आधारीय पत्ती : आच्छद का रंग), गुण 37 (कणिशिका : प्रमेयिका के शीर्ष का रंग), गुण 39 (पुष्पगुच्छ: शूक), गुण 53 (प्रमेयिका की फिनॉल प्रतिक्रिया) और गुण 57 (छिला हुआ दाना : रंग) आदि।

3.1.4 तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

सारणी 13. 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नई किस्में		वीसीके	एफवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
चावल	-	-	-	6'	19.12.2019
सूरजमुखी	-	-	42	-	-

* प्रविष्टियों नामतः 2884 / 2079, 2876 / 2871 और 2883 / 2685 के लिए डीयूएस लक्षण—वर्णन किया गया। तीन प्रविष्टियों नामतः 2883 / 2683, 2883 / 2864 और रत्नसागर में शून्य अंकुरण रिकॉर्ड किया गया।

3.1.4.1 वर्ष 2019–20 के दौरान परीक्षित चावल की प्रविष्टियां

चावल की 6 प्रविष्टियां नामतः 2884 / 2079, 2876 / 2871, 2883 / 2685, 2883 / 2683, 2883 / 2684 और रत्नसागर वर्ष 2019–20 के दौरान डीयूएस लक्षण—वर्णन/परीक्षण के लिए पीपीवी एफआरए, नई दिल्ली से प्राप्त

हुई। तीन प्रविष्टियों नामतः 2884 / 2079, 2876 / 2871 और 2883 / 2685 के लिए डीयूएस लक्षण–वर्णन किया गया और उन्हें प्रलेखित किया गया। तथापि, प्रविष्टि नामतः 2883 / 2863, 2883 / 2864 नर्सरी में अंकुरित नहीं हुई, अतः इन प्रविष्टियों का लक्षण–वर्णन नहीं हो सका। इस संबंध में धान के बीज दिनांक 1.10.2019 को नर्सरी में बोए गए तथा उन्हें 24.10.2019 को मुख्य खेत में रोपा गया। फसल प्रबंधन की विधियां सिफारिशों के अनुसार अपनाई गईं। अनुरक्षण के उद्देश्य से 14 किस्में उगाई गईं और उनके गुण भी रिकॉर्ड किए गए।

सारणी 14. डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षण–वर्णित चावल की प्रविष्टियां

क्र.सं.	डीयूएस परीक्षण के लिए चावल की प्रविष्टियां	स्थिति
1.	2884 / 2079	गुण प्रलेखित
2	2876 / 2871	गुण प्रलेखित
3.	2883 / 2685	गुण प्रलेखित
4.	14 अनुरक्षण के लिए किस्में	गुण प्रलेखित

निगरानी दल के प्रमुख पर्यवेक्षण

श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एफआरए, नई दिल्ली ने दिनांक 19.12.2019 को चावल के डीयूएस परीक्षण खेत का दौरा किया। प्राध्यापक एवं अध्यक्ष तथा प्रधान अन्वेषक व एसोसिएट प्राध्यापक (एसएसटी) एवं सह प्रधान अन्वेषक (डीयूएस योजना), बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर भी संयुक्त पंजीकार के साथ थे। दौरे के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं :



- परीक्षण का ले–आउट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार था।
- खेत को अच्छी तरह रखा गया था और फसल का निष्पादन भी अच्छा था।
- आंकड़े फसल की सही अवस्था में पर्यवेक्षित किए गए थे।
- किसानों को किस्मों के पंजीकरण के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी परंपरागत किस्मों को सुरक्षित कर सकें।
- फसल को थोड़ा पहले उगाया जाना चाहिए, ताकि डीयूएस परीक्षण निर्धारित अवधि में पूरा हो सके।

3.1.4.2 वर्ष 2019–20 के दौरान परीक्षित सूरजमुखी प्रविष्टियां

आईआईओआर, हैदराबाद से सूरजमुखी की 42 किस्में, जनक वंशक्रम तथा संकरों के बीज वर्ष 2019–20 के दौरान डीयूएस परीक्षण हेतु प्राप्त किए गए जिन्हें 02.01.2020 को खेत में बोया गया। अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियां अपनाई गईं। सभी प्रविष्टियों के लिए पौधे तथा बीज के गुण रिकॉर्ड व प्रलेखित किए गए।

सारणी 15. सूरजमुखी की परीक्षित प्रविष्टियों का विवरण

क्र.सं.	डीयूएस परीक्षण के लिए प्रविष्टियां					स्थिति
	किस्में	संकर	ए वंशक्रम	बी वंशक्रम	आर वंशक्रम	
1.	टीएएस– 82	सीओएच 3	एआरएम– 243ए	सीएमएस— 1—बी	6डी–1	सभी प्रविष्टियों के लिए गुण प्रलेखित किए गए। बीज में तेल की मात्रा
2.	मोर्डेन	डीआरएसएच–1	सीएमएस–7– 1–ए	सीएमएस– 17बी	859–आर	
3.	सूर्या	एचएसएफएच–	सीएमएस–	सीएमएस–	एके1आर	

		848	10ए	91बी		का प्रलेखन किया जा रहा है।
4.	टीएनएयूएसयू एफ 10 (सीओ 3)	केबीएसएच –1	सीएमएस—17ए	सीएमएस—234बी	पी61आर	
5.	टीएनएयूएसयूएफ 7 (सीओ 4)	केबीएसएच –41	सीएमएस—91ए		आर— 64 एनबी	
6.	सीओएसएफवी –5	केबीएसएच –42	सीएमएस—10 3 ए		आरएचए—1—1 —1	
7.	डीआरएसएफ—108	केबीएसएच –44	सीएमएस—23 4ए		आरएचए—95सी—1	
8.	डीआरएसएफ—113	केबीएसएच –53	सीएमएस—33 5ए		आरएचए—271	
9.		एनडीएसएच —1			आरएचए— 272	
10.		एनडीएसएच—10 12				
11.		पीएसएफएच—118				
12.		आरएसएफएच—1 30				
13.		आरएसएफएच—1887				
कुल		8+13+8+4+9 = 42				

सारणी 16. अनुरक्षित की गई/लक्षण वर्णित किस्में : 14

फसल	2019–20 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम या संख्या
चावल	चमनसाल, कॉटनडोरा, डीआरआर, डीआरआर धान 2, दुला 1, जीके 114, जीके 121, हिमालय, कारुका, केआरएच2, कजूरीमत्ता, एमटीयू1010, एनपी 9369, यूएस 282

उपरोक्त किस्मों के बीज 01.10.2019 को नर्सरी में बोए गए तथा 24.10.2019 को पौधे रोपी गई। पौधे के आकृतिविज्ञानी गुणों का लक्षण—वर्णन व प्रलेखन पूरा करते हुए प्रलेखित किया गया।

2020–21 के लिए योजना

- चावल और सूरजमुखी की किस्मों का डीयूएस लक्षण—वर्णन / परीक्षण
- चावल और सूरजमुखी में अनुरक्षण प्रजनन / संदर्भ संकलन का लक्षण—वर्णन
- डेटाबेस का डिजिटलीकरण
- डीयूएस परीक्षण के बुनियादी ढांचों का रखरखाव
- किसानों को परांपरागत व कृषक किस्में पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित करना

3.1.5 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

वर्ष 2019–20 के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,



रायपुर—492012 (छत्तीसगढ़) में किए गए डीयूएस परीक्षणों में 27 प्रविष्टियां शामिल थीं जिनका परीक्षण दूसरे वर्ष के लिए किया गया और 18 प्रविष्टियां (जिनमें से 3 प्रविष्टियां अंकुरित नहीं हुईं) का परीक्षण प्रथम वर्ष के लिए किया गया। कुल 12 चैक / संदर्भ किस्मों नामतः बादसाभोग सेल—1, स्वर्ण, टीसीडीएम—1, इंदिरा सुगंधित धान—1,



आईजीकेवी आर–1, आईजीकेवी आर–2, इंदिरा एरोबिक–1, कर्मा महसुरी, इंदिरा बरनी धान–1, पूर्णिमा महामाया और बालमेश्वरी का उपयोग प्रयोग में और अधिक मूल्यांकन तथा तुलना के लिए किया गया। ये परीक्षण प्रविष्टियां तथा चैक/संदर्भ किस्में प्रतिकृत परीक्षणों में बोई गई (3 प्रतिकृतियां) और इनके लिए जुड़वा कतार विधि अपनाई गई। दिनांक 21 जून 2019 को नर्सरी बुवाई की गई तथा 25 दिन पुरानी पौधे को 16 जुलाई 2019 को रोपा गया। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 सें.मी. और कतार से कतार की दूरी 20 सें.मी. रखी गई।



चित्र: खरीफ 2019–20 के दौरान चावल की पौध की रोपाई

अनोखे डीयूएस गुणों की अभिव्यक्ति

- जिन सभी 27 प्रविष्टियों का दूसरे वर्ष परीक्षण किया गया उनमें अंकुरण तथा अन्य डीयूएस गुणों के लिए एकरूपता व स्थायित्व के गुण प्रदर्शित हुए। प्रविष्टियों नामतः आरईजी/2017/1820 और आरईजी/2017/1046 में अधिक संख्या में उत्पादक दोजियां (8–11) देखी गई जिसके कारण उनकी दाना उपज अधिक हुई। अगेतीपन के लिए अच्छा निष्पादन देने वाली प्रविष्टियां आईजी/2017/2400, आरईजी/2017/1265 और आरईजी/2017/1093 थीं।
- छोटे तने और कलम की मध्यम मोटाई वाली प्रविष्टियां आरईजी/2017/1093 (69–71 सें.मी.), आरईजी/2017/2188 (72–74 सें.मी.) और आईजी/2017/2189 (74–75 सें.मी.) थीं।
- आईजी/2016/2176, आरईजी/2017/1093 और आरईजी/2017/1265 में वर्तिकाग्र की कणिशिका का रंग अनोखा बैंगनी पाया गया।
- प्रविष्टियां नामतः आरईजी/2016/2211, आरईजी/2016/2212 और आरईजी/2017/128 में लंबे पुष्पगुच्छ होने (30–34 सें.मी.) का अनोखापन प्रदर्शित हुआ।
- दो प्रविष्टियों नामतः आरईजी/2016/2218 और आरईजी/2016/2176 में छिले हुए दाने का रंग लाल होने की विशेषता थी। आरईजी/2017/2400 के छिले हुए दाने के रंग के गहरे बैंगनी होने की विशेषता थी।
- आरईजी/2016/2211 में लंबे दानों के बासमती प्रकार के होने तथा आरईजी/2016/2188 में दाने का आकार बड़ा होने (अधिक चौड़ाई होने) की विशेषता थी। मध्यवर्ती एमाइलोज अंश के मामले में अनोखा निष्पादन देने वाली प्रविष्टियां (20–25%) थीं : आरईजी/2016/2176, आरईजी/2016/2180, आईजी/2016/2188, आरईजी/2016/2199, आरईजी/2016/2214, आरईजी/2016/2218, आरईजी/2017/1820, आरईजी/2017/128, आरईजी/2017/1093, आरईजी/2018/538। इसके अलावा तीन प्रविष्टियों नामतः आरईजी/2016/2211 (28.7%), आरआईजी/2016/2184 (28%) और आरआईजी/2016/2181 (27.5%) के दानों में उच्च एमाइलोज अंश (>25%) था।
- आरआईजी/2017/1265 में अगेती परिपक्वता, मोटे कलम व मध्यम ऊंचाई वाले तने (99–100 सें.मी.) और उच्च एमाइलोज अंश (26.2%) के गुण थे।
- आरआईजी/2016/2211 उच्च उपजशील होने के अलावा अन्य विशेष गुणों से युक्त थी, जैसे छोटा तना (86–87 सें.मी.), पुष्पगुच्छ की अधिक लंबाई (30–31 सें.मी.), 9–10 उत्पादक दोजियां, मध्यम मोटाई वाला कलम व उच्च एमाइलोज अंश।

3.1.6 आईसीएआर— एनईएच अनुसंधान केन्द्र, लामफेलपेट, मणिपुर

वर्ष 2019–20 के दौरान कोट संख्या 2876/2668 और 2876/2672 की चावल की दो कृषक किस्मों का 5 संदर्भ किस्मों नामतः महामाया, प्रसन्ना, निधि, आरसी मणिफोउ–7 और आरसी मणिफोउ–10 का प्रथम वर्ष के लिए डीयूएस लक्षण–वर्णन किया गया। प्रयोग बारानी उत्तराञ्ज प्रतिरोपित दशाओं के अंतर्गत तीन प्रतिकृतियों के साथ यादृच्छिक सम्पूर्ण ब्लॉक डिज़ाइन में किया गया।

सारणी 17. वर्ष 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नई		वीसीके	संदर्भ
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां		
चावल	2 (वर्ष 2019–20 में प्राप्त प्रविष्टियां)	.	0	5

सारणी 18. अनुरक्षित/लक्षण–वर्णित किस्में

अधिदेशित फसल जातियां	वर्ष 2019–20 में प्रजनन अनुरक्षण के अंतर्गत किस्मों के नाम या संख्या	अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का स्रोत	आंकड़ा प्रस्तुतीकरण (अनुरक्षण प्रजनन)
चावल	6 भूप्रजातियां + 2 जारी की गई किस्में	स्वयं की	अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए

प्रविष्टियों के बीज देर से प्राप्त हुए (जुलाई के अंत में) क्योंकि गीली भूमि नर्सरी में बुवाई का सही समय जून का पहला पखवाड़ा है। कुल 48 आकृतिविज्ञानी गुणों और 14 सस्योत्तर गुणों से संबंधित पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। संदर्भ किस्मों की तुलना में प्रविष्टि 2876/2668 11 गुणों नामतः पत्ती एंथोसियानिन की उपरिथिति, ऑरिकल के पत्ती के रंग (हल्का बैंगनी), तने की लंबाई (131–150 सें.मी.), अंतरगांठों में एंथोसियानिन रंग की उपरिथिति आदि के मामले में विशिष्ट पाई गई। प्रविष्टि 2876/2672 सात गुणों नामतः ऑरिकल के पत्ती के रंग (हल्का बैंगनी), कल्म के सीधे रहने की प्रवृत्ति, वर्तिकाग्र की कणिशिका के पीले रंग, निर्बल द्वितीयक शाखन, प्रमेयिका में दाने की फिनॉल प्रतिक्रिया न होने आदि के मामले में विशिष्ट थी। दोनों किस्में तीनों प्रतिकृतियों के दौरान गुणों में समरूप पाई गई।

आरईजी 2876/2672

आरईजी 2876/2672

आरईजी / 2876 / 2668



दाना : प्रविष्टि में प्रमेयिका की फिनॉल प्रतिक्रिया और छिला हुआ दाना : आकृति व रंग

चलाए गए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम, प्रकाशन एवं अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां

- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल में मणिपुर के सभी प्रशिक्षित औषधीय व संग्रंथीय पादप प्रवर्धन कंसोर्टियम व भारत बीज स्वराज मंच द्वारा 12–14 अक्टूबर 2019 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय देसी बीज उत्सव 2019 में

‘विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व’ के लिए चावल की कृषक किस्मों का लक्षण–वर्णन’ विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस व्याख्यान को सुनने के लिए देशभर के प्रगतिशील किसान, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी उपस्थित हुए। चर्चा के दौरान अनेक मुद्दे उठाए गए, जैसे :

- विभिन्न पर्यावरणों में उगाए गए समान जीनप्ररूप विशिष्ट हो सकते हैं क्योंकि किसी किस्म की विशिष्टता एक गुण के भिन्न होने पर भी स्थित हो सकती है।
- किस्म की विशिष्टता का दावा करने के लिए किसान का गुण को रिकॉर्ड करने के बारे में जानना आवश्यक नहीं है और इस प्रकार कृषक किस्मों को पंजीकरण दिशानिर्देशों में किस्मों के अन्य वर्गों से अलग किया जाना चाहिए।
- मात्र आकृतिविज्ञानी लक्षण–वर्णन में किसी कमी का पता लगाने और लाभ का दुरुपयोग न हो, इससे बचने के लिए गहन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- मणिपुर को प्राप्त होने वाले पुरस्कारों की संख्या यहां मौजूद अपार विविधता की तुलना में बहुत कम है, अतः इनके लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।



- दिनांक 02 दिसम्बर 2019 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के हाउचोंग गांव में तामेंगलोंग स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें लगभग 35 किसानों ने भाग लिया जिनमें से अधिकांश कृषक महिलाएं थीं। कार्यक्रम के दौरान किस्मों के पंजीकरण के महत्व, कृषक किस्म के पंजीकरण की प्रक्रिया, मणिपुर के किसानों/समुदायों द्वारा सुरक्षित जननद्रव्य के सफल उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया और इनसे संबंधित व्याख्यान आयोजित किए गए। पीपीवी और एफआरए के पम्फलेट भी बांटे गए। इसके अलावा किसानों द्वारा लाई गई कुछ पर्वतीय चावल की किस्में भरे हुए आवेदनों के साथ एकत्र की गई।

सारणी 19. पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसलें	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या	जारी किए गए प्रमाण–पत्र	लंबित आवेदन	लंबित होने के कारण
चावल	8	8	—	—	—	—

वर्ष 2020–21 के लिए योजना

1. उपराजनी सीधी बीजाई वाली दशाओं के अंतर्गत तामेंगलोंग जिले के किसानों से प्राप्त पर्वतीय चावल की 33 कृषक किस्मों का डीयूएस लक्षण–वर्णन
2. प्राधिकरण से प्राप्त चावल की किसी भी किस्म का लक्षण–वर्णन
3. आईसीएआर–मणिपुर केन्द्र की जारी की गई किस्मों (8) का डीयूएस लक्षण–वर्णन
4. विशेष रूप से मणिपुर के पहाड़ी जिलों में पीपीवी और एफआरए पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

3.1.7 आईसीएआर एनईएच क्षेत्रीय केन्द्र, नागालैंड

आईसीएआर एनईएच क्षेत्रीय केन्द्र, नागालैंड को वर्ष 2019 में पीपीवी और एफआरए के अंतर्गत चावल की तीन प्रत्याशित किस्में प्राप्त हुई। इन तीन किस्मों का परीक्षण कोड 2877/2338, 2877/2339 और 2877/2319 था, जिनका मूल्यांकन तीन तुलनीय किस्मों नामतः आरसीएम 9, पूसा सुगंध-5 और आईईटी 16313 के साथ किया गया। तीन तुलनीय किस्मों के साथ तीन प्रत्याशी किस्मों का मूल्यांकन वर्ष 2019 के खरीफ मौसम के दौरान आईसीएआर, नागालैंड, मेदजीफेमा के अनुसंधान फार्म पर डीयूएस गुणों के लिए किया गया। किस्मों के आंकड़े तीनों तुलनीय किस्मों के आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किए गए।



चार उन्नत किस्मों के साथ कुल 100 भूजातियां अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान फेक, कोहिमा, जूनहोबोटो, मोकोकचुंग और तुएसांग (नागालैंड के जिलों) से पीपीवी एवं एफआरए के अंतर्गत चावल की कुल 85 भू-जातियां एकत्रित की गई हैं।

3.1.8.8 महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय (कपास), राहुड़ी

वर्ष 2019–20 में कपास के लिए डीयूएस केन्द्र, कपास सुधार परियोजना, एमपीकेवी, राहुड़ी में एक नया संकर, एक वीसीके और एक ईडीवी का प्रत्याशी किस्मों के रूप में प्रथम वर्ष के लिए परीक्षण किया गया तथा दो नए संकरों का प्रत्याशी किस्मों के रूप में दूसरे वर्ष के लिए परीक्षण किया गया।

सारणी 20. वर्ष 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

नई	वीसीके	आईवी / ईडीवी	निगरानी की तिथि
प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां		
1	02	01	27/11/2019



PPV& FRA, DUS Monitoring Team Visited to Farm pond on Dated : 27/11/2019

इसी प्रकार नोडल अधिकारी, सीआईसीआर, कोयम्बटूर से 77 संदर्भ किस्में प्राप्त हुई जिन्हें इस केन्द्र में अनुरक्षित किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान डॉ. एस.ए. पाटिल, पूर्व कुलपति, यूएस, धारवाड़ की अध्यक्षता में 27 नवम्बर 2019 को इस केन्द्र पर निगरानी की गई। निगरानी करने वाले दल के अन्य सदस्यों में डॉ. के. रटिनावेल, प्रधान वैज्ञानिक, सीआईसीआर, कोयम्बटूर; डॉ. ए.एस. जाधव, अध्यक्ष, कृषि वनस्पतिविज्ञान विभाग, एमपीकेवी, राहुड़ी; डॉ. आर.एस. वाघ, कपास प्रजनक, एमपीकेवी, राहुड़ी; डॉ. वी. शांति, प्रधान वैज्ञानिक, सीआईसीआर, नागपुर और श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली शामिल थे।



सारणी 21. अनुरक्षित/लक्षण—वर्णित किस्में

अधिवेशित जातियां	फसल	2018–19 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या संख्या	अनुरक्षण प्रजनन या अन्य अपनी किस्मों का स्रोत (उल्लेख करें)	आंकड़ा (अनुरक्षण हाँ/नहीं)	प्रस्तुतीकरण प्रजनन)
कपास	77		नोडल अधिकारी, सीआईसीआर, कोयम्बटूर से प्राप्त 77 संदर्भ किस्में इस केन्द्र में अनुरक्षित की गई हैं।	हाँ	

सभी पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए तथा खेत के फोटोग्राफ के साथ परिणाम समय पर प्रस्तुत किए गए। परीक्षित किस्मों का निस्पादन समरूप, संतोषजनक व फसल कटाई तक अच्छा था।

❖ एमपीकेवी राहुड़ी में वर्ष 2019–20 में फसल वृद्धि के दौरान वर्षा का पैटर्न

- कुल वर्षा : 693.8 मि.मी.
- कुल वर्षा वाले दिन : 43 दिन
- औसत : 535 मि.मी.
- अतिरिक्त : 22.89%
- शुष्क अवधि : जून, अगस्त 2019
- भारी वर्षा : सितम्बर और अक्टूबर 2019
- प्रभाव : देर से बुवाई, अगेती सूखा तथा पछेती मौसम में अधिक वर्षा का कपास की फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

FIELD VIEW OF TRIALS



सारणी 22. पीपीवी और एफआरए में दाखिल आवेदन

फसल	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या	दाखिल किए गए विद्यमान अधिसूचित नई वीसीके	जारी किए गए प्रमाण—पत्र	लंबित आवेदन
कपास	6	12	4 (विद्यमान)	6 (वीसीके)	6 (फुले-492), (फुले-388), (फुले-688), (जेएलए-794) (फुले धनवतरी) (फुले अनमोल)	6 (आरएचएच-0622), फुले यमुना (आरएचसी0717, फुले रुखमरझ(आरएचसीबी-01 1) फुले तरंग (आरएचएच-707) फुले धारा (आरएचबी-711) फुले अस्मिता (आरएचएच-917)

3.1.9 आईसीएआर–केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, नागपुर

वर्ष 2019–20 के परीक्षणों में प्रथम वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत दो जीनप्ररूप, द्वितीय वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत दो, सामान्य ज्ञान की किस्मों के अंतर्गत एक, संदर्भ किस्मों के साथ अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों के अंतर्गत एक किस्म शामिल थीं। पौधों के बीच अंतराल और उनकी संख्या डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रखी गई। पौधे, पुष्प, गुले/रेशे और बीज संबंधी गुणों के पर्यवेक्षण एकत्र किए गए। रेशे की गुणवत्ता संबंधी परीक्षणों पर आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं क्योंकि नागपुर में 'सिरकॉट' का उप केन्द्र अभी पूरी तरह कार्य नहीं कर रहा है। ईडीवी और आईवी के बीजों में एलाइजा के द्वारा बीटी प्रोटीन की उपस्थिति की गुणवत्ता ज्ञात की गई। ईडीवी के बीजों में बीटी प्रोटीन की अभिव्यक्ति सकारात्मक और उच्च स्तर की थी, जबकि आईवी के बीजों में इसकी उपस्थिति नहीं थी। गैर छिड़काव वाले दिशा के अंतर्गत आईवी और ईडीवी, दोनों के पौधे अस्वस्थ तथा छिड़काव वाली दशाओं की तुलना में घटिया बढ़वार वाले दिखाई दे रहे थे। छिड़काव तथा गैर–छिड़काव, दोनों दशाओं में आईवी के मामले में गुले की क्षति उच्च थी जबकि छिड़काव व गैर–छिड़काव, दोनों दशाओं में ईडीवी के मामले में गुले ताजे थे।



सारणी 23. वर्ष 2019–20 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल जाति	नई		वीसीके	ईडीवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
1	2	2	1	1	28.11.2019

सारणी 24. अनुरक्षण/लक्षण–वर्णन के अंतर्गत किस्में

अधिदेशित फसल जातियां	वर्ष के दौरान अनुरक्षण के अंतर्गत किस्मों की संख्या
कपास (लक्षण वर्णित और अनुरक्षित की जा रही हैं)	35 किस्में : जी. हिस्टर्टम 2 किस्में : जी. बार्बेंडेस 24 किस्में : जी. आर्बोरियम 1 किस्म : जी. हर्बसियम

35 जी. हिस्टर्टम किस्मों, 2 जी. बार्बेंडेस किस्मों और 24 जी. आर्बोरियम किस्मों का लक्षण–वर्णन किया गया है और स्वनिषेचन के द्वारा इन्हें कम मात्रा में अनुरक्षित किया जा रहा है। प्रत्येक पुष्प के स्वनिषेचन में शामिल श्रम की लागत को कम करने के लिए सच्चे प्रकार के कुछ पौधों को उनके रखरखाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करके बंद किया गया। जी. आर्बोरियम की 24 किस्में प्रगुणित की जा रही हैं और प्रत्येक किस्म का 500 ग्रा. अंतिम बीज उपलब्ध है।



डॉ. एस.ए. पाटिल, पूर्व कुलपति, यूएस, धारवाड तथा पूर्व निदेशक, आईएआरआई, नई दिल्ली; श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली ने डॉ. वी.एन. वाघमारे, निदेशक, आईसीएआर–सीआईसीआर, नागपुर और डॉ. के. रतिनावेल, नोडल अधिकारी, आईसीएआर–सीआईसीआर, कोयम्बटूर ने 28.11.2018 को आईसीएआर–सीआईसीआर, नागपुर के डीयूएस परीक्षण प्लॉट की निगरानी की।

वर्ष 2020–21 के लिए कार्य योजना

उन्होंने प्रक्षेत्र अनुरक्षण तथा परीक्षण की अभिव्यक्ति पर संतोष व्यक्त किया। प्रथम वर्ष के दौरान जिन प्रविष्टियों का परीक्षण किया गया है उनका दूसरे वर्ष भी परीक्षण जारी रहेगा तथा गुणों की अभिव्यक्ति की तुलना की जाएगी। पहले वर्ष के लिए पीपीवी और एफआरए द्वारा प्रस्तुत जीनप्ररूपों, वीसीके और ईडीवी का भी परीक्षण किया जाएगा। नए गुणों जैसे गुले के छिलके की मोटाई और सहपत्र के आकार (वृद्धि की विशिष्ट अवस्थाओं में निर्धारित होने के पश्चात) का भी भिन्नता के लिए अध्ययन किया जाएगा।

3.1.10 आईसीएआर – केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बटूर

सारणी 25. वर्ष 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नई		वीसीके	एफवी	ईडीवी	आईवी	निगरानी का वर्ष
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां					
चतुर्गुणित कपास	4	7	1	शून्य	शून्य	शून्य	19.12.2019

सारणी 26. अनुरक्षित / लक्षण–वर्णित किस्में

फसल	2019–20 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या संख्या
चतुर्गुणित कपास (जी हिर्स्टम)	अबाधिता, सहाना, सुगंगला, जी कॉट 12, एमसीयू–10, एमसीयू 5, जीएसएचवी112, एसीपी–71, 70 ई, अकाला ग्लैंडलैस, एके 235, अमेरिकन नैकटेयरलैस, अंजली, एआरबीएच 813, एरिजोना सुपर ओरा, बदनावर, भाग्य, बीकानेरी नर्मा, बीएन, बीएन रेड, बीएन–1, सीए116, सीसएच 2623, सीपीडी 423, सीपीडी 428, सीएसएच 19, देवीराज, डीएचवाई 286–1, डीएस 28एफ, 1054, एफ 1378, एफ 1861, एफ 320, एफ 505, एफ 846, जी.कॉट.10, जी.कॉट.100, जी.कॉट. 16, जी.कॉट.18, जी.कॉट.20, जी.कॉट.22, जीएल सी24–4, गुजरात 67, एच 1098, एच 1117, एच 1157, एच 1220, एच 1226, एच 1236, एच 974, एचएलएस 329, एचएस 6, जे 34, जालंधर स्माल बॉल, जेके 35, जेके4, जेएलएच 168, के 34007, केसी 2, केसी 3, कईकेसीएचआई रेड, केम्प, खंचना, खांडवा 2, खांडवा 3, एल 604, एलएचएच 5, लक्ष्मी एलएच 1134, एलएच 2076, एलएच 2108, एलएच 372, एलएच 900, एलआरए 5166, एलएसएस, महालक्ष्मी, एमसीयू 11, एमसीयू 12, एमसीयू 13, एमसीयू 3, एमसीयू 4, एमसीयू 5 वीटी, एमसीयू 8, एमसीयू 9, एमसीयू 7, एमडीएच 89, मैसूर विजय, नरसिम्हा, नर्मदा, एनसी 105, एनसी–61, एनसीएच 11, एनएच 452, एनएच 545, एनएच 615, पीजी 6, पीएच 93, फुले 492, पीआईएल 8, पीकेवी रजत, प्रतिमा, पीआरएस 74, पूसा 8–6, आरएजेएचएच 769, रेबा बी 50, आरएचसी 003, आरएचसी004, आरएमपीबीएस155, आरएस 2013, आरएस 810, आरएस 875 आरएसटी 9, एसएच 2379, सिवानंधि, सौभाग्य, सुमन, सुप्रिया, सुरभि, सूरज, एसवीपीआर 5, टी 7, टीसीएच 1716, वेगाड कल्याण, वीसी 21, विक्रम, बीएन फेंगो, पीआरएस 72, जी. एचसी 122–66, एक्सट्रीम ओकरा, जेसीसी 1, जीएलएम 5, एन–1, ईसी 344034, ईसी 344025, पी–15–1, पी–15, पी–15 डीपी,
चतुर्गुणित कपास (जी. बार्बेंसे)	सुविन, एसबीवाईएफ 425, टीसीबी 209, आरएसपी 4, पी 4, सुजाता, आरएचसी001
द्विगुणित कपास	एकेए 8, एकेए 8401, एकेए5, धुमाड, डीएलएसए 17, जी.कॉट 15, जी.कॉट 19,

(जी. आरबोरियम)	जीएमएस लाइन, एचडी 107, एचडी 110–115, एचडी 226, एचडी 321, एचडी 432, जवाहर ताप्ती, जेके 5, जेएलए 794, के 11, केआर 111, केआर 64, एलडी 210, एल 327, एलडी 491, एलडी 694, एनएसीएच 12, पीए 183, पीए 402, फुले अनमोल, फुले धनवंतरी, आरएजेडीएच 9, आरजी 18, आरजी 8, वाई 1, वीना, डीएस 5
द्विगुणित कपास (जी. हर्बसियम)	जी. कॉट 23, जी. कॉट. 25, डीडीएचसी 11, जयाधर, राघवेन्द्र

प्रकाशन

- रतिनावेल, के. 2019. एग्रो—माफोलॉजिकल करेक्टराइजेशन एंड जेनेटिक डायवर्सिटी एनालिसिस ऑफ कॉटन जर्मप्लाज्म (गोसिपियम हिस्टर्टम एल.) इंटरनेशनल जर्नल करंट माइक्रोबायल एप्लाइड साइंस 8(2):2039-2057 (ISSN:2039-2057) (NAAS 2019 Score 5.38)
- के.एच. कविता और श्री प्रियदर्शिनी. 2019. जेनेटिक डायवर्सिटी अमंग द एक्सटेंट रेफरेंस वेराइटीज़ ऑफ टेट्राप्लॉइड कॉटन (गोसिपियम हिस्टर्टम एल.) जे. कॉटन रिसर्च डेवलपमेंट 33 (2) 197-207(ISSN No. 0972-8619) (NAAS 2019 Score 4.69)

सारणी 27. पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसलें	1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल आवेदनों की संख्या	जारी किए गए प्रमाण—पत्र	लंबित आवेदन	लंबित होने के कारण
	16	6	3 1 –	6	1	प्रक्रियाधीन

वर्ष 2020–21 के लिए योजना

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रथम वर्ष के लिए परीक्षित नई श्रेणी के अंतर्गत आने वाली प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण द्वितीय वर्ष के परीक्षण हेतु दोहराया जाएगा। प्रतिभागी केन्द्र से प्राप्त आंकड़े संकलित करके पीपीपी एवं एफआरए को प्रस्तुत किए जाएंगे। संदर्भ किस्मों का प्रलेखन जारी रहेगा। विद्यमान किस्मों के और अधिक रखरखाव के लिए अनुरक्षण प्रजनन तथा बीज प्रगुणन किया जाएगा।

3.1.11 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

वर्ष 2019–20 के लिए हुए परीक्षणों में प्रथम वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत 4 जीनप्ररूप तथा दूसरे वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत दो जीनप्ररूप 22 संदर्भ किस्मों के साथ शामिल किए गए। कतार से कतार का फासला 1.35 मीटर रखकर 8 कतारों में रोपाई की गई तथा पौधों की संख्या डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रखी गई।

सारणी 28. 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	नई		वीसीके	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां		
1	4	2	0	---

सारणी 29. अनुरक्षण /लक्षण–वर्णन अधीन किस्में

अधिदेशित फसल जातियां	वर्ष के दौरान अनुरक्षण के अंतर्गत किस्मों की संख्या	
कपास (लक्षण–वर्णन और अनुरक्षण किया जा रहा है)	25 किस्में: जी. हिस्टर्टम 3 किस्में: जी. आबर्डरियम	कतारों की संख्या : 8 प्रतिकृतियां : 3 कतार लंबाई : 6 मी. डिजाइन : आरबीडी अंतराल : 90 सें.मी. x 60 सें.मी.

पौधे, पुष्प, गुले और कपास के पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए तथा रेशे की गुणवत्ता प्राचलों के साथ गुणों को संकलित किया गया। आईवी और ईडीवी के पौधे अस्वस्थ और घटिया वृद्धि वाले दिखाई दिए जिनमें सीयूसीएलडी का उच्च संक्रमण था। जी. हिस्टर्टम की 35 किस्में, जी. आबर्डरियम की 3 किस्में, प्रत्याशी किस्मों के अलावा, 2019–20 सत्र में स्वनिषेचन द्वारा अनुरक्षित की गई।

3.1.12 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, भटिंडा

सारणी 30. वर्ष 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	प्रत्याशी किस्में/संकर/वीसीके	संदर्भ किस्में
कपास	एनजेड/टीसी/01, एनजेड/टीसी/03, एनजेड/टीसी/04, एनजेड/टीसी/06, एनजेड/टीसी/05, एनजेड/टीसी/07	जेसीसी 1, एफ 1861, एमसीयू 10, खंडवा 3, आरएस 810, एच 1157, लक्ष्मी, प्रतिमा, एफ 1378, जे 34, एसीपी 71, जेएलएच 168, एनएच 452, सुमंगला, एनएच 545, एल 604, कंचन, एफ 2228 (जेडसी), जे के टार्जन, बायो सीड 6588, बायो सीड 6488

निगरानी दल के मुख्य पर्यवेक्षण (अधिकतम 1–2 बिंदु)

- परीक्षण का लेआउट परीक्षण बहुत अच्छा था।
- अधिकांश प्रत्याशी किस्मों में आकृतिविज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति व फसल की वृद्धि अच्छी थी।
- आंकड़े डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड करके प्रस्तुत किए गए।

सारणी 31. अनुरक्षित/लक्षण–वर्णित किस्में

फसलें	अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या संख्या
कपास	बदनावर 1 (एच), एमसीयू 5, अबाधिता, जेके 4, जेके 4, जेएलएच 168, एकेए 7, वीना, जीससएचवी 112, एल 604, पीकेवी रजत, जेसीसी 1, एफ 1861, एमसीयू 10, खंडवा 3, आरएस 810, एच 1157, लक्ष्मी, प्रतिमा, एफ 1378, जे 34, एसीपी 71, जेएलएच 168, एनएच 452, सुमंगला, एनएच 545, एल 604, कंचना, एफ 2228 (जेडसी)

3.1.13 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएस), धारवाड़

कपास : वर्ष 2019–20 के दौरान धारवाड केन्द्र को छह (प्रथम वर्ष) और चार (द्वितीय वर्ष) प्रत्याशी किस्में डीयूएस गुणों के मूल्यांकन हेतु आबंटित की गई। साठ संदर्भ किस्मों का भी मूल्यांकन किया गया और उनका 2019–20 में अनुरक्षण किया गया। परीक्षण आरबी में 3 प्रतिकृतियों में किए गए। प्रति प्रतिकृति सभी परीक्षणों में पौधों की उपयुक्ततम संख्या 120 रखी गई। पौधों से पौधों का अंतराल 90×60 सें.मी. (चतुर्गुणित में) और 30×60 सें.मी. (द्विगुणित में) रखा गया।

क्र.सं.	फसलें	अनुरक्षित संदर्भ किस्मों की संख्या
1	कपास	60
2	सोयाबीन	115
3	मूँगफली	08
4	तिल	43

सोयाबीन

कुल 115 संदर्भ किस्मों के साथ एक कृषक किस्म तीन प्रतिकृतियों में यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन में बोई गई। प्रति प्रतिकृति पौधों की उपयुक्ततम संख्या सभी प्रतिकृतियों में 360 रखी गई तथा पौधों का अंतराल 45×10 सें.मी. था। सभी आकृतिविज्ञानी और सस्योत्तर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए तथा जैव रासायनिक परीक्षण भी किए गए।

तिल

तेतालिस (43) संदर्भ किस्मों के साथ 12 कृषक किस्में तीन प्रतिकृतियों में आरबीडी डिजाइन में बोई गई। 45×15 सें.मी. अंतराल के साथ सभी प्रतिकृतियों में प्रति प्रतिकृति 240 पौधे रखे गए। सभी आकृतिविज्ञानी और सस्योत्तर पर्यवेक्षण समय पर रिकॉर्ड किए गए।

सारणी 32. वर्ष 2019–20 के दौरान डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किस्मों की संख्या

क्र.सं.	फसल	परीक्षण का नाम	प्रविष्टियों की संख्या	बुवाई की तिथि	अंतराल (सें.मी.)
1	कपास	परीक्षण I (प्रथम वर्ष प्रत्याशी)	6	29.07.2019	90×60
		परीक्षण II (द्वितीय वर्ष प्रत्याशी)	4	29.07.2019	
2	सोयाबीन	कृषक किस्म	1	15.07.2019	30×10
3	मूँगफली	कृषक किस्म + वीसीके	02+01	16.07.2019	30×10
4	तिल	कृषक किस्म	8 (पुरानी किस्में) + 4 (नई किस्में)	16.07.2019	45×15

तकनीकी प्रगति : अपर्याप्त वर्षा के कारण कुछ परीक्षण प्रभावित हुए। इनका विवरण निम्नानुसार है :

प्रथम वर्ष की कृषक किस्में	द्वितीय वर्ष की कृषक किस्में	संदर्भ किस्में
2879/2267(RII&III), 2879/2312,2879/2314(RI-3 पौधे II &III)	भगवतपुर तिल 9 (आर I – 1 पौधा), तिलसुरी लोकल लाल (आर I), पुरानी तिल (आर II)	आरटी-127, पीकेडीएस-12, एनटी-75, तिलक, निर्मला, पीकेवी-एनटी-13, रामा, आरटी-54 (आरआई-5 पौधे), टीकेजी-306, आरटी-46, आरटी-127, आरटी-351, जीटी-4, जीटी-10, डीएस-1, श्वेता तिल-1, एमटी-75, एकेटी-64

सारणी 33. गुणों में पाई गई भिन्नताएं

	पुष्प पंखुड़ी की रोमिलता	खोल की व्यवस्था	खोल की संख्या/पत्ती अक्ष	बीज कवच का रंग
प्रथम वर्ष की कृषक किस्में	-	-	-	-
द्वितीय वर्ष की कृषक किस्में	-	तिलसुरी लोकल लाल	-	राजनारायण तिल
संदर्भ किस्में	डीएसएस-9	डीएसएस-9, एचटी-2, एचआईएमए, जेटी-14	जेटी-14	जीटी-10, फुले तिल-1, तरुण, हीमा, पीकेडीएस-11, एसवीपीआर-1, कनक, टीएमवी-3, वाईएलएम-11

मूंगफली

वर्ष 2019–20 के दौरान एक वीसीके तथा दो कृषक किस्में आठ संदर्भ किस्मों के साथ 30×10 सें.मी. का अंतराल रखते हुए तीन प्रतिकृतियों में आरबीडी में बोई गई। स्वस्थ फसल उगाने के लिए अनुशासित सत्यविज्ञानी विधियों का पैकेज अपनाया गया। आकृतिविज्ञानी तथा सत्योत्तर पर्यवेक्षण समय पर रिकॉर्ड किए गए।

3.1.14 आईसीएआर–केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर और सीएसआरएसजेएफ, बुद्धु बुद्ध बर्दवान, पश्चिम बंगाल

प्रत्याशी किस्म के न होने के कारण वर्ष 2019–20 में डीयूएस परीक्षण नहीं किया जा सका। कार्कोरस ओलिटोरियस (30 किस्मों) और कार्कोरस कैप्सुलेरिस (21 किस्मों), दोनों के संकलन संतति कतार विधि से पौधों के माध्यम से रखे गए हैं। संदर्भ संकलन के अनुरक्षण के दौरान पर्यवेक्षण लेते हुए संदर्भ संकलनों का डेटाबेस तैयार किया गया है।

सारणी 34. अनुरक्षित/लक्षण–वर्णित किस्में

अधिदेशित फसल जातियां	वर्ष 2019–20 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम व संख्या	स्वयं की/अन्य की अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत रखी गई किस्मों का स्रोत (उल्लेख करें)	आंकड़ों की प्रस्तुति (अनुरक्षण प्रजनन) हाँ/नहीं
1) कार्कोरस ओलिटोरियस	30 किस्में	22 8 (राज्य कृषि विश्वविद्यालय और बार्क)	हाँ
2) कार्कोरस कैप्सुलेरिस	21 किस्में	14 राज्य कृषि विश्वविद्यालय	हाँ

सारणी 35. पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसलों	1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या विद्यमान अधिसूचित नई वीसीके	जारी किए गए प्रमाण-पत्र	लम्बित आवेदन
सी.ओलिटोरियस	16	11	9 5	7	1
सी.कैप्सुलेरिस	11	8	7 3	6	.

वर्ष 2020–21 के लिए योजना

- I. संदर्भ किस्मों का रखरखाव
- II. एक कृषक किस्म का डीयूएस लक्षण–वर्णन

3.1.15 पान लता के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु

केन्द्र में 40 किस्में (4 जारी की गई, 36 एफवी/वीसीके/जननद्रव्य) अनुरक्षित की गई तथा 11 संदर्भ किस्मों के पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए और पान लता के 29 जननद्रव्य आईसीएआर–आईआईएचआर प्रायोगिक फार्म पर सेस्बेनिया ग्रैंडिप्लॉरा एल. (सेस्बेनिया) पर सहारा देते हुए उगाए गए। छह मात्रात्मक तथा 11 गुणात्मक लक्षणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।



3.1.15 क. पान लता के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र : विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

डीयूएस सहयोगी केन्द्र में संदर्भ किस्मों के रूप में 41 वंशक्रम/किस्में अनुरक्षित की गई हैं। केन्द्र को आंध्र प्रदेश बागवानी विश्वविद्यालय में डॉ. ऐलिस टिरके से 21 अक्टूबर 2020 को कोकोपीट में लगभग 20 कलमें प्राप्त हुई जिन्हें कल्याणी ले जाकर 22 अक्टूबर 2019 को रोपा गया। तथापि सभी कलमें सजीव दशा में हैं। सामान्यतः रोपाई के पश्चात पान लता को सम्पूर्ण वृद्धि की दशा प्राप्त करने कम से कम दो वर्ष लगते हैं तभी वे इस योग्य होती हैं कि डीयूएस परीक्षण के लिए आंकड़े लिए जा सकें।



3.1.16 आंवला (इंडियन गूजबेरी) के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ

आईसीएआर–सीआईएसएच, लखनऊ में 8 उदाहरण किस्मों नामतः एनए–6, एनए–7, एनए–10, कंचन, कृष्णा, बनारसी, चकैया, फ्रांसिस अनुरक्षित करके उनका लक्षण–वर्णन किया गया। आंवला के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र, सीएचईएस, गोधरा में भी डीयूएस केन्द्र के अंतर्गत 11 उदाहरण किस्में नामतः बनारसी, फ्रांसिस, चकैया, कंचन (एनए–4), कृष्णा (एनए–5), एनए–7, आनंद–1, आनंद–2 और एनए–10 अनुरक्षित की गई।



3.1.17 बेल के लिए डीयूएस केन्द्र : केन्द्रीय बागवानी प्रायोगिक केन्द्र (आईसीएआर–सीआईएच), गोधरा, गुजरात

सीएचईएस–गोधरा, गुजरात बेल के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र है और यहां डीयूएस केन्द्र के अंतर्गत 12 उदाहरण/संदर्भ किस्में (गोमायासी, सीआईएसएच–बी–1, सीआईएसएच–बी–2, एनबी–16, एनबी–17, एनबी–5, एनबी–7, एनबी–9, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता और पंत उर्वशी)



अनुरक्षित की गई हैं। 13 कृषक किस्मों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से पांच कृषक किस्में जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई हैं, वर्तमान वर्ष के दौरान परीक्षणाधीन हैं।

3.1.17 क. बेल के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र : सीआईएसएच, लखनऊ



सीआईएसएच, लखनऊ बेल के लिए सहयोगी केन्द्र है तथा यहां 11 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की गई हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 03 नई किस्में नामतः थार नीलकांत, थार दिव्या और गोमा याशी शामिल की गई। प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत 6 किस्मों के आंकड़ों के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से भी आंकड़े एकत्र करके प्रस्तुत किए गए। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकृत शेष सात किस्मों से संबंधित आंकड़े झारखंड और पश्चिम बंगाल से वर्ष 2020 के दौरान एकत्र किए जाएंगे।

3.1.18 जामुन के लिए डीयूएस केन्द्र : केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ

आईसीएआर— केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ उदाहरण/संदर्भ किस्मों के डीयूएस परीक्षण व अनुरक्षण का अग्रणी केन्द्र है। आईसीएआर—सीआईएचएस, लखनऊ के फील्ड जीन बैंक में कुल 40 प्रविष्टियां/किस्में एकत्र करके स्थापित की गई हैं। दस प्रविष्टियों का भौतिक—रासायनिक गुणों के संदर्भ में लक्षण—वर्णन किया गया है। जामुन के फल के भौतिक—रासायनिक गुणों में उल्लेखनीय अंतर प्रदर्शित हुए हैं तथा 40 प्रविष्टियों/किस्मों के बीच व्यापक भिन्नता पाई गई है। आईसीएआर—सीआईएएच, केन्द्रीय बागवानी प्रायोगिक केन्द्र, वेजालपुर (गोधरा), पंचमहल, गुजरात जामुन के लिए सहयोगी केन्द्र हैं तथा यहां जामुन की 4 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की गई हैं।



3.1.19 अमरुद के लिए डीयूएस केन्द्र, सीआईएसएच, लखनऊ

वर्ष के दौरान डीयूएस केन्द्र में सभी अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों के साथ 127 उदाहरण/संदर्भ किस्में अनुरक्षित की जा रही हैं। फील्ड जीन बैंक में उपलब्ध अमरुद की किस्मों (52) का डीयूएस लक्षण—वर्णन, डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहा ताकि अमरुद में डीयूएस के लिए परीक्षण किया जा सके। वर्ष 2019–20 के दौरान मुझान के कारण मर गई अमरुद की प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए पुनः रोपण तथा अंतराल की भराई की गई। दो कृषक किस्मों का स्थल पर डीयूएस परीक्षण जारी रहा जिसके अंतर्गत डीयूएस आंकड़े एकत्र किए गए। क्षेत्र में दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां किसानों को अमरुद की किस्मों के पंजीकरण की आवश्यकता के बारे में बताया गया। किसानों को समक्ष पंजीकरण के महत्व व लाभ तथा पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया।



3.1.20 लीची के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर—लीची पर अनुसंधान केन्द्र, भारत सरकार, मुशाहरी, मुजफ्फरपुर, बिहार

आईसीएआर—एनआरसीएल, मुजफ्फरपुर लीची के परीक्षण के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र है। वर्ष के दौरान केन्द्र में डीयूएस परीक्षण ब्लॉक स्थापित किया गया है तथा छह संदर्भ किस्में अनुरक्षित की गई हैं। कुल 19 जननद्रव्यों का डीयूएस विवरणों के अनुसार लक्षण—वर्णन किया गया। लीची की दो नई किस्मों के स्थल पर आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 75 किसानों ने भाग लिया।



अधिदेशित फसल जाति	वर्ष 2019–20 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या
लीची	75 (अनुरक्षित प्रविष्टियाँ)

3.1.21 शरीफा और पपीता के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बंगलुरु

आईआईएचआर, बंगलुरु शरीफा तथा पपीता के लिए अग्रणी डीयूएस अनुसंधान केन्द्र है। यहां संदर्भ/उदाहरण किस्मों के रूप में शरीफा की 10 और पपीता की 15 किस्में अनुरक्षित करके उनका लक्षण—वर्णन किया गया है। शरीफा के आठ स्थल डीयूएस परीक्षण के लिए एक प्रत्याशी किस्म एनएमके—1 का परीक्षण पिछले वर्ष के दौरान पूरा हुआ तथा इसकी रिपोर्ट पीपीवी और एफआरए को प्रस्तुत की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्य प्रदेश से प्राप्त सामग्री का डीयूएस परीक्षण पूरा हुआ है। यह पाया गया है कि सभी पांच किसानके एकल पौधे का अनुरक्षण कर रहे थे तथा स्थल पर डीयूएस परीक्षण करने के लिए आवश्यक पौधों की संख्या न तो प्रगुणित की गई थी और न ही रोपी गई थी।



NMK-1

3.1.21 क. पपीता के लिए डीयूएस केन्द्र : तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर पपीता के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र है। यहां पपीता की 19 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की गई हैं तथा डीयूएस खेत में उनके परीक्षण पर्यवेक्षित किए गए हैं। पिछले वर्ष (2018–19 के दौरान) संदर्भ किस्मों से पपीता की 17 किस्मों से बीज एकत्र किए गए। आईआईएचआर, बंगलुरु से अर्का सूर्या और अर्का प्रभात के बीच संकलित किए गए। जून 2019 के दौरान 19 संदर्भ किस्मों के एकत्र किए गए बीज छाया जाल घर के अंतर्गत पॉली बैग में बोए गए। पौध को रोग तथा पीड़कों के प्रकोप की नियमित निगरानी करते हुए उचित देखभाल के साथ अनुरक्षित किया गया।



3.1.25 चिरोंजी और इमली के लिए डीयूएस केन्द्र : केन्द्रीय बागवानी प्रायोगिक केन्द्र, आईसीएआर – केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, गोधरा, गुजरात

इस डीयूएस केन्द्र में चिरोंजी के 10 जीनप्ररूपों/किस्मों नामतः थार प्रिया,

सीएचईएससी-1, सीएचईएससी-2,

सीएचईएससी-3, सीएचईएससी-4,

सीएचईएससी-5, सीएचईएससी-6,

सीएचईएससी-8, सीएचईएससी-9,

सीएचईएससी-10 तथा इमली की 11 किस्मों


नामतः गोमा प्रतीक, प्रतिष्ठान, ओ-263,

पीकेएम-1, अजंता, डीटीएस-1, रेड टाइप, स्वीट टाइप, बंतूर, उरिगम तथा थार

किरन का संदर्भ किस्मों के रूप में रखरखाव किया गया। वानस्पतिक तथा फलन संबंधी आकृतिविज्ञानी गुण रिकॉर्ड करके लक्षण-वर्णित किए गए।

3.1.26 शहतूत के लिए डीयूएस केन्द्र : केन्द्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएसआर और टीआई), मैसूर

सीएसआरटीआई, मैसूर में 34 उदाहरण और 8 संदर्भ किस्में 35 गुणों के लिए अनुरक्षित की जा रही हैं। ये गुण डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए। जून 2019 के दौरान डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 17 उदाहरण किस्में रोपी गई। इनके पौधे स्थापित हो रहे हैं और इनका नियमित रखरखाव किया जा रहा है। चौदह अन्य किस्मों की पौध नर्सरी में हैं तथा जून 2020 (बरसात के मौसम में) में इनकी रोपाई की जाएगी। जो 11 किस्में अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो रही हैं और उनकी जड़ें विकसित नहीं हो पा रही हैं उनकी कलम स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहतूत की विद्यमान किस्मों नामतः वी-1 और जी-4 के पंजीकरण के लिए डीयूएस परीक्षण संबंधी आवेदन दिनांक 14.08.2019 को पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत दाखिल किया जा चुका है। शहतूत की अन्य किस्मों नामतः एआर 12, साहना, जी-2, आरसी-1 और आरसी-2 आदि के बारे में विभिन्न सूचना एकत्र की गई है, ताकि पीपीवी एवं एफआरए, 2001 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया जा सके। सीएसआरटीआई, बेरहमपुर के एक वैज्ञानिक को सीएसआरटीआई, बेरहमपुर, पश्चिम बंगाल में सह नोडल डीयूएस केन्द्र स्थापित करने के लिए दिनांक 10.06.2019 से 15.06.2019 तक डीयूएस से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।



3.1.27 पापलर जननद्रव्य के लिए केन्द्र : वृक्ष सुधार एवं आनुवंशिक संसाधन विभाग, यूएचएफ, नौनी, सोलन

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान डीयूएस केन्द्र ने 15 संदर्भ/उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण करके लक्षण-वर्णन किया गया। इनका विवरण निम्नानुसार है:



क्र.सं.	क्लोन का नाम	स्रोत
1.	एल-30 / 06	लालकुआ, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
2.	एल-62 / 84	लालकुआ, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
3.	जी-48	लालकुआ, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
4.	एल-61 / 05	लालकुआ, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
5.	एस7सी15	विमिको पौधा

6.	एस7सी8	विमको पौध
7.	डब्ल्यूएसएल 22	विमको पौध
8.	डब्ल्यूएसएल 39	विमको पौध
9.	6503	टीआईजीआर विभाग, यूएचएफ, नौनी
10.	5503	टीआईजीआर विभाग, यूएचएफ, नौनी
11.	1007	टीआईजीआर विभाग, यूएचएफ, नौनी
12.	₹.200४८६	टीआईजीआर विभाग, यूएचएफ, नौनी
13.	पीएल.३	पीएयू लुधियाना
14.	पीएल.६	पीएयू लुधियाना
15.	पीएल.७	पीएयू लुधियाना

3.1.28 विलो जननद्रव्य के लिए डीयूएस केन्द्र : वृक्ष सुधार एवं आनुवंशिक सुधार एवं यूएचएफ, नौनी, सोलन

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान डीयूएस केन्द्र में 17 संदर्भ/उदाहरण किसमें अनुरक्षित व लक्षण-वर्णित की गई। इनका विवरण इस प्रकार है :



क्र.सं.	क्लोन का नाम	जाति / संकर	संकलन का स्रोत
1.	पीएन-731	एस. नाइग्रा	न्यूजीलैंड
2.	एसई-63-016	एस. जेसोएंसिस	इटली
3.	पीएन 227	एस. मेत्सुदाना	यूके
4.	एफएलएस	सेलिक्स टेट्रास्पर्मा	स्थानीय संकलन
5.	एसआई-64-017	एस. एल्बा	इटली
6.	एसआई-63-007	एस. एल्बा	इटली
7.	006 / 005	एस. एल्बा सीवी. क्रेरली	यूके
8.	घगास	एस. एक्सोफिला	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)
9.	जे 799	एस. मेत्सुदाना X एस. एल्बा	यूके
10.	एनजे-1140	एस. मेत्सुदाना X एस. एल्बा	यूके
11.	131 / 25	एस. बेरीलोनिका X एस. एल्बा	यूके
12.	जे-194	एस. मेत्सुदाना X एस. आर्बुटीफोलिया X एस. मेत्सुदाना	यूके
13.	जे-795	एस. मेत्सुदाना X एस. एल्बा	यूके
14.	आस्ट्री	एस. मेत्सुदाना X एस. एल्बा	यूके
15.	कश्मीरी लोकल	सेलिक्स एल्बा	जम्मू व कश्मीर
16.	वी-99	सेलिक्स X रूबेस	क्रोशिया
17.	देवमाता	सेलिक्स टेट्रास्पर्मा	राजस्थान

3.1.29 कैसुरिना तथा सफेदा के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : आईएफजीटीबी (आईसीएफआरई), कोयम्बटूर

आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर में डीयूएस केन्द्र पर संदर्भ/उदाहरण किसमें के रूप में सफेदा के 10 क्लोन तथा कैसुरिना के 100 से अधिक क्लोन अनुरक्षित किए गए हैं और इनके विभिन्न गुणों की अभिव्यक्ति के बारे में डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर पर्यवेक्षण किए गए हैं। पुष्पों, पुष्पविन्यास तथा फलों के नमूने एकत्र किए गए और



पर्यवेक्षण किया गया। संदर्भ तथा रिकॉर्डिंग के लिए एक छाया डेटाबेस सृजित किया गया।

3.1.29क. सफेदा के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र : एनएयू नवसारी

एनएयू नवसारी ई. यूरोफाइला और ई. ग्लोब्यूल्स डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के लिए सफेदा के संबंध में एक सहयोगी केन्द्र है। तदनुसार प्रस्तावित जातियों के जननद्रव्य विभिन्न हितधारकों जैसे अनुसंधान संस्थान, राज्य वन विभागों, विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों से एकत्र किए गए तथा इन्हें क्लोनों, संकरों तथा प्रावेनेस से प्राप्त करके इनके रोपाई के बारे में संसाधन आंकड़े एकत्र किए गए।



3.1.30 बेर का डीयूएस केन्द्र : सीआईएएच, बीकानेर

डीयूएस केन्द्र में बेर की 25 किस्में अनुरक्षित हैं। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 20–24 फरवरी 2020 को स्थल पर निगरानी की गई। ये स्थल जय दुर्गा कृषक क्लब, वीपीओ, लाखुड़ी, ब्लॉक बीमानिधि, जिला-जांजगीर-चम्पा और धुमा, बिलासपुर स्थित किसानों के खेत थे जहां 147 प्रत्याशी किस्मों की जांच की गई जिनमें से 9 किस्में डीयूएस दिशानिर्देशों के मानदंड पूरा करती हुई पाई गई।



3.1.31 शकरकंद और कसावा का डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर-सीटीसीआरआई, तिरुवनंतपुरम

आईसीएसआर-सीटीसीआरआई, तिरुवनंतरपुरम, केरल अग्रणी डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है और यहां कसावा की 55 किस्में (30 जारी की गई व 25 कृषक किस्में) तथा शकरकंद की 52 किस्में (40 जारी की गई, 12 कृषक किस्में) अनुरक्षण सृजन के अधीन हैं तथा इन्हें खेत में संरक्षित किया गया है। सभी संदर्भ किस्मों की फसल काटी गई और पुनः रोपाई की गई। मन्ना नामक एक किस्म पंजीकरण के लिए है।



3.1.31क. शकरकंद और कसावा के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर-सीटीसीआरआई, भुवनेश्वर, ओडिशा

आईसीएआर-केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर, ओडिशा में प्रत्याशी किस्मों के परीक्षण के लिए डीयूएस केन्द्र पर शकरकंद की 43 तथा कसावा की 14 संदर्भ/उदाहरण किस्मों का रखरखाव किया गया है।



3.1.32 अग्रणी केन्द्र : आईसीएआर— भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

रिपोर्टार्धीन अवधि 2019–20 के दौरान खरीफ 2019 में दो स्थानों नामतः नई दिल्ली और हैदराबाद में मक्का की 68 प्रत्याशी प्रविष्टियों पर परीक्षण किए गए। इन 68 प्रविष्टियों में 45 संकर, 22 अंतःप्रजात वंशक्रम और एक कृषक किस्म शामिल थी। इसके अलावा 31 संदर्भ संकरों/किस्मों व 20 संदर्भ अंतः प्रजात वंशक्रमों में 31 डीयूएस विवरणों के पर्यवेक्षण भी रिकॉर्ड किए गए।

45 प्रत्याशी किस्मों की प्रविष्टियों का प्रथम और द्वितीय वर्ष में परीक्षण किया गया और प्रत्येक वर्ष 15 संकर शामिल किए गए। इसके अलावा प्रत्येक प्रविष्टि के 15 सम्बद्ध जनक संकरों के लिए डीयूएस आंकड़े सृजित किए गए जिनका दूसरे वर्ष स्थायित्व परीक्षण किया जा रहा है, जबकि 22 प्रत्याशी अंतःप्रजात प्रविष्टियों में से प्रथम व द्वितीय वर्ष में 8–8 वंशक्रम प्रविष्टियां शामिल की गईं तथा सामान्य ज्ञान की 6 किस्मों का दूसरे वर्ष परीक्षण किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान 118 प्रविष्टियों के लिए 31 डीयूएस गुणों पर आंकड़े सृजित किए गए जिन्हें प्रत्याशी किस्मों, दोनों संकरों के संदर्भ किस्मों, कृषक किस्मों और अंतःप्रजात वंशक्रमों में शामिल किया गया है। मक्का के लिए डीयूएस परीक्षण की निगरानी 11 सितम्बर 2019 को नई दिल्ली में की गई।



3.1.32क. मक्का के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र : पीजीटीएसएयू, हैदराबाद

पीजीटीएसएयू, हैदराबाद मक्का के डीयूएस परीक्षण के लिए सहयोगी केन्द्र है। यहां मक्का के 27 संकरों व 20 अंतःप्रजात संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया है। रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण सम्पन्न व प्रबंधित किया गया। खड़ी फसल पर गुण 1 से 17 से संबंधित आंकड़े पूरी प्रविष्टि में रिकॉर्ड किए गए तथा गुण 1831 से संबंधित आंकड़े जो काटी गई फसल से संबंधित हैं, तैयार किए जा रहे हैं। अधिकांश प्रविष्टियों में उनके संदर्भ प्रजनकों द्वारा दावा किए गए गुण व्यक्त हुए हैं।



3.1.32 ख. मक्का, सेम और सोयाबीन के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र

सहयोगी डीयूएस केन्द्र वीपीकेएएस, अल्मोड़ा में डीयूएस परीक्षण करने के लिए निम्न संदर्भ और उदाहरण किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है।

क्र.सं.	फसल	संदर्भ किस्मों की संख्या	
1	सेम	22	
2	मक्का	31	
4	सोयाबीन	95	
5	राजमा	11	
6	सॉवा	23	
7	मङुआ	26	
8	काकुन	23	

3.1.33 जीमीकंद तथा तारो के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र : आईसीएआर—सीटीसीआरआई, भुवनेश्वर


इस केन्द्र में अनुरक्षित तारो की 22 संदर्भ किस्मों तथा जीमीकंद की 18 संदर्भ किस्मों का उदाहरण / संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत लक्षण—वर्णन किया गया तथा तारो के दो वंशक्रमों का डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

आईसीएआर—सीटीसीआरआई के अलावा अनुसंधान निदेशालय, बीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल तथा एनईएच क्षेत्र के लिए आईसीएआर अनुसंधान परिसर नागालैंड केन्द्र, नागालैंड भी सहयोगी केन्द्र के रूप में कार्यरत थे। बीसीकेवी केन्द्र में जीमीकंद की 23 तथा तारो की 26 किस्मों का उदाहरण तथा संदर्भ किस्मों के रूप में रखरखाव किया गया।



3.1.34 खट्टा, संतरा, मौसम्बी के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र : आईसीएआर–सीसीआरआई, नागपुर

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान आईसीएआर–सीसीआरआई, नागपुर में संतरे की 7, मौसम्बी की 4 और खट्टा की 6 किस्मों का उदाहरण संदर्भ किस्म के रूप में रखरखाव किया गया। वर्ष के दौरान संतरे की 3 नई किस्मों और 2 वीसीके प्रत्याशी किस्मों का पंजीकरण हेतु केन्द्र में डीयूएस परीक्षण किया गया। खट्टा की फुले शर्वती किस्म, मौसम्बी की फुले मौसम्बी किस्म का रथल डीयूएस परीक्षण किया गया। फुले मौसम्बी महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी की तथा किन्नो की पीएयू किन्नो-1 किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की है।



3.1.35 डीयूएस केन्द्र : चाय अनुसंधान एसोसिएशन विभाग, टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र, जोरहट, असम

टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान, असम, जोरहट चाय के डीयूएस परीक्षण के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र है। वर्ष के दौरान केन्द्र में उत्तर-पूर्व भारत की चाय की 204 किस्मों का रखरखाव किया गया। यह केन्द्र चाय के डीयूएस परीक्षण करने, उनके लोकप्रिय क्लोन, संदर्भ तथा विद्यमान किस्मों के डीयूएस परीक्षण, अनुरक्षण तथा लक्षण-वर्णन के लिए उत्तरदायी है।



टीआरए ने चाय की 35 वानस्पतिक किस्मों तथा 15 विकलोनीय बीज स्टॉक का रखरखाव किया जा रहा है। चाय के दो नए क्लोन नामतः टीटीआरआई, टीटीआरआई-2; एक बीज किस्म टीएसएस 1 और एक विद्यमान किस्म टीवी31 को संबंधित श्रेणियों में परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस परीक्षण हेतु लक्षण-वर्णन करने के लिए उगाया गया। रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान 10,000 पौध उत्पन्न करके असम के छोटे किसानों तथा छोटे चाय उगाने वालों को वितरित किए गए। चाय के बीज तथा पौध बोरभेटा टी एस्टेट में वृद्धि तथा उपज निष्पादन के मूल्यांकन के लिए उगाए गए। दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, चाय मंडल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल तथा यूपीएसआई, वालपराई, कोयम्बटूर, तमिल नाडु चाय के लिए सहयोगी केन्द्र हैं।



अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, चाय मंडल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल तथा यूपीएसआई, वालपराई, कोयम्बटूर, तमिल नाडु चाय के लिए सहयोगी केन्द्र हैं।

3.1.36 'शीतोष्ण फलों तथा गिरियों के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर–सीआईटीएच, श्रीनगर

आईसीएआर–सीआईटीएच, श्रीनगर शीतोष्ण बागवानी फलों व गिरियों के परीक्षण हेतु डीयूएस परीक्षण केन्द्र है। वर्ष के दौरान सेब (32), नाशपाती (20), आड़ू (21), अलूचा (22), खुबानी (18), चेरी (20) का शीतोष्ण बागवानी फसलों की संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षण किया गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान हिमाचल प्रदेश से प्राप्त की गई सेब की दो किस्मों तथा लद्दाख से प्राप्त की गई आड़ू की तीन किस्मों सहित पांच कृषक किस्मों का रथल पर डीयूएस परीक्षण किया गया। कृषक किस्मों के वाणिज्यिक तथा सर्वविज्ञानी गुण संकलित किए गए तथा आंकड़े पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2019–20 के दौरान सेब, नाशपाती, आड़ू, अलूचा, चेरी और खुबानी की संदर्भ किस्मों का लक्षण-वर्णन डीयूएस विवरण के आधार पर किया गया।



3.1.37 केला के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर – राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, थोगामलय मार्ग, त्रिची, तमिल नाडु

केन्द्र में केले की 6 नई, 30 वीसीके और 6 कृषक प्रत्याशी किस्मों सहित कुल 42 किस्मों का डीयूएस परीक्षण करते हुए अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत लक्षण-वर्णन किया गया। उदाहरण/संदर्भ किस्मों (जिनमें 30 संदर्भ प्रविष्टियां, 6 नई प्रविष्टियां और 6 कृषक किस्में शामिल हैं) अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत हैं। कुल 42 प्रविष्टियों को रोपा गया, इनका डीयूएस लक्षण-वर्णन किया जा चुका है, साथ ही एक कृषक किस्म सहित 32 संदर्भ प्रविष्टियों का लक्षण-वर्णन पूरा हो चुका है। लक्षण-वर्णन के लिए बची 10 संदर्भ प्रविष्टियों तथा पांच कृषक किस्मों नामतः मत्ती सेमत्ती, चिंगान, थोट्टू चिंगान, कुधरैलवाल चिंगान का लक्षण-वर्णन वर्ष 2020–21 के दौरान डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, ताकि किस्म के पंजीकरण में सहायता प्राप्त हो सके।



3.1.38 नोनी के लिए डीयूएस केन्द्र : केन्द्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर

नोनी (मोरिंडा सिट्रिफोलिया) के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र, सीआईएआरआई, पोर्टब्लेयर में चार किस्मों नामतः कारी-एचडी-6 (कारी संपदा), कारी-नोनी सेलाइन-1 (कारी रक्षक), कारी-टीआरए-1 (कारी नोनी समृद्धि), और कारी-टीआरए (कारी नोनी संजीवनी) का संदर्भ और उदाहरण किस्मों के रूप में अनुरक्षण किया गया है।



नोनी संकलन तथा संरक्षण

दक्षिण अंडमान, उत्तर अंडमान और निकोबार जिलों से द्वीप के गैर-दोहित क्षेत्रों में गहन जननद्रव्य संरक्षण संकलन किया गया। नोनी की चार नई प्रविष्टियां संकलित की गईं, उनके बीज निकाले गए तथा पौध के उत्पादन और अधिक वृद्धि व निष्पादन संबंधी अध्ययन के लिए इन बीजों को गाराचार्मा अनुसंधान फार्म में बोया गया।

3.1.39 धनिया, मेथी के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर– राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, ताबीजी, अजमेर, राजस्थान

आईसीएआर–एनआरसीएसएस, अजमेर बीज मसाला फसलों के लिए अग्रणी केन्द्र है। यहां धनिया की 35 और मेथी की 22 उदाहरण/संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान धनिया की 9 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस केन्द्र पर डीयूएस परीक्षण किया गया। इसके अलावा सौफ की 21 किस्मों तथा जीरे की 9 किस्मों का भी डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के लिए रखरखाव किया गया।



3.1.39क. बीज मसालों, ईसबगोल और कालमेघ के लिए सहयोगी अनुसंधान केन्द्र : आईसीएआर–डीएमएपीआर, आनंद, गुजरात

भा.कृ.अ.प.–डीएमएपीआर, आनंद बीज मसालों के लिए सहयोगी केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है तथा यहां ईसबगोल तथा कालमेघ जैसी औषधीय फसलों का रखरखाव किया जा रहा है। रिपोर्टार्धीन अवधि 2019–20 के दौरान यहां लक्षण–वर्णन हेतु अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत ईसबगोल की 11 और कालमेघ की 23 किस्में संदर्भ/उदाहरण किस्म के रूप में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन हैं। डीयूएस केन्द्र में डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत धनिया की 11 कृषक प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण पूरा किया गया।




3.1.40 आम के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र, सीआईएसएच, लखनऊ

आईसीएआर–सीआईएसएच, लखनऊ पंजीकरण हेतु आम की प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का अग्रणी केन्द्र है। यहां आम की 410 उदाहरण/संदर्भ किस्में अनुरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुरक्षित की जा रही हैं। पंजीकरण हेतु 110 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण तथा 25 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया जा रहा है। 100 किस्में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत की गई हैं, 37 किस्में पंजीकरण हेतु सीआईएसएच, लखनऊ से प्राप्त हुई हैं तथा 25 विद्यमान किस्में भी पंजीकरण हेतु प्रस्तुत की गई हैं। आईसीएआर–आईआईएचआर, हेसरगट्टा, बंगलुरु, कर्नाटक भी आम की किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए सहयोगी केन्द्र है और यहां आम की 18 किस्मों को संदर्भ/उदाहरण किस्मों के रूप में अनुरक्षित किया गया है, ताकि फल के गुणवत्ता तथा मात्रात्मक गुणों का लक्षण–वर्णन किया जा सके।



3.1.41 गन्ना (उष्ण कटिबंधी किस्मों) के लिए डीयूएस केन्द्र, आईसीएआर–गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयम्बटूर, तमिल नाडु अग्रणी अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्यरत तथा आईसीएआर–एसबीआई अनुसंधान केन्द्र, अगाली (केरल) सहयोगी केन्द्र है तथा यहां उष्ण कटिबंधी गन्ना की किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष के दौरान दोनों केन्द्रों में की गई गतिविधियों के अंतर्गत उष्णकटिबंधी गन्ने की 233 किस्मों का क्लोनीय प्रवर्धन के माध्यम से खेत में रखरखाव किया गया तथा अग्रणी व सहयोगी केन्द्रों (आईसीएआर–एसबीआई, कोयम्बटूर व आईसीएआर–एसबीआई अनुसंधान केन्द्र, अगाली) में रोगमुक्त दशाएं बनाई रखी गईं। दोनों केन्द्रों में 2019–20 मौसम के दौरान तीन कृषक किस्मों नामतः देसी–1, देसी–2 और मेइतेई चु अंगनबा के लिए डीयूएस परीक्षण किए



गन्ना (उष्ण कटिबंधी किस्मों) के लिए डीयूएस केन्द्र, आईसीएआर–गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयम्बटूर, तमिल नाडु अग्रणी अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्यरत है तथा आईसीएआर–एसबीआई अनुसंधान केन्द्र, अगाली (केरल) सहयोगी केन्द्र है तथा यहां उष्ण कटिबंधी गन्ना की किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष के दौरान दोनों केन्द्रों में की गई गतिविधियों के अंतर्गत उष्णकटिबंधी गन्ने की 233 किस्मों का क्लोनीय प्रवर्धन के माध्यम से खेत में रखरखाव किया गया तथा अग्रणी व सहयोगी केन्द्रों (आईसीएआर–एसबीआई, कोयम्बटूर व आईसीएआर–एसबीआई अनुसंधान केन्द्र, अगाली) में रोगमुक्त दशाएं बनाई रखी गईं। दोनों केन्द्रों में 2019–20 मौसम के दौरान तीन कृषक किस्मों नामतः देसी–1, देसी–2 और मेइतेई चु अंगनबा के लिए डीयूएस परीक्षण किए

गए। कुल 27 डीयूएस गुण पर्यवेक्षित किए गए तथा दोनों केन्द्रों पर डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े तालिकाबद्ध किए गए।

3.1.4.2 गन्ना (उपोष्ण किस्मों) के लिए डीयूएस केन्द्र : अग्रणी केन्द्र के रूप में आईसीएआर – भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा सहयोगी केन्द्र के रूप में आईसीएआर–गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल (हरियाणा)

आईसीएआर–भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा आईसीएआर–गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल उपोष्ण गन्ना किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए क्रमशः अग्रणी व सहयोगी केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान दोनों केन्द्रों पर गन्ना की संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण करते हुए गतिविधियां चलाई गईं।

- आईसीएआर–आईआईएसआर, लखनऊ तथा एसबीआईआरसी, करनाल में संदर्भ किस्म संकलन का समकालीकरण : उपोष्ण भारत के दो केन्द्रों में संदर्भ संकलन के समकालीकरण की प्रक्रिया में एसबीआईआरसी, करनाल से प्राप्त 14 किस्मों का आईआईएसआर, लखनऊ में प्रगुणन करके अनुरक्षण किया गया।
- गन्ना की किस्मों के संदर्भ संकलन का रखरखाव : वर्ष 2020–21 के वसंत मौसम के दौरान अनुरक्षण के लिए डीयूएस खेत में गन्ना की 167 संदर्भ किस्मों की रोपाई की गई। इस संदर्भ संकलन में सीवीआरसी से पहचानी गई, जारी की गई तथा अधिसूचित सभी किस्में, एआईसीआरपी (एस) के प्रगत किस्मगत परीक्षणों से प्राप्त क्लोन राज्य की जारी की गई किस्में तथा गन्ने पर कार्यरत विभिन्न अनुसंधान संगठनों में उपलब्ध किस्में शामिल की गई। संदर्भ संकलन के डीयूएस गुण डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।
- डीयूएस परीक्षण : वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए डीयूएस परीक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :
 1. कैप्टन बस्ती (REG/2015/1586): लाल सड़न रोग के कारण जीवंतता अत्यंत कम। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रगुणन हेतु खेत में दुबारा रोपाई की गई। किस्म लाल सड़न के प्रति संवेदनशील है, अतः फसल की जीवंतता बहुत कम है। इसलिए कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं किया गया।
 2. सुगम कटारी (REG/2016/2323): जैसा कि पिछले वर्ष रिपोर्ट किया गया आकृतिविज्ञानी गुणों पर एकत्र किए गए आंकड़ों से संकेत मिला कि यह संकर किस्म नहीं है तथा यह सैखरम ओफिसिनरम जननद्रव्य हो सकता है। इसलिए आवेदक से सामग्री को आईसीएआर–एसबीआई, कोयम्बटूर भेजने का अनुरोध किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित संदर्भ किस्मों के साथ इसका भी परीक्षण किया जा सके।
 3. जीत कटारी (REG/2016/2314): जैसा कि पिछले वर्ष रिपोर्ट किया गया आकृतिविज्ञानी गुणों पर एकत्र किए गए आंकड़ों से संकेत मिला कि यह संकर किस्म नहीं है तथा यह सैखरम ओफिसिनरम जननद्रव्य हो सकता है। इसलिए आवेदक से सामग्री को आईसीएआर–एसबीआई, कोयम्बटूर भेजने का अनुरोध किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित संदर्भ किस्मों के साथ इसका भी परीक्षण किया जा सके।
 4. पुसा (REG/2017/1416): दिनांक 26.02.2019 को प्राप्त रोपण सामग्री का प्रथम सैट 2019–20 के दौरान प्रगुणन हेतु खेत में रोपा गया। इसके बाद 2019–20 के दौरान रोपण सामग्री का दूसरा सैट प्राप्त हुआ। दोनों बीज सामग्री की फसल पर्यवेक्षण हेतु फरवरी 2020 में खेत में अलग से रोपी गईं।
 5. पासेरी (REG/2016/929): एक अन्य कृषक किस्म बसेरी की रोपण सामग्री वर्ष के दौरान प्राप्त हुई तथा इसे 2020–21 के दौरान प्रगुणन तथा पर्यवेक्षण हेतु रोपा जा चुका है।

3.1.4.3 नारियल के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर– केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल

इस डीयूएस केन्द्र में नारियल की 11 किस्मों का उदाहरण और संदर्भ किस्मों के रूप में रखरखाव किया गया है। डीयूएस केन्द्र में डीयूएस परीक्षण के लिए एक नई प्रत्याशी किस्म प्राप्त हुई। खेत में रोपित जारी की



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

गई/विद्यमान किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन हुआ तथा डीयूएस परीक्षण पर आंकड़े सृजित किए गए। डीयूएस विवरण डेटाबेस को व्यापक बनाने तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को परिशोधित करने के लिए फल के गुण रिकॉर्ड और प्रलेखित किए गए। ऐसा चुने हुए जननद्रव्य नामतः बीएसआईटी, केपीडीटी, एलएफटी, एमवीटी, एनएलजीडी, एलएजीटी, एसएसजीटी और डब्ल्यूसीटी जननद्रव्यों में हुआ।

3.1.44 मेंथाल, पुदीना, सदाबहार, दमस्क गुलाब और ब्रह्मी के लिए डीयूएस केन्द्र : सीएसआईआर – केन्द्रीय औषधियी एवं संगंधीय पादप संस्थान, सीआईएमएपी परिसर, लखनऊ

डीयूएस केन्द्र में अनुरक्षण/लक्षण–वर्णन के अंतर्गत निम्न उदाहरण और संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया है।

क्र.सं.	फसलें	वर्ष 2019–20 के अंतर्गत अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों का नाम या संख्या	
		संख्या	किस्मों के नाम
1	मेंथाल पुदीना	11	कोसी, एमएएस–1, कालका, शिवालिक, गोमती, हिमालय, सक्षम, कुशल, सीआईएमएपी, सरयू सीआईएम क्रांति, सीआईएम उन्नति
2	सदाबहार	4	धवल, निर्मल, प्रबल, सीआईएम–सुशील
3	दमस्क गुलाब	4	रानीसाहिबा, नूरजहां, अलीगढ़, कन्नौज
4	ब्रह्मी	2	सीआईएम–जागृति, सुबोधक



रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान मेंथाल पुदीने की एक प्रत्याशी किस्म डीयूएस केन्द्र में पंजीकरण के अधीन थी।

3.1.45 काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक और हल्दी मसालों के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर– भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, काजीकोट

आईसीएआर– भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक और हल्दी के लिए अग्रणी डीयूएस परीक्षण केन्द्र है। इसके सहयोगी डीयूएस केन्द्र हैं : आईसीएआर उत्तर–पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर, उमियम, मेघालय – अदरक और हल्दी के लिए तथा भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (मसाला बोर्ड), माइलादुम्पारा, केरल इलायची के लिए आईसीएआर – आईआईएसआर जायफल के लिए भी डीयूएस परीक्षण का सहयोगी केन्द्र है। डीयूएस केन्द्र द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम थे : काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक और हल्दी की उदाहरण किस्मों का रखरखाव; डीयूएस परीक्षण के लिए किसानों द्वारा उपलब्ध कराई गई अदरक और हल्दी का प्रगुणन तथा प्रत्याशी किस्मों का स्थल पर मूल्यांकन।



हल्दी की 19 किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षण पूरा हुआ जिसमें 14 कृषक किस्में तथा 4 सामान्य ज्ञान की किस्में और एक विद्यमान किस्म शामिल थी। अदरक की 7 किस्मों का डीयूएस परीक्षण पूरा हुआ जिनमें से 4 कृषक किस्में और 3 सामान्य ज्ञान की किस्में थीं। अदरक की दो तथा हल्दी की 4 कृषक किस्मों के डीयूएस परीक्षण का कार्यक्रम प्रगति पर है।

3.1.46 खजूर ताड़ के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर–केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (राजस्थान)

आईसीएआर–सीआईएएच, बीकानेर में वर्ष के दौरान आकृतिविज्ञानी, पुष्पन और फलन संबंधी गुणों को रिकॉर्ड करने के लिए डीयूएस केन्द्र में खजूर ताड़ की 42 संदर्भ/उदाहरण किस्मों का रखरखाव किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान 35 किस्मों में स्पाथ अंकुरण/इसके खुलने पर पर्यवेक्षण किए गए, जबकि अन्य किस्मों अभी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में हैं।



3.1.47 आईसीएआर–अंगूर के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पुणे

इस डीयूएस केन्द्र में 57 उदाहरण संदर्भ किस्मों का रखरखाव करते हुए उनका लक्षण–वर्णन किया गया। चूंकि अंगूर एक बहुवर्षीय प्रकृति की फसल है इसलिए डीयूएस दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार स्थल पर डीयूएस परीक्षण किया गया। तदनुसार केन्द्र में निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गईं।



चित्र : अंगूरों का स्थल पर डीयूएस परीक्षण



इन सभी किस्मों की समेकित रिपोर्ट पंजीकरण प्रक्रिया को प्रस्तुत की गई।

इसके अतिरिक्त सहयाद्रि फार्म, नासिक (महाराष्ट्र) में प्रत्याशी किस्म 'एआरआरए–15' का भी स्थल पर डीयूएस परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण का एक वर्ष पूरा हो चुका है।


सारणी 37. दिनांक 11 फरवरी 2020 को अंगूर की निम्न किस्मों की निगरानी की गई

क्र.सं.	आवेदक का नाम	प्रत्याशी किस्म	संबंधित पता
1	आईसीएआर– राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे	मंजरी नवीन	आईसीएआर– राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, मंजरी फार्म, सोलापुर मार्ग, पुणे
2	आईसीएआर– राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे	मंजरी किशमिश	
3	पाल्जेस एंग्मो	रुकुचन	कार्यक्रम समन्वयक
4	पाल्जेस एंग्मो	मारगुन	एसकेयूएसटी–के, कृषि विज्ञान केन्द्र, कारगिल, लद्दाख–194103
5	त्सेवांग पुनचॉक	बारगुन	
6	सोनम त्सोंग	चुरगुन	

3.1.48 अनार के लिए अगणी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर—राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, सोलापुर, महाराष्ट्र

वर्ष के दौरान अनार की कुल 36 किस्मों का उदाहरण एवं संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत लक्षण—वर्णन किया गया तथा पीपीवी एवं एफआरए दिशानिर्देशों के अनुसार इनका 35 डीयूएस गुणों के लिए लक्षण—वर्णन किया गया। काबुल येलो किस्म के फल पीले तथा बीजचोल हल्के पीले रंग का होता है।

आईसीएआर—एनआरसीपी के प्रथम वर्ष के स्थल पर डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत 11 फरवरी 2020 को आईसीएआर—एनआरसीपी, सोलापुर में नई संकर किस्मों (एनआरसीपीएच-4 और एनआरसीपीएच-14) का परीक्षण हुआ। फुले अरक्ता, मृदुला, रुबी, अमलीदाना, को—व्हाइट, पी-16, पी-26 और येरकाउड-1 किस्मों में पतला छिलका मापा गया। अम्लीय दाना किस्म के बीज चोल की लंबाई (मि.लि. में) कम थी। पी-13 और जी-137 में चौड़ा बीज—चोल रिकॉर्ड किया गया। भगवा, गणेश, फुले अरक्ता, मृदुला, बैसेइन सीडलैस, पी-13, रुबी, कंधारी, ज्योति, जी-137, केआरएस, मस्कट, जैलोर सीडलैस, पी-16, पी-26, पी-23, धोलका और निमाली प्रविष्टियों में कोमल बीज पाए गए। सभी प्रविष्टियों की बीज की लंबाई (मि.मी. में) मध्यम थी। गणेश फुले अरक्ता, मृदुला, रुबी, कंधारी, ज्योति जालोर सीडलैस और पी-26 किस्मों में बीज की चौड़ाई संकरी (मि.मी.) में पाई गई। भगवा किस्म पछेती पकने वाली तथा काबुल येलो अगेती पकने वाली किस्म थी। गणेश, बैसेइन सीडलैस, पी-13, कंधारी, ज्योति, जी-137, केआरएस, बेदाना श्री, को—व्हाइट, मस्कट, जालोर सीडलैस, पी-16, धोलका और चुरकाउड-1 में उच्च टीएसएस (‘ब्रिक्स) रिकॉर्ड किया गया। अमलीदाना और गुल—ए—शाह लाल किस्मों के अलावा सभी प्रविष्टियों में रस की अम्लता (प्रतिशत) कम पाई गई। बाद की दोनों किस्मों में उच्च अम्लता (%) थी तथा सभी प्रविष्टियों में फलों में अधिक रस (%) था।



KABUL YELLOW

3.1.49 नीम, करंज और रतनजोत के लिए डीयूएस केन्द्र : वन महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, तमिल नाडु कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मेट्टुपालयम, तमिल नाडु

एफसीआरआई, मेट्टुपालयम में नीम की 32, करंज की 33 और रतनजोत की 18 किस्मों का उदाहरण/संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षण किया गया तथा इनके आकृतिविज्ञानी गुण रिकॉर्ड किए गए। नीम के 32 संदर्भ संकलनों के लिए 19 विवरणों में से 7 डीयूएस विवरणों का लक्षण—वर्णन पूरा करके प्रलेखित किया गया। श्री साईबाबा संस्थान द्वारा पंजीकरण हेतु दाखिल की गई गुरुस्थान नीम नामक एक प्रत्याशी किस्म का डीयूएस विवरण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा किया गया तथा यह पंजीकरण की प्रक्रिया के अधीन है।



3.1.50 चमेली के लिए डीयूएस केन्द्र : भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु, कर्नाटक

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान अग्रणी केन्द्र, आईसीएआर–आईआईएचआर, बंगलुरु में जैसमिन्स की विभिन्न जातियों जैसे जे. सैम्बैक (23), जे. ऑरिकुलेट्स (22), जे. मल्टीफ्लोरम (23) और जे. ग्रेंडिफ्लोरम (31) का अनुरक्षण और लक्षण–वर्णन किया गया।

सहयोगी डीयूएस केन्द्र, एचसी और आरआई, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में निम्न 12 जातियों के अंतर्गत आने वाले 70 जीनप्ररूपों का रखरखाव किया गया : जे. सैम्बैक, जे. ऑरिकुलेट्स, जे. ग्रेंडिफ्लोरम, जे. मल्टीफ्लोरम (एसवाईएन: जे. प्यूबेसेंस), जे. निटिडम, जे. केलोफाइलम, जे. रिगिडम (एसवाईएन: जे. लॉरीफोलियम), जे. हुमिले (एसवाईएन: जे. बिनोनेएसियमजे. प्रीमुलिनम, जे. फलेक्साइल, जे. आबरेसेंस और जे. अंगुस्टिफोलियम।



3.1.51 बोगनवीलिया, गुलदाउदी तथा ग्लेडियोलस के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली



आईसीएआर–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने बोगनवीलिया, गुलदाउदी और ग्लेडियोलस के लिए अग्रणी केन्द्र के रूप में कार्य किया। इस केन्द्र में बोगनवीलिया की 100 उदाहरण/संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया तथा इन्हें टाइप



मदर स्टॉक से सच्चे प्रकार में प्रगुणित किया गया। नए आरवी का लक्षण–वर्णन किया गया। केन्द्र में बोगनवीलिया की एक कृषक किस्म डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत है। गुलदाउदी की 37 उदाहरण/संदर्भ किस्मों तथा ग्लेडियोलस की 9 किस्मों सहित कुल 160 जनन द्रव्य अनुरक्षित व लक्षण–वर्णित किए गए।

3.1.52 केली के लिए डीयूएस अग्रणी केन्द्र तथा बोगनवीलिया और ग्लेडियोलस के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र : सीएसआईआर – राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश



सीएसआईआर – राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश केन्द्र के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र तथा बोगनवीलिया और ग्लेडियोलस के लिए सहयोगी केन्द्र है। इस केन्द्र में बोगनवीलिया के 184 तथा ग्लेडियोलस के 81, 45 जननद्रव्यों और केली की 5 जातियों का उदाहरण व संदर्भ किस्मों के रूप में

रखरखाव किया गया तथा उनके आकृतिविज्ञानी गुण रिकॉर्ड किए गए।

3.1.53 गेंदा के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर– भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान गेंदा के 52 जीनप्ररूप (23 संदर्भ किस्मों/वंशक्रमों सहित) नरसी में प्रवर्धित किए गए तथा मुख्य खेत में रोपे गए। इन किस्मों/वंशक्रमों को गेंदा की फसल के लिए वांछित



मानक स्स्यविज्ञानी क्रियाएं अपनाते हुए अच्छी प्रकार से रखा गया। इनके अलावा चार कृषक किस्में भी उनके लक्षण—वर्णन के लिए उगाई गई। पांच संदर्भ किस्मों का डीयूएस लक्षण—वर्णन किया गया। आईसीएआर—आईआईएचआर, बंगलुरु ने सहयोगी डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य किया तथा गेंदे की एक प्रत्याशी किस्म पर डीयूएस परीक्षण किया। इसके अतिरिक्त गेंदा की 43 किस्में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत हैं जिनका उदाहरण / संदर्भ किस्मों के रूप में लक्षण—वर्णन किया जा रहा है।

3.1.54 सोयाबीन के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर—भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश

आईसीएआर—भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर सोयाबीन के लिए अग्रणी डीयूएस परीक्षण केन्द्र है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान एक कृषक किस्म का डीयूएस गुणों के लिए परीक्षण किया गया। कुल 124 किस्मों का उदाहरण व संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षण व लक्षण—वर्णन हुआ।

यूएस, धारवाड़ सोयाबीन के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र है।



3.1.55 ऑर्किड के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर—राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पाक्योंग, पूर्वी सिक्किम

निम्न किस्में संदर्भ/उदाहरण किस्मों के रूप में अनुरक्षित/लक्षण—वर्णित थीं :

फसलें	वर्ष 2018–19 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत नाम या संख्या	
केम्बीडियम	30	
डेंड्रोबियम	12	
वांडा	10	
फेलीनोप्सिस	30	
कैटलेया	9	
ओंसिडियम	30	
पेफियोपेडिलम	10	
मोकारा	7	

इस डीयूएस केन्द्र में कैम्बीडियम, डेंड्रोबियम, वांडा, फेलीनोप्सिस, कैटलेया, ओंसिडियम और मोकारा की संदर्भ/उदाहरण किस्मों का डेटाबेस रखा गया। डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन में सहयोगी डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य किया और यहां कार्नेशन की 30 किस्मों का उदाहरण/संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत लक्षण—वर्णन किया गया।

3.1.56 गुलाब के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर — भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बंगलुरु

आईसीएआर—आईआईएचआर गुलाब के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र है। यहां गुलाब की 01 नई तथा 03 वीसीके प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया। गुलाब की 101 किस्मों का उदाहरण व संदर्भ किस्मों के रूप में रखरखाव हुआ तथा आकृतिविज्ञानी गुण पर्यवेक्षित हुए।



‘गुलाब के लिए डीयूएस केन्द्र और राष्ट्रीय गुलाब रिपोजिटरी’ परियोजना के अंतर्गत गुलाब की 342 किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। चार किस्में डीयूएस परीक्षणाधीन हैं। दो किस्मों का पॉलीहाउस में सुरक्षित खेती के लिए परीक्षण किया जा रहा है तथा दो किस्मों का खुले खेत में खेती करके परीक्षण हो रहा है। गुलाब की 21 किस्मों का केवल सुरक्षित खेती के लिए रखरखाव किया जा रहा है, जबकि 322 किस्में फील्ड रिपोजिटरी में अनुरक्षित की जा रही हैं। गुलाब की इन सभी 342 किस्मों के 64 गुणों के लिए डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है।

आईसीएआर—डीएफआर, पुणे गुलाब के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है तथा यहां गुलाब की 150 किस्में अनुरक्षित की जा रही हैं जिनमें विदेशी और देसी दोनों किस्में शामिल हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से 51 किस्में एकत्र की गई। इन किस्मों की विभिन्न गुणों के लिए छटाई की गई।

3.1.57 चाइना ऐस्टर के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र और गुलदाउदी के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर—आईआईएचआर, हेसरगढ़ा

आईसीएआर—आईआईएचआर, बंगलुरु चाइना ऐस्टर के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र है तथा यहां 25 किस्में उदाहरण व संदर्भ किस्म के रूप में अनुरक्षित की गई और उनका डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों (10 वानस्पतिक गुण और 11 पुष्प संबंधी गुण) के अनुसार आकृतिविज्ञानी और गुणवत्ता संबंधी गुणों के लिए मूल्यांकन किया गया। यह संस्थान गुलदाउदी के लिए भी सहयोगी डीयूएस केन्द्र है और यहां 95 किस्मों का उदाहरण व संदर्भ किस्मों

के रूप में रखरखाव

किया गया तथा इनमें से 35 जीनप्ररूपों का डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षण—वर्णन हुआ। पंजीकरण हेतु कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए (03 नई, 03 कृषक और 08 विद्यमान वीसीके श्रेणी के अंतर्गत)।



3.1.57क. चाइना ऐस्टर के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र : राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, गणेशखिंड, पुणे, महाराष्ट्र

इस सहयोगी डीयूएस केन्द्र में चाइना ऐस्टर की 8 किस्में नामतः पूर्णिमा, कामिनी, शशांक, वायलेट कुशन, पीजी व्हाइट, पीजी पर्पल, पीजी वायलेट, पीजी पिंक का रखरखाव किया गया और उनके आकृतिविज्ञानी गुण रिकॉर्ड किए गए।



3.1.58 सूरजमुखी, कुसुम और अरण्ड के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर – भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना

आईसीएआर— भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद तीन तिलहनी फसलों नामतः अरण्ड, सूरजमुखी और कुसुम के परीक्षण के लिए अग्रणी केन्द्र है।

अरण्ड

खरीफ 2019–20 के दौरान एक नई प्रत्याशी किस्म सीए 8646 (आरईजी / 2010 / 130) दो संदर्भ किस्मों नामतः 48–1 और एसकेआई–215 के साथ प्रतिकृत परीक्षण में दूसरे वर्ष के परीक्षण के




लिए बोई गई। कुल 30 डीयूएस गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। एक कृषक किस्म (आरईजी/2017/2151) का बीज प्रगुणन भी किया गया। रबी 2019–20 के दौरान अरण्ड की 11 संदर्भ किस्मों का रखरखाव करते हुए प्रगुणन किया गया।

सूरजमुखी

उपोव के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2019–20 में रबी के सूरजमुखी की छह अतिरिक्त लक्षणों के लिए 42 प्रविष्टियाँ (8 किस्में, 13 संकर और 21 आंशिक रेखाएँ) के गुणों की पहचान की गई। डेटाबेस को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए 8 संकर और 18 पैतृक लाइन, साथ ही सूरजमुखी की 14 पैतृक लाइन को बनाए रखा गया और उन्हें कई गुना बढ़ा दिया गया।

कुसुम

रबी 2019–20 के दौरान एक नई प्रत्याशी किस्म 2877/4134 का तीन संदर्भ किस्मों के साथ प्रथम वर्ष का डीयूएस परीक्षण किया गया। ये तीन संदर्भ किस्में थीं ए-1, एसएसएफ-708 और फुले कुसुम। एक वीसीके प्रविष्टि 2876/2327 का तीन संदर्भ किस्मों एनएआरआई-6, जेएसआई-7 और जेएसआई-97 के साथ डीयूएस परीक्षण किया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 21 डीयूएस गुणों के लिए आंकड़े रिकॉर्ड किए गए तथा सस्योत्तर पर्यवेक्षण किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्याशी किस्म (2877/4134) की प्रतिकृति बीज प्रगुणन के लिए उगाई गई, ताकि 2020 के दौरान डीयूएस परीक्षण किया जा सके। कुसुम की 9 संदर्भ किस्मों का रखरखाव करते हुए उनका प्रगुणन किया जा रहा है।



इसके अतिरिक्त तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर सूरजमुखी के लिए, एआईसीआरपी-अरण्ड, जूनागढ़ विश्वविद्यालय, जूनागढ़, गुजरात अरण्ड के लिए तथा बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, डाकघर कृषिनगर, अकोला, कुसुम के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।

3.1.59 अलसी, मसूर और दाल मटर के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश

अग्रणी केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में अलसी की 28, मसूर की 16 और दाल मटर की 28 किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन किया गया तथा इनका संदर्भ/उदाहरण किस्मों के रूप में रखरखाव किया गया। वर्ष के दौरान अलसी की 9, मसूर की एक और दाल मटर की 12 किस्मों पर परीक्षण किए गए तथा आंकड़े रिकॉर्ड करके प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए। आईसीएआर-आईआईपीआर, कानपुर, उत्तर प्रदेश सहयोगी डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्यरत रहा तथा यहाँ 78 उदाहरण/संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया और अलसी की 25 कृषक किस्मों का लक्षण-वर्णन हुआ। इस अवधि के दौरान 12 प्रत्याशी किस्में डीयूएस परीक्षणाधीन हैं।



3.1.60 तिल और नाइजर के लिए अग्रणी डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर— जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान केन्द्र में तिल की 90 तथा नाइजर की 23 उदाहरण व संदर्भ किस्मों का मूल्यांकन, आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए किया गया।



डीयूएस परीक्षणाधीन प्रत्याशी किस्में

वर्ष 2019–20 के अंतर्गत प्राप्त की गई चार कृषक किस्मों में से एफवी Reg/2879/2267 और Reg/2879/2309 ने पुष्पन और खोल बनने की अवस्था के दौरान भारी वर्षा का सामना किया। एफवी Reg/2879/2312 अनेक खोल वाली किसम थी जिससे खोल गुच्छे में लगे थे। एफवी Reg/2879/2309 तथा एफवी Reg/2879/2312 बड़े बीज वाली किस्में हैं और 1000 बीजों का भार 3.5 ग्राम से अधिक है।

वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त की गई 9 कृषक किस्में एफवी REG/2017/1712 और REG/2017/2216 बड़े बीज वाली किस्में हैं जिनके 1000 बीजों का भार 3.5 ग्रा. से अधिक है। एफवी REG/2017/2095 और REG/2017/2096 अंकुरित नहीं हुई। इन 9 किस्मों में से कोई भी अनेक खोल वाली किस्म नहीं थी।



3.1.61 डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर—तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, सेवर फार्म, भरतपुर, राजस्थान

आईसीएआर—तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय भारतीय सरसों, करन राई, तोरिया, गोभी सरसों के लिए अग्रणी डीयूएस अनुसंधान केन्द्र है। वर्ष 2019–20 के दौरान शामिल की गई 10 प्रत्याशी किस्मों (2 किस्में नई श्रेणी के अंतर्गत और 8 किस्में कृषक श्रेणी के अंतर्गत) का दूसरे वर्ष के लिए परीक्षण किया जा चुका है। कृषक श्रेणी के अंतर्गत भी 9 किस्मों का प्रथम वर्ष के लिए लक्षण—वर्णन किया गया है। इनके अलावा 22 संदर्भ किस्मों का 24 डीयूएस गुणों के लिए लक्षण—वर्णन किया जा चुका है।

डीयूएस केन्द्र में निम्न उदाहरण/संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है।



अधिदेशित फसल जातियां	वर्ष 2019–20 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या संख्या
ब्रैसिका जंसिया	95
ब्रैसिका कैरिनाटा	7
ब्रैसिका नैपस	5
ब्रैसिका रापा	30

आईसीएआर—तोरिया—सरसों अनुसंधान निदेशालय में 13–14 फरवरी 2020 को 'तोरिया—सरसों का डीयूएस परीक्षण' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। यह कार्यशाला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पीपीवी एवं एफआरए तथा फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (बीएमईएल), जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष डॉ. के.वि. प्रभु, आईसीएआर—डीआरएमआर के निदेशक डॉ. पी.के. राय और पीपीवी एवं एफआरए के पंजीकार, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (बीएमईएल), जर्मनी के प्रतिनिधि, तोरिया—सरसों तथा संकर प्रजनन कार्यक्रम में डीयूएस परीक्षण में कार्य करने वाले प्रतिनिधियों ने बीज क्षेत्र पर भारतीय—जर्मन सहयोग के माध्यम से भाग लिया। इसके अलावा इस कार्यशाला में पूरे भारत से आए तोरिया—सरसों पर कार्यरत 35 वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया जिनमें निजी कंपनियों के अनुसंधान कर्मी भी शामिल थे। विद्वान वक्ताओं में शामिल थे : श्री थॉमस गिल्डेमेइस्टर, तिलहन डीयूएस विशेषज्ञ, फेडरल प्लांट वेराइटी ऑफिस (बीएसए), जर्मनी; डॉ. एल्मार वेइसमैन, वरिष्ठ बीज क्षेत्र विशेषज्ञ, बीज क्षेत्र पर भारत—जर्मन सहयोग, जर्मनी; डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए; श्री

दीपल रॉय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए; डॉ. ए.के. सिंह, पीवीई, पीपीवी और एफआरए और डॉ. प्रियामेधा, प्रधान अन्वेषक—तोरिया सरसों में डीयूएस परीक्षण, आईसीएआर—डीआरएमआर। कार्यशाला का समापन डीयूएस खेत के भ्रमण तथा प्रतिनिधियों की पारस्परिक चर्चा के साथ हुआ।

सीएसएयूए और टी. कानपुर, उत्तर प्रदेश भारतीय सरसों, करन—राई, तोरिया, गोभी सरसों, अलसी व गेहूं के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। अवधि के दौरान भारतीय सरसों की प्रत्याशी किस्में, दो नई और 12 कृषक किस्में डीयूएस परीक्षणाधीन हैं।

3.1.62 मूँगफली के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर—मूँगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़, गुजरात

आईसीएआर—डीजीआर, जूनागढ़ में मूँगफली की 30 संदर्भ किस्में उदाहरण और संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षित की गई हैं तथा इनके आकृतिविज्ञानी तथा गुणवत्ता संबंधी गुणों का मूल्यांकन डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

प्राधिकरण से प्राप्त एक वीसीके (2884 / 2090) तथा एक कृषक किस्म (2883 / 2602) को खरीफ मौसम 2019 के दौरान 8 संदर्भ किस्मों के साथ बोया गया। पीपीवी और एफआरए द्वारा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिए गए प्रारूप में फसल वृद्धि की उचित अवस्था के दौरान पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए जिनमें 13 गुणात्मक और 5 मात्रात्मक विवरण शामिल थे।

Candidate var. with Reference var.



GG 20

FV (2883/2602)

GG 2

3.1.63 रजनीगंधा और कार्नेशन के लिए डीयूएस केन्द्र : आईसीएआर—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बंगलुरु, कर्नाटक

आईसीएआर—आईआईएचआर, बंगलुरु रजनीगंधा और कार्नेशन के लिए अग्रणी अनुसंधान केन्द्र है। यहां रजनीगंधा के 26 जीनप्ररूप 8 प्रजनन वंशक्रमों के साथ एकत्र किए गए तथा कार्नेशन की 40 प्रविष्टियों का संदर्भ संकलन प्रगुणित किया गया और उसे अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत फील्ड जीन बैंक में रखा गया। इन संदर्भ संकलनों का पर्यवेक्षण किया गया तथा इनके कुछ महत्वपूर्ण समूहीकरण गुण रिकॉर्ड किए गए। रजनीगंधा की तीन प्रविष्टियों का भी लक्षण—वर्णन किया गया।



आईसीएआर—डीएफआर, पुणे, रजनीगंधा के लिए सहयोगी डीयूएस केन्द्र है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान यहां मार्च 2020 में 22 किस्में/स्थानीय संकलन (जिनमें उदाहरण किस्में शामिल थीं) उगाए गए जिनमें से 13 एकल तथा 9 दोहरे प्रकार के थे। पर्यवेक्षण की रिकॉर्डिंग का कार्य प्रगति पर है।

डॉ. वाई.एस. परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी—सोलन, हिमाचल प्रदेश कार्नेशन के लिए सहयोगी केन्द्र है।

3.1.64 चपाती गेहूं ड्यूरम, डाइकोकम, ट्रिटिकेल के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र : आईसीएआर—आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल

नई श्रेणी के अंतर्गत गेहूं की एक किस्म के बीज आईसीएआर—आईआईडब्ल्यूबीआर को कोड सहित डीयूएस परीक्षण के लिए भेजे गए। कुल मिलाकर 4 डीयूएस परीक्षण (चपाती गेहूं और ड्यूरम गेहूं प्रत्येक में दो) किए गए जिनका विवरण निम्नानुसार है :

चपाती गेहूं

डीयूएस परीक्षण 1 : 6 प्रत्याशी किस्मों (डब्ल्यू 2019–1–एसआरडब्ल्यू 111, एसआरडब्ल्यू 303, एसआरडब्ल्यू 404, एसआरडब्ल्यू 252, एसआरडब्ल्यू 231) का 22 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध 3 प्रतिकृतियों में नई/वीसीके श्रेणी के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

डीयूएस परीक्षण 2 : 60 कृषक किस्मों का दो प्रतिकृतियों के साथ 88 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध परीक्षण किया गया।

ड्यूरम गेहूं

डीयूएस परीक्षण 3: ड्यूरम गेहूं की एक प्रविष्टि (मालव 221) का तीन प्रतिकृतियों में 8 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध परीक्षण किया गया।

डीयूएस परीक्षण 4: चार कृषक किस्मों का परीक्षण दो प्रतिकृतियों में 7 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध किया गया।

डीयूएस आंकड़े के प्रस्तुतीकरण की ऑनलाइन प्रणाली

आईसीएआर–आईएएसआरआई ने डीयूएस डेटा इनपुट और रेट्रिवल प्रणाली विकसित की है। इस सॉफ्टवेयर का परीक्षण 2019–20 के दौरान ड्यूरम गेहूं पर डीयूएस परीक्षण के लिए किया गया। इन परीक्षणों से सृजित आंकड़े प्राधिकरण को ऑन लाइन प्रस्तुत किए गए।

डेटा रिकॉर्डिंग के लिए उदाहरण किस्मों हेतु पैनल

चपाती गेहूं की 250 किस्में और ड्यूरम गेहूं की 149 किस्मों वाला एक पैनल सैट डीयूएस परीक्षण में अगल–बगल उगाया गया, ताकि प्रत्येक गुण की अभिव्यक्ति की सही अवस्था को ज्ञात करने के लिए एसआरएफ को निर्देशित किया जा सके।

डीयूएस परीक्षण की निगरानी

आईसीएआर–आईआईडब्ल्यूबीआर ने डीयूएस गेहूं परीक्षण की निगरानी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में की जानी थी। तथापि, भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉक डाउन के कारण निगरानी दल संस्थान का दौरा भी कर सका।

अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्में : चपाती/ड्यूरम गेहूं की जारी की गई 15 नई किस्मों के बीच प्रजनकों से प्राप्त किए गए।

फसल	वर्ष 2019–20 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या संख्या
गेहूं	जारी की गई एस्टाइवम किस्में – 406
	जारी की गई ड्यूरम और डाइकोकम किस्में – 79
	1965 के पूर्व जारी की गई किस्में – 71

पीपीवी और एफआर में दाखिल किए गए आवेदन : आईसीएआर–आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल द्वारा पीपीवी और एफआरए में गेहूं की दो नई किस्मों नामतः डीबीडब्ल्यू 168 और डीबीडब्ल्यू 173 का पंजीकरण कराया (पंजीकरण संख्या 109 और 110–2019 के द्वारा)। गेहूं की डीबीडब्ल्यू 222, डीबीडब्ल्यू 252 और डीबीडब्ल्यू 47 के पंजीकरण का प्रस्ताव विद्यमान श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआरए को प्रस्तुत किया गया।

3.1.65 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़

इस परीक्षण केन्द्र (ड्यूरम गेहूं) में दो डीयूएस प्रयोग किए गए। डीयूएस परीक्षण–4 में प्रत्याशी किस्म मालव–221 को शामिल किया गया तथा सात संदर्भ किस्में शामिल की गई। इसी प्रकार, डीयूएस परीक्षण–5 में चार प्रत्याशी किस्में और 9 संदर्भ किस्में ली गई।

वृद्धि स्वभाव, बाली शीर्ष, बाना आदि के गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले 45 गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। पर्यवेक्षणों की जांच से विभिन्न डीयूएस गुणों के मामले में प्रत्याशी और संदर्भ किस्मों के बीच मात्रात्मक भिन्नता प्रदर्शित हुई।

डीयूएस परीक्षण–4 में प्रत्याशी किस्म मालव 221 सभी चार संदर्भ किस्मों के समान पाई गई। यह समानता समूहीकरण गुणों नामतः प्रांकुरचोल की उपस्थिति (9) : एथोसियानिन का रंग, बाली का हल्का सफेद रंग (1) और वसंत मौसम प्रकार का होना (3) थे। प्रत्याशी किस्म मालव 221 में संदर्भ किस्मों यूएफ 446 और एमएसीएस 2846 के साथ समूहीकरण संबंधी गुणों में से बाहरी पुष्प : तारुण्यता की उपस्थिति भी (9) प्रदर्शित की। तथापि गुण (1) अन्य संदर्भ किस्मों में नहीं था। इसकी निरंतरता में मानव 221 समूहीकरण संबंधी गुणों के संदर्भ में संदर्भ किस्म यूएस 446 के सबसे अधिक समान पाई गई।



डीयूएस परीक्षण–5 में कुल पांच प्रत्याशी किस्में और 2 चपाती गेहूं की किस्में (कठिया, मुक्ता और अमरी गेहूं) और दो ड्यूरम गेहूं की किस्में (कयाधू एन–49 और एसकेएफ डब्ल्यूडी 7003) शामिल थीं जिनका परीक्षण 9 संदर्भ किस्मों नामतः जीडब्ल्यू 1, डीडब्ल्यूआर 137, बीएएक्सआई 288–18, बिजागा येलो, एन–59, जेयू–12, एचआई 8713, जेएनके 4डब्ल्यू 184 और डब्ल्यू 2019–1 के साथ 45 गुणों के मामले में किया गया।

3.1.66 आईएआरआई–क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर

डीयूएस परीक्षण के लिए किस्मों की संख्या : गेहूं पर परीक्षण पीपीवी एवं एफआरए के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए। फसल मौसम 2019–20 में 5 प्रत्याशी किस्में नई श्रेणी के अंतर्गत (परीक्षण के दूसरे वर्ष में) तीन प्रतिकृतियों में 21 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध डीयूएस परीक्षण 1 में जांची गई। डीयूएस परीक्षण–2 और 3 में 10 कृषक किस्मों (परीक्षण के दूसरे वर्ष में) तथा 50 कृषक किस्मों (परीक्षण के प्रथम वर्ष में) का परीक्षण 2 प्रतिकृतियों में किया गया। परीक्षण–2 व 3 तुलना के उद्देश्य से 88 संदर्भ किस्मों के साथ मिलाए गए। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।

केन्द्र में अनुरक्षित संदर्भ और उदाहरण किस्मों की संख्या : आईसीएआर–आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर में गेहूं की 130 संदर्भ किस्मों के संकलन अनुरक्षित किए गए हैं।

फसलें	वर्ष 2019–20 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या संख्या
गेहूं	जारी की गई एस्टाइवम किस्में – 80
	जारी की गई ड्यूरम व डाइकोकम किस्में – 50

डीयूएस परीक्षणों का सारांश: प्लॉट पीपीवी और एफआरए के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए। प्रत्याशी किस्में संदर्भ किस्मों के साथ तुलना के लिए उगाई गई। कुल मिलाकर डीयूएस परीक्षणों का निष्पादन बहुत अच्छा था। कुछ प्रत्याशी किस्मों में 1–2 प्रतिशत मिश्रण था, जबकि कृषक किस्मों में मिश्रण का प्रतिशत काफी अधिक था। दावा किए गए गुण सम्पूर्ण परीक्षणों में व्यक्त होते हुए पाए गए। जब फसल कोमल गाढ़ी दूधिया अवस्था में पहुंच गई तो निगरानी की गई। डीयूएस परीक्षण की अधिकांश प्रत्याशी किस्मों में दावा किए गए गुण निगरानी के समय व्यक्त हुए।

निगरानी : निगरानी दल के अध्यक्ष डॉ. ए.एन. मिश्रा, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक आईसीएआर–आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर से तथा डॉ. मृणाल कुचलन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईसीएआर–आईआईएसआर, इंदौर; श्री प्रकाश जैन, ग्रीन गोल्ड एग्रीटेक, इंदौर; अरुण गुप्ता, नोडल अधिकारी (डीयूएस गेहूं), आईसीएआर–आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल तथा डॉ. एस.वी. साई विजयन, सह–नोडल अधिकारी (डीयूएस गेहूं), आईसीएआर–आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर सदस्य थे। इस निगरानी दल ने आईसीएआर–आईएआरआई में डीयूएस परीक्षणों की निगरानी की।

3.1.67 जौ के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र : आईसीएआर–आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल

वर्ष 2019–20 के दौरान छह कृषक किस्में डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस परीक्षण में 18 संदर्भ किस्मों के साथ उगाई गई। कुल छह कृषक किस्मों में से दो कृषक किस्में नामतः माघे और लक्ष्मी ग्रोआउट परीक्षण

में मूल्यांकन हेतु दूसरे वर्ष उगाई गई तथा चार कृषक किस्में नामतः बी.2019–1, बी.2019–2, बी.2019–3 और बी.2019–4 डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षण–वर्णन तथा समूहीकरण गुणों की रिकॉर्डिंग के लिए उगाई गई। इसके अलावा जौ की 99 संदर्भ किस्मों का एक सैट जौ के 32 डीयूएस गुणों के सत्यापन हेतु उगाया गया। अवधि के दौरान क्रम सं. 25 तक (गुण : शूकी घनत्व) जो डीयूएस दिशानिर्देशों में उल्लिखित थे, सभी प्रत्याशी और संदर्भ किस्मों में परीक्षण के दौरान रिकॉर्ड किए गए।

फसलें	नई	वीसीके	एफवी	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टि
		प्रथम वर्ष की प्रविष्टि	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां		
जौ	—	—	बी.2019–1, बी.2019–2, बी.2019–3, बी.2019–4	माघ, लक्ष्मी	

इसके अतिरिक्त जारी की गई एक किस्म, डीडब्ल्यूआरबी160 (करण माल्टसोना) का प्रस्ताव पीबीआर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नई विद्यमान श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा फैडरल मिनिस्ट्री ॲफ फूड एवं एग्रीकल्चर, जर्मनी के सहयोग से बीज क्षेत्र विकास पर भारत–जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत आईसीएआर–आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल में 19 और 20 फरवरी 2020 को 'गेहूं और जौ का डीयूएस परीक्षण' विषय पर एक द्विगुणितीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में पूरे देश से आए गेहूं, जौ पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों तथा निजी बीज कंपनियों ने भाग लिया।

3.1.68 जौ के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र : राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर

रबी 2019–20 के दौरान जौ की 99 जारी की गई किस्मों तथा 4 कृषक किस्मों का मूल्यांकन किया गया तथा गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों गुणों को शामिल करते हुए सभी 32 गुणों की रिकॉर्डिंग की गई। ऐसा पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली द्वारा निधि सहायता प्राप्त जौ पर डीयूएस परियोजना के अंतर्गत किया गया।

मूल्यांकन कार्य के लिए दो परीक्षण अर्थात् डीयूएस परीक्षण 1 और डीयूएस परीक्षण 2 किए गए। डीयूएस परीक्षण 1 में 99 जारी की गई किस्मों रोपी गई तथा निर्धारित किए गए विभिन्न गुणवत्ता और मात्रा संबंधी गुणों का दो प्रतिकृतियों में मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही 4 कृषक किस्मों सहित 24 किस्में डीयूएस परीक्षण 2 में रोपी गई। दोनों प्रतिकृतियों में प्रत्येक किस्म के लिए यादृच्छिक चुने गए 10 पौधों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए और उनके मानों का औसत निकाला गया। गुण 1–26 के लिए आंकड़ा रिकॉर्डिंग खेत में खड़ी फसल के लिए की गई, जबकि दाना संबंधी गुणों 27–32 पर पर्यवेक्षण फसल कटाई के बाद रिकॉर्ड किए गए।

3.1.69 लघु छोटे अनाजों का डीयूएस परीक्षण : कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु

सारणी 38.वर्ष 2019–20 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	नई	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां
		प्रथम वर्ष की प्रविष्टि	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां
रागी	4	1	
कंगनी	2		
कोदो	1	1	

सारणी 39. अनुरक्षण के अंतर्गत किस्में

फसलें	वर्ष 2019–20 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या संख्या
रागी	77
कंगनी	28
कोदो	26
लिटल मिलेट	17
चेना	12
सॉवा	12

मुख्य उपलब्धियां

रागी, कंगनी और कोदो में परीक्षण प्रविष्टियों का पीपीवी और एफआरए द्वारा प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के सैट के साथ डीयूएस परीक्षण के लिए प्रतिकृत परीक्षणों में लक्षण–वर्णन किया गया। खरीफ 2019 के दौरान कंगनी और कोदो वंशक्रमों का दूसरे वर्ष डीयूएस लक्षण–वर्णन किया गया। रागी में तीन नई प्रविष्टियां प्राप्त हुईं जिनमें से एक अंकुरित नहीं हुई। कंगनी की दो प्रविष्टियां प्राप्त हुईं जिनमें से एक प्रविष्टि लघु मोटे अनाजों में नहीं आती थी। यह चौलाई की एक किस्म थी। कोदो में एक नई प्रविष्टि प्राप्त हुई और इसका संदर्भ किस्मों के एक सैट के साथ डीयूएस परीक्षणों के लिए चार प्रतिकृतियों में परीक्षण किया गया व चार प्रविष्टियों का लक्षण–वर्णन भी किया गया।

3.1.70 लघु मोटे अनाजों का डीयूएस परीक्षण, कोयम्बटूर, अतियांदल

खरीफ 2019 के दौरान, रागी, कंगनी और कोदो के लिए मोटे अनाजों तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, अतियांदल (सह—नोडल केन्द्र) के श्रेष्ठता के केन्द्र में डीयूएस लक्षण–वर्णन किया गया है। रागी और कंगनी की अनेक परीक्षण प्रविष्टियों के प्रतिकृत परीक्षण किए गए तथा कोदो के डीयूएस वंशक्रमों का पीपीवी और एफआरए द्वारा निर्धारित प्रत्येक फसल के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के सैट सहित डीयूएस परीक्षण के लिए लक्षण–वर्णन किया गया। विभिन्न मोटे अनाजों में विवरणों से संबंधित प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है :

रागी : खरीफ 2019 के दौरान रागी पर डीयूएस परीक्षण किया गया जिसमें 77 किस्मों के साथ झारखंड से प्राप्त की गई 19 कृषक किस्मों का पीपीवी और एफआरए द्वारा रागी के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण किया गया। डीयूएस परीक्षण प्रविष्टियां 2883 / 2259, 2883 / 2074 और सिखारा 4 प्रतिकृतियों में उगाई गई कतार की लंबाई प्रत्येक के लिए 03 मीटर तथा अंतराल 22×10 सें.मी. रखे गए। संदर्भ सेट के साथ डीयूएस लक्षण–वर्णन किया गया है।

रागी के लिए डीयूएस लक्षण–वर्णन हेतु कुल 26 गुणों को लिया गया है। प्रत्येक गुण के लिए मूल्यों का परास कोड किए गए स्वरूप में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इन गुणों को 18 विशिष्टता के गुणों और 14 समूहीकरण गुणों में पीपीवी और एफआरए द्वारा रागी के लिए निर्धारित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

कंगनी : कंगनी का डीयूएस परीक्षण दो परीक्षण प्रविष्टियों नामतः 2881 / 4030 और 2881 / 4040 (जैसा चौलाई के मामले में बताया गया है) 28 संदर्भ किस्मों के साथ पीपीवी और एफआरए द्वारा निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। डीयूएस परीक्षण प्रविष्टियां 4

प्रतिकृतियों में बोई गई 4 कतारों में प्रत्येक की लंबाई 3.0 मी. और कतारों के बीच अंतराल 22×10 सें.मी. रखा गया।

कंगनी के लिए डीयूएस लक्षण–वर्णन हेतु कुल 23 गुणों पर विचार किया गया। प्रत्येक गुण के लिए मानों के परास कोड स्वरूप में रिकॉर्ड किए गए। इसके अतिरिक्त इन गुणों को पीपीवी और एफआरए द्वारा रागी के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 15 विशिष्टता संबंधी गुणों और 13 समूहीकरण संबंधी गुणों में समूहीकृत किया गया।

कोदो : कोदो के कुल दो वंशक्रमों का 26 संदर्भ किस्मों के साथ परीक्षण किया गया। यह परीक्षण खरीफ 2019 के दौरान डीयूएस लक्षण–वर्णन के लिए खेत में किया गया। डीयूएस वंशक्रम 22×10 सें.मी. के अंतराल में 3.0 मी. लंबी दो कतारों में उगाए गए। ये प्रविष्टियां कोदो भूरा अमर खमरिया और $2881/4049$ हैं। इनका लक्षण–वर्णन पीपीवी और एफआरए द्वारा कोदो के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। इन डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस पर्यवेक्षण वंशक्रमों के मामले में कोदो के 30 गुण रिकॉर्ड किए गए जिनमें संदर्भ किस्म का सैट भी शामिल था। प्रत्येक गुण के लिए मानों के परास कोड किए गए स्वरूप में रिकॉर्ड किए गए।



3.1.71 ज्वार के लिए डीयूएस परीक्षण : आईसीएआर–भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

सारणी 40. डीयूएस परीक्षण के लिए किस्मों की संख्या

फसलें	नई	वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां		
खरीफ 2019	2	—	—
रबी 2019–20	—	—	10

सारणी 41. केन्द्र में अनुरक्षित संदर्भ एवं उदाहरण किस्मों की संख्या

वर्ष 2019–20 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत संदर्भ व उदाहरण किस्मों की संख्या	ज्वार की 61 किस्में (जनक वंशक्रमों – नरवंध्य/अनुरक्षक/रिस्टोर, संकरों व ओपीवी सहित)
--	---

डीयूएस परिणाम का सारांश

वर्ष के दौरान खरीफ और रबी दोनों मौसमों में डीयूएस परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। प्रथम वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत खरीफ मौसम के दौरान 2 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया तथा 10 कृषक किस्मों का परीक्षण सम्बद्ध कृषक किस्मों के साथ रबी मौसम के दौरान किया गया। दोनों मौसमों के दौरान फसल की वृद्धि तथा डीयूएस गुणों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी। खरीफ 2019 मौसम से आरंभ करते हुए संशोधित डीयूएस परीक्षण के दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों की गणना की गई। खरीफ 2019 के दौरान सभी अपनाई गई उदाहरण किस्में लक्षण–वर्णन हेतु प्रतिकृत परीक्षणों में रोपी गई। रबी 2019–20 के दौरान हसिरुजोला नामक किस्म के अलावा सभी कृषक किस्मों की आकृतिविज्ञानी जांच की गई तथा पौधे की ऊँचाई, पुष्पगुच्छ का प्रकार आदि सभी एक जैसे दिखाई दिए। बलित स्वनिषेचन/नियंत्रित परागण के अंतर्गत रबी 2019–20 के दौरान 62 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण–वर्णन किया गया।

डॉ. जे.वी. पाटिल, पूर्व निदेशक, आईआईएमआर की अध्यक्षता और पूर्व ज्वार प्रजनक एमपीकेवी, राहुड़ी की अध्यक्षता में 29 फरवरी 2020 को रबी 2019–20 के परीक्षणों की निगरानी की गई। डॉ. एस.बी. गुरव, उप पंजीकार, पुणे शाखा कार्यालय, पीपीवी और एफआरए ने प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया। निगरानी समिति के अन्य सदस्य थे : डॉ. गोपाल घार्डे, प्रजनक अग्रणी–ज्वार एवं बाजरा, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, औरंगाबाद; डॉ. हरिप्रसन्ना के, पीआई, आईआईएमआर और डॉ. विजय आर शेलर, सीसीपीआई और बीज अनुसंधान अधिकारी, एमपीकेवी।

3.1.72 ज्वार, बाजरा और चना का डीयूएस परीक्षण : एमपीकेवी, राहुड़ी

सारणी 42. वर्ष 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षणों का विवरण

क्र.सं.	फसलें	नई		वीसीके		एफवी		निगरानी की तिथि
		प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	
1	ज्वार खरीफ	02	--	-	-	-	-	--
	रबी	-	-	-	-	-	10	11.02.2020
2	बाजरा	06	08	-	-	02	02	--
3	चना	-	-	-	-	06	06	--

बाजरा की संदर्भ किस्मों का डीयूएस लक्षण—वर्णन संबंधी अध्ययन : बाजरा की 56 संदर्भ किस्में

ख) निगरानी दल के मुख्य पर्यवेक्षण

❖ रबी ज्वार

- परीक्षण का ले—आउट और रखरखाव अच्छा था तथा परीक्षण पीपीवी और एफआरए के ज्वार के लिए निर्धारित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए।
- परीक्षण के लिए श्रेष्ठ विधियां अपनाते हुए अनुशंसित सस्यविज्ञानी पैकेज लिया गया तथा खेत को खरपतवार मुक्त रखा गया।
- पुष्पन की अवस्था तक रिकॉर्ड करते हुए आकृतिविज्ञानी गुण संबंधी सभी आंकड़े डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन रखे गए।
- हसिरू जोला (50.76%), चामरा (69.05%), जालिरा (60.90%), अजर (51.96%), माजरा (47.36%), ऊर्जा (44.09%), कपिला—पी (57.85%), जोमेया (44.44%), कुमारे/कुमा (55.07%), खंडोबाल गंगई (50.37%) नामक कृषक किस्मों में प्ररोह मक्खी, चूषक पीड़क और तना बेधक का भारी प्रकोप देखा गया।
- मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण अधिकांश कृषक किस्मों में आकृतिविज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी।
- अब तक हसिरू जोला, चामरा, जालिरा, अजर, माजरा, ऊर्जा, कपिला—पी, जोमेया, कुमारे/कुमा, खंडोबाल गंगई में एक या दो गुणों के मामले में बेमेल प्रकार के पौधे पाए गए। इनका प्रतिशत अंतिम रूप से पर्यवेक्षण पूरा होने के पश्चात ज्ञात किया जाएगा।

सारणी 43. लक्षण—वर्णन के अंतर्गत किस्में (कृषक किस्में)

फसल	किस्मों की संख्या	फसल	किस्मों की संख्या	फसल	किस्मों की संख्या
ज्वार	10 किस्में	बाजरा	04 किस्में	चना	12 किस्में

सारणी 44. वर्ष 2019–20 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

क्र.सं.	फसलें	नई		वीसीके		एफवी		निगरानी की तिथि
		प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	
1	ज्वार खरीफ	02	--	-	-	-	-	--

	रबी	-	-	-	-	-	10	11.02.2020
2	बाजरा	06	08	-	-	02	02	--
3	चना	-	-	-	-	06	06	--

3.1.73 बाजरा का डीयूएस परीक्षण : आईसीएआर—बाजरा पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जोधपुर

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नई		वीसीके	एफवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
1. बाजरा	06	08	00	04	19.10.2019

अनुरक्षित/लक्षण—वर्णित किस्में : **56**

प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम, प्रकाशन तथा अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां, यदि हों :

दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को आईसीएआर—बाजरा पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जोधपुर में 1 प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।



3.1.74 सब्जी फसलों का डीयूएस परीक्षण आईसीएआर—भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

केन्द्र के लिए निर्धारित फसलों/जातियों के नाम : टमाटर, बैंगन, भिंडी, सब्जी मटर, फ्रांसबीन, कद्दू लौकी, करेला, खीरा और परवल।

क) वर्ष 2019–20 में निगरानी की गई प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षणों का विवरण

वर्ष के दौरान खीरा की 7, करेले की 12, लौकी की 18, कद्दू की 3 और भिंडी की 15 प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षणों के अंतर्गत मूल्यांकन करते हुए निगरानी की गई।

ख) निगरानी दल के मुख्य पर्यवेक्षण/सुझाव

➤ **लौकी** : तीन कृषक किस्मों में से दो प्रविष्टियों में फल नहीं लगे तथा एक प्रविष्टि में उसकी समष्टि में भिन्नता थी। कुल 9 कृषक किस्मों के देर से प्राप्त होने के कारण वर्ष 2019 में लौकी की निगरानी 2 बार दिनांक 20.06.2019 और 19.08.2020 को की गई।

➤ **खीरा** : कुल 7 प्रविष्टियों में से पांच वीसीके के पौधे जीवित नहीं बचे तथा एक कृषक किस्म (संत लाल देसी खीरा) अंकुरित नहीं हुई, जबकि एक कृषक किस्म (घाघरा खीरा) अंकुरित तो हुई लेकिन उसमें लक्षण—वर्णन के लिए पर्याप्त फल नहीं पाए गए।

- **कद्दू :** तीनों कृषक किस्म प्रविष्टियों में फल नहीं लगे।
- **भिण्डी :** कृषक किस्मों की दो प्रविष्टियों नामतः 2883/2262 और लालन भिण्डी में भिण्डी के इनेशन पर्णकुंचन विषाणु (ओईएलसीवी) का 100 प्रतिशत संक्रमण हुआ और उसमें पुष्प नहीं लगे। प्रविष्टि जय भिण्डी की सभी तीनों प्रतिकृतियों में पौधे के तने के रंग में भिन्नता पाई गई।

अनुरक्षण/लक्षण–वर्णन के अंतर्गत संदर्भ किस्में

आईआईवीआर, वाराणसी में आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से एकत्र की गई टमाटर (90), बैंगन (86), भिण्डी (42), सब्जी मटर (42), फ्रांसबीन (26), खीरा (24), करेला (25), लौकी (31), कद्दू (24) और परवल (21) की संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है।

भिण्डी की फसल की निगरानी (14.10.2019)



3.1.75 सब्जी फसलों का डीयूएस परीक्षण : आईसीएआर–भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु

टमाटर : वर्ष 2019–20 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 47 आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण करने हेतु आठ नई/प्रत्याशी किस्मों (प्रथम मौसम) तथा छह प्रत्याशी किस्मों (द्वितीय मौसम) और चौदह संदर्भ किस्मों सहित टमाटर की कुल 14 प्रविष्टियां उगाई गई हैं। निगरानी समिति ने टमाटर और बैंगन के प्लाटों का दौरा किया तथा प्रविष्टियों का टमाटर के परीक्षण के अंतर्गत प्रविष्टियों के दावा किए गए गुणों के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया। किसी भी परीक्षित प्रविष्टि में बेमेल प्रकार के पौधे नहीं थे। ले–आउट तथा प्रयोग की निगरानी दल के अध्यक्ष, उप पंजीकार और निजी बीज कंपनी के प्रतिनिधि ने बहुत प्रशंसा की।

बैंगन : वर्ष 2019–20 के दौरान एक नई कृषक किस्म दो संदर्भ किस्मों के साथ डीयूएस परीक्षण करने के लिए उगाई गई (प्रथम मौसम), परीक्षण प्रविष्टि तथा संदर्भ किस्मों का मूल्यांकन डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया तथा 47 आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए उनका लक्षण–वर्णन किया गया। प्रविष्टि नामतः सतपुतिया के पौधों का वृद्धि स्वभाव समरूप था, फलों का रंग गहरा लाल था और वे गुच्छों में लगे थे। इस प्रकार इसका निष्पादन दो संदर्भ किस्मों नामतः आईसीएआर–आईआईएचआर से प्राप्त अर्का कुसुमाकर तथा केएयू वेल्लानिकारा से प्राप्त श्वेता के साथ तुलनीय था। बीज प्रगुणन के लिए 28 संदर्भ किस्में भी उगाई गई।

भिण्डी : इकतीस डीयूएस परीक्षणों के लिए 11 नई, एक कृषक किस्म और 13 संदर्भ किस्मों का लक्षण–वर्णन किया गया तथा इन डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. ओ.पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसलें विभाग, आईआईएचआर बंगलुरु की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर 2019 को की गई।

खीरा : पांच वीसीके, एक कृषक किस्म और 4 संदर्भ किस्मों का लक्षण–वर्णन 35 डीयूएस परीक्षणों के लिए किया गया तथा डीयूएस परीक्षणों की निगरानी डॉ. ओ.पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसलें विभाग, आईआईएचआर बंगलुरु की अध्यक्षता में 23 अप्रैल 2019 को की गई।

डीयूएस परीक्षण की निगरानी दिनांक 5.4.2019 को डॉ. ओ.पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष (निगरानी समिति के अध्यक्ष) तथा डॉ. ए.टी. सदाशिवा, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, (निगरानी दल के सदस्य) सब्जी फसलें प्रभाग, आईसीएआर—आईआईएचआर बंगलुरु द्वारा की गई। बैठक के पश्चात् पीपीवी और एफआरए को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

3.1.77 मिर्च, स्वीटपेपर और पैपरिका का डीयूएस परीक्षण : आईसीएआर – भारतीय बागवानी संस्थान, बंगलुरु

वर्ष 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

क्र.सं.	फसलें		नई	वीसीके	एफवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां				
मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	13	1	12	9	13	27 जुलाई 2019

अनुरक्षित / लक्षण—वर्णित किस्में

अधिदेशित जातियां	फसल	वर्ष 2018–19 में संरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम या संख्या	आंकड़ा प्रस्तुतीकरण (अनुरक्षण प्रजनन) हां/नहीं
कैप्सीकम एनम एल.	39		27 जुलाई 2019



3.1.78 तरबूज व खरबूजा का डीयूएस परीक्षण : आईसीएआर—आईआईएचआर, बंगलुरु

संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण एवं पुनर्जनन

तरबूज की कुल 9 संदर्भ किस्में और खरबूजा की 13 संदर्भ किस्में ग्रीष्म 2019–20 के दौरान अनुरक्षित और पुनर्जनित की गई।

ग्रीष्म, 2019–20 के दौरान तरबूज की 8 और खरबूजा की एक प्रविष्टि पर किए गए डीयूएस परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस परीक्षण की निगरानी डॉ. ओ.पी. दत्ता की अध्यक्षता में 4.6.2020 को की गई। तरबूज की 8 प्रविष्टियों का दो संदर्भ किस्मों के साथ तथा खरबूजे की दो प्रविष्टियों का दो संदर्भ किस्मों के साथ डीयूएस

परीक्षण वर्तमान में किया जा रहा है। फसलों की बुवाई 20.03.2020 को की गई। लक्षण—वर्णन का कार्य प्रगति पर है। यह परीक्षण जून—2020 तक पूरा हो जाएगा।

3.1.79 तरबूज और खरबूजा, आईसीएआर—केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर

तरबूज की 8 किस्मों और खरबूजा की 2 किस्मों पर डीयूएस परीक्षण किए गए।

केन्द्र में अनुरक्षित संदर्भ और उदाहरण किस्मों की संख्या

तरबूज की संदर्भ किस्मों (असाही यमातो, अर्का मणिक, सुगर बेबी, दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर, एएचडब्ल्यू 19, एएचडब्ल्यू—65 और थार मानक) तथा खरबूजा (अर्का जीत, एमएचवाई—3, एमएचवाई—5, आरएम—43, आरएम—50, दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, पूसा मधुरस, जीएमएम—3, पंजाब सुनहरी और हरा मधु) का वर्ष के दौरान रखरखाव किया गया।

डीयूएस परिणाम का सारांश

वर्ष 2020 से वर्ष मौसम के दौरान तरबूज की 5 वीसीके और खरबूजे की एक नई प्रविष्टि का डीयूएस परीक्षण संदर्भ किस्मों के साथ किया। तरबूज और खरबूजा की प्रविष्टियों का लक्षण—वर्णन क्रमशः 27 और 34 गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। दिनांक 9.10.2019 को डीयूएस परीक्षण की निगरानी की गई। निगरानी समिति ने यह सिफारिश की कि 'तरबूज के मामले में फल की आकृति और छिलके के पैटर्न संबंधी गुणों की समीक्षा की आवश्यकता है, ताकि स्पष्टता लाई जा सके।

3.1.80 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

लौकी, करेला, कद्दू और खीरा, चौलाई, पालक तथा नसदार तोरी में डीयूएस परीक्षण

वर्ष 2019–20 के दौरान डीयूएस के अंतर्गत खीरा वर्गीय फसलों में निम्न चार सब्जी फसलों पर परीक्षण किए गए :

नसदार तोरी — 22 (4 नई और 18 कृषक किस्में)

लौकी — 3 (कृषक किस्में)

कद्दू — 3 (कृषक किस्में)

खीरा — 5 (कृषक किस्में)

केन्द्र में अनुरक्षित संदर्भ और उदाहरण किस्मों की संख्या

नसदार तोरी — 9

लौकी — 18

कद्दू — 10

खीरा — 10

करेला — 20

चौलाई — 19

पालक — 5

डीयूएस परीक्षण का सारांश

नसदार तोरी : प्राप्त की गई 22 प्रविष्टियों में से चार में प्रत्याशी किस्में थीं जिनका दो संदर्भ किस्मों (पूसा नसदार और पूसा नूतन) के साथ परीक्षण किया गया तथा इनमें 18 कृषक किस्में थीं। ये सभी प्रत्याशी किस्में एक दूसरे के समान थीं और संदर्भ किस्मों के भी समान थीं लेकिन पुष्प खिलने की अवस्था के अंत में फल की आकृति के संदर्भ में विशिष्ट पाई गई। कुल 18 कृषक किस्मों में से आठ किस्में नसदार तोरी (लूफेसिल इंडिका) की थीं। नसदार तोरी की सभी कृषक किस्में एक दूसरे के समान थीं और सभी में फलों की कम लंबाई देखी गई जो संदर्भ किस्मों की तुलना में विशिष्ट थी।

फूलगोभी और बंदगोभी में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश

केन्द्र में अनुरक्षित संदर्भ और उदाहरण किस्मों की संख्या

फसलें	आईएआरआई, नई दिल्ली में	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में
फूलगोभी	7	8
बंदगोभी	1	13



3.1.82 बंदगोभी और स्नोबाल फूलगोभी, मूली और गाजर : आईसीएआर—आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई, कुल्लू, घाटी

बंदगोभी और फूलगोभी की अनुरक्षण के अंतर्गत किस्में : बंदगोभी की 12 किस्मों (गोल्डन एकड़, पूसा मुक्ता, पूसा इम हैड, 83–1, 6ए, सी–121, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ एशिया, पूसा अगेती, 208ए, सी–122, किन्नर रेड) और 3 संकरों (पूसा कैबेज–1, पूसा हाइब्रिड–81 और केटीसीबीएच–822) तथा स्नोबाल फूलगोभी की 7 किस्मों (पूसा स्नोबाल–1, पूसा स्नोबाल के–1, पूसा हिमज्योति, स्नोबाल–16, पूसा स्नोबाल के–25, केटी–27, ओजीयू–1ए) और एक संकर (पूसा स्नोबाल हाइब्रिड–1) का शुद्धिकरण करके रखरखाव किया गया है। तथापि, बंदगोभी और फूलगोभी की कोई भी प्रत्याशी किस्म/प्रविष्टि डीयूएस परीक्षण के लिए प्राप्त नहीं हुई।

अनुरक्षण/लक्षण–वर्णन के अंतर्गत किस्में : मूली की 38 तथा गाजर की 31 किस्मों का लक्षण–वर्णन और अनुरक्षण उनके डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए किया गया है।





लहसुन की कुल 5 किस्में नामतः प्रासलहसुन (Reg/2018/685), ब्रिजलहसुन (Reg/2018/688), 2879 / 3457, 2879 / 3458 और 2879 / 3479 वर्ष 2019–20 के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए पीपीवी और एफआरए से प्राप्त हुईं जिनका रबी 2019–20 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण किया जा चुका है। नई दिल्ली केन्द्र पर दिनांक 27 फरवरी 2020 को दिल्ली केन्द्र पर निगरानी की गई लेकिन कोविड 19 के कारण पुणे केन्द्र पर 17 मार्च 2020 को की जाने वाली निगरानी नहीं की जा सकी।

3.1.84 आईएआरआई, नई दिल्ली

सारणी 48. डीयूएस परीक्षण के लिए किस्मों की संख्या : लहसुन के मामले में तीन कृषक किस्में

फसलें	नई		वीसीके	एफवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टि	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टि			
प्याज	-	-	-	-	आईएआरआई, नई दिल्ली में 27 फरवरी 2020
लहसुन	-	-	-	1. 2879/3457 2. 2879/3458 3. 2879/3459	डीओजीआर, पुणे में 17 मार्च 2020*

सारणी 49. केन्द्र (आईसीएआर–डीओजीआर) ने अनुरक्षित संदर्भ और उदाहरण किस्में

फसलें	वर्ष 2019–20 के दौरान अनुरक्षित अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या
प्याज	प्याज की 44 किस्में
लहसुन	लहसुन की 14 किस्में

डीयूएस परिणामों का सारांश

आईसीएआर–आईएआरआई प्याज और लहसुन के डीयूएस परीक्षण करने के लिए सह–नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत प्याज की 44 और लहसुन की 14 किस्मों का रखरखाव किया गया। प्याज और लहसुन की इन किस्मों को संदर्भ किस्में माना गया है। डीयूएस परियोजना के अंतर्गत प्याज और लहसुन की अनुरक्षित सभी किस्मों के सभी आंकड़े डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए। वर्ष 2019–20 के दौरान पीपीवी और एफआरए से डीयूएस परीक्षण के लिए लहसुन की कुल 3 किस्में प्राप्त हुईं जिनका रबी 2019–20 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा लहसुन

वैज्ञानिक (पादप प्रजनन) कृषि विज्ञान संस्थान, बीएचयू वाराणसी थे, जबकि डॉ. एन.पी. सिंह, निदेशक, आईसीएआर–आईआईपीआर, कानपुर, डॉ. टी.के. नागरल्ल, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; डॉ. आशिष श्रीवास्तव, कोर्टेवा एग्रीसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, बीज कंपनी के प्रतिनिधि; डॉ. आम्रपाली अतुल अखारे, सह–परियोजना समन्वयक, अरहर पर डीयूएस परीक्षण, बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई, डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला सदस्य थे, जबकि डॉ. आई.पी. सिंह, अरहर पर डीयूएस परियोजना के प्रधान अन्वेषक बैठक के लिए सदस्य–सचिव थे तथा डॉ. सतीश नायक, एस.जे. सह प्रधान अन्वेषक, डीयूएस परीक्षण–अरहर, आईसीएआर–आईआईपीआर, कानपुर बैठक के संयोजक थे।

निगरानी दल ने प्रायोगिक सामग्री का गहराई से अध्ययन किया तथा प्रथम वर्ष के डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत सभी पांच कृषक किस्मों में फली संबंधी गुणों में मिश्रण होने के बारे में रिकॉर्ड किया गया।

द्वितीय वर्ष के लिए डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत कृषक किस्में



कुल 18 किस्में द्वितीय वर्ष के डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत हैं। इनमें से 7 किस्मों में विभिन्न मात्रात्मक गुणों के लिए मिश्रण पाया गया। इनकी संक्षिप्त सूचना नीचे दी गई है। दो कृषक किस्में नामतः मुरमु अंघानी (Reg/2016/2197) और मुरमू चैताली (Reg/2016/2200) मुरझान रोग से गंभीर रूप से प्रभावित थी।



3.1.87 डॉ. पीडीकेवी, अकोला केन्द्र

सारणी 51. वर्ष 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नई किस्म		वीसीके	एफवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
अरहर	--		-	* जीओटी के लिए 14 परीक्षण हेतु 05	17/01/2020

*वर्ष 2018–19 के दौरान जिन 30 कृषक किस्मों का परीक्षण किया गया उनमें से केवल 14 किस्मों में वर्ष 2019–20 के दौरान जीओटी करने के लिए पर्याप्त बीज उत्पन्न हुए।

निगरानी : जी हां, की गई। डीयूएस निगरानी (दल के 5 सदस्य) डॉ. टी.के. नागरल्ल, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2020 को की गई। निगरानी दल के मुख्य पर्यवेक्षण : कृषक किस्मों के मामले में शुद्धता कम थी तथा 17 प्रतिशत तक अधिमिश्रण देखा गया। अधिमिश्रण के इस उच्च प्रतिशत के कारण सटीक श्रेणीकरण करना कठिन हो गया।

अनुरक्षण/लक्षण–वर्णन के अधीन किस्में : 57



3.1.88 चना का डीयूएस परीक्षण : आईसीएआर–भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर

आईसीएआर–आईआईपीआर, कानपुर में चना की छह कृषक किस्मों नामतः (उजाला सीएच–3, रुना सीएच–2, लौना सीएच–1, आनंदी–01, सुनी–एक और रुन्ना चन्ना) का 6 संदर्भ किस्मों के साथ वर्ष 2019–20 (द्वितीय वर्ष) के दौरान डीयूएस परीक्षण किया गया। चने के लिए डीयूएस परीक्षण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार 20 डीयूएस गुणों के लिए पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। उनमें शामिल थे – चना, एंथोसियानिन रंग, प्रथम पुष्प निकलने पर ऊंचाई, 50 प्रतिशत पुष्पन के दिन, प्रति पुष्पवृत्त, पुष्पों की संख्या, वृद्धि स्वभाव, पत्तियों पर हरे रंग की गहनता, उप पत्ती का आकार, पत्ती का पैटर्न : पुष्प का रंग, मानक के अनुसार धारियां, पुष्पवृत्त की लंबाई, पौधे की ऊंचाई, फली का आकार, प्रति फली बीजों की संख्या, बीज का रंग, बीज का आकार, बीज की आकृति, बीज कवच की बनावट, बीज पर धारियां, बीज का प्रकार, बीज कवच की बनावट, बीज धारियां और बीज का प्रकार।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रथम वर्ष के लिए चना की छह कृषक किस्मों (सीबीसीएम–206, सीसीआरए–207, सीजेआरए–208, सीएलसीएम–279, सीसीआरए–300 और सीजेआरबी–303) के लिए परीक्षण किए गए। चार डीयूएस समूहीकरण गुणों पर चना के लिए डीयूएस परीक्षण के राष्ट्रीय दिशानिर्देश के अनुसार पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। इनमें शामिल थे : 50 प्रतिशत पुष्पन के दिन, पुष्प का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। इसके अलावा 140 संदर्भ किस्मों का भी रखरखाव किया गया।

3.1.89 मूँग, उड़द, मटर, मसूर और राजमा का डीयूएस परीक्षण : आईसीएआर–आईआईपीआर, कानपुर

खरीफ मौसम (2019) के दौरान मूँग तथा उड़द की क्रमशः कुल 67 और 47 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की गई। इसी प्रकार, रबी मौसम (2019–20) में मटर की 61, मसूर की 39 और राजमा की 14 किस्मों का रखरखाव किया गया। रखरखाव हेतु 10 संदर्भ किस्मों के एकल पौधों को प्रत्येक किस्म से चुना गया तथा उनकी अलग से फसल कटाई की गई।

खरीफ मौसम 2019–20 के दौरान मूँग और उड़द की क्रमशः 13 और 11 किस्मों सहित कुल 24 कृषक किस्में प्राप्त हुई। इसके अलावा मूँग की एक नई किस्म भी प्राप्त हुई। उपरोक्त सभी किस्मों का परीक्षण संदर्भ किस्मों के साथ दूसरे वर्ष किया गया तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। इसी प्रकार, मूँग और उड़द की चार तथा 9 कृषक किस्में उड़द की एक नई किस्म के साथ संदर्भ किस्मों को शामिल करते हुए प्रथम वर्ष के लिए उगाई गई और उनसे संबंधित आंकड़े भी डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए। रबी मौसम 2019–20 के दौरान मटर की दो कृषक किस्मों तथा मसूर की 7 नई किस्मों पर संदर्भ किस्मों के साथ दूसरे वर्ष का परीक्षण किया गया तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। इसी प्रकार, मटर की 12 कृषक किस्मों, मसूर की एक कृषक किस्म, राजमा की दो कृषक किस्मों और राजमा की एक नई किस्म का संदर्भ किस्मों के साथ प्रथम वर्ष में परीक्षण किया गया तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े रिकॉर्ड किए गए।

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान मूंग की कृषक किस्म हल्दी हेसारू में लाल कुटकियों का उच्च संक्रमण देखा गया तथा मूंग की अन्य किस्मों नामतः बांदरी हेसरू, एसआरएस–1 और उड़द की लक्षण उड़द, अम्बा उड़द, अर्क काली उड़द, पुष्पन अवस्था के दौरान एमवाईएमवी के प्रति उच्च संवेदनशील पाई गई।

उड़द की एक कृषक किस्म (जीकेएसएस माश सुरी लोकल) तथा एक नई किस्म (2883 / 2129) में एमवाईएमवी के प्रति संवेदी प्रतिक्रिया देखी गई। इसलिए आंकड़े रिकॉर्ड नहीं किए जा सके। रबी मौसम (2019–20) में फाबाबीन की एक (पीएईके 290) और चटरी या लेथाइरस की दो किस्में (पीएकेके 227, पीएमकेके 232) मटर के नाम से प्राप्त हुई। इसलिए उनसे संबंधित आंकड़े रिकॉर्ड नहीं किए जा सके। इसके अलावा मटर की एक कृषक किस्म नामतः पीबीसीएम 250 आनुवंशिक रूप से अशुद्ध थी और इसके पौधे भिन्न प्रकार के थे। खरीफ मौसम (2019) के दौरान मूंग की एक किस्म (कल्याणपुर मूंग) द्वितीय वर्ष के परीक्षण के दौरान अंकुरित नहीं हुई तथा उड़द की दो किस्मों (जीकेएसएच माश सुरी लोकल, 2883 / 2129) बहुत कम अंकुरण हुआ जो 20 प्रतिशत से भी कम था।

रबी मौसम में राजमा की एक कृषक किस्म (2883 / 2259) अंकुरित नहीं हुई। अतः सभी अवस्थाओं जैसे पुष्पन से परिवर्कता तक आदि के लिए उचित सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी। प्रथम वर्ष में परीक्षित मूंग की प्रत्याशी किस्म (2883 / 2482) पौधे के प्रकार संबंधी गुण के लिए उड़द से मिलती हुई पाई गई। एक अन्य नई कृषक किस्म ओड़द (कार्टिंक) के पौधे आरोही बेल के प्रकार के थे।

मूंग की प्रत्याशी किस्म (रमैपुर) का परीक्षण द्वितीय वर्ष में किया गया है और इसके पौधे उड़द के पौधों से मिलते हुए पाए गए।

3.1.90 कुसुम के लिए डीयूएस परीक्षण, डॉ. पीडीकेवी, अकोला

सारणी 52. वर्ष 2019–20 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नई किस्म		वीसीके	एफवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
कुसुम	01	--	01	6 संदर्भ किस्म	17 / 01 / 2020

* वर्ष 2019–20 के दौरान 8 किस्में (1 नई, 1 वीसीके और 6 संदर्भ किस्में) प्राप्त हुई और उनका परीक्षण किया गया, बुवाई 16.10.2019 को की गई लेकिन केवल एक किस्म में ही वर्ष 2019–20 के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए अपर्याप्त मात्रा में बीज थे।

डीयूएस निगरानी (दल के 5 सदस्यों) डॉ. टी.के. नागरल्ल, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2020 को की गई।

निगरानी दल के मुख्य पर्यवेक्षण : कृषक किस्म के मामले में शुद्धता बहुत कम थी तथा इसमें 17 प्रतिशत तक अधिमिश्रण देखा गया। अधिमिश्रण का अधिक प्रतिशत होने के कारण सटीक श्रेणीकरण करना बहुत कठिन हो गया।

लक्षण वर्णन के अंतर्गत किस्में : 08

3.1.91 दाना चौलाई, मंडुआ और बाकला का डीयूएस परीक्षण, एनबीपीजीआर, नई दिल्ली

अधिदेशित फसल जातियां : दाना चौलाई, मंडुआ, बाकला

सारणी 53. वर्ष 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस किस्मों का विवरण

फसल	नई किस्म		वीसीके	एफवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
1	1			REG/2017/2223	18 मार्च 2019

सारणी 54. अनुरक्षण/लक्षण—वर्णन के अधीन किस्में

अधिदेशित फसल जातियां	वर्ष 2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या संख्या	प्रस्तुतीकरण संबंधी आंकड़े (अनुरक्षण प्रजनन) हाँ/नहीं
दाना चौलाई	(20) वीएल 101, वीएल 102, जीए-1, जीए-2, जीए-3, बीजीए-2, वीएल-44, पीआरए-1, पीआरए-2, पीआरए-3, दुर्गा, अन्नपूर्णा, सुवर्णा, एएमपीएच-1, ईसी 150200, आईसी 7918, आईसी 7920, आईसी 9554, आईसी 38129, आईसी 42371	हाँ
मंडुआ	(20) शिमला बी-1, शिमला बी-2, शिमला बी-3, सांगला बी-1, सांगला बी-5, वीएल-7, हिमप्रिया, पीआरबी-1, सांगला बी 214, सांगल बी 118, सांगला बी 129, आईसी 109729, आईसी 14889, आईसी 412722, आईसी 17371, आईसी 202226, आईसी 274426, ईसी 323730, आईसी 26594, आईसी 258233	हाँ

एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में दाना चौलाई की संदर्भ किस्मों के लक्षण वर्णन और रखरखाव के लिए प्रयोग किया गया। कुल 20 संदर्भ किस्में/प्रविष्टियां, दो कृषक किस्मों (आरईजी/2017/1715 और आरईजी/2017/2223) के साथ तीन प्रतिकृतियों में आरबीडी डिजाइन में उगाई गई। सभी संदर्भ किस्मों का रखरखाव दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

यह पाया गया कि कृषक किस्म (आरईजी/2017/2223) के आकृतिविज्ञानी गुण दाना चौलाई प्रकार के नहीं थे बल्कि इसके आकृतिविज्ञानी गुण सब्जी चौलाई के समान थे। इसलिए उक्त कृषक किस्म के लक्षण—वर्णन संबंधी आंकड़े रिकॉर्ड नहीं किए गए।

3.1.92 आलू के लिए डीयूएस परीक्षण: आईसीएआर—केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

वर्ष 2019–20 में आलू की प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण : सीपीआरआई केन्द्रीय क्षेत्र मोदीपुरम तथा सीपीआरएस जालंधर में वानस्पतिक तक कंद संबंधी गुणों के लिए संबंधित संदर्भ किस्म कुफरी फ्राई सोना और संताना के साथ तीन प्रत्याशी किस्मों नामतः लेडी टेरा, एमआई2009–924–016 और एमआई2007–019–039 (टेक्नोएग्री साइंस लिमिटेड, चंडीगढ़) का डीयूएस लक्षण—वर्णन किया गया, जबकि एक किस्म संताना (टेक्नोएग्री साइंस लिमिटेड, चंडीगढ़) का संदर्भ किस्म कुफरी फ्राईसोना के साथ सीपीआरएस, कुफरी में आलू के मानक डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार पुष्टीय गुणों के लिए लक्षण—वर्णन किया गया।



लेडी टेरा एमआई2009–0924–016 एमआई2007–019–039 के. फ्राइसोना संताना

चित्र 1. आलू की विभिन्न किस्मों के अंकुर

चित्र 2. आलू की संताना किस्म के पुष्प

सारणी 55. सीपीआरआई, शिमला में डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत आलू की किस्मों का विवरण

स्थान	सीपीआरएस कुफरी	सीपीआरएस जालंधर	सीपीआरएस क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम
सुरक्षा का समूह	विद्यमान (वीसीके)	विद्यमान (वीसीके)	विद्यमान (वीसीके)
फर्म का नाम	टैक्नीको एग्री साइंस लिमिटेड		
प्रत्याशी किस्म का नाम	संताना	लेडी एमआई2009–924–016 एवं एमआई2007–019 –039	लेडी एमआई2009–924–016 एवं एमआई2007–019 –039
संदर्भ किस्म का नाम	कुफरी फ्राइसोना	कुफरी फ्राइसोना और संताना	कुफरी फ्राइसोना और संताना

डीयूएस संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण : सीपीआरआई, शिमला में 213 संदर्भ किस्मों का रखरखाव स्वपात्रे दशा में किया गया, जबकि 151 और 142 का रखरखाव क्रमशः सीपीआरएस, कुफरी और सीपीआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम में खेत दशाओं के अंतर्गत किया गया।

3.1.93 सहजन (मोरिंगा ओलिफेरा लैम) के लिए डीयूएस केन्द्र : बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सहजन की जातियों के प्रमुख वितरण क्षेत्रों के पारिस्थितिक तथा जलवायु संबंधी प्राचलों के आधार पर पारिस्थितिक-भौगोलिक अध्ययनों के लिए सर्वेक्षण किए गए। इन अध्ययनों से सहजन की जातियों के वितरण पैटर्न और पारिस्थितिक प्रणालियों को बेहतर रूप से समझने में सहायता मिली है। एकत्रित प्रविष्टियों के मानचित्रण के द्वारा सहजन के उच्च विविधता वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करना अन्य समान कृषि जलवायु क्षेत्रों में उनके संभावित वितरण का अनुमान लगाना तथा विद्यमान संकलन में कमियों की पहचान करना संभव हुआ है। पर्यावरण आधारित भिन्नता तथा जीनप्ररूप की स्थिरता को पहचानने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए समान जीनप्ररूपों के आकृति विज्ञानी पर्यवेक्षण करना संभव हुआ है।



खोज तथा जननद्रव्य संकलन : भारत के जिन विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक विविधता है, वहां से ठोस वैज्ञानिक आधार के साथ कार्यनीतियां एकत्र करने पर आधारित पारिस्थितिक-भूभौगोलिक अध्ययनों के माध्यम से और अधिक खोज करने के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में से जननद्रव्य संकलन किया गया है।

स्थिति के लिए उनके नमूने रखे जाते हैं। बीजों को डीयूएस परीक्षण पूरा होने तक $20\pm 2^{\circ}$ से. तापमान पर भंडारित किया जाता है।

3.2.1.3 अंकुरण तथा नमी परीक्षण के लिए निगरानी की गई पंजीकृत किस्में

पीपीवी एवं एफआरए के जीन बैंक (एमटीएस) में 754 पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों का उनके भंडारण की 5 वर्ष की अवधि के बाद (अनाजों और फलियों के लिए) तथा 3 वर्ष (तिलहनों के लिए) परीक्षण किया गया।

फसलें	वर्ष 2019–20 के दौरान निगरानी की गई किस्मों की संख्या	नमी परास (%)	अंकुरण परास (%)
उड़द	04	10.87-15.18	82-100
गेहूं	23	8.16-16.08	36-100
बैंगन	05	8.37-11.20	62-100
बंदगोभी	01	9.10	46
चना	05	10.61-16.34	0-100
कपास	45	6.13-19.60	2-100
मटर	04	12.64-17.28	0-98
मूँग	05	10.44-12.85	82-100
पटसन	03	9.75-17.08	84-94
सेम	03	11.66-16.91	58-98
मसूर	01	15.59	100
मक्का	10	7.32-12.60	4-100
बाजरा	20	9.63-14.32	16-100
अरहर	03	9.32-11.62	64-74
चावल	559	6.38-16.22	0-100
ज्वार	45	8.56-15.85	0-100
टमाटर	02	10.13-11.48	20-58
तोरिया	04	7.44-9.06	36-100
सोयाबीन	07	7.99-9.52	84-100
सूरजमुखी	05	5.87-8.43	54-92

3.2.1.3.1 मध्यावधि भंडारण दशा एवं डीयूएस भंडारागार (31 मार्च 2020 को)

क्र. सं.	फसलें	डीयूएस परीक्षण भंडारागार (एसटीएस)					मध्यावधि भंडारण					कुल योग	
		(डीयूएस परीक्षण के लिए 22° से. पर रखी गई प्रत्याशी किस्में)					(4°C)						
		प्राप्त बीज A					जारी किए गए प्रमाण-पत्र B						
		नई	वीसीके + ईडीवी	कृषक	विद्यमान अधिसूचित	कुल (A)	नई	वीसीके + ईडीवी	कृषक	विद्यमान अधिसूचित	कु (B)	(A+B)	
		1	जौ	10	5	30	4	49	1	16	17	66	
		2	सॉवा			37	1	38			0	38	
		3	करेला	19	22	11		52			1	53	
		4	उड़द	3	2	109	6	120		2	19	21	141

44	नसदार तोरी	8	1	18		26				1	1	27
45	कुसुम	2		1	3	6				7	7	13
46	तिल			62	1	63			1	10	11	74
47	ज्वार	59	8	58	11	136	61	38	7	41	147	283
48	सोयाबीन	3		22	2	27	2	1		32	35	62
49	सूरजमुखी	63	7		1	70	28	18		10	56	126
50	टमाटर	120	913	17	8	239	24	36		15	75	314
51	हल्दी			2	1	3				0	3	
52	तरबूज	4	14			18				0	18	
53	गेहूं	22	7	99	44	172	29	5	23	129	181	353
	कुल	1889	1206	4309	287	7691	595	555	1667	1053	3870	11561

3.2.3 बीज मानक

क्र.सं.	फसल	अधिसूचना की तिथि	वांछित बीज (प्रत्याशी/जनक वंशक्रम/संकर) (प्रत्येक), जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, ग्रा. में	अंकुरण %	नमी %	भौतिक शुद्धता %	तदर्थ मौसम – डीयूएस परीक्षण के लिए बीज प्रस्तुतीकरण के महीने	बीज पैकेट का निर्धारित आकार (मि.मी.)	
1	चावल (ओराइज़ा स्टाइवा एल.)	1/11/2006	3000	1500	80	11.12	98	खरीफ मार्च—अप्रैल	230x300
2	चपाती गेहूं (ट्रिटिकम एस्ट्राइव एल.)		3000	1500	95	8.9	98	रबी —अगस्त	230x300
3	मक्का (जी. मेज एल.)		3000	1500	80 (अंतःप्रजात/एस सीएच) 90 (किस्म/डीसीएच)	8.10	98	खरीफ मार्च—अप्रैल रबी—अगस्त	230x300
4	ज्वार (सोरधम बाइकलर एल. मोंयंक)		2000	1000	80	10	98	खरीफ मार्च रबी —अगस्त	230x300
5	बाजरा (पेनिसेटम ग्लाउकम एल.)		600	300	80 (अंतःप्रजात/एस सीएच) 90 (किस्म/डीसीएच)	10	98	खरीफ मार्च	165x220
6	चना (साइसर एरिटेन्म एल.)		2000(देसी) 3000 (काबुली)	लागू नहीं	95	8.9	98	रबी अगस्त	230x300
7	मूंग (विग्ना रिडिएटा एल.)		1000	लागू नहीं	95	8.9	98	खरीफ मार्च	230x300
8	उड्डद (विग्ना मुंगो हैप्परे)		1000	लागू नहीं	95	8.9	98	खरीफ मार्च	165x220
9	दाल मटर (पाइसम सेटाइवम एल.)		2000	लागू नहीं	85	8.9	98	रबी —अगस्त	230x300
10	सेम (फेसियोलस वल्वोरिस एल.)		3000	लागू नहीं	85	8.9	98	जून—जुलाई	230x300
11	मसूर (लेंस		1000	लागू	85	8.9	98	रबी अगस्त	230x300

	क्यूलीनेरिस मैडिक)		नहीं					
12	अरहर (कैजानस कैजन एल. मिल्प.)	2000	1500	95	8.9	98	खरीफ मार्च	230x300
13	कपास (गोसिपियम हिस्टर्टम एल.)	2000	1000	75	10	98	खरीफ उत्तर-फरवरी तटवर्ती-दक्षिण मई	230x300
14	कपास (जी. बार्बेडेस एल.)	2000	1000	75	10	98	खरीफ-उत्तर-फरवरी-तटवर्ती-दक्षिण-मई	
15	कपास (जी. आर्बोरियम एल.)	1500	750	75	10	98		
16	कपास (जी. हर्बेसियम एल.)	1500	750	75	10	98		
17	पटसन (कार्कोरस कैप्सुलरिस एल.)	1000	500	85	9	97	पूर्व-खरीफ-अगेती जनवरी	165x220
18	पटसन (कार्कोरस ओलिटोरस एल.)	1000	500	85	9	97	पूर्व-खरीफ-अगेती जनवरी	
19	गन्ना (सैकरम एल.)			400 एकल कलिका सैट				
20	अदरक (जिजिबर औफिसिनल रॉस्क.)			5000 ग्रा. (150 टुकड़ों के प्रत्येक के 25–30 ग्रा. के स्वच्छ तथा सम्पूर्ण प्रकांद)				
21	हल्दी (करक्यूमा लोंगा एल.)			6 कि.ग्रा. (35–40 प्रतिशत नमी अंश युक्त स्वच्छ तथा सम्पूर्ण ताजे प्रकांद)				
22	भारतीय सरसों (ब्रैसिका जंसिया एल. सीजर्न और कॉस)	500	250				जून-जुलाई	165x100
23	करन राइ (ब्रैसिका कैरीनाटा ए. ब्राउन)	500	250				जून-जुलाई	165x100
24	तोरिया-सरसों (ब्रैसिका रापा एल.)	500	250	85	8	98	जून-जुलाई	165x100
25	गोभी सरसों (ब्रैसिका नैपस एल.)	500	250				जून-जुलाई	165x100
26	मूंगफली (एरेकिस हाइपोजिया एल.)	3000 (स्पेनिश और वैलेनिका) 8000 (दाने) वर्जिनिया बंच और रनर प्रकार के लिए	1500 4000	80	9	98	खरीफ : मई-जून रबी: अगस्त-सितम्बर	300x450
27	सोयाबीन (ग्लाइसीन मैक्स एल. मैरिल)	3000	...	70	9	98	अप्रैल-मई	230x300
28	सूरजमुखी (हिलिएथस एनस एल.)	3000	2000	70	9	98	जुलाई-अगस्त	230x300
29	कुम्भ (कार्थनस टिक्टोरियस एल.)	3000	1500	80	9	98	जून-जुलाई	230x300
30	अरण्ड (रिसिनस क्रम्पुनिस एल.)	6000	2500	70	10	98	अप्रैल-मई	300x450

31	तिल (सेसम इंडिकम एल.)		500	250	80	9	97	अप्रैल–मई	165x100
32	अलसी (लिनम यूसिटेटीसिमम एल.)		500	250	85	9	98	मई जून	165x100
33	काली मिर्च (याइपर नाइग्रम एल.)		40 जड़दार कलमें						
34	छोटी इलायची (इल्टेट्रिया कार्डमोसम मैटन)		50 भूस्तारी						
35	टमाटर (लाइकोपर्सियम लाइकोपर्सिकम एल. कार्स्टन एक्स. फार्व.)		15 (खुले खेत) 8 ग्रीनहाउस	वही	85	8	98	अप्रैल–मई	165x100
36	बैंगन (सोलेनम मेलैंजेना एल.)		15 (खुले)	15(खुले)	85	8	98	अप्रैल–मई	165x100
37	भिण्डी (एबेलमॉस्कस एस्क्यूलॉटस एल.)		200	-				मई–जून	230x300
38	फूलगोभी (ब्रैसिका ओलिरेसिया एलकृ किस्म बोट्राइटिस)		15	15	*	*	*	अप्रैल मई	165x100
39	बंदगोभी (ब्रैसिका ओलिरेसिया एल. किस्म कैपिटाटा)		15	15	*	*	*	अप्रैल–मई	165x100
40	आलू (सोलेनम ट्यूबरोसम एल.)		300 पूर्णतः परिपक्व कंद (कंदों का आकार 3.5–5.0 सें.मी. होना चाहिए)						
41	प्याज (एलियम सैपा एल.)		100–1200 उप बल्ब प्रगुणक 50 बल्ब (एमएस वंशक्रम)	50	70	*	*	संबंधित बुआई मौसम के अनुसार	
42	लहसुन (एलियम सेटाइवम एल.)		2000 जीवंत गांठे	--	*	*	*	अगस्त–सितम्बर	-
43	गुलाब (रोजा जातियाँ) (आर. डेमासेना के अलावा)		9 कलम लगे / कलिकायित पौधे 9 पौधे 12 इंच में या प्रति प्लॉट 30 सें.मी.						
44	गुलदाउदी (क्राइसेंथेमम जातियाँ)	18/8/2011	100 मातृ पौधे से ली गई दो गांठ वाली अंतर्थ जड़दार कलम						
45	आम (मैंगीफेरा इंडिका एल.)		प्रत्येक स्थान पर रोपी गई 7						
46	झयूरम गेहूं (ट्रिटिकम झयूरम डेस्फ.)		3000	1500	95	8.9	98	गेहूं के समान	230x300
47	डाइकोकम गेहूं (ट्रिटिकम डाइकोकम एल.)		3000	1500	95	8.9	98	गेहूं के समान	230x300
48	अन्य (ट्रिटिकम जातियाँ)		3000	1500	95	8.9	98	गेहूं के समान	230x300

49	ईसबगोल (स्लाटेगो ओवरटा फॉस्टर्स)		250	-	95	8.9	98		
50	मेंथाल पुदीना (मेंथा आर्चिसिस एल.)	5 कि.ग्रा. भूस्तारी (10–15 सें.मी. लंबे)							
51	दमस्क गुलाब (रोजा डेमोसना मिल)	100 कलम							
52	सदाबहार (कैथोरेथस रोजियस एल.)	10 ग्रा.	-	85	8	98			
53	ब्रह्मी (बैकोपा मोनिएरी एल. पैनल)	500 कलमें (10–15 सें.मी. लंबी स्वच्छ तथा सम्पूर्ण वानस्पतिक भाग की)							
54	नारियल (कोकस न्यूसीफेरा एल.)	30 मानक गमला मिश्रण से युक्त पॉलीबैग में उगाई गई एक वर्ष पुरानी पौधे							
55	ऑर्किड (कम्बीडियम एसडब्ल्यू)	27/3/2012	20 पौधे (प्रत्येक केन्द्र के लिए 10) जिनमें कम से कम दो छद्म बल्ब और एक पश्च बल्ब हो। आयु 3–4 वर्ष						
56	ऑर्किड (डेंड्रोबियम एसडब्ल्यू)		20 पौधे (प्रत्येक केन्द्र के लिए 10) कम से कम दो प्ररोहों सहित। 2–3 वर्ष आयु के						
57	ऑर्किड (वैंडा जोन्स एक्स. आर.बीआर.)		20 पौधे, 2–3 वर्ष आयु के						
58	अनार (प्यूनिका ग्रेनेटम एल.)	15/4/2014	10 प्रोपोग्यूल, एक वर्ष की पुरानी कलम को एयर लियरिंग या जड़दार तने की कलम (उसी वृक्ष से प्रगुणित) या ऊतक संवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों से प्रत्येक स्थान पर उगाया गया						
59	ऑर्किड (केटलेया लिंडल)		कम से कम दो प्ररोहों के साथ 2 या 3 वर्ष पुराने 20 पौधे						
60	ऑर्किड (फेलीनॉप्सिस ल्यूमे)		20 पुष्पन आकार के पौधे						
61	कैसुरीना (कैसुरिना इक्वीसेटीफॉलिया एल.)		50 जड़दार कलमें (कम से कम तीन माह पुरानी), स्कंद से अक्षीय शीर्ष तक की न्यूनतम माध्य 20 सें. मी. तथा भली प्रकार विकसित जड़ प्रणाली						
62	कैसुरीना (कैसुरिना ज्युनियाना मिक.)								
63	करेला (मोमार्डिका कैरिनाटा एल.)		300 ग्रा. या 1500	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
64	लौकी (लेगेनेरिया साइसेरिया (मॉल स्टेंडल)		250 ग्रा. या 1500	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
65	खीरा (व्यूक्यूमिस सेटाइमस एल.)		50 ग्रा. या 1500	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
66	कददू (कुकरबिटा मॉस्काटा डक. एक्स पॉयर.)		200 ग्रा. या 1500	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
67	जौ (हार्ड्यम वल्गोरे एल.)		1500	1000	95	8	98	अगस्त–सित.	230x300
68	धनिया (कोरियाइड्रम सेटाइवम एल.)		250	-	80	8.9	98	जुलाई–अगस्त	165x100
69	मेथी (ट्राइगोनेला फोएनम ग्रीकम एल.)		250	-	80	8.9	98	जुलाई–अगस्त	165x100

70	बादाम (पूनस डिलिस (मिल.) डी.ए. वैब)		10 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे
71	सेब (मैलस डोमेस्टिक बॉर्ड)		6 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे
72	नाशपाती (पायरस कम्पूनिस एल.)		6 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे
73	खुबानी (पूनस आर्मेनियाका एल.)		10 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे
74	चेरी (पूनस एवियम एल.)		10 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे
75	अखरोट (जुगलांस रेगिया एल.)		10 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे
76	अंगूर (विटिस जातियां)		प्रत्येक स्थान के लिए 12 कलम लगाए गए पौधे (1 वर्ष आयु के)
77	भारतीय बेर (जिजिफस मौरिटियाना एल. एडमके.)		प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 7 पौधे (न्यूनतम आयु 3 माह)
78	सफेदा (यूकलिप्टस क्रेम्बुलेसिस डेहन)		कम से कम 6 माह आयु के 60 जड़दार पौधे (पौधों में कम से कम 250 सीसी जड़ ट्रेनर होने चाहिए)
79	सफेदा (यूकलिप्टस टेरिटीकॉर्निस एल.)		
80	चाय (कैमेरिया साइनेसिस एल.)		
81	चाय (कैमेरिया असेमिका)		75 पौधे (15–18 इंच चौड़ाई के), अपनी जड़ों के साथ पेंसिल के समान मोटाई वाले तने युक्त युवा पौधा
82	चाय (सी. असेमिका एसएसपी लासियोकैलिक्स.)		
83	खट्टा (सिट्रस औरेंटिफोलिया स्वींगल)		प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 10 पौधे। आयु छह माह से अधिक होनी चाहिए
84	संतरा (सिट्रस रेटिकुलेटा ब्लांको)	16/10/2014	प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 10 पौधे। आयु छह माह से अधिक होनी चाहिए
85	मौसम्बी (सिट्रस साइनेसिस एल. ओस्बैक)		प्रत्येक डीयूएस केन्द्र के लिए 10 पौधे। आयु छह माह से अधिक होनी चाहिए
86	बोगेनवीलिया (बोगेनवीलिया कॉम. एक्स जस.)		10 भली प्रकार विकसित जड़ों वाले स्थापित पौधे
87	केला (स्यूसा जातियां)		प्रति स्थान एक प्रस्तुती में 40 समरूप ऊतक संवर्धित पौधे

88	ऑर्किड (आंसिडियम एसडब्ल्यू)			कम से कम दो छद्म-बल्ब/प्ररोह युक्त 2–3 वर्ष आयु के 20 पौधे						
89	केली (कैन्चा एल.)			20 युवा पौधे या 20 परिपक्व घनकंद						
90	ग्लेडियोलस (ग्लेडियोलस एल.)			प्रकंद (4–4.5 सें.मी. व्यास के)						
91	खरबूजा (ख्यूक्यूमिस मेलो एल.)	21/1/2015	खुले खेत में उगाने के लिए 100 ग्रा. बीज	-	80	8	98	सित.-अक्टूबर	230x300	
92	तरबूज (सिट्रेलस लेनेटस) (थम्ब. मैस्फ.)		खुले खेत में उगाने के लिए 150 ग्रा. बीज	-	80	8	98	सित.-अक्टूबर	230x300	
93	चमेली (जैसिमस ऑर्किलेटम एल.)		20 जड़दार पौधे							
94	रजनीगंधा (पॉलिएथ्यस द्यूबरोजा एल.)		25–30 ग्रा. भार के 2 सें.मी. से अधिक (सबसे चौड़े स्थान का व्यास) वाले 75 बल्ब							
95	पपीता (कैरिका पपाया एल.)	2/7/2015	स्त्रीलिंगी किस्मों के लिए 20 ग्रा. तथा उभयलिंगी किस्मों के लिए 40 ग्रा. – दोनों मौसमों में	-	60	आदर्श भडारण के लिए 7%	किस्मों के लिए 98% और संकरों के लिए 90%			
96	चाइना ऐस्टर (कैलिस्टेफस चाइनेसिस एल. नीस.)		2 पैकेटों में, प्रत्येक में 2 ग्राम	-	60	6.9	98			
97	आडू (प्रूनस पर्सिका एल. बात्स्क. एच.)		10 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे							
98	जापानी आलूचा (प्रूनस सैलिसिना एल.)		10 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे							
99	स्ट्रावेरी (फ्रेगेरिया X इनानासन डच.)		120 भूस्तारी या पौधा प्रोप्यूग्यूल या पौध वाले पौधे (ऊतक संवर्धित पौधे जो 4–5 पर्ती अवस्था पर कठोर किए गए हैं)							
100	मिर्च, शिमला मिर्च और पैपरिका (कैमिक्स एनम एल.)		15 ग्रा. खुली परागित फसल के लिए और 10 ग्रा. संकर व	-	85	8	98			

			जनक बंशक्रम के लिए						
101	रामी (एल्यूसाइन कोरोना एल. गेइटन.)		250 ग्रा. – 10 पुष्पगुच्छ	-	80	10–12	97	अप्रैल–मई	230x300
102	कंगनी (सेटेरिया इटेलिका एल. बीयूव.)		250 ग्रा. – 10 पुष्पगुच्छ	.	80	11–12	97	अप्रैल–मई	230x300
103	सब्जी चौलाई (एमरेथस ट्राइकलर एल.)	19/4/2016	150 ग्रा. (केवल एक प्रस्तुती में)		80	<8	98	जुलाई–सित.	165x100
104	नसदार तोरी (लूफा एक्यूटांगुला एल. रॉक्सब.)		250 ग्रा. या 1500 बीज (केवल एक प्रस्तुती में)		80	<8	98		
105	स्पाइनच बीट (बीट वल्नरिस किस्म बंगालेसिस रॉक्सब.)		250 ग्रा. (केवल एक प्रस्तुती में)		80	<8	98	अग. –सितम्बर	165x100
106	कार्नेशन (डाइएथस कैरिया/फिल्स एल.)		150 जड़दार कलमें						
107	ऑर्किड (पैफियोपेडिलम पीफिलज.)		प्रत्येक केन्द्र के लिए 10 पौधे						
108	नौनी (मार्टिंडा सिद्रिफोलिया एल.)	13/7/2016	प्रत्येक स्थान के लिए 10 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे						
109	बेल (एड्विले मार्मलॉस एल. कोरी)		प्रत्येक केन्द्र के लिए 5 पौधे						
110	जामुन (जाइजियम क्यूमिनी एल. स्कोल्स.)		प्रत्येक स्थान के लिए 7 पौधे						
111	जायफल (मायरिस्टिका फ्रेग्रांस हाउट.)		प्रत्येक स्थान के लिए 10 कलम लगाए गए या कलिकायित पौधे						
112	चमेली / मोंगरा (जैस्मीनम ऐम्बेक एल.)		प्रत्येक स्थान के लिए 200 जड़दार पौधे						
113	शरीफा (ऐनोना स्कर्वैमोसा एल.)		8 कलमें						
114	कालमेघ (एड्विग्राफिस पैनिकुलेटा बर्म. एफ. वाल. एक्स नीस))		30 ग्रा.		95	8.9	98		
115	नीम (एजाडिरेक्टा इंडिका ए. जस.)	12/5/2017	60 सें.मी. ऊंचाई के 40 कलोनयुक्त जड़दार पौधे						

116	करंज (पांगोमिया पिन्नाटा एल. पियरे.)			60 सें.मी. ऊंचाई के 40 क्लोनयुक्त जड़दार पौधे				
117	भारतीय गूज़बेरी (एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस गेइट्टन)			03–04 माह आयु के पौधे				
118	पान लता (पाइपर बीटल एल.)			25 सें.मी. ऊंचाई के तीन माह आयु वाली जड़दार कलमें अक्षीय प्ररोहों सहित				
119	गेंदा (ट्रेटस जातियाँ एल.)			10 ग्रा. बीज या 200 जड़दार कलमें	80	8 से अधिक नहीं	98	अप्रैल–मई 165x100
120	अमरुद (सिडियम गुआजावा एल.)			प्रत्येक स्थान के लिए 8 कलमें/एयर लेयर				
121	लीची (लीची चाइनैसिस सोन.)			प्रत्येक स्थान के लिए 7 एयर लेयर				
122	देवदार (सेङ्ग्रस देवदार) (रोक्सब.) जी. डॉन			5 वृक्ष				
123	चीड़ (पायनस रॉक्सबर्धी) सार्जेंट			5 वृक्ष				
124	शहतूत (मॉरस जातियाँ)			12–15 सें.मी. लंबी और 1.0–1.5 सें.मी. व्यास की 50 तना कलमें				
125	चमेली (जैस्मीनम मल्टीप्लोरम एल.)			6 माह आयु के पूरी तरह विकसित जड़ों वाले 20 पौधे				
126	मंडुआ (फेगोपाइरम एस्क्यूलंटम)	500 ग्रा.	80	10% से अधिक नहीं	98			
127	मंडुआ (फेगोपाइरम टेटारिकम)	500 ग्रा.	80	10% से अधिक नहीं	98			
128	दाना चौलाई (एमरेथस हाइपोकोट्रिकस)	50 ग्रा.	80	10% से अधिक नहीं	98			
129	दाना चौलाई (ए. क्रूटेंटस)	50 ग्रा.	80	10% से अधिक नहीं	98			
130	दाना चौलाई (ए. काउडेटस)	50 ग्रा.	80	10% से अधिक नहीं	98			
131	दाना चौलाई (ए. इडुलिस)	50 ग्रा.	80	10% से अधिक नहीं	98			
132	बाकला (विसिया फाबा एल. किस्म मेजर हर्ज.)	150 ग्रा.	70	9% से अधिक नहीं	98			
133	जीमीकंद (एमोफर्फैलस पीओनीफोलियस)			प्रत्येक 200–400 ग्रा. के 36 कंद				

134	तारो (कोलोकोसिया एस्कुलेंटा किस्म) कोलोकोसिया किस्म एटीक्यूरम कोलोकोसिया एस्क्यूलेंटा किस्म स्टोलानिफेरस)			प्रत्येक 30–40 ग्रा. के 36 कंद				
135	तारो (क्रिटोस्पर्मा कैमिसोनिस/सी. मर्कुर्सी)			प्रत्येक 30–40 ग्रा. के 36 कंद				
136	रतनजोत (जैट्रोफा करकस एल.)			जून–जुलाई में 60 सें.मी. ऊंचाई के 60 जड़दार पौधे				
137	बार्नयार्ड मिलेट (एकिनोक्लोआ फ्रूमेंटेसी) (रॉकसब.) लिंक.		10 पुष्पगुच्छ सहित 250 ग्रा. बीज	80	12	97	अप्रैल–मई	230x300
138	कोदो (पास्पालम स्कोबिकुलेटम एल.)		10 पुष्पगुच्छ सहित 500 ग्रा. बीज	80	12	97	अप्रैल–मई	230x300
139	लिटल मिलेट (पैनिकम सुमात्रेंकत रॉथ. एक्स रोइमर और स्वल्टस)		10 पुष्पगुच्छ सहित 150 ग्रा. बीज	80	12	97	अप्रैल–मई	230x300
140	प्रोसो मिलेट (पैनिकम मेलियासियम एल.)		10 पुष्पगुच्छ सहित 200 ग्रा. बीज	80	12	97	अप्रैल–मई	230x300
141	काजू (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल एल.)	23/10/2017	8 कलम लगाए गए पौधे					
142	सुपारी (एरेका कटेचू एल.)		एक वर्ष आयु की 10 पौधे					
143	चिरोंजी (बुकानेरिया लेंजान स्पैंग)	9/1/2018	प्रत्येक स्थान के लिए 9 कलमें					
144	झमली (टेमरेंडस इंडिका एल.)							
145	शकरकंद (आइपोमिया बटाटास एल. लैम.)		प्रत्येक स्थान के लिए 9 कलमें दोनों केन्द्रों के लिए 150 लता कलमें (5–8 कलिका युक्त 30 सें.मी. लंबाई की प्रत्येक)					
146	कसावा (मैनिहॉर्ट एस्क्यूलेंटा क्रांट्ज)		प्रत्येक केन्द्र के लिए कम से कम 5–8 जीवंत कलिकाओं सहित 20 सें.मी. लंबी 10 कलमें					
147	पॉपलर (पॉपुलस डेल्टॉयडेस एल.)		1 वर्ष पुराने पौधों से प्राप्त 120 कलमें					
148–154	विलो (सैलिक्स जातियां) सैलिक्स ट्रेट्रास्पर्म, सैलिक्स नाइग्रा, सैलिक्स जैसोरासिस, सैलिक्स एक्स रूबेस, सैलिक्स मत्सुजाना, सैलिक्स एत्वा, सैलिक्स एक्सोफाइला	11/7/ 2018	120 कठोर काष्ट कलमें, व्यास 1 सें.मी. और लंबाई 20 सें.मी.					
155	जई (एवेना सेटाइवा एल.)		1,000 ग्रा.	85	10	98	जुलाई–अगस्त	230x300

156	खजूर (फीनिक्स डेकटाइलोफेरा एल.)		06 जड़दार भूस्तारी (अतिरिक्त प्ररोह), भार 8–10 कि.ग्रा.				
157	सहजन (मोरिंगा ओलिफेरा एल.)	18/7/ 2019	प्रत्येक केन्द्र के लिए 30 पौधे या 100 शुद्ध बीज				
158	मेलिया (मेलिया ड्रुबिया कैव.)	25/2/ 2019	100 जड़दार पौधे				
159	परवल (द्राइकोसेंथस डायोइका रॉकसब.)	अभी तक अधिसूचित नहीं	50 कंदीय जड़/जड़दार लता कलमें (कम से कम तीन गांठ युक्त)				
160	क्रॉसेंड्रा (क्रॉसेंड्रा इंफंडीबुलीफार्मिस (एल.) नीस.)	अभी तक अधिसूचित नहीं	6 सें.मी. से 8 सें.मी. तक के प्लग या प्रो-ट्रे में उगाई गई 100 अंतर्स्थ जड़दार कलमें (प्रत्येक केन्द्र के लिए 50)				
161	लोबिया (विग्ना एंग्वीकुलेटा एल.) वाल्प. जातिया एंग्वीकुलेटा और विग्ना एंग्वीकुलेटा एल. वाल्प. जातियां सेस्क्वीपेडेलिस (एल. वर्डिक.)	अभी तक अधिसूचित नहीं	1,000 ग्रा.	95	9	98	

3.3 क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मशोबरा; डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, मशोबरा, शिमला

वर्ष 2019–20 में एकत्रित की गई किस्मों का विवरण

- वर्ष 2019 के दौरान सेब के किस्म संकलन ब्लॉक में दो नई किस्में नामतः डार्क बेरन गाला और किंग रॉट जोड़ी गई।

फसल	अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉकों में किस्मों की संख्या	संदर्भ/किस्म संकलन ब्लॉकों में किस्मों की संख्या
सेब	268	118
नाशपाती	78	32
चेरी	46	21

- वर्ष 2019–20 के दौरान आरएचआर और टीएस, मशोबरा में अधिदेशित फसलों के अनुरक्षण प्रजनन व संदर्भ ब्लॉक में अनुरक्षित पौधों की कुल संख्या

फसल	अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक	संदर्भ ब्लॉक	पौधों की कुल संख्या
सेब	805	563	1368
नाशपाती	264	272	536
स्वीट चेरी	207	132	339
कुल	1276	967	2243

वर्ष 2019–20 में प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण

- दिनांक 21 जून 2019 को सीआईटीएच के वैज्ञानिक के साथ पनियाला, घुमारविन, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में सेब की कृषक किस्म एचआरएमएन–99 का स्थल पर डीयूएस परीक्षण किया गया।
- दिनांक 31.07.2019 को सीआईटीएच के वैज्ञानिक के साथ सेब की कृषक किस्म एपीपीएस पर जलतार, कोटखई, शिमला में स्थल पर डीयूएस परीक्षण किया गया तथा रिपोर्ट पीपीवी एवं एफआरए को प्रस्तुत की गई।

आरएचआर और टीएस, मशोबरा में लक्षण–वर्णित तथा अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत सेब, नाशपाती और चेरी की किस्में

फसल	अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉकों में किस्मों की संख्या	आंकड़ा प्रस्तुतीकरण (अनुरक्षण प्रजनन)
सेब	268	वानस्पतिक, पुष्पन और फल संबंधी गुणों के लिए
नाशपाती	78	केवल वानस्पतिक गुणों के लिए
चेरी	46	वानस्पतिक गुणों के लिए

- सेब के अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक में पुष्प के गुणों (बैलून अवस्था पर पुष्प का रंग और पंखुड़ियों की व्यवस्था) तथा फल के गुणों (फल का भार, फल का आकार–लंबाई और व्यास), लंबाई/व्यास का अनुपात, अखुवे का आकार, अंखुड़ियों की लंबाई, लैंटिसेल की संख्या, डंठल की लंबाई, डंठल की मोटाई, डंठल की गहराई, डंठल गुहा की चौड़ाई, अखुवा गुहा की गहराई, गूदे की कठोरता और गूदे के रंग पर केवल उन्हीं किस्मों से संबंधित लक्षण–वर्णन किए गए जिनमें वर्ष 2019 के दौरान फल लगे।



पत्रदल : प्ररोह के संदर्भ में प्रवृत्ति

ऊपर की ओर



ओरेगन स्पर

बाहर की ओर




वर्सेस्टर पियरमेन

नीचे की ओर



केसरी

पत्रदल : हरे रंग की गहनता



पुष्प : बैलून अवस्था पर प्रमुख रंग



- नाशपाती और चेरी में वानस्पतिक प्राचल (वृक्ष : पुष्टता, वृक्ष : शाखन, वृक्षः स्वभाव, एक वर्ष आयु का प्ररोह; वृद्धि, एक वर्ष आयु का प्ररोहः अंतरगांठों की लंबाई) और चेरी में वृक्ष के लिए आंकड़े जैसे वृक्षः पुष्टता, वृक्षः स्वभाव, वृक्षः शाखन, एक वर्ष आयु का प्ररोहः लंबाई तथा एक वर्ष आयु का प्ररोहः मोटाई जैसे प्राचल रिकॉर्ड किए गए।

पत्रदल: आधार की आकृति



पर्णवृत के आधारीय जु़़ाव से स्टीप्यूल की दूरी



लंबा



मझोला



छोटा

नैक्टराइन का रंग (चेरी)

ब्लैक हर्ट
गहरा लालवान
हरापन युक्त पीलासैम
हल्का लाल

एक वर्ष आयु का प्ररोह : लेंटिसेल की संख्या



अल्प



मध्यम



अनेक

आरएचआर एवं टीएस, मशोबरा में अधिदेशित फसलों नामतः सेब 1368, नाशपाती 536 और चेरी 339 अर्थात् कुल (2243) के अनुरक्षण प्रजनन व संदर्भ ब्लॉक में कुल पौधों का रखरखाव किया गया। अधिकांश पौधे जीन बैंक में उगाए गए और अब उनकी आयु 7 से 8 वर्ष है तथा इन पौधों के अनुरक्षण के लिए और अधिक जनशक्ति की आवश्यकता है। इसके अलावा इन पौधों को ओलों से बचाने के लिए ओलों से सुरक्षा देने वाली संरचना को स्थापित किए जाने की भी जरूरत है। ऐसा सेब के संकलन ब्लॉक में स्थापित किस्मों के लिए किया जा चुका है तथा अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक का एक छोटा भाग भी ढक दिया गया है। चेरी तथा नाशपाती के ब्लॉकों को भी ढकने की आवश्यकता है और ऐसा आने वाले वर्षों में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

वर्ष 2019–20 में किए गए कार्य की प्रगति (संदर्भ ब्लॉक)

- सीआईटीएच, श्रीनगर; एनबीपीजीआर, फागली; आरएचआरएस, सेवबाघ, टीएचआरएस, कोटखई, पीसीडीओ, बजौरा, वीटा फ्रूट, इटली आदि से एकने, बेले डे बोस्कूप, ब्यूटी ऑफ बाथ, स्टारक्रिम्सन गोल्ड जैसी अन्य किस्मों के साथ-साथ सेब के महत्वपूर्ण प्रभेदों जैसे डेलिसियस, गाला और चूजी को एकत्र करके संदर्भ ब्लॉक में रखरखाव किया गया।
- सेब की किस्म का प्रकार :** डेलिसियस और इसके प्रभेद

किस्में	वाईएसपीयू एच और एफ, नौनी	आरएच आरएस, एच, मशीबरा श्रीनगर	सीआईटीएच, एनबीपीजीआर, फागली	पीसीडीओ, बजौरा	पीसीडीओ, अन्नू	एसकेयूएसटी, श्रीनगर	आरएचआरएस, सेवबाघ	टीएचआरएस, कोटखई	निजी बाग	वीटा फ्रूट इटली	कुल
रेड डेलिसियस		√	√	√							3
स्टार्किंग डेलिसियस		√	√	√				√	√		5
रिचारेड		√	√								2
स्टारक्रिम्सन डेलिसियस		√	√	√	√		√	√	√		7
हार्डमेन		√	√								2
स्कार्फलाइन सुप्रीम डेलिसियस		√	√	√							3
वांस डेलिसियस		√	√	√				√			4
ब्राइट एन अर्ली		√				√		√			3
अर्ली रेड वन		√		√	√				√	√	5
रेड चीफ	√	√	√	√	√	√		√			7
टॉप रेड		√	√		√			√			4
सुपर चीफ	√	√			√				√√√√		7
सिल्वर स्पर		√	√	√	√			√			5
ओरेगॉन स्पर		√	√		√						3
ओरेगॉन स्पर II		√		√	√	√		√		√	6
रेड स्पर		√		√					√		3
वैल स्पर		√	√	√	√			√	√		6
स्कार्लेट स्पर II		√						√		√	3
मिलर्स स्टर्डी स्पर		√						√			2
स्कार्लेट स्पर		√			√					√	3
ऐस स्पर	√								√		2
टाइडमैन अर्ली		√	√	√							3
रेड मैकॉय		√		√		√					3
हार्डी ब्राइट स्पर				√							1
कैम्पसपर					√						1
रेड वेलॉक्स	√									√	2
जेरोमीन	√										1
गोल्डन डेलिसियस		√	√								2
मोदी										√	1
रेडकैप वेल्टोड										√	1
केहलेंगर	√										1

वैली स्पर	√													1
डोर्सेट गोल्डन	√													1
किंग रॉट													√	1

● सेब की किस्म का प्रकार : गाला और उसके प्रभेद

फसल	वाईएसपीयूएच और एफ, नौनी मशोबरा	आरएचआरसीआईटीएच, एस, श्रीनगर	इनबीपीजीआर, फागली	जीबीपीयूए एवं टी, पर्वतीय परिसर, रानीचौरी	पीसीडीओ , बजौरा	आरए चआर एस, सेवबाट	निजी बाग	विटा प्रूट, इटली	कुल
गाला				√					1
गाले गाला		√					√		2
स्कार्लेट गाला	√		√			√			3
गैलेक्सी					√				1
ब्रूकफिल्ड गाला				√					1
गाला मस्ट		√							1
क्रिस्सन गाला							√		1
गाला मिचेला					√				1
रॉयल गाला				√	√	√			3
रेडियम गाला	√								1
फुलफोर्ड गाला	√								1
गालावाल गाला							√		1
गाला वीनस							√		1
बकेई गाला							√		1
डार्क बैरन गाला							√		1

● सेब की किस्म के प्रकार : पयूजी और इसके प्रभेद

किस्में	आरएचआरएस, मशोबरा	सीआईटीएच, श्रीनगर	एनबीपीजी आर, फागली	जीबीपीयूए और टी, पर्वतीय परिसर, रानीचौरी	पीसीडीओ , बजौरा	कुल
पयूजी	√	√				2
रेड पयूजी	√	√	√		√	4
कोई रेड पयूजी	√	√				2
पयूजी किकू					√	1
पयूजी राकू राकू					√	1
आउविल अली पयूजी					√	1
सन पयूजी					√	1
एजटेक पयूजी				√		1

● अन्य किस्में

किस्में	आरएचआरएस, मशोबरा	सीआईटीए च, श्रीनगर	एनबीपीजीआरजीबीपीयूए और टी, पर्वतीय परिसर, रानीचौरी	पीसीडीओ, बजौरा	आरएचआरए स, सेवबाग	कुल
अकाने			√			1
ग्लोस्टर	√				√	2
कोर्टलेड			√			1
जूनागोल्ड			√			1
इनग्रिड मैरी	√		√			2

मुत्सु	√		√	√			3
बैल्ले डी बोस्कूप			√				1
कॉक्स ओरंज पिपिन	√		√		√		3
जेम्स ग्रीव	√		√				
रेड एस्ट्रेचैन	√						1
वोरसेस्टर पियरमेन	√						1
इडा रेड			√	√			2
मल्लोस	√		√				2
मेलनटोस	√						1
लोदी अर्ली गोल्डन	√		√				2
ब्यूटी ऑफ बाथ	√						1
ग्रैनी स्मिथ	√	√	√				3
स्पार्टन	√	√	√		√	√	5
विस्टा बेला		√					1
कूपर IV		√					1
अमेरिकन एप्रीरॉग		√					1
फिरदौस		√	√				2
शिरीन		√					1
रेड गोल्ड	√	√	√				3
बैनोनी		√					1
पिंक लेडी		√			√		2
लैक्सटनंस फोरट्यून		√	√				2
प्राइमर		√		√			2
समर रेड		√		√			2
माइकेल		√	√				2
जून इटिंग		√					1
रेड बैरन	√	√	√				3
लाल अम्बरी		√					1
अम्बरी	√	√					2
विंटर कोमर्शियल		√					1
ग्रीन स्लीव्स		√					
रोम ब्यूटी	√	√	√				3
पर्लिन्स ब्यूटी		√	√				2
अर्ली मैकइंटोश		√	√				2
मायन		√	√				2
ब्लैक बेन डेविस	√	√	√				3
गोल्ड स्पर	√	√	√		√	√	6
ऐना		√	√				2
किंग हेससियस		√		√			2
चेनपोरा कलेक्शन			√				1
स्टार क्रिम्सन गोल्ड			√				1
जोनिका			√				1
टेलीसेरे			√				1
लेनिनगार्ड			√				1
स्टार्क समर गोल्ड			√				1
वेल्डी		√					1

इंडो			√				1
केसरी	√		√				2
मय गोल्ड		√	√				2
विल्सन रेड जून		√					1
जोनाथन			√				1
मोलीस डेलिसियस	√	√	√				3
गिब्सन गोल्डन	√						1
गोल्डन स्मूथी					√		1
वेल्डी डबल रेड	√						1
किंग्स ऑफ पिपिंस							1

- वर्ष के दौरान पारिस्थितिक प्राचलों (एक वर्ष आयु के प्ररोह : मोटाई, एक वर्ष आयु के प्ररोह: अंतरगांठ की लंबाई, एक वर्ष आयु के प्ररोह: लैंटीसेल की संख्या, एक वर्ष आयु के प्ररोह: धूप की परत वाले भाग का रंग तथा एक वर्ष आयु के प्ररोह: प्ररोह की तारूण्यता) से संबंधित सेब के संदर्भ ब्लॉक में जबकि फल के गुणों संबंधी आंकड़े नामतः फल का भार, फल का आकार (लंबाई और व्यास), लंबाई/व्यास का अनुपात, आकृति, उभारदार धारियां, अंखुड़ी की लंबाई, अंखुड़ी छोर पर किरिट, छिलके पर चमक, चिकनापन, सतह के रंग, रंग वाले संबंधित क्षेत्र, पूरे रंग के घनत्व, सम्पूर्ण फल पर रंग की आभा, फल पर रंग के पैटर्न, डंठल जुड़ाव के चारों ओर के क्षेत्र, जोड़ पर रसेट के क्षेत्र, अखुवा थाले के चारों ओर रसेट के क्षेत्र, लैंटीसेल की संख्या, डंठल की लंबाई, डंठल की मोटाई, डंठल की गहराई, डंठल गुहा की चौड़ाई, अखुवे के आकार, अखुवा गुहा की गहराई, गूदे के रंग तथा बीजकोष्ठ के छिद्र को क्षेत्र के जननद्रव्य ब्लॉक से एकत्र किए गए नमूनों से संबंधित आंकड़े रिकॉर्ड किए गए।

संदर्भ ब्लॉक में चेरी किस्मों का स्रोत और संख्या

क्र.सं.	किस्में	आरएचआरएस, मशोबरा	सीआईटीएच, श्रीनगर	एसकेएयूएसटी, श्रीनगर	टीएचआरएस, कोटखई	आरएचआरएस, सेवबाघ	निजी बाग नारकंडा	कुल
1.	बिगेरीयू नॉयर ग्रोसा		√	√				2
2.	बिगेरीयू नैपोलियन		√	√				2
3.	स्वीट हर्ट		√					1
4.	स्टेला	√	√			√		3
5.	लैपिन्स	√	√			√		3
6.	ग्वीग्ने नॉयर हैटिव	√	√					2
7.	ग्वीग्ने पाउरपी प्रीसी		√	√				2
8.	जर्मसडॉर्फर्स				√			1
9.	मर्टन ग्लोरी	√						1
10.	अर्ली रिवर्स	√						1
11.	बिंग	√	√					2
12.	सैम	√						1
13.	वैन	√	√		√		√	4
14.	वेगा	√						1
15.	सनबर्स्ट	√				√		2
16.	लैम्बर्ट	√	√			√		3
17.	सीआईटीएच-चैरी-4		√					1
18.	सीआईटीएच-चैरी-5		√					1
19.	सीआईटीएच-चैरी-8		√					1
20.	सीआईटीएच-चैरी-16		√					1
21.	डयूरॉन नेरो-॥	√				√		2

- नाशपाती : वानस्पतिक प्राचलों (वृक्षः पुष्टता, वृक्षः शाखन, वृक्षः स्वभाव, एक वर्ष आयु का प्ररोहः वृद्धि, एक वर्ष आयु का प्ररोहः अंतरगांठ की लंबाई) के लिए आंकड़े रिकॉर्ड किए गए और चेरी के मामले में वृक्षः पुष्टता, वृक्षः स्वभाव, वृक्षः शाखन, एक वर्ष आयु के प्ररोहः लंबाई और एक वर्ष आयु के प्ररोह / मोटाई से संबंधित आंकड़े रिकॉर्ड किए गए।

संदर्भ ब्लॉक में नाशपाती की किस्मों का स्रोत और संख्या

क्र. सं.	किस्में	आरएच आर एवं टीएस, मशोबरा	सीआई टीएच, श्रीनगर	एनबीपी जीआर, फागली	जीबीपीयूए और टी, पर्वतीय परिसर, रानीचौरी	एसके एयूएस टी, श्रीनगर	पीसीडीओ, बजौरा	आरएच आरएस, शारबो	आईएआरआई, अमरतारा	टीएचआरएस, कोटखई	निजी बाग	विट 1 फ्रूट, इटली	कुल
1	बैटिरी गिफार्ड		√										1
2	डोयने ढू कोमाइस		√		√					√			3
3	प्यासुआ बेहापा		√										1
4	सांत्या ब्रासकाया		√	√									2
5	हवर्ड		√										1
6	विलियम पियर		√					√	√			√	4
7	ग्रेंड ड्राउआर्ड		√										1
8	स्टार क्रिमसन						√	√		√			3
9	जाइपी होइयू कोपेसिया	√											1
10	मैक्स रेड बार्टलेट						√	√		√			3
11	सेवरेंटा		√										1
12	कोसिया		√										1
13	रेड बार्टलेट			√			√	√		√			4
14	बेयूरे बोसे				√						√		2
15	बेयूरे हार्डी	√		√									2
16	काफरेंस				√						√√		3
17	पैकखाम्स ट्रम्प्फ									√	√√		3
18	जार्गोनेले			√						√			2
19	कॉन्कोर्ड				√					√	√√	√	5
20	व्हेल्प्स फैवरेट			√									1
21	बुर गिफार्ड			√									1
22	डॉ. ज्यूलेस गॉथेट							√					1
23	विकार ऑफ		√										1

	विंकफील्ड											
24	अबाटे फेटल					√				√		2
25	अंजॉउ									√		1
26	कैनल रेड					√						1
27	कार्मन					√						1
28	लैक्सटंस सुपर्ब									√		1
29	नोवेयू पोइश्यू									√		1
30	रेड सेंसेशन						√					1
31	स्टार्क विंटर बार्टलेट									√		
32	सेवरियंक			√								1

सेब का संदर्भ ब्लॉक

क्रैबनानो (मुख्य केन्द्र के निकट) नाशपाती और चेरी के ब्लॉकों में रोपाई की गई है जबकि जीन बैंक भवन के निकट सघोरा में सेब के ब्लॉक हैं।

सेब तथा चेरी के आधे खेत को अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है तथा आधे को संदर्भ ब्लॉक के रूप में रखा गया है, जबकि सेब का संदर्भ ब्लॉक सड़क के नीचे है तथा अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक सड़क के ऊपर है।

3.4 डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली, महाराष्ट्र

डॉ. बी.एस. कोंकण विद्यापीठ, दपोली में 'सजीव रिपोजिटरी' के माध्यम से फल तथा रोपण फसलों की तीन जातियों

के विवरणों का संकलन, अनुरक्षण, मूल्यांकन एवं 'विकास' शीर्षक की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। संदर्भ किस्मों/डीयूएस परीक्षण ब्लॉक/जीन बैंक ब्लॉक के लिए स्थल संबंधी योजना तैयार कर ली गई है तथा अदरक, छोटी इलायची, काली मिर्च, हल्दी आदि के लिए भूमि की तैयारी पूरी हो चुकी है।

फसल	अनुरक्षण के अंतर्गत किस्मों/पारिस्थितिक प्रकारों की संख्या
आम	36
हल्दी	13 पारिस्थितिक प्ररूप
	31 किस्में
सिद्रस	4 जातियां
कच्ची नींबू	1
काली मिर्च	6
केला	46
जायफल	4 किस्में
कटहल	2 किस्में (14 पौधे)

आम, नींबूवर्गीय फलों, अदरक, हल्दी तथा काली मिर्च के लिए संदर्भ किस्म ब्लॉक स्थापित किया गया। आम के मामले में विभिन्न भागों से अनेक किस्में पहले संकलित की गई थीं जो निम्नानुसार हैं: अल्फांसो (वैनगुर्ले, दपोली, देवगड), सिंधु, रतना (रुखी), नीलम (वाकावाली), पैरी, निरंजन (औरंगाबाद), तोतापुरी, फर्नेंडिना (डिकोली, म्हाप्सा, सत्तारी, कोदर), मनकुरद, गोआमांकुर, राजापुरी, केशर (जूनागढ़), बारहमाशी, पेडारसम (अदिलाबाद), विन्नारसम (मेडाक), बंगनपल्ली, हिमायतपसंद (संगारेड़डी)। कुल अन्य 20 किस्में आरएफआरएफ आम अनुसंधान केन्द्र, वेनगुर्ला, बागवानी विभाग, धपोली,



सीईएस वाकवाली, श्री भूषण पद्माकर नबार, मठ, वेंगुर्ले से एकत्र की गई।

कुछ डीयूएस विवरणों के लिए मातृ पौधों का लक्षण—वर्णन किया गया। स्कियॉन डंडियां सीईएस, वाकावली से खरीदी गई तथा सामान्य बहुभूषीय मूलवृत्त अर्थात् ‘वेलेईकोलम्बन’ पर संदर्भ किस्म ब्लॉक में संरक्षित किया गया। यह मूलवृत्त स्थानीय रूप से अनुकूलित है। सामान्य बहुभूषीय मूलवृत्त पर आम की किस्मों की कलम लगाने के लिए नर्सरी स्थापित की गई। इस नर्सरी में वेलेईकोलम्बन किस्म की लगभग 280 पौध उगाई गई तथा उन्हें 3 मी. x 3 मी. अंतराल पर जीन बैंक में स्थापित किया गया।

हल्दी के मामले में 13 पारिस्थितिक प्ररूप और 31 किस्में नामतः कृष्णा (सांगली), फुले स्वरूपा, राजापुरी, टेकुरपेठा, सेलम (वाई सतारा), वेर्हगान सलेक्शन (अकोला) और कडपा (वास्तव) जैसे विभिन्न स्थानों से एकत्र की गई। अदरक की चार किस्में डॉ. अशोक चिवाटे, कोरेगांव, महाराष्ट्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र दिगरस सांगली, श्री श्रीपद दिगमाने, सांगली; और श्री संतोष डारेकर, बोरगांव, सतारा से प्राप्त की गई। हल्दी और अदरक की ये किस्में नारियल के बाग के अंतर्गत संदर्भ ब्लॉक में रोपी गई। डॉ. अशोक चिवाटे, कृषि अनुसंधान केन्द्र, डिगरास सांगली, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान फार्म, पेरुवेन्नामुझी; श्री संजय जाधव, बदलापुर, महाराष्ट्र से एकत्र की गई। काली मिर्च की कुछ किस्में नामतः पेन्नीयूर 1–7, श्रीकारा, पंचमी, शुभकारा, पौर्णमी, गिरीमुंडा, कालाबार लोकल, शक्ति एवं काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र, पेन्नीयूर तथा केरल स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान फार्म, केरुवेन्नामुझी से एकत्र की गई तथा उन्हें संदर्भ किस्म के ब्लॉक में रोपा गया। इसी प्रकार, इलायची की कुछ किस्में नामतः एमसीएच-1, आरआरआई एनकेई 12, सीसीएस-1, आईसीआरआई-1, आईसीआरआई-2, आईसीआरआई-3, आईसीआरआई-5, आईसीआरआई-7 भी इलायची अनुसंधान केन्द्र, अप्नगाला तथा भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, मैला दुम्पारा से एकत्र की गई, ताकि उन्हें संदर्भ किस्म ब्लॉक में रोपा जा सके। आईसीएआर-एनआरसी, त्रिची से 30 किस्में संकलित की गई।

नागपुर और धपोली से सिट्रस की किस्में नामतः नागपुर मेंडारिन, मोसम्बी, कागजी लाइम और सीडलैस लैमन पहले एकत्र किए गए थे। इन्हें संदर्भ किस्म ब्लॉक में रोपा गया। संदर्भ किस्म तथा फील्ड जीन बैंक स्थापित करने के लिए भूमि साफ की गई, कंटूर टेरेस तैयार किए गए, ले आउट बनाया गया तथा संबंधित ब्लॉक में पौधे रोपे गए। घड़े तथा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। आवश्यक बाड़ भी लगाई गई तथा खेत प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

क्र.सं.	जाति का नाम	प्राप्त जननद्रव्यों की संख्या	स्रोत
1.	केला	8 किस्में	श्री विजयन, अध्यक्ष, चेंगलीकोदन बनाना ग्रोअर्स एसोसिएशन एरुमाप्रती, त्रिशुर, केरल
2.	कचई नींबू	10 पौधे	मणिपुर केन्द्र, इम्फाल
3.	कटहल	2 किस्में	पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली
4.	मिर्च	15 ग्राम	केन्द्रीय तटवर्ती कृषि अनुसंधान संस्थान, गोवा
5.	हल्दी	2 किस्में	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
6.	जायफल	3 किस्में	श्री जोस मैथ्यू, श्री वार्क थोम्सन और श्री टॉम सी. एंटोमी
7.	रोपण सामग्री	160 पौधे	आईपीआर कोष्ठ, केरल कृषि विश्वविद्यालय, केरल
8.	बण्डा	5 किस्में	शाजी, एन.एम. अरत्तुथारा वायनाड, केरल
9.	रोपण सामग्री	42 पौधे	श्री पी.वी. जोश, पुल्लन हाउस, चलाकुड़डी परेम्बा, पोट्टा, त्रिशुर, केरल 680722
10.	रोपण सामग्री	21 जातियां	श्री के.आर. जयन, कैपुल्ली मैडम, अतिताथुर, काल्लटुम्कारा, त्रिशुर, केरल- 680683
11.	रोपण सामग्री	44 जातियां	श्री रविन्द्रन. आर., रेजी भवन, केआरए 172, पानाचावला लेन, उल्लूर, मेडिकल कॉलेज, डाकघर त्रिअनंतपुरम, केरल

12.	रोपण सामग्री	21 जातियां	श्री के.आर. जयन, कैपुल्ली मैडम, अविताथुर, काल्लटुम्कारा, त्रिशूर, केरल–680683
13.	औषधीय (बीज सामग्री)	1 जाति	
14.	नींबू (पौधा)	6 पौधे	श्री प्रसाद राम हेगडे, ग्राम कनकोडलू डाकघर हेम्माडी, ताल्लुक येल्लापुर– 581402
15.	नींबू (मूलवृत्त सामग्री)	4 जातियां	उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य, भारत
16.	नींबू (बीज सामग्री)	6 जातियां	
17.	केला	5 किस्में	
18.	दालचीनी	2 किस्में	
19.	आम	39 किस्में	
20.	काली मिर्च	5 किस्में	

वर्ष 2020–21 के लिए योजना

- आम की संकरित की गई किस्म का लक्षण–वर्णन
- नवीन प्रस्तावित आम की किस्मों का संकलन और लक्षण–वर्णन
- आईपीआर कोष्ठ, केरल से प्राप्त कृषक किस्मों की रोपाई
- बण्डा की विभिन्न किस्मों के घनकदंडों की बुवाई
- हल्दी की विभिन्न किस्मों की बुवाई और उनका रखरखाव
- पीपीवी और एफआर कार्यक्रम का जागरूकता कार्यक्रम
- पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण द्वारा नामित कटहल तथा जायफल की प्रत्याशी किस्मों और कृषक किस्मों का संरक्षण
- कृषक किस्मों का सर्वेक्षण तथा संकलन तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली के अंतर्गत उनका पंजीकरण

3.5 डीयूएस केन्द्रों तथा परियोजनाओं की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

3.5.1 दिनांक 2 अगस्त, 2019 को आयोजित 34वीं ईवीआरसी बैठक

ईवीआरसी की 34वीं बैठक डॉ. एच.एस. गुप्ता, पूर्व निदेशक, आईएआरआई की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भा.कृ.अ.प.के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए 19 आवेदन समिति के समक्ष रखे गए, जिनमें से एक आवेदन 2019 की सार्वजनिक सूचना के अनुसार संकरों के लिए समय–सीमा गुजर जाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि जैसा कि राजपत्र में उल्लिखित है, जनक वंशक्रमों के प्रस्तुत किए गए बीजों तथा नाम का उल्लेख होना संकर बीजों के लिए आवश्यक है। इसके लिए विद्यमान व अधिसूचित किस्मों के संबंध में राजपत्र में उल्लेख होना चाहिए तथा यदि कोई अंतर हो तो आवेदक से उसे सुधारने का राजपत्र में अनुरोध किया जाना चाहिए।

3.5.2 दिनांक 24 फरवरी 2020 को आयोजित ईडीआरसी की 35वीं बैठक

ईवीआरसी की 35वीं बैठक डॉ. एच.एस. गुप्ता, पूर्व निदेशक, आईएआरआई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी कंपनियों द्वारा पूरे दस्तावेजों सहित दाखिल किए गए आवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यह निर्णय लिया गया कि विद्यमान किस्म की श्रेणी के अंतर्गत फसल जातियों के पंजीकरण हेतु समय–सीमा के समाप्त होने के बारे में 2020 तक भा.कृ.अ.प. के सभी संस्थानों

और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा प्रजनकों को अवधि समाप्त होने की समय–सीमा के बारे में सूचित किया जाए। यह निर्णय भी लिया गया कि प्राधिकरण को मूल्यांकन हेतु परीक्षण के दौरान आवेदक द्वारा किए गए दावों के रूप में संदर्भ किस्मों/तुलनीय किस्मों सहित डीयूएस विवरणों के अनुसार प्रत्याशी किस्मों के लिए पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाना चाहिए। यह तकनीकी प्रश्नावली (टीक्यू) के आवेदन का हिस्सा होना चाहिए। डीयूएस विवरण उन दो स्थानों से कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिकृति आंकड़ों के रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए जहां मूल्यांकन किया गया हो। परीक्षण प्रभारी द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित रिकॉर्ड के रूप में आंकड़ा सूचना की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह निर्णय खरीफ 2020 से प्रभावी होना माना गया।

3.5.3 डॉ. बी.एस.दिल्लो, माननीय कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के अंतर्गत 24.01.2020 को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से डीयूएस लक्षण–वर्णन का संकलन’ विषय पर कार्यबल समिति की दूसरी बैठक

समिति एकमत से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डीएनएफपी आण्विक मार्करों के भली प्रकार वितरित व सत्यापित सैट का उपयोग कर रहा है जिसका इस्तेमाल किस्मों के पंजीकरण हेतु डीयूएस परीक्षण में किया जाना चाहिए। समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. किस्मों के पंजीकरण हेतु डीयूएस परीक्षण करने के लिए डीयूएस से संबंधित आण्विक मार्करों या सख्यविज्ञानी गुणों का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. अधिसूचित फसल जातियों के पंजीकरण के लिए डीयूएस लक्षण–वर्णन हेतु गुण संबंधित जीन/क्यूटीपीएल विशिष्ट मार्करों की उपलब्धता होनी चाहिए।
3. अधिसूचित किस्मों के मानक परिचालनीय प्रोटोकॉल (एसओपी) का एक समरूप सैट विकसित किया जाना चाहिए।
4. विभिन्न फसल जातियों के लिए प्रत्यायित संदर्भ प्रयोगशाला की पहचान की जानी चाहिए तथा प्रयोगशालाओं को निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए (परियोजना मोड/परिक्रामी निधि/नमूना आधार पर)
5. गुणप्ररूपी आंकड़ों द्वारा डीयूएस लक्षण–वर्णनों से युक्त डेटाबेस का विकास और एकीकरण
6. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एसओपी विकसित करने हेतु कार्यसमूहों पर आधारित मंडल का गठन किया जाना चाहिए।

3.5.4 डॉ. जे.पी. टंडन, पूर्व सहायक महानिदेशक (एफएफसी) की अध्यक्षता में एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 26 फरवरी 2019 को आउटसोर्स आधार पर डीयूएस परीक्षण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) बोलियां आमंत्रित करने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक

समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

- 1 डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के आउटसोर्सिंग के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थानों/संगठनों, दोनों को शामिल करना तथा पात्र स्थापनाओं से रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करना।
- 2 डीयूएस परीक्षण के लिए प्रत्येक फसल जाति के अनुसार कम से कम दो स्थानों का अंचलवार तथा क्षेत्रवार चयन करना।
- 3 पर परागित फसलों में श्रेष्ठ गुणवत्ता की मृदाओं, सिंचाई, पर्याप्त विलगन दूरियों की उपलब्धता के साथ–साथ स्थान तथा वहां तक पहुंचने की सुविधा के आधार पर डीयूएस परीक्षण केन्द्रों की पहचान करना।
- 4 उचित फार्म प्रबंधन मशीनरी की उपलब्धता।
- 5 फार्म भूमि को संगठन/संस्थान द्वारा या तो स्वामित्व पर अधिग्रहीत किया जाना चाहिए या दीर्घावधि के पटटे पर लिया जाना चाहिए।
- 6 डीयूएस केन्द्र में पर्याप्त प्रयोगशाला स्थान होना चाहिए।
- 7 वैज्ञानिक स्टाफ पर्याप्त रूप में उपलब्ध होना चाहिए।
- 8 सभी डीयूएस सामग्री कोडित होनी चाहिए।
- 9 प्राधिकरण को डीयूएस परीक्षण स्थल तक अबाध पहुंच उपलब्ध होनी चाहिए।

10 डीयूएस परीक्षण के लिए वांछित बजट संगठन द्वारा प्रस्तुत आकलन पर आधारित होना चाहिए।

3.5.5 डॉ. जे.पी. टंडन, पूर्व सहायक महानिदेशक (एफएफसी) की अध्यक्षता में एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 19 अगस्त 2019 को आउटसोर्स आधार पर डीयूएस परीक्षण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) बोलियां आमंत्रित करने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक

कथित बैठक में रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करने, संगठन/संस्थानों की पात्रता तथा शर्तों व दशाओं को अंतिम रूप दिया गया।

3.5.6 दिनांक 25 और 26 अप्रैल 2019 को खरीफ फसलें–2019 के लिए डीयूएस केन्द्रों की 15वीं समीक्षा बैठक

इस तथ्य पर बल दिया गया कि डीयूएस केन्द्रों तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के बीच वैधानिक रूप से पुनरीक्षण के आधार पर उचित संचार व्यवस्था बनाई रखी जानी चाहिए। सभी परीक्षण केन्द्रों को अच्छी संकल्पना वाले फोटोग्राफ से युक्त डीयूएस परीक्षण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे तथा वैधानिक कार्यवाहियों में पर्याप्त स्पष्टता रखनी होगी। आईआईवीआर और आईआईएचआर केन्द्रों द्वारा डीयूएस परीक्षण करने का समय स्पष्ट किया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत करने के पूर्व फोटो की जांच केन्द्रों के प्रधान अन्वेषकों द्वारा अच्छी तरह की जानी चाहिए। वित्तीय तथा तकनीकी प्रतिवेदनों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि बाड़ लगाना आवश्यक हो तो अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता का प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा बीज की पर्याप्त मात्रा प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा न होने पर आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। डीयूएस प्रारूप पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएफएमएस साज–संभाल में तकनीकी समस्या हल होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि सहयोगी केन्द्रों को धनराशि मुख्य केन्द्रों के माध्यम से जारी की जाएगी। केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े एक कानूनी दस्तावेज हैं, अतः इन्हें केवल व्यावसायिक रूप से पात्र कार्मिकों द्वारा संशोधित और प्रलेखित किया जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप में परियोजना स्टाफ का विवरण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। केन्द्र की ओर से कर्तव्य पालन में उपेक्षा बरतने के कारण उचित निष्पादन न होने की किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के घटने पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए। प्रत्याशी किस्म के जिस बीज की आवश्यकता न हो उसे नष्ट कर देना चाहिए।

3.5.7 समिति कक्ष पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण में 2 मार्च 2020 को आयोजित परियोजना मूल्यांकन बैठक

समिति ने यह निर्णय लिया कि फसल के उद्गम जैसे मामले में आवेदक से विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए, भले ही फसल वार्षिक हो या बहुवर्षी हो। फसल के पारिस्थितिक अनुकूलन, खेती के अंतर्गत क्षेत्र, व्यापार में उपलब्ध किस्मों की संख्या, स्थानीय खेती के अंतर्गत किस्मों के रूप में स्थानीय सामग्री की उपलब्धता जैसे विवरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

प्राधिकरण की अपेक्षा के आधार पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह के दौरान परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। सभी परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए तथा समिति के सदस्यों द्वारा उन पर चर्चा हुई और उनकी आलोचनात्मक जांच की गई।

3.5.8 दिनांक 26 सितम्बर 2019 को आयोजित रबी फसलें 2019 के लिए डीयूएस केन्द्रों की 16वीं समीक्षा बैठक

तकनीकी सत्र 1 में जिन मुख्य बिंदुओं पर निर्णय लिए गए वे निम्नानुसार हैं :

- पादप किस्मों के पंजीकरण के लिए क्रियाविधि 1 सितम्बर 2018 से प्रभावी बनाते हुए संशोधित की गई है।
- आवेदक द्वारा खरीफ, रबी और ग्रीष्म/बसंत मौसम के लिए निर्धारित समय–सीमा का पालन किया जाना चाहिए।
- परीक्षण की समय पर निगरानी के लिए केन्द्रों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

4. परीक्षण के अंतर्गत फसल कटाई की तिथि के बाद चार माह के अंदर परीक्षण के त्रुटि रहित समेकित प्रमाणित आंकड़े पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पहुंच जाने चाहिए।
5. निर्धारित स्तर के बाद गैर–समरूप प्रकारों के घटिया अंकुरण/अंकुरित न होने की रिपोर्ट सम्बद्ध पंजीकार को तत्काल भेजी जानी चाहिए।
6. संकरों का जनक वंशक्रमों के साथ पंजीकरण किया जाएगा तथा जनकों के लिए डीयूएस परीक्षण भी किया जाएगा।
7. नए प्रकार की संदर्भ किस्मों को शामिल करते हुए संकरों तथा किस्मों के मूल्यांकन हेतु शैली के दूसरे वर्ष के मूल्यांकन का विस्तार किया जाना चाहिए।

पंजीकरण हेतु कृषक किस्म के प्रस्तुत किए जाने के लिए इसका भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालय में फसल प्रजनक को एक वर्ष के लिए लक्षण–वर्णन करना होगा तथा इसकी शुद्धता व समरूपता को भी प्रजनक द्वारा प्रमाणित करना होगा। पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण केन्द्र के संबंधित प्रधान अन्वेषक को कम से कम 10 दिन पहले वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित फसलों की नई प्रविष्टियों की रोपण सामग्री की प्राप्ति के बारे में सूचित करेगा। बहुवार्षिक फसलों की कृषक किस्मों के परीक्षण के लिए मात्र पौधों की उपस्थिति वांछित है।

यूसी और एसओई की समय पर प्रस्तुती। डीयूएस केन्द्रों द्वारा वास्तविक समय आंकड़ों के ऑन–लाइन प्रस्तुतीकरण के लिए वेब आधारित परीक्षण आंकड़े चुनी हुई संदर्भ किस्मों के बारे में उपलब्ध कराने होंगे। परीक्षण कोड के अलावा प्रविष्टि कोड भी शामिल करना होगा। एक बार प्रत्याशी किस्म यदि पंजीकृत हो जाती है तो संदर्भ किस्मों के संकलन में प्रत्याशी किस्मों को लाने के लिए उसे डेटाबेस में शामिल करने का प्रावधान होना चाहिए।

अध्याय 4 : डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास

4.1. डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने पर परियोजनाएं

प्राधिकरण ने कई संस्थानों की पहचान की है तथा उन्हें डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए दो/तीन वर्षीय परियोजनाएं सौंपी हैं ताकि प्राधिकरण के पंजीकरण क्षेत्र का विस्तार किया जा सके। प्रतिवेदित अवधि के दौरान विभिन्न फसलों जैसे कि ग्रेटर याम एवं याम बीन, टीक, सीबकथॉर्न, कॉसेंडा, कटहल, अजवाइन, शतपुष्प, कलौंजी नाइजेल्ला, अजमोद सेलेरी, मोटी सौफ़ (एनिसे), नींबू, पमेलो, कॉफी, एलेंथस, कोकोआ, लिलियम, जरखेरा, कोकम, एफसीवी तथा बीड़ी तंबाकू जैसी परियोजनाएं के विभिन्न चरणों में था।

4.1.1 क्रॉसेंडा (क्रॉसेंडा इंफ़ाडिबुलिफ़ार्मिस) फूलों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक परियोजना भाकृअनुप–आईआईएचआर, बैंगलोर को सौंपी गई तथा डॉ. सी. आर. अश्वथ को इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक का कार्य सौंपा गया। डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और किस्मों के पंजीकरण हेतु इसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।



4.1.2 यॉम बीन (येचिराइजस एरोसस) और ग्रेटर याम (डिसोस्कोरिया एलाटा) इन दो फसल प्रजातियों हेतु डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए इस परियोजना को भाकृअनुप–सीटीसीआरआई, त्रिवेन्द्रम को मुख्य केंद्र के रूप में सौंपा गया है तथा डॉ. एम. एन. शीला को इस परियोजना का प्रधान अन्वेषक; सीटीसीआरई का भुवनेश्वर केंद्र, इसके सहयोगी केंद्र के रूप में कार्य करेगा और डॉ. कालिदास पति को केंद्र का प्रधान अन्वेषक बनाया गया है। डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और किस्मों के पंजीकरण हेतु इसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।



4.1.3 कटहल (ऑर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस लेम्क.) पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु परियोजना को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके, बैंगलोर को सौंपा गया और डॉ. श्यामलम्मा को इस परियोजना के अग्रणी केंद्र के प्रधान अन्वेषक का दायित्व दिया गया है तथा भाकृअनुप–एनईएच क्षेत्र अनुसंधान परिसर, उमियम, मेघालय को इसका सहयोगी केंद्र बनाया गया है। डॉ. रथ असुमी इस केंद्र के प्रधान अन्वेषक का कार्य देखेंगे। डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और किस्मों के पंजीकरण हेतु इसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।



4.1.4 सीबकथॉर्न (हिप्पोफे रेम्नोइड्स लिन.) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए परियोजना का दायित्व डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन को लीड सेंटर के रूप में सौंपा गया है तथा डॉ. एच. पी. संख्यान को इस परियोजना का प्रधान अन्वेषक का कार्य सौंपा गया है तथा डीआईएचआर (डिहार), लेह, लद्दाख को सहयोगी केंद्र के तौर पर इस परियोजना का दायित्व दिया गया है तथा डॉ. टी. स्टोबदन इस केंद्र के पीआई होंगे। डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और किस्मों के पंजीकरण हेतु इसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।



4.1.5 विविध प्रकार के प्रमुख मसालों जैसे सौंफ, जीरा तथा गौण बीजीय मसाले अर्थात् अजवाइन, शतपुष्प, अजमोद, कलौंजी (नाइजेल्ला) तथा मोटी सौंफ (एनिस) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए एक परियोजना को राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तबीजी, अजमेर, को सौंपा गया है तथा डॉ. आर. एस. मीणा को इस परियोजना का प्रधान अन्वेषक (पीआई) का दायित्व सौंपा गया है। उपर्युक्त फसलों के लिए डीयूएस ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को इस केंद्र द्वारा तैयार करके इसे अंतिम रूप देने के लिए कार्यबल (टास्क फोर्स) समिति के समक्ष रखा गया है।



4.1.6 दो वृक्ष प्रजातियों टीक (टेक्टोना ग्रॉड्ज़े) एवं मेलिया (मेलिया डुबिया) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने से संबंधित परियोजना को आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर को सौंपा गया तथा डॉ. शिवा कुमार को इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक का कार्य सौंपा गया। मेलिया (मेलिया डुबिया) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे डीयूएस केंद्र के रूप में संस्थापित किया गया है, डॉ. रेखा वॉरियर को इस डीयूएस केंद्र का पीआई नियुक्त किया गया है। टीक के लिए ड्राफ्ट परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।



4.1.7 केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान के कॉफी अनुसंधान केंद्र, चिकमगलूर, कर्नाटक को कॉफी (कॉफिया अरेबिया एवं कॉफिया कर्नेफोरा) पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक दो वर्षीय परियोजना का दायित्व सौंपा गया तथा डॉ. एन. सूर्य प्रकाश राव इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक (पीआई) होंगे। इस केंद्र ने ड्राफ्ट डीयूएस दिशानिर्देशों को तैयार कर लिया है जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।



4.1.8 डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश को लिलियम लिलियम प्रजाति, ओरेइंटल, एशियाटिक, एलए संकर एवं ओटी हाइब्रिड के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के पुष्टिकरण हेतु दो वर्षीय परियोजना का दायित्व सौंपा गया तथा डॉ. एस. आर. धीमन इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक (पीआई) होंगे। ड्राफ्ट डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित कर इस केंद्र द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इन्हें अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था।



4.1.9 भाकृअनुप—आईआईएचआर, बैंगलोर के पुष्प संवर्द्धन एवं भेषजीय फसल प्रभाग को जरबेरा (जरबेरा जेमेसोनी बोलस एक्स हूकर एफ.) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के पुष्टिकरण के लिए एक द्विवर्षीय परियोजना सौंपी गई तथा डॉ. चेन्ना रेड्डी अश्वथ इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक होंगे। डीयूएस दिशानिर्देशों के ड्राफ्ट को विकसित करके इन्हें अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था।



4.1.10 कोकोआ के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए भाकृअनुप—सीपीसीआरआई के क्षेत्रीय केंद्र, विट्टल, बंटवाल टीके, कर्नाटक को एक तीन वर्षीय परियोजना सौंपी गई है। डॉ. नागराजा एन. आर. इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक का कार्य देखेंगे। डीयूएस दिशानिर्देशों के ड्राफ्ट को तैयार करके इन्हें अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिशानिर्देशों



को तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था।

4.1.11 कोकम हेतु डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए एक तीन वर्षीय परियोजना को अग्रणी केंद्र के रूप में डॉ. बालासाहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली, रत्नागिरि को सौंपा गया तथा डॉ. वी. वी. दाल्वी इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक होंगे। भाकृअनुप—सीसीएआरई, ओल्ड गोवा को इस परियोजना का सहयोगी केंद्र बनाया गया है तथा वहां पर डॉ. (श्रीमती) एस. प्रिया देवी को परियोजना के पीआई का दायित्व दिया गया है। डीयूएस दिशानिर्देशों के ड्राफ्ट को तैयार करके इन्हें अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था।



4.1.12 नींबू और पमेलो के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने के



लिए अग्रणी केंद्र के तौर पर भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को एक तीन वर्षीय परियोजना का दायित्व सौंपा गया। मुख्य केंद्र पर डॉ. ए. के. दुबे इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक का कार्य देखेंगे। सहयोगी केंद्र पर इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भाकृअनुप के उत्तर पूर्वी अनुसंधान परिसर, उमियम, मेघालय का चयन किया गया है तथा वहां डॉ. एन. ए. देशमुख इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक का कार्य देखेंगे। डीयूएस दिशानिर्देशों के ड्राफ्ट को तैयार करके इन्हें अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था।



4.1.13 भाकृअनुप—केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुंद्री को एफसीवी फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया एवं बीड़ी तंबाकू के लिए विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक द्विवर्षीय परियोजना सौंपी गई। डॉ. के. सरला को इस परियोजना का पीआई बनाया गया है। डीयूएस दिशानिर्देशों के ड्राफ्ट को तैयार करके इन्हें अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था।



4.1.14 एलेंथस एक्सेल रॉकस्ब. एवं जीन बैंक की स्थापना एवं निरूपकों (डिस्किप्टर) हेतु डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए दो वर्षीय परियोजना को वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईसीएफआरई), कोयम्बटूर को सौंपा गया है। डॉ. राजासुगुनाशेखर को इस परियोजना का पीआई बनाया गया है। डीयूएस दिशानिर्देशों के ड्राफ्ट को तैयार करके इन्हें अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था।



4.2. जारी परियोजनाएं

4.2.1 “डहलिया (डहलिया प्रजाति) के डीयूएस निरूपकों के वैधीकरण” पर परियोजना

वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन के अंतर्गत आरएचआरटीएस, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश डहलिया (डहलिया प्रजाति) के लिए डीयूएस निरूपकों के वैधीकरण” पर मुख्य केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस परियोजना को वर्ष 2018–19 में प्रारंभ किया गया था तथा कुल 50 संदर्भित/दृष्टांत किस्मों का उनके वृद्धि तथा पुष्पन संबंधी मापदंडों के मूल्यांकन हेतु रखरखाव किया गया ताकि डहलिया के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित किया जा सके। इन 50 में से 45 शोभाकारी पुष्प समूह, 03 कैवटस प्रकार के तथा दो एकल प्रकार के थे। बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय (बीसीकेरी), मोहनपुर, नादिया, पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय समन्वित पुष्प संवर्द्धन परियोजना को इसका सहयोगी केंद्र बनाया गया जो डहलिया पर डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करने का कार्य संचालित कर रहा है। यह केंद्र हिब्रिस्कस के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करने का भी कार्य कर रहा है।



4.2.2 “लेमन घास (सिंबोपॉगोन लेक्सुओसस एल.)” पर डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करने पर परियोजना

सीएसआईआर—एनईआईएसटी, जोरहाट, असम “लेमन घास (सिंबोपॉगोन लेक्सुओसस एल.)” पर डीयूएस दिशानिर्देशों को तैयार करने का कार्य कर रहा है। लेमन घास पर डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के लिए इस परियोजना को वर्ष 2018–19 के दौरान शुरू किया गया था। फील्ड परीक्षण केंद्र में लेमन घास के कुल 370 जनन सामग्री (जर्मप्लाज्म) का संग्रह करके उसका रखरखाव किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 09 प्रतिनिधि विशेषताओं का मूल्यांकन किया गया तथा शेष विशेषताओं को आगामी वर्ष (2020–21) में दर्ज किया जाएगा। मूल्यांकन किए गए जिन 09 विशेषताओं का मूल्यांकन किया गया उनमें तने का रंग, मुख्य तने में गांठों की संख्या, गांठ का रंग, मिडरिब का रंग, स्पाइक के निकलने का समय, पुष्पक्रम का रंग और प्रकार, सुगंधित तेल की मात्रा (एफडब्ल्यूबी) और उसकी गुणवत्ता को शामिल किया गया था।



4.2.3 “जैतून के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के वैधीकरण एवं विकास” पर परियोजना

भाकृअनुप—सीआईटीएच, श्रीनगर ” जैतून के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के वैधीकरण एवं विकास” पर काम कर रहा है। 2019–20 के दौरान इस केंद्र पर जैतून की 18 किस्मों का दृष्टांत किस्मों के रूप में उनके विभिन्न फल विशेषताओं के लिए, रामबन तथा कुछ किस्मों का राजस्थान जैतून कलिंवेशन लिमिटेड में मूल्यांकन किया गया ताकि भारतीय दशाओं में जैतून की फसल के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को तैयार किया जा सके।



4.2.4 “जम्मू और कश्मीर के समशीतोष्ण क्षेत्रों में केसर (क्रोकस स्टाइवस एल.) के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रोन्त करने हेतु निरूपकों का विकास” पर परियोजना

केसर अनुसंधान केंद्र, एसकेयूएस एंड टी, पंपोर, श्रीनगर द्वारा जम्मू और कश्मीर के समशीतोष्ण क्षेत्रों में केसर (क्रोकस स्टाइवस एल.) के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रोन्त करने हेतु निरूपकों का विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना 2018–19 के दौरान शुरू हुई। 2019–20 की अवधि के दौरान, मुख्य स्थलों (हॉट स्पॉट) से कुल 411 जर्मप्लाजम वंशावलियों को एकत्र किया गया, जिसमें समान वजन के 50 कर्न को सैंपल साइज के रूप में लिया गया। 2018–19 के दौरान, 650 क्लोनों के साथ इस परियोजना को संचालित किया गया, हालांकि, दोहरे अभिव्यक्ति (समान लक्षणों) वाले क्लोनों को हटा दिया गया था। वर्ष 2019–20 में डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करने हेतु केसर रिसर्च स्टेशन, एसकेयूएस एंड टी, श्रीनगर में आंकड़ों के सृजन हेतु केवल 268 क्लोनों पर विचार किया गया।



4.2.5 “कालाजीरा (बुनियम पर्सिकम बॉइस फेड्टस) के डीयूएस परीक्षण दिशा-निर्देशों के विकास” पर परियोजना

केसर अनुसंधान केंद्र, एसकेयूएस एंड टी, पंपोर, श्रीनगर “कालाजीरा (बुनियम पर्सिकम बॉइस फेड्टस) के डीयूएस परीक्षण दिशा-निर्देशों को तैयार करने का कार्य कर रहा है। यह परियोजना 2018–19 के दौरान शुरू हुई जिसमें पीआई और सह-पीआई ने इस अवधि में कालाजीरा के मुख्य स्थलों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान, जिला पुलवामा में काला जीरा के 02, बड़गाम में 03, श्रीनगर में 02, बांदीपोरा में 01, डोडा में 03 और लद्दाख में 03 मुख्य स्थलों (हॉट स्पॉट) की पहचान की गई। इन स्थानों से कुल 51 जर्मप्लाजम वंशावलियों को एकत्र किया गया जिसमें समान वजन के 20 कंदों को सैंपल साइज के तौर पर लिया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए इन तकनीकी कार्यक्रम के अनुसार संग्रहित कंद के नमूनों का विभिन्न मापदंडों के लिए विश्लेषण किया गया।



4.2.6 “एंथुरियम (एंथुरियम एंड्रेनम) के डीयूएस लक्षण वर्णन” पर परियोजना

पुष्पसंवर्द्धन एवं भूदृश्य संरचना विभाग, बागवानी महाविद्यालय, मुडिग्रेरी, चिकमगलूर, कर्नाटक द्वारा एंथुरियम (एंथुरियम एंड्रेनम) के डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना को 2019–20 के दौरान तीन वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया था, एंथुरियम की 10 किस्मों के 15 लक्षणों का पॉलीहाउस दशाओं में अध्ययन किया गया। विभिन्न संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर इन एकत्रित आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग फसल सुधार कार्यक्रम में किया जाएगा। एंथुरियम के विभिन्न जीनप्ररूपों का रूपाकृतिक अध्ययन इसलिए अनिवार्य हो जाता



है क्योंकि पौधों के टेक्सोनॉमिक वर्गीकरण में रूपाकृतिक लक्षण सबसे प्रमुख मानक हैं। एथुरियम के लिए डीयूएस दिशा-निर्देशों को तैयार करने में निरूपकों के उपयोग द्वारा एथुरियम का रूपाकृतिक लक्षण वर्णन किया गया।

4.2.7 आईएआरआई, नई दिल्ली में मूली एवं गाजर के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास

डीयूएस परीक्षण हेतु किस्मों एवं संकरों की संख्या : मूली = 38 गाजर = 33

संदर्भों की संख्या एवं केंद्र में रखरखाव की जा रही दृष्टांत किस्मों की संख्या : मूली = 15 गाजर = 14

डीयूएस परिणामों का सारांश : मूली की कुल 38 किस्मों/एफ₁ संकरों (19 प्राइवेट कंपनियों से तथा 19 सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से) का 29 डीयूएस विशेषताओं के लिए चरित्र वर्णन किया गया। गाजर की 33 किस्मों/एफ₁ संकरों (18 प्राइवेट कंपनियों से तथा 15 सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से) का 25 डीयूएस विशेषताओं के लिए चरित्र वर्णन किया गया। गाजर तथा मूली की सार्वजनिक सेक्टर की किस्मों का रखरखाव व प्रजनन किया गया। 6.12.2019 को इनकी निगरानी की गई।



4.2.8 यूएस, धारवाड़ में ग्वार फली (क्लस्टर बीन), हॉर्सबीन (कुलथी) तथा मोथबीन के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित किया गया

उपर्युक्त तीन फसलों के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करने के कार्य को पूरा कर लिया गया है। इसके लिए कार्यबल समिति का गठन किया गया है तथा समिति द्वारा दिए गए सुझावों को सम्मिलित करके अतिशीघ्र दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

4.2.9 . डॉलिकस बीन (लबलब परप्यूरियस एल.) की कृषक-किस्मों के डीयूएस परीक्षण दिशा-निर्देशों, लक्षण वर्णन और प्रलेखन का विकास

इस परियोजना को 28–08–2019 को रबी सीजन के दौरान प्रारंभ किया गया तथा इसके लिए 01 जेआरएफ और 02 फील्ड सहायकों की भर्ती की गई। डॉलिकस (लबलब परप्यूरियस एल.) की 36 जारी किस्मों एवं 185 डॉलीकस (लबलब परप्यूरियस एल.) जर्मप्लाज्म को विभिन्न संस्थानों (टीएनएयू कोयम्बटूर, एमपीकेवी राहुरी, डॉ. बीएसकेवी, आईएआरआई, आईआईवीआर, जेएनकेवीवी, केएयू भाकृअनुप–आरसीईआर, डॉ. वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय, जेरयू यूएस–जीकेवीके तथा एनबीपीजीआर) से एकत्रित किया गया। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि, पुष्प, फली और बीज गुणों जैसे विभिन्न लक्षणों के लिए रबी 2019–20 के दौरान संवर्धित डिजाइन में इन संग्रहों का मूल्यांकन किया गया। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, डॉलिकस बीन की जिन किस्मों में विभिन्न लक्षणों को पाया गया उन्हें अलग करने के लिए 185 जर्मप्लाज्म में से कुछ को दृष्टांत किस्मों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इन छांटी गई दृष्टांत किस्मों तथा उन लक्षणों की रबी 2020–21 के दौरान प्रतिकृति परीक्षणों में पुनः पुष्टि की जाएगी।



4.2.10 कदू वर्गीय चाउ—चाउ, ऐश गौर्ड, स्नेक गॉर्ड एवं आइवि गोर्ड सब्जियों के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करना, बागवानी विभाग, एएसआरडी, मेडजिफेमा परिसर, नागार्लैंड विश्वविद्यालय, नागार्लैंड

ए) ऐश गौर्ड

1. विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भाकृअनुप के संस्थानों तथा किसानों के खेतों से ऐश गौर्ड की संदर्भित किस्मों/स्थानीय किस्मों का संग्रह किया गया है।
2. विभिन्न निरूपकों जैसे यूपीओवी, एनबीपीजीआर, बॉयोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल तथा अन्य कदूवर्गीय डीयूएस दिशानिर्देशों के आधार पर डीयूएस परीक्षण हेतु लिए जाने वाले प्रेक्षणों को दर्ज करने के लिए ऐश गौर्ड के रूपात्मक मापदंडों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।
3. पहले वर्ष की फसल काल में कुल मिलाकर 43 रूपाकृतिक मापदंडों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया है।
4. पहले वर्ष के परिणामों की पुष्टि हेतु द्वितीय वर्ष की फसल, खेतों में तैयार है और आंकड़ों को दर्ज करने का कार्य प्रगति पर है।
5. ऐश गौर्ड की संग्रहीत किस्मों/जननद्रव्य का विवरण (34 नम्बर)
6. ऐश गौर्ड में दर्ज किए गए रूपाकृतिक मापदंडों की संख्या : 43

बी) चिचिंडा (स्नेक गौर्ड)

1. विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भाकृअनुप के संस्थानों से चिचिंडा (स्नेक गौर्ड) की संदर्भित किस्मों/स्थानीय किस्मों का संग्रह किया गया है।
2. विभिन्न निरूपकों जैसे यूपीओवी, एनबीपीजीआर, बॉयोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल तथा अन्य कदूवर्गीय डीयूएस दिशानिर्देशों के आधार पर डीयूएस परीक्षण हेतु लिए जाने वाले प्रेक्षणों के लिए स्नेक गौर्ड किस्मों (38) के रूपात्मक मापदंडों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।
3. पहले वर्ष की फसल में कुल मिलाकर 38 रूपाकृतिक मापदंडों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया है।
4. पहले वर्ष के परिणामों की पुष्टि हेतु द्वितीय वर्ष की फसल खेतों में तैयार है और आंकड़ों को दर्ज करने का कार्य प्रगति पर है।

सी) आइवी गौर्ड

1. आईजीकेवी रायपुर, भाकृअनुप, सीएचईएस—भुबनेश्वर, केएयू—केरल से फरवरी, 2018 में आइवि गौर्ड (6) की संदर्भित किस्मों का संग्रह किया गया (तालिका 5)। आसाम, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से अक्टूबर—नवंबर, 2018 के दौरान 05 विभिन्न स्थानीय किस्मों (लैंड रेसेज) का संग्रह किया गया।
2. खेतों में कुल 11 किस्मों/जननद्रव्य के मातृ ब्लॉक का रखरखाव किया जा रहा है।

3. विभिन्न निरूपकों जैसे यूपीओवी, एनबीपीजीआर, बॉयोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल तथा अन्य कददूवर्गीय डीयूएस दिशानिर्देशों के आधार पर डीयूएस परीक्षण हेतु दर्ज किए जाने वाले प्रेक्षणों के लिए आइवि गौर्ड की किस्मों (37) के रूपात्मक मापदंडों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।

4. सेंटीस (37) रूपाकृतिक मापदंडों पर आंकड़ों को दर्ज करने का कार्य प्रगति पर है।

डी) चाउ—चाउ

1. वर्ष 2018 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के विभिन्न राज्यों से चाउ—चाउ के 21 जर्मप्लाज्म/स्थानीय किस्मों का संग्रह किया गया।

2. खेतों में मातृ ब्लॉक का रखरखाव किया जा रहा है।

3. विभिन्न निरूपकों जैसे यूपीओवी, एनबीपीजीआर, बॉयोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल तथा अन्य कददूवर्गीय डीयूएस दिशानिर्देशों के आधार पर डीयूएस परीक्षण हेतु लिए जाने वाले प्रेक्षणों के लिए चाउ—चाउ की किस्मों (36) के रूपात्मक मापदंडों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।

4. छत्तीस (36) रूपाकृतिक मापदंडों पर आंकड़ों को दर्ज करने का कार्य प्रगति पर है।

अध्याय 5 : कृषकों से संबंधित गतिविधियां

5.1 प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियां			
क्रम संख्या	क्रियाकलाप	2019-20	कुल
1	जागरूकता कार्यक्रम	3	3
2	कार्यशाला	5	5
3	अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	3	3
4	प्रदर्शनी	4	4
5	इंटरफेस बैठक	1	1
6	सेमिनार	1	1
	महा योग	17	

विभिन्न हितधारकों जैसे भाकृअनुप के संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केवीके, एनजीओ, सरकारी विभाग, किसान, शोधकर्ता, पादप प्रजनकों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों एवं छात्रों आदि को शामिल करते हुए पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों से संबंधित आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यक्रम	संस्थान	बैठक का प्रकार
1.	01 अगस्त, 2019	डॉ. रवि प्रकाश, पंजीयक ने एफआरआई, देहरादून में ‘रोपण वनों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु एक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संसाधनों के रूप में आनुवंशिक रूप से उन्नत रोपण स्टॉक’ पर आयोजित सेमिनार में सहभागिता की तथा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के बारे में एक व्याख्यान भी दिया।	विश्वविद्यालय	सेमिनार
2.	01–03 अगस्त, 2019	श्री आर. एस. सेंगर, उप पंजीयक ने पीपीवी एवं एफआरए के अन्य स्टॉफ के साथ 1–3 अगस्त, 2019 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो–2019 में भाग लिया। श्री कैलाश चौधरी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार ने पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के स्टाल का अवलोकन किया और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में प्राधिकरण के कर्मचारियों से पारस्परिक विमर्श किया।	पीपीवी एवं एफआरए	प्रदर्शनी
3.	26 अगस्त, 2019	पीपीवी एवं एफआरए के अध्यक्ष, महा पंजीयक, पंजीयक तथा विधि सलाहकार ने प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद– 500030, तेलंगाना में ‘बीज सेक्टर के साथ इंटरफेस बैठक’ में सहभागिता की। डॉ. रवि प्रकाश, पंजीयक ने “नई प्रक्रियाविधि के अनुसार डीयूएस परीक्षण” पर तथा डॉ. टी. के. नागरत्ना, पंजीयक ने	एसएयू	इंटरफेस बैठक

		“पीपीवी एवं एफआरए में फसल किस्मों के पंजीकरण हेतु अपनाए जाने वाले नए प्रोटोकॉल” पर एक व्याख्यान दिया।		
4.	02 सितंबर, 2019	श्री आर. एस. सेंगर, उप पंजीयक, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने नारियल विकास बोर्ड द्वारा 02 सितंबर, 2019 को भुबनेश्वर, ओडिशा में आयोजित विश्व नारियल दिवस में सहभागिता की।	कृषि मंत्रालय	प्रदर्शनी
5.	10–11 अक्टूबर, 2019	डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीयक एवं डॉ. रवि प्रकाश, पंजीयक ने भाकृअनुप–सीटीसीआरआई, तिरुअनंतपुरम में ‘हरीतिमा समृद्धि’ के लिए मूल्यवान पादप आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु पीपीवी एवं एफआरए सहित संरक्षक किसानों को सम्पन्न बनाने” पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में सहभागिता की तथा पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर एक व्याख्यान दिया।	भाकृअनुप–सीटीसीआरआई, तिरुअनंतपुरम	क्षेत्रीय कार्यशाला
6.	22 अक्टूबर, 2019	डॉ. बी. पी. पाल ऑडिटोरियम, भाकृअनुप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड समारोह	पीपीवी एवं एफआरए	प्रदर्शनी
7.	30–31 अक्टूबर, 2019	डॉ. रवि प्रकाश, पंजीयक ने भाकृअनुप–सीआईएसएच एवं सीएसआईआर–सीआईएमएपी, लखनऊ द्वारा आयोजित “मैदानी भागों में स्ट्राबेरी उत्पादन” पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।	भाकृअनुप–सीआईएसएच एवं सीएसआईआर–सीआईएमएपी	कार्यशाला
8.	30 नवंबर, 2019	डॉ. रवि प्रकाश, पंजीयक ने “पीपीवी एवं एफआरए अधिनियम, 2001” पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया तथा पीपीवी एवं एफआरए अधिनियम, 2001 पर एक व्याख्यान दिया तथा भाकृअनुप–डीजीआर में मूँगफली के डीयूएस केंद्र का दौरा किया तथा डीयूएस केंद्र के कार्यकलापों की समीक्षा की।	भाकृअनुप–डीजीआर, जूनागढ़	क्षेत्रीय कार्यशाला
9.	17 दिसंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनएससी परिसर, नई दिल्ली में बीज सेक्टर के विकास हेतु इंडो–जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत “पंजीकृत किस्मों का पश्च पादप किस्म नियन्त्रण एवं पादप प्रजनकों के अधिकार को कियान्वित करने” पर आयोजित इंडो–जर्मन कार्यशाला में अपने अन्य सहकर्मियों के साथ सहभागिता की।	इंडो–जर्मन	अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला
10.	10 जनवरी, 2020	बीएनसीए, बिस्वनाथ चारियाली, आसाम में 10.01.2020 को नेशनल सिटेंस मीट–2020 के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यशाला	बीएनसीए, आसाम	क्षेत्रीय कार्यशाला
11.	03 फरवरी, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, भाकृअनुप–आईएआरआई, नई दिल्ली में “बीज उत्पादन एवं गुणवत्ता आश्वासन” पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया तथा “पादप किस्म संरक्षण : भारतीय परिप्रेक्ष्य” पर एक व्याख्यान दिया।	भाकृअनुप–आईएआरआई	प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.	13–14 फरवरी, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने तोरिया–सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान में सीड सेक्टर में इंडो–जर्मन सहयोग के तहत तोरिया एवं सरसों के डीयूएस परीक्षण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में पीपीवी एवं एफआरए के अन्य कार्मिकों के साथ सहभागिता की।	पीपीवी एवं एफआरए	अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला
13.	17 फरवरी, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जेडब्ल्यू मेरियट, एरोसिटी, नई दिल्ली में भारतीय बीज कांग्रेस –2020 के दौरान “भारत में बीज गुणवत्ता नियमन एवं आईपीआर व्यवस्था” के तकनीकी सत्र –4 की अध्यक्षता की तथा “पीपीवी एवं एफआर अधिनियम–चुनौतियां एवं संभावनाओं के अंतर्गत प्रजनक एवं कृषक अधिकार के साथ लाभ वितरण तंत्र” पर एक व्याख्यान भी दिया।	एनएसएआई	भारतीय बीज कांग्रेस
14.	23–25 फरवरी, 2020	डॉ. रवि प्रकाश, पंजीयक ने भाकृअनुप–राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में “पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण पर जागरूकता” कार्यक्रम में भाग लिया तथा सत्र की अध्यक्षता की और इस अवसर पर “पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001” पर एक व्याख्यान भी दिया।	भाकृअनुप–एनआरसी ऑन बनाना	जागरूकता / कार्यशाला
15.	19–20 फरवरी, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पीपीवी एवं एफआरए के अन्य कार्मिकों के साथ भाकृअनुप–भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा में बीज सेक्टर में इंडो–जर्मन सहयोग के तहत गेहूं एवं जौ के डीयूएस परीक्षण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में सहभागिता की।	पीपीवी एवं एफआरए	अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला
16.	26 फरवरी, 2020	डॉ. रवि प्रकाश, पंजीयक ने भाकृअनुप–आईएआरआई, नई दिल्ली में “पुष्प संवर्द्धन एवं भूदृश्य में प्रगति” पर आयोजित मॉडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया तथा तकनीकी सत्र के दौरान “पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 एवं पुष्प प्रजातियों की किस्मों का संरक्षण” पर एक व्याख्यान भी दिया।	आईसीएआर–आईएआरआई	प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.2. क्षेत्रीय कार्यशालाएँ :

प्रतिवेदित अवधि के दौरान तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनका विस्तृत व्यौरा नीचे दिया गया है:

5.2.1 भाकृअनुप–सीटीसीआरआई, तिरुअनंतपुरम में 10–11 अक्टूबर, 2019 के दौरान “हरीतिमा समृद्धि के लिए मूल्यवान पादप आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु पीपीवी एवं एफआर अधिनियम सहित संरक्षक किसानों को सम्पन्न बनाना” पर क्षेत्रीय कार्यशाला

केरल एवं कर्नाटक के किसानों के लिए भाकृअनुप–केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (भाकृअनुप–सीटीसीआरआई), श्रीकार्यम में 10–11 अक्टूबर, 2019 के दौरान “हरीतिमा समृद्धि के लिए मूल्यवान

पादप आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु पीपीवी एवं एफआर अधिनियम सहित संरक्षक किसानों को सम्पन्न बनाने “ पर एक दो-दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीयक, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए) ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रजनकों के अधिकारों एवं किसानों के अधिकारों के मध्य एक संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। डॉ. रवि प्रकाश, पंजीयक, पीपीवी एवं एफआरए ने किसानों को उनके अधिकारों तथा फसल किस्मों के पंजीकरण के महत्व के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकृअनुप–सीटीसीआरआई की निदेशक डॉ. अर्चना मुखर्जी ने की।



5.2.2 भाकृअनुप–डीजीआर, जूनागढ़ में 30 नवंबर, 2019 को “पीपीवी एवं एफआरए अधिनियम, 2001” पर क्षेत्रीय कार्यशाला

डॉ. रवि प्रकाश, पंजीयक ने “पीपीवी एवं एफआरए अधिनियम, 2001” पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में सहभागिता की तथा पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने भाकृअनुप–डीजीआर, जूनागढ़ में मूंगफली किस्म के डीयूएस केंद्र का दौरा किया तथा डीयूएस केंद्र पर चल रहे कियाकलापों की समीक्षा की।

5.2.3 बीएनसीए, बिस्वनाथ चारियाली, आसाम में 10.01.2020 को राष्ट्रीय नींबू सम्मेलन (नेषनल सिट्रस मीट) – 2020 के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन

पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सिट्रस मीट–2020 के साथ मिलकर बीएनसीए, बिस्वनाथ चारियाली, आसाम में एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. के. वी. प्रभु ने इस क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने सहभागिता की।

1. डॉ. ए. के. सिंह, उपमहानिदेशक (बागवानी), भाकृअनुप, नई दिल्ली

2. डॉ. अशोक भट्टाचार्य, कुलपति, एएयू जोरहट, आसाम
3. डॉ. एम. एस. लडानिया, निदेशक, भाकृअनुप—केंद्रीय नींबूवर्गीय अनुसंधान संस्थान, नागपुर
4. डॉ. बिद्युत डेका, निदेशक, भाकृअनुप—एटीएआरआई, शिलांग
5. डॉ. एस. के. मलिक, प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप, नई दिल्ली
6. डॉ. आई. पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप—सीसीआरआई, नागपुर
7. डॉ. आर. एस. सेंगर, उप पंजीयक, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली

8. डॉ. फूल सिंह मालवीय, उप पंजीयक, पीपीवी एवं एफआरए, शाखा कार्यालय गुवाहाटी



क्षेत्रीय कार्यशाला तथा राष्ट्रीय सिट्रस मीट–2020 का उद्घाटन करते हुए डॉ. के. वी. प्रभु, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए साथ में हैं डॉ. ए. के. सिंह, उपमहानिदेशक (बागवानी), भाकृअनुप, नई दिल्ली, डॉ. अशोक भट्टाचार्य, कुलपति, आसाम कृषि विश्वविद्यालय, डॉ. लडानिया, निदेशक, सीसीआरआई, नागपुर तथा भाकृअनुप के अन्य अधिकारीगण।

इस कार्यक्रम में सभी उत्तर पूर्वी राज्यों (सात पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों के अधिकारी एवं प्रगतिशील किसानों सहित) से लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें किसानों के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें किसानों द्वारा संरक्षित एवं परिरक्षित फसल प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया। पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने भी इस प्रदर्शनी में सहभागिता की तथा चावल की 25 किसरों तथा औषधीय एवं सुगंधित पौधों की 50 प्रजातियों को प्रदर्शित किया। पीपीवी एवं एफआरए द्वारा पुरस्कृत किसानों के संग्रह एवं संरक्षण को भी इसमें प्रदर्शित किया गया।

5.3 किसानों के लिए प्रशिक्षण –सह–जागरूकता कार्यक्रम :

प्राधिकरण ने देश के विभिन्न स्थानों पर पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के तहत किसानों के लिए 03 प्रशिक्षण–सह–जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में प्राधिकरण के अधिकारियों ने सहभागिता की तथा कृषक अधिकार एवं पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान दिया।

5.4 कृषक–किस्मों से संबंधित परियोजना : लक्षण वर्णन एवं प्रलेखन :

प्रतिवेदित अवधि के दौरान कृषक–किस्मों के लक्षण वर्णन, प्रलेखन एवं संरक्षण हेतु विभिन्न संस्थानों में फसल प्रजातियों का प्रबंधन किया गया। किसानों की किस्मों के संरक्षण हेतु बीज बैंक की स्थापना के लिए कर्नाटक में दो परियोजनाएं चलाई गईं। इस अवधि में अधिकतर परियोजनाओं की प्रगति को संतोषजनक पाया गया तथा इनकी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं प्रगति में हैं।

किसानों के प्रकोष्ठ में परियोजनाओं की सूची

क्र. सं०	परियोजना का शीर्षक	अवधि	परियोजना हेतु बजट प्रावधान (लाख रु.)	स्वीकृति वर्ष	बजट की स्वीकृति	रिपोर्ट
1.	सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना एवं कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में रबी ज्वार, गेहूं एवं अरहर (रेडग्राम) की कृषक—किस्मों का संरक्षण	02 वर्ष	10	2017–18	वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए कुल स्वीकृत राशि रु० 05 लाख ब्रेक—अप 1. मैनपॉवर— 1.50 लाख, 2. फील्ड व्यय— 1.0 लाख, 3. आकस्मिक व्यय— 2.0 लाख एवं 4. यात्रा व्यय— 50 हजार	परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई
2.	सहभागी बीज उत्पादन तथा सामुदायिक बीज बैंक की संस्थापना के माध्यम से कृषक—किस्मों को मुख्य धारा में लाना	02 वर्ष	10	2017–18	वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए कुल स्वीकृत राशि रु० 05 लाख ब्रेक—अप 1. मैनपॉवर— 2.50 लाख, 2. फील्ड व्यय— 1.0 लाख, 3. आकस्मिक व्यय— 1.0 लाख एवं 4. यात्रा व्यय— 50 हजार	परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई
3.	पूर्वी उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की मरका, कढ़न्न, दलहन एवं सब्जी फसलों की कृषक—किस्मों की पहचान, संग्रह, प्रलेखन एवं पंजीकरण	02 वर्ष	18	2017–18	वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए कुल स्वीकृत राशि रु० 09 लाख ब्रेक—अप 1. मैनपॉवर— 4.00 लाख, 2. फील्ड व्यय— 2.0 लाख, 3. आकस्मिक व्यय— 2.50 लाख एवं 4. यात्रा व्यय— 50 हजार	परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई और परियोजना परिपूर्ण हुई।
4.	खाद्यान्न, दलहन एवं सब्जियों की कृषक—किस्मों का संग्रह, प्रलेखन एवं पंजीकरण एवं उनका पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के तहत उनका संरक्षण	03 वर्ष	9	2016–17	वर्ष 2016–17 की अवधि के लिए कुल स्वीकृत राशि रु० 3.30 लाख ब्रेक—अप 1. मैनपॉवर— 2.05 लाख, 2. आकस्मिक व्यय— 0.95 लाख एवं 3. यात्रा व्यय— 30 हजार	परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई
5.	कर्नाटक में विभिन्न फसलों की कृषक—किस्मों का सर्वेक्षण, संग्रह, प्रलेखन एवं पंजीकरण	03 वर्ष	27	2017–18	वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए कुल स्वीकृत राशि रु० 09 लाख ब्रेक—अप 1. मैनपॉवर— 4.00 लाख, 2. फील्ड व्यय— 2.0 लाख, 3. आकस्मिक व्यय— 2.50 लाख एवं 4. यात्रा व्यय— 50 हजार	परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई

5.5 पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार/पारितोषिक/मान्यता

डॉ. बी. पी. पाल ऑडिटोरियम, भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 22 अक्टूबर, 2019 को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा पांच कृषक समुदायों को पादप जीनोम संरक्षक सामुदायिक पुरस्कार; तीन किसानों को जीनोम संरक्षक किसान पुरस्कार तथा भारत के विभिन्न राज्यों के छह किसानों को जीनोम संरक्षक किसान मान्यता प्रदान की गई। श्री परवोत्तम रूपाला एवं श्री कैलाश चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार; श्री संजय अग्रवाल, सचिव, (डीएसीएंडएफडब्ल्यू), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, आईसीएआर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए), भारत सरकार के अध्यक्ष डॉ. के. वी. प्रभु तथा पीपीवी एवं एफआरए के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) डॉ. आर. सी. अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर लगाई गई एक प्रदर्शनी में पुरस्कार विजेताओं द्वारा संरक्षित की जा रही कृषि जैव-विविधता का प्रदर्शन किया गया। किसानों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों प्रेस और मीडिया को संबोधित करते हुए माननीय कृषि मंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और आग्रह किया कि जैव विविधता एवं औषधीय पौधों का संरक्षण कर रहे पारंपरिक कृषक समुदायों/किसानों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाना चाहिए। इस समारोह का आयोजन 22 अक्टूबर, 2019 को डॉ. बी. पी. पाल सभागार, भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में किया गया था।



5.5.1 सामुदायिक पुरस्कार : इस पुरस्कार के तहत प्रति समुदाय ₹0 10.00 लाख की राशि प्रदान की जाती है; सामुदायिक पुरस्कार प्राप्त लोगों का विवरण इस प्रकार है:

1. ग्राम पंचायत, सलूनी, भंडल, चंबा—176320 (हिमाचल प्रदेश)
2. आदर्श महिला आत्मा समूह, पाटन, अचानकपुर, तर्ता, दुर्ग, छत्तीसगढ़ — 491111
3. अमरकानन ग्रामीण सामाजिक-पर्यावरणीय कल्याण समिति (एआरएसडब्ल्यू सोसायटी), गंगाजलघाटी, रनबहल, अमरकानन, बांकुरा, पश्चिम बंगाल—722133
4. थायन्ननकुड़ी ट्राइबल सेटलमेंट, चिन्नार, मारायूर, इडुक्की—685620, केरल
5. गोमल ग्रामीण फार्मिंग समुदाय, तहसील करनाह, तंगधार, गोमल, कुपवाड़ा—193225, जम्मू एवं कश्मीर



माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री समुदाय अवार्ड के सदस्यों को पुरस्कार प्रदान करते हुए



माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री किसानों को पुरस्कार प्रदान करते हुए

- 5.5.3 किसानों को मान्यता :** इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक पुरस्कृत किसान को रु0 1.00 लाख की राशि प्रदान की जाती है; पुरस्कृत किसानों का विवरण इस प्रकार है :

1. श्री श्रीनिवासमूर्ति एस.आर.; सिद्दानाहुंडी, व्यासराजापुरा पोस्ट, सोसाले होब्ली, टी. नरासिपुरा, मैसुरु जिला, कर्नाटक— 571120
2. श्री प्रबीन सैकिया, नारायनपुर, माधोपुर, लखीमपुर, आसाम—784104
3. श्री के. आर. जयन, काइपुल्ली मडाम, अविट्टाथुरम, कालीट्टुमकारा, त्रिचुर, केरल—680683
4. श्री सेलेन चांदी, शांतिपुर, श्री राम गांगुली लेन, नाडिया, पश्चिम बंगाल—741204
5. श्री रवीन्द्रन आर., रेजीभवन, केआरए—172, पनचाविला लेन, उल्लूर, तिरुअनंतपुरम, केरल—695011
6. श्री प्रसाद रामा हेगडे, कनकोडलु गांव, हेम्मादी, येल्लापुर तालुक, उत्तर कन्नड़, कर्नाटक —581402

अध्याय 6: भारतीय पौधा किस्म जर्नल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन

6.1 भारतीय पादप किस्म जर्नल


पीपीवी एवं एफआर नियम, 2003 के नियम 2(जी) के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह अपने आधिकारिक मासिक जर्नल 'प्लांट वेराइटी जर्नल ऑफ इंडिया' (पीवीजे) को प्रकाशित किया जाता है तथा इसे अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पीपीवीएफआर विनियमन, 2006 के तहत इस जर्नल को राजपत्र (गजट) के समान स्तर प्रदान किया गया है। इस जर्नल की विषयवस्तु में सरकारी एवं सार्वजनिक सूचनाएं, राजपत्र अधिसूचनाएं, फोटोग्राफ सहित पादप किस्मों का पासपोर्ट डाटा, विभिन्न फसल प्रजातियों की प्रकाशित डीयूएस टेस्ट गाइडलाइंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र का विस्तृत व्यौरा तथा अन्य संबंधित सरकारी सामग्री और सूचनाएं सम्मिलित की जाती हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान पीवीजे में प्रतिरोध के लिए विज्ञापित किस्मों की संख्या

क्रम सं	किस्म की श्रेणी	किस्मों की संख्या	फसल	आवेदन प्राप्त से तक
1.	कृषक	98	अंगूर, चावल, बैगन, मसूर, हरी मटर, बाजरा, ज्वार, फूल गोभी, टमाटर, मूँगफली, भारतीय सरसों, मक्का	18.07.2011 — 11.04.2017
2.	नई किस्में	140	मक्का, अंगूर, फूलगोभी, रोटी वाला गेहूं, बैगन, भिंडी, ज्वार, अरहर, टमाटर एवं टेट्राप्लॉयड कपास, अखरोट, हल्दी, जूट, बाजरा, कपास, गन्ना, मूँगफली, सूरजमुखी, मसूर, आलू	05.12.2009 — 15.04.2016
3.	विद्यमान	187	चावल, सोयाबीन, कुसुम, गन्ना, काजू, बैगन, फूलगोभी, टमाटर, भिंडी, कपास, चपाती गेहूं, मूँग, चना, आलू, तरबूज, रागी, चौलाई दाना, अरहर, फाबा बीन, भारतीय सरसों, मूँगफली, कपास, चावल, अलसी, बाजरा, उड़द, ज्वार	12.05.2011 — 15.02.2017

6.2 पादप किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अनुपालन में पादप किस्म रजिस्ट्री मुख्यालय में एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया है। इसमें सभी पंजीकृत पादप किस्मों के नाम तथा उनसे संबंधित प्रजनक (ब्रीडर) का नाम और पता, कोटि (डिनॉमिनेशन), विनिर्देश तथा उल्लेखनीय विशेषताओं का पूर्ण विवरण दिया गया है।



वर्ष 2019–20 के दौरान पादप किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट किस्मों की संख्या

कम सं०	किस्म की श्रेणी	किस्म की संख्या	फसल	कब से – कब तक
1.	कृषक	121	चावल, अरहर, ज्वार, हरी मटर, खुबानी, बैगन, शरीफा, उड़द, चना, द्विगुणित कपास, अंगूर, मसूर, भिंडी	28.09.2011 – 31.10.2016
2.	नई किस्में	83	चावल, मक्का, गेहूं अरहर, ज्वार, टेट्राप्लॉयड कपास, जूट, पत्तागोभी, बैगन, फूलगोभी, अंगूर, भिंडी, बाजरा, टमाटर, हल्दी, अखरोट	22.05.2017 – 22.11.2018
3.	विद्यमान किस्में	215	चावल, मक्का, सूरजमुखी, गन्ना, रागी, गेहूं अरहर, ज्वार, जौ, रोटी वाला गेहूं डुरुम गेहूं, प्याज, हरी मटर, मिर्च, लौकी, टेट्राप्लॉयड कपास, जूट, सोयाबीन, काजू, पत्तागोभी, बैगन, फूलगोभी, अलसी, चना, मूंग, मूंगफली, भारतीय सरसों, लिटिल मिलेट, पापरिका, आलू, कुसुम, टमाटर, गुलाब	21.05.2007 – 26.07.2019
4.	ईडीवी	13	टेट्राप्लॉयड कपास,	02.04.2008 – 12.08.2013

6.3 प्राधिकरण के प्रकाशन

प्राधिकरण द्वारा पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 एवं कृषक अधिकार, बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) पर ब्रोशरों को द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) में नियमित रूप से प्रकाशित करवाया जाता है तथा इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित कई किसान मेलों, बैठकों, प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में वितरित किया जाता है। पंजीकृत किस्मों के सार-संग्रह, पोस्टर, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा एवं अन्य प्रकाशनों को तैयार करके प्राधिकरण द्वारा हिंदी भाषा में भी प्रकाशित कराया गया है। प्राधिकरण द्वारा अपनी वेबसाइट को द्विभाषी रूप में तैयार कर अपडेट किया जाता है तथा डीयूएस टेस्ट दिशानिर्देशों को भी नियमित रूप से दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, विभिन्न फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को प्रकाशित करके कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को अधिसूचित करने के लिए भेजा गया है। हिंदी में प्राप्त पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है। प्राधिकरण के अधिकारी भी अपने व्याख्यानों को श्रोताओं/अवसर के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत करते हैं।

प्रकाशनों का विवरण इस प्रकार है :

- बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) –पीपीवीएफआर अधिनियम 2001 (<http://www.plantauthority.gov.in/pdf/FinalNewFAQ15.09.2020.pdf>)
- कॉसेन्ड्रा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश (<http://www.plantauthority.gov.in/pdf/DUS%20Guidelines%20Crossandra.pdf>)
- परवल के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश (<http://www.plantauthority.gov.in/pdf/Draft-DUS%20guidelines-Pointed-Gourd.pdf>)
- लोबिया के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश <http://www.plantauthority.gov.in/pdf/ Draft Cowpea DUSguideline11019.pdf>)

अध्याय 7: डाटाबेस का विकास, इंडस, एनओआरवी तथा वेबसाइट

7.1 वेबसाइट :

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएंडएफआरए) की आधिकारिक वेबसाइट (www.plantauthority.gov.in) को सुरक्षित एनआईसी क्लाउड सर्वर पर संचालित किया जाता है। क्लाउड सर्वर की विशेषताओं में इसकी स्केलेबिलिटी/एलास्टिसिटी, अधिक निष्पादन क्षमता, उन्नत रिकवरी सिस्टम का होना है। वेबसाइट को द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में तैयार किया गया है। प्राधिकरण की वेबसाइट में आवश्यकतानुसार वेब पृष्ठों को हिंदी तथा अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। नए फसल वर्ग और उनके फसलों के नाम के समावेश के बाद उनके वानस्पतिक नाम को रखा जाता है साथ ही पीडीएफ फार्मेट में उस फसल के डीयूएस दिशानिर्देशों को भी दिया जाता है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। कुल मिलाकर 161 फसल जातियों को सूचीबद्ध किया गया है। जावा स्किप्ट का उपयोग करके कोलेस्प्र एवं एक्सपेंड सहित सभी विशेषताओं को शामिल करते हुए एक नए एफएक्यू वेबपेज को तैयार किया गया है। अन्य प्रकल्पित एवं प्रबंधित वेबपेजों में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय अवार्ड, पारितोषिक एवं मान्यता पुरस्कार सम्मिलित हैं। आरटीआई पेज, पादप किस्म रजिस्ट्री से संबंधित सूचना वेबपेज, वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा वेबपेज, प्राधिकरण के कार्मिकों के बारे में, नई किस्मों के तहत 158 फसल प्रजातियों हेतु पंजीकरण प्रारंभ की सूची तथा मौजूदा/कृषक—किस्म कटेगरी के तहत 161 फसल प्रजातियों की सूची तथा महत्वपूर्ण राजपत्र अधिसूचनाओं के वेबपेज आदि को इसमें शामिल किया गया है।

The screenshot shows the homepage of the PPOVFR Authority website. It features a header with the logo and name in English and Hindi. Below the header, there are several sections: 'NOTES FOR FORTHCOMING ACTIVITIES' (mentioning an order related to DUS registration), 'ANNOUNCEMENTS' (with links to public notices and draft crop guidelines for BEAN/CHICKPEA), 'APPLICATION STATUS' (with links to registered varieties and protected period lists), and 'RECENT PUBLICATIONS' (listing various documents like DUS Test Guidelines and Plant Variety Journal). The footer contains links to other government websites.

7.2 आवेदनों की स्थिति का ऑनलाइन पता लगाना :

प्राधिकरण ने वेबसाइट पर आवेदनों के ऑनलाइन पता लगाने की व्यवस्था विकसित की है। यह एक डाइनेमिक मोड सर्च पेज है जिसमें आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को उसके पावती संख्या या कोटि (डिनॉमिनेशन) या आवेदक के नाम से ढूँढ सकता है। इस पेज की सूचना को तदनुरूपी पता तथा वर्तमान स्तर जैसे नई जानकारी (फील्ड) को शामिल करके और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है, ताकि आवेदक को अल्प समय में ही आवेदन का वर्तमान स्तर का पता लग जाएगा। इसे देखना और स्टेटस रिपोर्ट को प्रिंट करना बहुत आसान है। इस वेबपेज को सभी वेबब्राउजरों में उपयोग में लाया जा सकता है।



7.3 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

प्राधिकरण द्वारा जारी टेंडरों की एक प्रति को केंद्रीय सार्वजनिक क्य पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) पर प्रस्तुत किया जाता है, प्राधिकरण द्वारा जीईएम (गर्वन्मेंट ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से खरीद की जाती है, सामान्य पूल के आवासीय एकोमोडेशन (<http://gpra.nic.in/gpra>), आरटीआई की तिमाही रिपोर्ट (<http://dsscic.nic.in/users/pn-login>), नई पेंशन प्रणाली में अंशदान की लेखा प्रणाली (<https://npscan-cra.com/CRA/>), पदों और सेवाओं में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को भारत सरकार के मॉनिटरिंग प्रणाली (<http://www.rrcps.nic.in/>) में प्रस्तुत करके अद्यतन किया जाता है। प्राधिकरण में नेशनल ई-गर्वनेंस की संकल्पना को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में पहल प्रारंभ की जा चुकी है।

7.4 पंजीकरण हेतु आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल करना :

प्राधिकरण ने वर्ष 2007 में 12 फसल जातियों से पंजीकरण प्रारंभ किया था जो वर्तमान में 161 फसल प्रजातियों तक जा पहुंचा है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुक्ल (डिमांड ड्राफ्ट के रूप में) के साथ आवेदनों को स्वीकार किया जाता है जिसे आवेदक डाक द्वारा या स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं। पादप किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदनों को प्रस्तुत करने तथा भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित हो जाने के पश्चात आवेदकों को ऑनलाइन विधि से प्राधिकरण को अपने आवेदन प्रस्तुत करने में सुविधा प्राप्त होगी तथा वे ‘पेमेंट गेटवे’ के माध्यम से निर्धारित शुल्क को डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान कर सकेंगे। इस प्रणाली को एनआईसी/एनआईसीएसआई द्वारा संस्थापित किया जा रहा है तथा साफ्टवेयर को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के स्कोप में सिस्टम का अध्ययन, डिजाइन, विकास, संरक्षण एवं कंफिग्यूरेशन, कमीशनिंग तथा वेबपोर्टल का प्रकाशन सम्मिलित है। इसको विकसित करने के बाद वाले कार्यों में पर्फॉर्मेंस ट्रॉयनिंग, सेक्यूरिटी पेनीट्रेशन परीक्षण तथा सर्ट (सीईआरटी)–इन सूचीबद्ध ऑडिटर्स द्वारा इसकी ऑडिटिंग, जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन प्रमाणपत्र, पोस्ट गो–लिव कार्य जैसे बैकअप एविटविटीज, प्रशिक्षण, व्यापक रखरखाव सपोर्ट जिसमें एप्लिकेशन से बैकएंड सपोर्ट, पर्फॉर्मेंस ट्रॉयनिंग, सेक्यूरिटी पैच अपडेट्स, बैकअप, आर्काइवल/रिट्रीवल इत्यादि गतिविधियों के संचालन हेतु सिस्टम एवं डाटाबेस एडमिन आदि को शामिल किया गया है। विस्तृत स्कोप इस प्रकार है :

- पौधा किस्म और कृषक अधिकार प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआर) के मौजूदा प्रवाह एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन
- पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु विकसित किए गए नूतन वेब–एप्लिकेशन के संबंध में आवश्यकताएं समझ एवं विश्लेषण
- विकसित वेब–पोर्टल की डिजाइन, विकास, क्रियान्वयन, संरक्षण, परीक्षण, पब्लिशिंग एवं रोलआउट
- आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग एवं प्रॉसेस वर्कफ्लो को डिजाइन करना ताकि प्रॉसेसिंग टाइम को कम किया जा सके एवं प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके
- प्रजनकों एवं किसानों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रबंधन तथा आवेदनों की प्रॉसेसिंग
- प्रयोक्ताओं के अनुभव में वृद्धि हेतु आवेदकों तथा पादप किस्म रजिस्ट्री जैसे हितधारकों के बीच उपयुक्त समय पर अधिसूचना तथा संचार
- पीपीवी की स्वीकारोक्ति हेतु आवेदनों की जांच को ऑन–लाइन साधनों के उपयोग से अधिक कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए जिससे इसे कम समय में संपादित किया जा सके।
- डीयूएस टेस्ट परिणामों की निगरानी अधिक प्रभावी, सटीक होगी और इससे प्रॉसेसिंग में कम समय लगेगा।

- आवेदनों, बुनियादी संरचनाओं तथा बैकएंड प्रॉसेस के रूप में भावी मापनीय आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए समाधान निकालना
- आवेदनों तथा डीयूएस परीक्षण शुल्क संग्रह तथा अन्य प्रकार के शुल्क के लिए भुगतान गेटवे का एकीकरण
- प्रक्रिया की निगरानी, स्टेटस की जाच तथा रियल-टाइम प्रगति के लिए संपूर्ण एप्लिकेशन प्रक्रिया को डेशबोर्ड पर लाना
- आवेदनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट के सृजन हेतु एमआईएस मॉड्यूल
- कम्पाइलेशन प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि से ऑफ-साइट वारेंटी, रखरखाव तथा तकनीकी समर्थन तथा वेबसाइट/एप के वार्षिक रखरखाव हेतु अपेक्षित ऑनसाइट तकनीकी सपोर्ट
- यह सुनिश्चित करना कि वेबसाइट पूर्ण तौर पर जीआईजीडब्ल्यू कंप्लाइंस हो तथा इसकी मोबाइल अनुकूलता (कंपेटिबिलिटी) हो
- यह सुनिश्चित करना कि वेबवाइट की सर्ट-इन सूचीबद्ध एजेंसी से सुरक्षा ऑडिट पूर्ण हुआ हो
- परियोजना के सफलतापूर्ण क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण जरूरतों की पहचान और उन्हें संचालित करना
- एप्लिकेशन के सभी स्टेकहोल्डरों के लिए विस्तृत प्रयोक्ता मैनुअल को तैयार करना
- क्रियान्वित परियोजना हेतु मैनुअल एवं दस्तावेजों को तैयार करना
- पीपीवीएंड एफआर द्वारा इच्छित तथा/या अपेक्षित पीडीएफ/एमएस ऑफिस प्रारूप या किसी अन्य फार्मेट में रिपोर्ट तैयार करना
- संबंधित पंजीकृत प्रयोक्ता को प्रासंगिक सूचना की प्रविष्ट/अपडेट करने के लिए ई-मेल एवं एसएमएस भेजना
- सर्विस प्लेटफॉर्म से परिचित होने के लिए विभाग के स्टॉफ तथा अन्य कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करना

7.5 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

प्राधिकरण ने पीएफएमएस, डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा ई-भुगतान जैसे कि आरटीजीएस/नेफट (एनईएफटी) को अपने कार्यालय में क्रियान्वित किया है। प्राधिकरण में ऑफ-लाइन भुगतान प्रणाली जैसे कि प्राधिकरण के विभिन्न खातों में नकद जमा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। प्राधिकरण ने ई-भुगतान प्रणाली जैसे कि पीएफएमएस तथा अन्य डिजिटल भुगतान माध्यम को अपनाया है। पीएफएमएस में प्रतिचित्रित (मैप्ड) संस्थानों की सूची को नीचे दिया गया है :

पीएफएमएस योजना 3025 में प्रतिचित्रित (मैप्ड) संस्थान/संगठन

क्रम सं०	एजेंसी का नाम	एजेंसी का प्रकार	एजेंसी का यूनीक कोड
1	आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय	सांविधिक निकाय	एएनजीआरएयूसीसीएस
2	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	सांविधिक निकाय	आरजेजेओ 00006176
3	आसाम कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का संस्थान	एएयू
4	एटीएआरआई गुवाहाटी	केंद्र सरकार	एएसकेआर 00008584
5	एटीएआरआई पटना	केंद्र सरकार	बीआरपीए 00005506

6	बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय	सांविधिक निकाय	बीसीकेवी
7	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर	सांविधिक निकाय	बीएयूएसएबी
8	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची, झारखण्ड	राज्य सरकार का पीएसयू	बीएयूएनआई
9	सी.एस. आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	सांविधिक निकाय	सीएसएयूके
10	सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	सांविधिक निकाय	सीसीएसएचएयूएचआरवाई
11	केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	केंद्र सरकार	सीएआरआईपीओआरटी
12	केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर (भाकृअनुप)	केंद्र सरकार	सीआईटीएच
13	केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान—बालेहोन्नुर	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	केएसीके 00003714
14	केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	केंद्र सरकार	सीआईएएच
15	केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर (भाकृअनुप की इकाई)	केंद्र सरकार	आईसीएआर 0430
16	केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान	केंद्र सरकार	सीआईएसएच 123
17	केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीपीसीआरआई
18	केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीपीआरआई
19	केंद्रीय जूट एवं सम्बद्ध रेशा संस्थान	केंद्र सरकार	सीआरआईजोएफ
20	केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीआरआरआईकटक
21	केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीटीआरआई
22	केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीटीसीआरआई
23	सीआईएमएपी	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	सीआईएमएपी
24	नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एमपीयूएटी
25	सीएसआर एंड टीआई, मैसूर	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	केएएमवाई 00004325
26	काजू अनुसंधान निदेशालय (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र)	केंद्र सरकार	सीएजेयूआरईएस
27	मूँगफली अनुसंधान निदेशालय (भाकृअनुप इकाई)	केंद्र सरकार	डीजीआर-डीबीटी1
28	मक्का अनुसंधान निदेशालय	केंद्र सरकार	एमएआईजेडई
29	औषधीय एवं सगंधीय पादप निदेशालय	केंद्र सरकार	एनआरसीएमएपी
30	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद	केंद्र सरकार	डीओआरएच

31	चावल अनुसंधान निदेशालय	केंद्र सरकार	डीआरआर
32	बीज अनुसंधान निदेशालय, उत्तर प्रदेश	केंद्र सरकार	एओएसडीएसआर
33	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय (भाकृअनुप)	केंद्र सरकार	डीएसआर
34	डॉ. बालासाहेब सावंत कृषि विद्यापीठ	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	बीएसकेकेवी
35	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	राज्य सरकार का पीएसयू	डीआरपीडीकेवी
36	डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का संस्थान	डीवाईएसपीयूएचएफ
37	जी. बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	सांविधिक निकाय	जीबीपीयूएटी
38	भाकृअनुप— कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	आरजेजेओ 00006157
39	भाकृअनुप— कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, कानपुर	केंद्र सरकार	येपीकेएस 00005951
40	भाकृअनुप— प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय	केंद्र सरकार	एमएचपीयू 00014556
41	भाकृअनुप— आईआईडब्ल्यूबीआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद— भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान)	केंद्र सरकार	डीडब्ल्यूआरके एआर
42	भाकृअनुप—उत्तर पूर्वी पर्वतीय अनुसंधार परिसर	केंद्र सरकार	आईसीएआरएनईएच
43	भाकृअनुप— गोवा अनुसंधान परिसर, गोवा (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)	केंद्र सरकार	आईसीएआरआरसीजी
44	भाकृअनुप इकाई डीआरएमआर (तोरिया)—सरसों अनुसंधान निदेशालय	केंद्र सरकार	आईसीएआरएनआरसीआरएम
45	भाकृअनुप, एटीएआरआई -III	केंद्र सरकार	एमएलआरबी 00001040
46	भाकृअनुप— राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र	केंद्र सरकार	721000
47	भाकृअनुप— कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	केंद्र सरकार	टीएलएचवाई 00000637
48	भाकृअनुप— कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	केंद्र सरकार	एमपीजेए 00004614
49	भाकृअनुप— कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, पुणे	केंद्र सरकार	एमएचपीयू 00014544
50	भाकृअनुप— कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, जोन-I	केंद्र सरकार	पीबीएलयू 00001252
51	भाकृअनुप, एटीएआरआई, कोलकता	केंद्र सरकार	डब्ल्यूबीपीएन 00007525
52	भाकृअनुप, एटीएआरआई, बैंगलुरु	केंद्र सरकार	केएबीएन 00002107
53	भाकृअनुप— राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र (एनआरसीपी), शोलापुर	केंद्र सरकार	एमएचएसओ 00011522
54	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	आईएसआरआई


55	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	आईजीएफआरआई
56	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	आईआईएचआर
57	भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	डीएसआरएचवाईडी
58	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	आईआईपीआर कानपुर
59	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (भाकृअनुप)	केंद्र सरकार	आईआईएसआर
60	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (भाकृअनुप)	केंद्र सरकार	आईआईएसआर एलकेओ
61	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, (भाकृअनुप)	केंद्र सरकार	आईआईवीआर
62	भारतीय बीज प्रौद्योगिकी सोसायटी	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	आईएसएसओटी
63	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	आईजीकेवीएसएयू
64	भारतीय वानिकी आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	आईएफजीटीबी
65	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	सांविधिक निकाय	बीटीसीजेरनकेवीवी
66	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का संस्थान	जेएयूएनआई
67	केरल कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का पीएसयू	केएयूएनआई
68	एम एस रवामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन	ट्रस्ट	एमएसएसआरएफ
69	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी	राज्य सरकार का संस्थान	एमएचएच 00010021
70	नागालैंड विश्वविद्यालय	सांविधिक निकाय	एनयू
71	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद	राज्य सरकार का संस्थान	एनडीयूएटी
72	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एनबीआरआई
73	राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो—एनबीपीजीआर (आईसीएआर)	केंद्र सरकार	एनबीपीजीआर
74	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र	केंद्र सरकार	एलआईटीसीएचआई
75	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, (आईसीएआर)	केंद्र सरकार	720200
76	राष्ट्रीय नींबूवर्गीय अनुसंधान केंद्र, नागपुर (आईसीएआर)	केंद्र सरकार	एनआरसीसी 0400
77	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर)	केंद्र सरकार	एनआरसीजी
78	राष्ट्रीय बीजीय मसालाय अनुसंधान केंद्र	केंद्र सरकार	एनआरसीएसएस

79	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का पीएसयू	एनएयूएनआई
80	उत्तर-पूर्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर)	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एनईआईएसटी
81	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद	राज्य सरकार का संस्थान	पीजेटीएसएयू
82	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	पीएयूएनआई
83	सेम हिंगिनबॉटम कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	राज्य सरकार का पी	एसएचआईएटीएस
84	सरदार कृषिनगर दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का पी	एसकेडीएयूएनआई
85	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एसकेयूएसटी—कश्मीर
86	श्री करन नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	राज्य सरकार का संस्थान	एसकेएनएयू
87	गन्ना प्रजनन संस्थान (भाकृअनुप)	केंद्र सरकार	एसबीआईआईसीएआर
88	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एसएसएसीडीएसटी
89	चाय बोर्ड डीटीआर एंड डीसी, कुरसेयांग	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	डब्ल्यूबीडीए 00000969
90	चाय अनुसंधान संघ	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	टीआरए
91	कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवामोग्गा	सांविधिक निकाय	केएएसएच 00003536
92	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलौर	सांविधिक निकाय	बीएएनजीएयूएनआई
93	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	पंजीकृत समिति (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	यूएएसआर
94	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट	सांविधिक निकाय	यूएचएसबी
95	वीपीकेएस (भाकृअनुप), अल्मोड़ा	केंद्र सरकार	वीएलएबी

7.6 फसलों के डीयूएस लक्षणों के लिए वेब-आधारित ज्ञान प्रबंधन प्रणाली का डिजाइन एवं विकास—भाकृअनुप—आईएएसआरआई

भाकृअनुप—भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को निम्न उद्देश्यों के साथ एक डाटाबेस से संबंधित परियोजना सौंपी गई :


- फसलों के डीयूएस लक्षणों के लिए वेब-आधारित ज्ञान प्रबंधन प्रणाली का डिजाइन एवं विकास
- पीपीवी एवं एफआरए तथा डीयूएस केंद्रों में इस प्रणाली का क्रियान्वयन
- डीयूएस पोर्टल का रखरखाव एवं सहायता



डीयूएस मापदंडों पर पादप किस्मों की सूचना को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे डीयूएस विशेषताओं पर पादप किस्म के ज्ञान प्रबंधन में सहायता मिलेगी और साथ ही उसी समयकाल में किसी किस्म को नई किस्म घोषित करने के पूर्व मौजूदा डाटाबेस के समक्ष इस नई किस्म के परीक्षण में सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रणाली से नई किस्मों के प्रबंधन में कुशलता एवं पारदर्शिता आएगी। डीयूएस विशेषताओं पर डाटाबेस के सूजन से ज्ञान की खोज में आई अनुप्रयोग/गहन शिक्षण तकनीकों में और अधिक सुविधा मिलेगी। इसमें हुई उल्लेखनीय प्रगति का यहां उल्लेख किया जा रहा है ;

- आईएएसआरआई द्वारा इस प्रणाली हेतु अपेक्षित ब्यौरे को यहां प्रस्तुत किया गया है।

- मूल जानकारी
- आईआईएनडीयूएस प्रलेखन (इनडस डाक्युमेंटेशन) को रिट्रीव करके नए सिस्टम में अंतरित कर दिया गया है जिसमें ओरेकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है; एक्सेल फार्मेट में डाटाबेस
- प्रयोक्ताओं के चार (4) स्तरों की पहचान; पीपीवी एवं एफआरए, डीयूएस केंद्रों के आरए/एसआरएफ/तकनीकी एवं प्रशासनिक वर्ग के कार्मिक
- इस सिस्टम को डाटाबेस के रूप में एएसपी.नेट एवं एसक्यूएल सर्वर के उपयोग से विकसित किया जा रहा है
- इस सिस्टम को आईसीएआर डाटा सेंटर में परखा गया है तथा इसका मोड <https://ppvfradus.icar.gov.in> पर उपलब्ध है



- डाटाबेस की विशेषताएं – ए) जनरल मास्टर डाटा, बी) वेराइटीज मास्टर डाटा
- फ्लो डायाग्राम
- डाटा टेबुलेशन हेतु टेम्पलेट— मक्का और ब्रेड वाले गेहूं टेम्पलेट को टेस्ट केस के तौर पर उपयोग में लाया गया है
- केंडीडेट किस्म की रिपोर्ट, प्रायोगिक आंकड़े, टीक्यू तुलना, किस्म/संदर्भित किस्म, सांख्यिकी रिपोर्ट
- डीयूएस लेवल डैशबोर्ड, कॉप टाइम लाइन पेज, डीयूएस डाटा प्रविष्टि
- इन्ट्री रिलेशनशिप— आईआईएनडीयूएस लेवल/पीपीवीएफआरए/डीयूएस केंद्र
- आउटपुट रिपोर्ट एवं क्वेरी

अध्याय 8: प्रशासनिक मामले, शिकायत प्रकोष्ठ एवं अन्य विविध गतिविधियां

8.1 प्रशासन

प्रतिवेदित अवधि के दौरान पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं।

- श्री जे. पी. सिंह, वित्त सलाहकार 30 जून, 2019 को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।
- डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीयक ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया तथा उन्हें 23 नवंबर, 2019 को प्राधिकरण से कार्यमुक्त कर दिया गया ताकि वे अपने मूल विभाग अर्थात् भाकृअनुप में योगदान दे सकें।

8.1.1 अन्य विषय

प्राधिकरण ने पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, वित्त सलाहकार एवं विधि सलाहकार पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 136 नए पदों के सृजन हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) को एक विस्तृत प्रस्ताव दिया है।

8.2 विधि प्रकोष्ठ

प्राधिकरण के विधि प्रकोष्ठ ने प्राधिकरण के विरुद्ध दायर सभी मामलों में प्राधिकरण का सफलतापूर्वक बचाव किया है। इसके अलावा रजिस्ट्री एवं प्राधिकरण के समक्ष अर्ध-न्यायिक प्रोसीडिंग के मामलों में संबंधित पक्षों को त्वरित रूप में कानूनी जानकारी (इनपुट्स) और दैनिक आदेश शीट उपलब्ध कराई गई। प्राधिकरण का विधि प्रकोष्ठ, एलआईएमबीएस (लीगल इंफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम) अनुवर्ती है तथा वादों की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है तथा एलआईएमबीएस (लिम्बस) द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, प्राधिकरण के विरुद्ध 29 मामले लंबित थे तथा 06 मामलों (डब्ल्यूपी (सी) 2015 का 10203; डब्ल्यूपी (सी) 2013 का 6470; डब्ल्यूपी (सी) 2014 का 6208; 2015 का एलपीए 63 एवं 64 तथा वर्ष 2015 का ओ. ए. संख्या 190) का निस्तारण किया गया।

न्यायालयों का विवरण एवं उनके समक्ष न्यायिक निर्णय हेतु लंबित मामलों को नीचे दिया गया है :

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय
2	22	5

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित राजपत्र अधिसूचनाओं (गजट नोटिफिकेशन) को प्रकाशित किया गया:

- किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से 01 फसल प्रजाति मेलिया पर अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2576 (ई) दिनांक 18 जुलाई, 2019
- नवीनीकरण शुल्क के संशोधन के संबंध में राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 863 (ई) दिनांक 20 नवंबर, 2019

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय/ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) द्वारा पारित निर्णयों का विवरण

क्रम संख्या	न्यायालय	वाद संख्या	विभिन्न पक्ष	निर्णय की तिथि
1	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय	रिट याचिका (सी) संख्या 10203/2015	महाराष्ट्र हाइब्रिड बीज कंपनी बनाम भारतीय संघ एवं अन्य	29.08.2019
2	माननीय केंद्रीय	ओ.ए. संख्या	आर.आर. प्रधान बनाम सतर्कता	14.11.2019

	प्रशासनिक न्यायाधिकरण	190/2015	अधिकारी एवं अन्य	
3	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय	एलपीए संख्या 2020 का 63	भारतीय संघ बनाम उमा कांत दुबे एवं अन्य	03.02.2020
4	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय	एलपीए संख्या 2020 का 64	भारतीय संघ बनाम अजय कुमार सिंह एवं अन्य	03.02.2020

विद्वान पीठासीन अधिकारी एवं महापंजीयक द्वारा पारित दैनिक आदेश / निर्णय

क्रम संख्या	पक्षकार	डिनॉमिनेशन	विषय सामग्री	आदेश की तिथि	किसके द्वारा पारित
1	बॉयोसीड्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	मल्लिका—एनसीएस 207	निरस्तीकरण (रिवोकेशन)	04.04.2019	अध्यक्ष
2.	बॉयोसीड्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	बनी—एनसीएस—145	निरस्तीकरण (रिवोकेशन)	04.04.2019	अध्यक्ष
3.	दत्तफरी एग्रो बॉयोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम अंकुर सीड्स प्राइवेट मिलिटेड	जय बीटी	लाभ शेयरिंग	01.05.2019	अध्यक्ष
4.	दत्तफरी एग्रो बॉयोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम अंकुर सीड्स प्राइवेट मिलिटेड	सी—56	निरस्तीकरण	01.05.2019	अध्यक्ष
5.	बॉयोसीड्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	2012 का ए. संख्या 1	अनंतिम संरक्षण	02.05.2019	महापंजीयक
6.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्रीराम बॉयोसीड्स	2013 का ए. संख्या 2	अनंतिम संरक्षण	02.05.2019	महापंजीयक
7.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बॉयोसीड्स	2013 का ए. संख्या 3	अनंतिम संरक्षण	02.05.2019	महापंजीयक
8.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड	एमआरसी 7385	अपेजिशन	02.05.2019	महापंजीयक
9.	एमएचवार्इसीओ (मेहिको) बनाम प्रभात	2008 का ए. संख्या 2	अनंतिम संरक्षण	07.05.2019	महापंजीयक
10.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम . एमएचवार्इसीओ (मेहिको)	2009 का ए. संख्या 1	अनंतिम संरक्षण	07.05.2019	महापंजीयक

11.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम . एमएचवाईसीओ (मेहिको)	2009 का ए. संख्या 2	अनंतिम संरक्षण	07.05.2019	महापंजीयक
12.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम . श्रीराम बॉयोसीड्स	2013 का ए. संख्या 1	अनंतिम संरक्षण	13.05.2019	महापंजीयक
13.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम . डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	2015 का ए. संख्या 1	अनंतिम संरक्षण	13.05.2019	महापंजीयक
14.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम . एमएचवाईसीओ (मेहिको)	एमआरसी 7301 बीजी-II, एमआरसी 7351 बीजी -II, एमआरसी 7383 बीजी -II एवं एमआरसी 6918 बीटी	अपेजिशन	13.05.2019	महापंजीयक
15.	बॉयोसीड्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	मल्लिका—एनसीएस 207	निरस्तीकरण	16.05.2019	अध्यक्ष
16.	बॉयोसीड्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	बीयूएनएनवाई—एनसीएस- 145	निरस्तीकरण	16.05.2019	अध्यक्ष
17.	मैसर्स इंटरनेशनल लॉवर ऑक्वशन बैगलौर लिमिटेड बनाम मैसर्स मोरहीम रोजेज एंड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एमईआईएफएलईएमआइएन जीयूर्झ	निरस्तीकरण	30.05.2019	अध्यक्ष
18.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम . श्रीराम बॉयोसीड्स	2013 का ए. संख्या 1	अनंतिम संरक्षण	22.07.2019	महापंजीयक
19.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम . श्रीराम बॉयोसीड्स	2013 का ए. संख्या 2	अनंतिम संरक्षण	22.07.2019	महापंजीयक
20.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम . बॉयोसीड्स	2013 का ए. संख्या 3	अनंतिम संरक्षण	22.07.2019	महापंजीयक
21.	बॉयोसीड्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	2012 का ए. संख्या 1	अनंतिम संरक्षण	22.07.2019	महापंजीयक
22.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड —बनाम— डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	2015 का ए. संख्या 1	अनंतिम संरक्षण	22.07.2019	महापंजीयक
23.	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड	एमआरसी 7385	अपेजिशन	22.07.2019	महापंजीयक

24.	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीडस कंपनी लिमिटेड बनाम नुजीवीडु सीडस (पी) लिमिटेड एवं अन्य	2008 का ए. संख्या 1	अनंतिम संरक्षण	24.07.2019	महापंजीयक
25.	नुजीवीडु सीडस (पी) लिमिटेड बनाम मेहिको	2009 का ए. संख्या 1	अनंतिम संरक्षण	24.07.2019	महापंजीयक
26.	मैसर्स नुजीवीडु सीडस बनाम मेहिका / भारती सीडस	सी 5096, सी 5195, एमआरसी 6029 बीटी, – एमआरसी 7045 बीजी II, एमआरसी 7347 बीजी II, एमआरसी 7929 बीजी II, 4206336 बी, एमआरसी 7017 एवं -एमआरसी 6322 बीटी	अपोजिशन	31.07.2019	महापंजीयक
27.	मैसर्स नुजीवीडु सीडस बनाम मेहिको	सी 5096, सी 5195, एमआरसी 6029 बीटी, – एमआरसी 7045 बीजी II, एमआरसी 7347 बीजी II, एमआरसी 7929 बीजी II, एमआरसी 7017 एवं - एमआरसी 6322 बीटी	अपोजिशन	06.09.2019	महापंजीयक
28.	मैसर्स नुजीवीडु सीडस बनाम मेहिको	एमआरसी 7031	अपोजिशन	13.09.2019	महापंजीयक
29.	मैसर्स नुजीवीडु सीडस बनाम मेहिको	एमआरसी 7301 बीजी -II, एमआरसी 7351 बीजी -II, एमआरसी 7383 बीजी -II एवं एमआरसी 6918 बीटी	अपोजिशन	19.09.2019	महापंजीयक
30.	मैसर्स नुजीवीडु सीडस बनाम भारती सीडस	4206336 बी	अपोजिशन	19.09.2019	महापंजीयक
31.	मैसर्स इंटरनेशनल लॉवर ऑक्शन बैगलौर लिमिटेड बनाम मैसर्स मोरहीम रोजेज एंड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एमईआईएफएलईएमआइएन जीयूई	निरस्तीकरण	25.09.2019	अध्यक्ष
32.	बॉयोसीडस रिसर्च इंडिया लिमिटेड बनाम नुजीविडु सीडस लिमिटेड	एमएलएलआईकेए-एनसीएस 207	निरस्तीकरण	08.01.2020	अध्यक्ष
33.	बॉयोसीडस रिसर्च इंडिया लिमिटेड बनाम नुजीविडु सीडस लिमिटेड	बीयूएनएनवाई- एनसीएस-145	निरस्तीकरण	08.01.2020	अध्यक्ष
34.	कविता कुरुगंति बनाम पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफएल-2027	निरस्तीकरण	22.01.2020	अध्यक्ष

8.3 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए) ने संबंधित आवेदकों को उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। इन नामित अधिकारियों का विवरण, प्राधिकरण की वेबसाइट पर मेनू शीर्षक आरटीआई के अंतर्गत उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 25 (2) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों का अनुपालन नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, प्राधिकरण को सीधे आवेदकों से या आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले अन्य विभागों से हस्तांतरित 15 आवेदन प्राप्त हुए। मांगी गई सूचना को निर्धारित अवधि के भीतर उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के समक्ष कोई भी अपील लंबित नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति को नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। आवेदनों की तिमाही स्थिति तथा प्राप्त शुल्क की रसीद सहित पूरा विवरण प्राधिकरण और केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8.4 सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

प्रतिवेदित वर्ष 2019–20 के दौरान, प्राधिकरण ने अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जीईएम के माध्यम से रु0 12,28,559 (बारह लाख अट्ठाइस हजार पाँच सौ उनसठ) मूल्य के विविध सामानों की खरीद की। माह–वार क्य किए गए आइटमों और उनका मूल्य नीचे दिया गया है :

2019–20 (1 अप्रैल 2019–31 मार्च, 2020) के दौरान खरीद (जीईएम) का विवरण

क्रम सं०	विवरण	माह	राशि (रु०)
1.		अप्रैल, 2019	1,23,741
2.		मई, 2019	7,600
3.	कंप्यूटर्स, वाटर डिस्पेंसर, पेन ड्राइव, एयर कंडीशनर, हार्ड डिस्क, यूपीएस, इमेजिंग ड्रम, टोनर, साइकल, सेनिटरी आइटम, हॉस्पिटेलिटी एवं सेनिटरी आइटम्स	जून, 2019	-
4.		जुलाई, 2019	3,91,756
5.		अगस्त, 2019	75,082
6.		सितंबर, 2019	57,960
7.		अक्टूबर, 2019	67,550
8.		नंबर, 2019	46,150
9.		दिसंबर, 2019	57,720
10.		जनवरी, 2020	2,25,000
11.		फरवरी, 2020	-
12.		मार्च, 2020	1,76,000
कुल राशि			12,28,559/-

8.5 अभिलेखों की जांच एवं प्रमाणित प्रतिलिपि की आपूर्ति

प्रतिवेदित अवधि के दौरान 35 किस्मों के अभिलेखों की जांच एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति का अनुरोध प्राप्त हुआ। संबंधित आवेदकों द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य के लिए 2,66,000/- (रु0 दो लाख साठ हजार रुपए केवल) की राशि जमा कराई गई। शुल्क की प्राप्ति के पश्चात संबंधित आवेदकों को प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई गईं।

8.6 शाखा कार्यालय

देश के विभिन्न भागों में प्राधिकरण की उप-पंजीयक (डिप्टी रजिस्ट्रार) के प्रशासनिक नियंत्रण में पांच शाखाएं संस्थापित हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:

श्री फूल सिंह मालवीय, उप पंजीयक

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कंप्यूटर सेंटर भवन, दामोदर अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कांके, रांची (झारखंड) –834006

1. श्री फूल सिंह मालवीय, (अतिरिक्त प्रभार)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, आसाम कृषि विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन के पास, खानापाड़ा, गुवाहाटी –781022

2. डॉ. शिव कुमार शर्मा, उप पंजीयक (संविदा पर)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, सीएसके एचपी कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश –176061

3. डॉ. एस. बी. गौरव, उप पंजीयक (संविदा पर)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, सेंटेनरी भवन, कृषि महाविद्यालय, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र – 411005

4. डॉ. टी. एच. गौडा, उप पंजीयक (संविदा पर)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, यूएचएस, शिवामोगा, अब्बालागेरे पोस्ट, शिवामोगा, कर्नाटक – 577204

8.7. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए) को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) की अध्यक्षता का दायित्व

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा सितंबर, 2018 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए) को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक), उत्तरी दिल्ली की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस समिति में 64 सदस्य कार्यालय शामिल हैं। प्राधिकरण द्वारा अध्यक्षता स्वीकार करने के पश्चात इस समिति की पहली बैठक 26 जून, 2019 को आयोजित की गई। सभी सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्षों ने इस बैठक में सहभागिता की और प्रत्येक कार्यालय की अर्धवार्षिक प्रगति की इस बैठक में समीक्षा की गई। बैठक के दौरान, राजभाषा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं और इसमें सुधार कैसे लाएं

इस पर चर्चा की गई। राजभाषा के विभिन्न प्रावधानों को पूरा करने के लिए 12 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया।

8.7.1 पीपीवी एवं एफआरए की राजभाषा कार्यान्वयन समिति

प्राधिकरण में राजभाषा के क्रियान्वयन हेतु पहले से ही राजभाषा क्रियान्वयन समिति मौजूद है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में बैठक का आयोजन किया गया तथा राजभाषा से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

8.7.2 राजभाषा पखवाड़ा

प्राधिकरण में 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2019 के दौरान राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें संविदात्मक कार्मिकों सहित सभी नियमित कर्मचारियों ने सहभागिता की तथा विजेताओं को नगर पुरस्कार दिया गया।

8.7.3 राजभाषा हिंदी का उपयोग

प्राधिकरण में कार्मिकों द्वारा राजभाषा का उपयोग किया जाता है। कार्मिकों द्वारा टिप्पण एवं मसौदा हिंदी में लिखा जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को क, ख तथा ग क्षेत्रों में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार द्विभाषी रूप में जारी किया जाता है।

8.7.4 हिंदी पखवाड़ा

पीपीवी एवं एफआरए में 11 से 24 सितंबर, 2019 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 03 अक्टूबर, 2019 को विस्तार निदेशालय, डीएसी एंड एफडब्ल्यू पूसा परिसर, नई दिल्ली के सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।



8.8. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

हालांकि, प्राधिकरण केंद्रीय सतर्कता अधिनियम या केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (2003) के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है किंतु प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त रखने तथा सरकारी कार्यालय का दुरुपयोग न होने देने की भावना को बरकरार रखने के लिए प्राधिकरण में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया तथा इस अवसर पर अपने स्टॉफ, कार्मिकों और अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।

प्राधिकरण में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसमें प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार निवारण तथा इससे लड़ने के लिए सतर्क रहने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह (28 अक्टूबर– 02 नवंबर, 2019) के एक हिस्से के रूप में “ईमानदारी—एक जीवन शैली” थीम पर सामूहिक सहभागिता की।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का प्रारंभ सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ हुआ। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान संचालित गतिविधियों के अंतर्गत एक निबंध लेखन प्रतियोगिता (द्विभाषी) का भी आयोजन किया गया।

प्राधिकरण के अध्यक्ष ने इस अवसर पर व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक सत्यनिष्ठा का महत्व बताते हुए कुछ उदाहरणों के साथ अपना मुख्य संबोधन दिया। उन्होंने इस विज्ञन की प्राप्ति हेतु विशेषकर युवा पीढ़ी को आगे आने और इसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उत्साहित और प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति असंवेदनशीलता के कारण कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कार्मिकों से कार्य में पारदर्शिता एवं ईमानदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं।



सप्ताह के दौरान बैनर का प्रदर्शन



सत्यनिष्ठा शापथ लेते हुए



निबंध प्रतियोगिता



समापन समारोह

8.9 पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण की बैठक

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण की दो बैठकें सम्पन्न हुईं। इन बैठकों का विस्तृत कार्यवृत्त पीपीवी एवं एफआरए की वेबसाइट में उपलब्ध है। बैठक में लिए गए निर्णयों के मुख्य बिंदु नीचे दिए जा रहे हैं :

8.9.1 30 अप्रैल, 2019 को सम्पन्न 31^{वीं} बैठक

- पीजीएससी अवार्ड का स्तर (स्टेट्स)
- आउटसोर्स पर रखे गए स्टॉफ के वेतन हेतु प्रस्ताव
- प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण लंबित विषयों के लिए नोडल मंत्रालय से कार्य निष्पादन/क्रियान्वयन हेतु संपर्क
- एनआईसी (एनआईसीएसआई) के माध्यम से ॉनलाइन आवेदन हेतु वेब-आधारित प्रणाली
- ज्वार एवं बाजरे की फसल हेतु पीपीवी एवं एफआर नियमों, 2003 के नियम 29(8) एवं (9) के तहत डीयूएस परीक्षण के दिशानिर्देशों की समीक्षा
- पीपीवीएफआर प्राधिकरण में नए पदों का सृजन
- पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन

- जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाओं के संचालन हेतु प्रस्ताव
- रजिस्ट्रार (पंजीयक) तथा अन्य स्टॉफ के कॉरियर एडवांसमेंट हेतु विशेष नीति हेतु प्रावधानों का पुनः स्थापन तथा पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के तकनीकी संवर्ग को उन्नयन/पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना

8.9.2 25 सितंबर, 2019 को सम्पन्न 32^{वीं} बैठक

- पीपीवी एवं एफआर नियमों, 2003 के अंतर्गत नियम 29(9) के तहत परवल, कॉसेंट्रा एवं लोबिया फसल प्रजातियों हेतु डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का अनुमोदन।
- परवल, कॉसेंट्रा एवं लोबिया की मौजूदा किस्मों के पंजीकरण हेतु समय-सीमा के निर्धारण का अनुमोदन।
- परवल, कॉसेंट्रा एवं लोबिया के लिए डीयूएस शुल्क एवं ऑन साइट डीयूएस परीक्षण शुल्क के निर्धारण को अनुमोदित करना।
- वार्षिक शुल्क रिटर्न फार्म में संशोधन
- वित्त सलाहकार के पद हेतु भर्ती नियमों को अनुमोदित करना
- पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19 के मसौदे को अनुमोदित करना
- पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के वार्षिक लेखा 2018–19 को अनुमोदित करना
- डीयूएस परीक्षण केंद्र में केंडिडेट किस्म की जांच तथा शुल्क को अनुमोदन
- मौजूदा किस्म संस्तुति समिति (अधिसूचित) की 34^{वीं} बैठक के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करना
- मौजूदा किस्मों के पंजीकरण हेतु विशिष्टता, एकरूपता तथा टिकाऊपन (डीयूएस) के मापदंडों को अधिसूचित करना
- श्री जे.पी. सिंह, पूर्व वित्त सलाहकार के संबंध में की गई अनुशासनिक कार्यवाही के अनुसार उन्हें दी जाने वाली वेतनवृद्धि (इंकीमेंट) की बहाली की अपील पर निर्णय

8.10 वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न बैठकों में अध्यक्ष (चेयरपर्सन) की सहभागिता एवं विचारविमर्श

दिनांक	विवरण
5 अप्रैल, 2019	बीज प्रभाग से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कृषि भवन, नई दिल्ली में सचिव (एसी एंड एफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भाग लिया।
09 अप्रैल, 2019	एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित नराकास की विशेष बैठक में सहभागिता की।
23 अप्रैल, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने श्री राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी), उद्योग भवन, नई दिल्ली के साथ आरसीईपी वार्ता के आईपी चैप्टर में पादप किस्मों के प्रावधानों हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया।
25–26 अप्रैल, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में खरीफ फसल 2019 हेतु डीयूएस केंद्रों कर 15 ^{वीं} समीक्षा बैठक में भाग लिया।
30 अप्रैल, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनएएससी परिसर, नई दिल्ली के नास समिति कक्ष संख्या 2 में प्राधिकरण की 31 ^{वीं} बैठक में सहभागिता की। इस बैठक के दौरान तकनीकी, विधिक तथा पंजीकरण की प्रगति से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की गई।
4 मई, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर), नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीनोमिक्स एवं जीनोटाइपिंग सुविधा के शुभारंभ समारोह में भाग लिया।
07 मई, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में बांस प्रजातियों के डीयूएस दिशानिर्देशों हेतु समीक्षा बैठक में सहभागिता की।

08 मई, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने खेलगांव, नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर एक बैठक चर्चा में भाग लिया।
28 मई, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर, उत्तराखण्ड में इन्नोवेटिव बागवानी एवं मूल्य श्रृंखला प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर मुख्य व्याख्यान दिया।
30 मई, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पीपीवी एवं एफआरए एवं डीएसी एवं एफडब्ल्यू के बीच लंबित मुददों के संबंध में सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के साथ बैठक में भाग लिया।
5 जून, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने ए. पी. शिंदे सिंपोजियम हॉल, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएस) की 26 ^{वीं} वार्षिक आम सभा की बैठक में भाग लिया।
14 जून, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) के 30 ^{वें} स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर “किसानों की आय को बढ़ाने हेतु प्राथमिकताएं एवं रणनीति” पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में सहभागिता की तथा “पादप किस्मों का संरक्षण, कृषक अधिकार एवं लाभ का बंटवारा” विषय पर एक व्याख्यान भी दिया।
18 जून, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने श्री राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), उद्योग भवन, नई दिल्ली के साथ आरसीईपी वार्ता में पादप किस्मों के प्रावधानों हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया।
21 जून, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पीपीवी एवं एफआरए के अन्य स्टॉफ के साथ पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में यूकेलिप्टस प्रजातियों की डीयूएस दिशानिर्देशों की समीक्षा की।
24 जून, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कक्ष सं 138 (महालेनोबिस समिति कक्ष), कृषि भवन, नई दिल्ली में सचिव (एसीएंडएफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में बीज सेक्टर पर आयोजित विचारोत्तेजक सत्र में सहभागिता की।
26 जून, 2019	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), नई दिल्ली में एबीएस विनियमन पर मसौदा (संशोधित) दिशानिर्देशों पर चर्चा हेतु क्षेत्रीय परामर्श की द्वितीय बैठक में सहभागिता की। ➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी, सीजीपीडीटीएम कार्यालय, हिस्लॉप कॉलेज रोड, सिविल लाइंस, निकट नागपुर विश्वविद्यालय, एयर इंडिया भवन के पीछे, नागपुर, महाराष्ट्र में डब्ल्यूआईपीओ इंडिया समर स्कूल में सहभागिता की तथा “पेंटेंट एवं पादप किस्में – हालिया प्रगति” पर एक व्याख्यान दिया। ➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने ए.पी. शिंदे सभागार, एनएएससी परिसर, टोडापुर, नई दिल्ली में 26 जून, 2019 को नराकास (उत्तरी दिल्ली) की छमाही बैठक में भाग लिया।
22 जुलाई, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने आईएआरआई, नई दिल्ली में 30–सदस्यीय सरकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया।
07–08 अगस्त, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनबीए, चैन्नई में एक्सेस एवं लाभ वितरण पर विशेषज्ञ समिति की 56 ^{वीं} बैठक में सहभागिता की।
26 अगस्त, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद–500030, तेलंगाना में “बीज सेक्टर के साथ पारस्परिक बैठक” में भाग लिया।
28 अगस्त, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कृषि भवन में माननीय कृषि मंत्री जी के समक्ष पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के बारे में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया।
05 सितंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने डॉ. बी. पी. पाल सभागार, आईएआरआई में भारत के पूर्व

	राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन, जो एक विख्यात शिक्षक थे, के जन्म दिन पर आयोजित शिक्षक दिवस व्याख्यान में भाग लिया।
06 सितंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने टिकाऊ चावल उत्पादन पर आयोजित सेमिनार में चावल की खेती में उत्पादकता वृद्धि, स्थायित्व एवं लाभप्रदता सत्र की अध्यक्षता की। माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने इसके उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे।
11–13 सितंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने नास, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में नास की अनुभागीय समिति की बैठक में भाग लिया।
16 सितंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ के न्यूकिलयर औषधि एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, एस. के. मजूमदार मार्ग, दिल्ली में आयोजित हिंदी माह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
24 सितंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एएसआरबी, कृषि अनुसंधान भवन 1, पूसा, नई दिल्ली में हिंदी परखवाड़ा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की।
25 सितंबर, 2019	नास के समिति कक्ष संख्या 2, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में प्राधिकरण की 32 ^{वीं} बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंजीकरण एवं प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न कार्यसूची मद्दों पर चर्चा की गई।
26–27 सितंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने नास के समिति संख्या 1, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में रबी फसलों—2019 के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्रों की 16 ^{वीं} समीक्षा बैठक में सहभागिता की।
30 सितंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने मुम्बई, महाराष्ट्र में नई पीढ़ी के जीनोमिक्स, जैविकी, जैवसूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एनजीबीटी) पर आयोजित पूर्ण सत्र में सहभागिता की।
11 अक्टूबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भाकृअनुप—एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में पादप आनुवंशिक संसाधन नीति एवं व्यापार से संबंधित बैठक में सहभागिता की।
14 अक्टूबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भाकृअनुप—आईएआरआई, नई दिल्ली में एनएएससी—2019 में किस्मों की पहचान, रखरखाव और संरक्षण पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
23–24 अक्टूबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनपीएल के सभागार, पूसा, नई दिल्ली में राजभाषा महोत्सव, 2019 में भाग लिया।
25 अक्टूबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में वर्ष—2019 के लिए फैलो के चयन हेतु गठित आईएसजीपीबी समिति में सहभागिता की।
26 अक्टूबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित मिस्टर डेविड आर. मलपास, विश्व बैंक ग्रुप के अध्यक्ष द्वारा नीति आयोग व्याख्यानमाला के पांचवें संस्करण में सहभागिता की। इस व्याख्यान के पश्चात वित्त एवं बैंकिंग विश्व के अग्रणी प्रतिनिधियों के साथ एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया।
04 नवंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एएसआरबी, नई दिल्ली के नए कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह में सहभागिता की।
11 नवंबर, 2019	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उत्तरी दिल्ली) वर्ष 2019–20 की दूसरी बैठक ए. पी. शिंदे सभागार, एनएएससी परिसर, टोडापुर, नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भाग लिया।
14 नवंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने डॉ. बी. पी. पाल ऑडिटोरियम, आईएआरआई, नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन कांग्रेस थीम : देश में विभिन्न फंटों पर कृषि रसायनों की स्थिति पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
14 नवंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय जीनोमिक्स एवं जीनोटाइपिंग सुविधा' की कार्यकारी समिति की दूसरी बैठक में सहभागिता की।
26 नवंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनआईएफटीईएम, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में ग्राम अंगीकरण कार्यक्रम (वीएपी—14) के उद्घाटन सत्र में सहभागिता की।

30 नवंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जेएयू जूनागढ़ में क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि-जैवविविधता प्रदर्शनी में एक व्याख्यान दिया।
04 दिसंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पीपीवी एवं एफआरए तथा डीएसी एंड एफडब्ल्यू के बीच लंबित मामलों के संबंध में कृषि भवन, नई दिल्ली में सचिव एवं अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के साथ सम्पन्न बैठक में विचार विमर्श किया।
07 दिसंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), नई दिल्ली में 'पादप किस्मों का संरक्षण एवं पारंपरिक कृषि ज्ञान –भारत के अनुभव' पर एक व्याख्यान दिया।
09 दिसंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने समिति कक्ष, पीपीवी एवं एफआरए, एनएएससी परिसर में भारत में पीवीपी प्रणाली (डीयूएस परीक्षण सहित) पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
11 दिसंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने नास, समिति कक्ष 1, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में यू.एन. पर्यावरण कार्यान्वित जीईएफ परियोजना हेतु राष्ट्रीय परियोजना स्टियरिंग समिति की बैठक में भाग लिया।
17 दिसंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में बीज सेक्टर के विकास हेतु इंडो-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत "पंजीकृत किस्मों का पश्च पादप किस्म नियंत्रण एवं पादप प्रजनकों के अधिकार को कियान्वित करने" पर आयोजित इंडो-जर्मन कार्यशाला में अपने अन्य सहकर्मियों के साथ सहभागिता की।
20 दिसंबर, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित 'ऐप-अप मीटिंग ऑफ ईयू टीम फॉर इविवेलेंस' में सहभागिता की।
08 जनवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कृषि भवन, नई दिल्ली में भारतीय बागवानी संघ तथा बागवानी उत्पादक संघ के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा आयोजित बैठक में सहभागिता की।
10 जनवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बिस्वनाथ कृषि महाविद्यालय, बिस्वनाथ, चारियाली, असम में नेशनल सिट्रस मीट-2020 के सहयोग से आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
14 जनवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कृषि भवन, नई दिल्ली में बीज बिल पर हितधारकों एवं जनसाधारण की टिप्पणियों पर माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया।
17 जनवरी, 2019	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने आईएआरआई, नई दिल्ली में "संयुक्त राष्ट्र के स्थाई विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु फाइटोपैथोलॉजी" पर आयोजित 7^{वें} अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता की। ➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, भाकृअनुप-आईएआरआई, नई दिल्ली में केन्या पादप स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा (केईपीएचआईएस), केन्या सरकार के कार्मिकों हेतु "पादप किस्म संरक्षण, बीज परीक्षण एवं प्रमाणन" पर आयोजित बैठक में सहभागिता की। ➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कृषि भवन, नई दिल्ली में बीज बिल पर संयुक्त सचिव (बीज), अपर सचिव तथा एडीजी (बीज) के साथ बैठक में भाग लिया।
20 जनवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने डीएसी एंड एफडब्ल्यू में जेएमओ के साथ सर्वोच्च न्यायालय वाद की बैठक में भाग लिया।
30 जनवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने गांधीनगर, गुजरात में ग्लोबल पोटेटो कॉन्क्लेव-2020 में आलू नीति से संबंधित मुद्दों के सत्र की अध्यक्षता की।
03 फरवरी, 019	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने नास समिति कक्ष 1, एनएएससी, नई दिल्ली में बीज नीति पर विशेषज्ञों की बैठक में सहभागिता की। ➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, भाकृअनुप-आईएआरआई,

	नई दिल्ली में “बीज उत्पादन एवं गुणवत्ता आश्वासन” पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया तथा “पादप किस्म संरक्षण : भारतीय परिप्रेक्ष्य” पर एक व्याख्यान दिया।
04 फरवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में माइनर दलहनों पर नेटवर्क परियोजना की परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) बैठक में सहभागिता की।
06 फरवरी, 2019	➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने समिति कक्ष 1, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में “जीनोम एडिटेड ऑर्गेनिज्म : विनियामक तंत्र एवं जोखिम आकलन हेतु दिशानिर्देश” पर मसौदा दस्तावेज की बैठक में भाग लिया। ➤ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में एफएसआईआई मामलों में काउंटर एफिडेविट (प्रति शपथपत्र) को अंतिम रूप देने हेतु बुलाई गई बैठक में सहभागिता की।
11 फरवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार में पी.एचडी छात्र की मौखिक परीक्षा (वाइवा वोसी) ली।
12 फरवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने डॉ. बी.पी. पाल ऑडिटोरियम, आईएआरआई, नई दिल्ली में पॉचर्वी डॉ. ए. बी. जोशी मेमोरियल अवार्ड व्याख्यान पर 58 ^{वैं} दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में भाग लिया।
13–14 फरवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने तोरिया–सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान में सीड सेक्टर में इंडो–जर्मन सहयोग के तहत तोरिया एवं सरसों की डीयूएस परीक्षण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में पीपीवी एवं एफआरए के अन्य कार्मिकों के साथ सहभागिता की। डॉ. रवि प्रकाश, रजिस्ट्रार ने इस कार्यशाला में “भारत में पीपीवी प्रणाली” पर एक व्याख्यान दिया।
14 फरवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने नए ऑडिटोरियम, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 58 ^{वैं} दीक्षांत समारोह में भाग लिया।
15 फरवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भाकृअनुप–आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल में “मनोरंजनात्मक विकास हेतु रबी मौसम में सहभागी बीज उत्पादन” विषय पर भाकृअनुप–लघु पाठ्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
17 फरवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जेडब्ल्यू मेरियट, एरोसिटी, नई दिल्ली में भारतीय बीज कांग्रेस –2020 के दौरान “भारत में बीज गुणवत्ता नियमन एवं आईपीआर व्यवस्था” के तकनीकी सत्र–4 की अध्यक्षता की तथा “पीपीवी एवं एफआर अधिनियम –चुनौतियां एवं संभावनाओं के अंतर्गत प्रजनक एवं कृषक अधिकार के साथ लाभ वितरण तंत्र” पर एक व्याख्यान भी दिया।
19–20 फरवरी, 2019	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पीपीवी एवं एफआरए के अन्य कार्मिकों के साथ भाकृअनुप–भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा में बीज सेक्टर में इंडो–जर्मन सहयोग के तहत गेहूं एवं जौ के डीयूएस परीक्षण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में सहभागिता की। डॉ. रवि प्रकाश, रजिस्ट्रार ने इस कार्यशाला में “भारत में पीपीवी प्रणाली” पर एक व्याख्यान दिया।
27 फरवरी, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने डीआरडीओ के डीटीआरएल, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी में भाग लिया।
03 मार्च, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने आईएआरआई में पूसा कृषि विज्ञान मेला (इन्नोवेटिव किसान सम्मिलन) में भाग लिया।
05 मार्च, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने सीडमैन एसोसिएशन, हैदराबाद में बीज उद्योग के लाभ हेतु पीपीवी एवं एफआरए–2001 एवं संबंधित विषयों पर एक व्याख्यान दिया।

12 मार्च, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने सम्मेलन कक्ष, जैव सुरक्षा सपोर्ट इकाई, प्रथम तल, एनपीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में ‘जेनेटिकली इंजीनियर्ड (जीई) प्लांट्स कंटेनिंग स्टेकड ईवेंट्स’ एवं “पर्यावरणीय जोखिम आकलन (ईआरए ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म” पर दिशानिर्देशों की समीक्षा एवं संस्तुति करने के लिए आयोजित विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक में सहभागिता की।
12 मार्च, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कक्ष संख्या 816, 8 ^{वां} तल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, लोधी रोड, नई दिल्ली में डीबीटी कार्यबल की बैठक में भाग लिया।
17 मार्च, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पीपीवी एवं एफआरए के समिति कक्ष में पादप प्राधिकरण भवन निर्माण हेतु टेंडर के संबंध में एक बैठक में भाग लिया।
19 मार्च, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पीपीवी एवं एफआरए के समिति कक्ष में वर्ष 2019–20 के दौरान शिवमोगा परियोजनाओं में हुई प्रगति के बारे में विचार विमर्श हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।

8.11. वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न बैठकों एवं विचार विमर्श में रजिस्ट्रेशन जनरल $\frac{1}{4}$ महा पंजीयक $\frac{1}{2}$ की सहभागिता

दिनांक	विवरण
02 अप्रैल, 2019	महापंजीयक ने प्रशासनिक सह प्रशिक्षण ब्लॉक, भाकृअनुप–आईएएसआरआई, नई दिल्ली में आईसीएएस– VIII की वित्त समिति की बैठक में भाग लिया।
09 अप्रैल, 2019	महापंजीयक ने एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में नराकास की विशेष बैठक में सहभागिता की।
10 अप्रैल, 2019	महापंजीयक ने अपने अन्य स्टॉफ के साथ पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में ऑनलाइन सिस्टम को विकसित करने के लिए एनआईसी टीम के साथ बैठक में भाग लिया।
23 अप्रैल, 2019	महापंजीयक ने श्री राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी), उद्योग भवन, नई दिल्ली के साथ आरसीईपी वार्ता के आईपी चैप्टर में पादप किस्मों के प्रावधानों हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया।
25–26 अप्रैल, 2019	महापंजीयक ने एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में खरीफ फसल 2019 के लिए डीयूएस केंद्रों की 15 ^{वीं} समीक्षा बैठक में भाग लिया।
30 अप्रैल, 2019	<ul style="list-style-type: none"> ➤ महापंजीयक ने एनएएससी परिसर, नई दिल्ली के नास समिति कक्ष संख्या 2 में प्राधिकरण की 31^{वीं} बैठक का संचालन किया। इस बैठक के दौरान तकनीकी, विधिक तथा पंजीकरण की प्रगति से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की गई। ➤ महापंजीयक ने अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार डीएसी एंड एफडब्ल्यू संयुक्त सचिव (बीज) तथा मुख्य सलाहकार (लागत) के साथ कृषि भवन में पीपीवी एवं एफआरए के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु आहूत संशोधित लागत समिति की बैठक में भाग लिया।
04 मई, 2019	महापंजीयक ने राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संरथान (एनआईपीजीआर), नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीनोमिक्स एवं जीनोटाइपिंग सुविधा के शुभारंभ समारोह में भाग लिया।
07 मई, 2019	महापंजीयक ने पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में बांस प्रजातियों की डीयूएस दिशानिर्देशों हेतु समीक्षा बैठक में भाग लिया।
08 मई, 2019	महापंजीयक ने खेल गांव, नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल में आयोजित एक पैनल चर्चा में भाग लिया।
10 मई, 2019	महापंजीयक ने डॉ. बी. पी. पाल ऑडिटोरियम, भाकृअनुप–राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012 में “खाद्य एवं पोषणीय सुरक्षा हेतु पादप आनुवंशिक

	संसाधन” पर आईएसपीजीआर अवार्ड समारोह में तृतीय डॉ. ए. बी. जोशी मेमोरियल व्याख्यान में सहभागिता की।
20–23 मई, 2019	महापंजीयक ने रोम, इटली में खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में कृषक अधिकार पर तदर्थ तकनीकी विशेषज्ञ समूह (आईटीपीजीआरएफए) की द्वितीय बैठक में सहभागिता की।
28 मई, 2019	महापंजीयक ने डॉ. डी. के. यादव, एडीजी (बीज), आईसीएआर की अध्यक्षता में “वार्षिक शुल्क की वापसी (रिटर्न) के पुनरीक्षण” पर आयोजित बैठक में पीपीवी एवं एफआरए के अन्य स्टॉफ के साथ सहभागिता की।
30 मई, 2019	महापंजीयक ने पीपीवी एवं एफआरए तथा डीएसी एंड एफडब्ल्यू के बीच लंबित मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु कृषि भवन, नई दिल्ली में सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया।
18 जून, 2019	<ul style="list-style-type: none"> ➤ महापंजीयक ने श्री राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), उद्योग भवन, नई दिल्ली के साथ आरसीईपी वार्ता में पादप किस्मों के प्रावधानों हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया। ➤ महापंजीयक ने प्राधिकरण के समिति कक्ष में वित्त सलाहकार, पीपीवी एवं एफआरए के पद हेतु आए आवेदनों की स्कीनिंग कमेटी की बैठक में भाग लिया।
21 जून, 2019	महापंजीयक ने पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में पादप प्राधिकरण भवन के निर्माण में प्रगति की समीक्षा के लिए परियोजना समीक्षा समिति की बैठक का संचालन किया।
28 जून, 2019	महापंजीयक ने कृषि भवन, नई दिल्ली में पादप किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु संबंधित आकलन के अनुमोदन हेतु डेलीगेटेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में भाग लिया। यह बैठक कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
01 जुलाई, 2019	महापंजीयक तथा पीपीवी एवं एफआरए के अन्य कार्मिकों ने एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में छठी तिमाही बैठक में भाग लिया।
24 जुलाई, 2019	महापंजीयक ने पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में महा पंजीयक के कक्ष में पीवीपी के ऑनलाइन सिस्टम के संबंध में एनआईसी के साथ बैठक का संचालन किया।
25 जुलाई, 2019	महापंजीयक ने समिति कक्ष, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में विधि सलाहकार के पद हेतु आवेदनों की स्कीनिंग हेतु आयोजित बैठक का संचालन किया।
08 अगस्त, 2019	महापंजीयक ने समिति कक्ष, पीपीवी एवं एफआरए में प्राधिकरण के अन्य स्टॉफ के साथ वेबसाइट से संबंधित सॉफ्टवेयर की प्रगति, रजिस्ट्री कार्य, राष्ट्रीय रजिस्टर, पीवीजे, लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं का पंजीकरण, वार्षिक एवं नवीनीकरण शुल्क पर समीक्षा बैठक में भाग लिया।
13 अगस्त, 2019	महापंजीयक ने पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में एनआईसी के अधिकारियों के साथ पादप किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदनों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रोसेसिंग हेतु वेब-आधारित सिस्टम पर सम्पन्न बैठक में सहभागिता की।
21 अगस्त, 2019	महापंजीयक ने कृषि भवन, नई दिल्ली में बीज विकास पर इंडो-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत हितधारकों के साथ प्रारंभिक बैठक में सहभागिता की।
26 अगस्त, 2019	महापंजीयक, पंजीयकों तथा विधि सलाहकार, पीपीवी एवं एफआरए ने प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030, तेलंगाना में “बीज सेक्टर के साथ पारस्परिक बैठक” में सहभागिता की।
27 अगस्त, 2019	महापंजीयक ने समिति कक्ष, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर की जरूरतों के विनिर्देशन पर सम्पन्न बैठक में भाग लिया।
19 सितंबर, 2019	महापंजीयक ने समिति कक्ष, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में हियरिंग (वाद सुनवाई) की

	अध्यक्षता की।
20 सितंबर, 2019	महापंजीयक ने भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद द्वारा बैंगलौर में आयोजित सीड वर्ल्ड 2019 में “बीज उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार विनियामक व्यवस्था में सामंजस्य” ^१ पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लिया।
23 सितंबर, 2019	महापंजीयक ने सम्मेलन हाल, बौद्धिक संपदा भवन, प्लॉट संख्या 32, सेक्टर 14, द्वारका, दिल्ली में कथित जीआई आवेदनों में संदर्भित मामलों में दिए गए विवरणों में सही विवरण को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अपेक्षाओं पर विशेष जोर देने पर परामर्श ग्रुप के विशेषज्ञ समिति की बैठक में सहभागिता की।
25 सितंबर, 2019	महापंजीयक ने नास के समिति कक्ष संख्या 2, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में प्राधिकरण की 32 ^{वीं} बैठक का संचालन किया। इस बैठक में पंजीकरण एवं प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई।
26–27 सितंबर, 2019	प्राधिकरण के महापंजीयक ने अन्य स्टॉफ सदस्यों के साथ नास के समिति संख्या 1, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में रबी फसलों–2019 के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्रों की 16 ^{वीं} समीक्षा बैठक में सहभागिता की।
30 सितंबर, 2019	प्राधिकरण के महापंजीयक ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के कावेरी सम्मेलन कक्ष में ‘जैवसुरक्षा पर कार्टागेना प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय रिपोर्ट’ पर चर्चा करने के लिए अंतर–मंत्रालयी बैठक में सहभागिता की।
10–11 अक्टूबर, 2019	प्राधिकरण के महापंजीयक ने भाकृअनुप–सीटीसीआरआई, तिरुअनंतपुरम में ‘हरीतिमा समृद्धि के लिए मूल्यवान पादप आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु पीपीवी एवं एफआरए सहित संरक्षक किसानों को सम्पन्न बनाना’ पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में पीपीवीएफआरए से विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागिता की।
22 अक्टूबर, 2019	महापंजीयक ने डॉ. बी. पी. पाल ऑडिटोरियम, आईएआरआई, पूसा परिसर, नई दिल्ली में प्लांट जीनोम संरक्षक (सेवियर) अवार्ड कार्यक्रम में सहभागिता की।
23 अक्टूबर, 2019	प्राधिकरण के महापंजीयक ने एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में ‘बीज विकास पर इंडो–जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत अगले चरण में संचालित की जाने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया।
06 नवंबर, 2019	प्राधिकरण के महापंजीयक ने समिति कक्ष, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में पंजीयक के पद हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया।
07 नवंबर, 2019	प्राधिकरण के महापंजीयक ने समिति कक्ष, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में एनआईसी के साथ सम्पन्न बैठक में भाग लिया।

अध्याय 9 : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

9.1 भाकृअनुप – भारतीय गेहूं एवं जौ संस्थान में 19–20 फरवरी, 2020 के दौरान “गेहूं एवं जौ के डीयूएस परीक्षण” पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

भाकृअनुप—आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल में बीज सेक्टर पर इंडो जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तत्वावधान में “गेहूं एवं जौ के डीयूएस परीक्षण” पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. के. वी. प्रभु ने की तथा भाकृअनुप—आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल के निदेशक डॉ. जी. पी. सिंह ने इस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता की। भाकृअनुप के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, निजी बीज कंपनियों तथा आईपीआर अटॉर्नी सहित इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में कुल 50 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर भाकृअनुप—आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल के फसल सुधार के प्रधान अन्वेषक (पीआई) डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह ने मुख्य अतिथि, सभी विशिष्ट जनों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा डॉ. टी. के. नागरत्ना, पंजीयक, पीपीवी एवं एफआरए ने इस कार्यशाला का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया।

कार्यशाला में उभरी मुख्य बातें

- 1^ए ब्रेड वाले गेहूं की सभी मौजूदा किस्मों को 27.07.2020 से पहले पंजीकृत कर लिया जाना चाहिए तथा डुरम, डाइकोकम तथा गेहूं की अन्य प्रजातियों को 18.08.2020 से पहले पंजीकृत कर लिया जाए। उसके बाद मौजूदा श्रेणी में गेहूं की किसी किस्म को पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
- 2^ए डॉ. के. वी. प्रभु ने कार्यशाला में सूचित किया कि अभिकर्ता या किसी पौधा किस्म के लाइसेंस धारक को पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने और लाइसेंस के नियमों (रिवोकेशन) से जुड़े कई मुद्दों को स्पष्ट किया।
3. डॉ. जी. पी. सिंह ने कहा कि गेहूं और जौ में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश काफी व्यापक रूप से स्पष्ट हैं तथापि गेहूं और जौ के लिए डीयूएस परीक्षण प्रोटोकॉल/प्रक्रिया में जरूरत के अनुसार बदलाव अपेक्षित है।
- 4^ए भारत में गेहूं और जौ के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में यूपीओवी के साथ सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है।
- 5^ए पीपीवी एवं एफआरए के अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया कि पीपीवीएवं एफआरए द्वारा विशेष रूप से गेहूं एवं जौ कार्यकर्ता की वार्षिक बैठक में इस पर अलग से एक सत्र रखा जाना चाहिए।

प्रस्तुतीकरण से उभरे मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- 1^ए सभी किस्मों या पैतृक वंशावलियों में से कोई एक (अंतर्जात के रूप में) और इसकी संकर किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- 2^ए पैतृक वंशावलियों के साथ संकर किस्मों का डीयूएस परीक्षण अनिवार्य है।
- 3^ए एकल (सिंगल) कॉस तकनीक के माध्यम से उत्पन्न संकर किस्मों को उनके पैतृक किस्मों के साथ पंजीकरण के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- 4^ए त्रिमार्गी संकरित (थ्री वे कॉस्ड) या डबल कास या बहु-पैतृक शृंखला में कॉस्ड संकर किस्मों तथा कंपोजिट्स को स्वीकार नहीं किया जाएगा व्योंकि इनके परिणामी संकर किस्मों में स्थिरता तथा एकरूपता मापदंडों को बनाए रखने में इन किस्मों को उन्हीं पैतृकों की कॉसिंग द्वारा सदृश रूप में पुर्नउत्पादित नहीं किया जा सकता।

निजी एवं सार्वजनिक बीज क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक विमर्श सत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनकों तथा निजी बीज कंपनियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों तथा जिज्ञासाओं को पीपीवी एवं एफआरए के अध्यक्ष डा. के.वी. प्रभु द्वारा स्पष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि भारत के अलावा अन्य किसी देश में कंपनी द्वारा संरक्षित किस्मों को भारत में संरक्षण का दर्जा नहीं दिया जाएगा। भारत में पंजीकरण के लिए कंपनी को नए सिरे से आवेदन करना होगा। संरक्षित जननसामग्री या किसी किस्म को लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है तथा इसके लिए प्रयोक्ता को सभी पूर्व-निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई करने पर बाध्य होना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि किस्मों के संरक्षण के फलस्वरूप उस जननसामग्री के प्रजनकों को रॉयल्टी प्राप्त होगी।

प्रतिभागियों ने गेहूं एवं जौ के डीयूएस परीक्षण वाले खेतों का अवलोकन किया तथा विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया।

डॉ. के. वी. प्रभु, डॉ. जी. पी. सिंह, डॉ. राल्फ रौसलर, डॉ. एल्मार वेस्मान, सभी विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षितों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यशाला का समापन हुआ।



9.2 “तोरिया—सरसों के डीयूएस परीक्षण” पर 13–14 फरवरी, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

भाकृअनुप— तोरिया सरसों अनुसंधान निदेशालय ने 13–14 फरवरी, 2020 को “तोरिया—सरसों के डीयूएस परीक्षण” पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। इस कार्यशाला का आयोजन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए), नई दिल्ली तथा फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रिकल्चर (बीएमईएल) जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस कार्यशाला में पीपीवी एवं एफआरए के अध्यक्ष डॉ. के. वी. प्रभु; भाकृअनुप—डीआरएमआर के निदेशक डॉ. पी. के. राय सहित पीपीवी एवं एफआरए के रजिस्ट्रार (पंजीयक), फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रिकल्चर (बीएमईएल) जर्मनी के प्रतिनिधि, जो बीज क्षेत्र में इंडो—जर्मन सहयोग के तहत तोरिया—सरसों एवं संकर किस्मों के डीयूएस परीक्षण पर काम कर रहे हैं उपस्थिति थे। इसके साथ ही देश भर में तोरिया—सरसों पर अनुसंधान कर रहे 35 वैज्ञानिकों के साथ—साथ निजी कंपनियों के शोधकर्ताओं ने भी इस कार्यशाला में सहभागिता की। इस कार्यशाला में व्याख्यान देने वाले विद्वान वक्ताओं में फेडरल प्लांट वैराइटी ऑफिस (बीएसए), जर्मनी के मिस्टर थॉमस गिल्डमिस्टर, इंडो—जर्मन कोऑपरेशन ऑन सीड सेक्टर, जर्मनी के वरिष्ठ बीज विशेषज्ञ डॉ. एलमार विसमॉन, डॉ. रवि प्रकाश, रजिस्ट्रार, पीपीवी एवं एफआरए, श्री दीपल रॉय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार, पीपीवी एवं एफआरए, डॉ. ए. के. सिंह, पीवीई, पीपीवी एवं एफआरए तथा डॉ. प्रियामेधा, भाकृअनुप—डीआरएमआर में तोरिया—सरसों पर डीयूएस



परीक्षण की प्रधान अन्वेषक शामिल थीं। डीयूएस खेतों के अवलोकन एवं प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारतीय सरसों, करन राई, तोरिया सरसों, गोभी सरसों, अलसी तथा गेहूं के सहयोगी डीयूएस केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरसों की 02 नई तथा 12 कृषक-केंडिडेट किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया जा रहा है।

अध्याय 10 : 31.03.2020 को प्राधिकरण के वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए अनिवार्य रूप से लागू लेखा मानको (ए एस) तथा महा लेखानियंत्रक (सीजीए) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए प्रस्तुतीकरण संबंधी अपेक्षाओं के लिए प्रासंगिक हैं, के अनुसार ऐतिहासिक अवधारणा परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण, जब तक अन्यथा न कहा जाए, व्यय तथा आय की सभी मदों के संदर्भ में लेखाकरण की अर्जन प्रणाली को अपनाता है। दिनांक 31 मार्च 2020 को तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों व भुगतान लेखे दिए जा रहे हैं।

पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62 (2) के अनुपालन में प्राधिकरण ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखे प्रस्तुत किए। लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ अलग से मंत्रालय को भेजे जाएंगे, ताकि उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सके। प्राधिकरण को वर्ष 2019–20 के दौरान कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से 5509.76 लाख रुपये की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई थी तथा 5244.81 लाख रुपये की राशि के व्यय हुए। पिछले वर्ष के 50.15 लाख रुपयों को जोड़कर 315.10 लाख रुपये की राशि शेष रहती है।

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र

	चालू वर्ष	राशि (रुपयों में) पिछला वर्ष
<u>कॉर्पस/पूंजी निधि तथा देयताएं</u>		
कॉर्पस/पूंजी निधि	866,458,098	505,617,861
संचय और अधिषेष	-	-
निर्धारित/स्थायी निधि	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	166,734,169	103,433,964
योग	1,033,192,267	609,051,825
<u>परिसम्पत्तियां</u>		
अचल परिसम्पत्तियां	34,930,287	32,813,942
घटाएँ : संचयित मूल्यहास	27,525,379	26,150,609
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	7,404,908	6,663,333
पूंजीगत चालू कार्य	22,967,519	18,147,519

निवेश – निधारित/ स्थायी निधियों से	-	-
निवेश – अन्य	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	1,002,819,840	584,240,973
विभिन्न व्यय (अपलिखित या समायोजित न की गई हो)		
	1,033,192,267	609,051,825

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

<u>आय</u>	प्राधिकरण निधि		जीन निधि		राशि (रुपयों में)
	2019–20	2018–19	2019–20	2018–19	
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	-	-	-	-	
अनुदान/सहायता	238,859,655	167,390,734	-	-	
शुल्क/अभिदान	21,730,096	19,896,009	8,342,808	20,837,231	
निवेशों से हुई आय	-	-	-	-	
रॉयलटी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	-	-	-	-	
प्राप्त ब्याज	27,379,051	14,519,413	12,167,874	5,988,663	
अन्य आय	5,603,947	575,980	-	-	
तैयार माल के रहतिया मेंवृद्धि/कमी और चालू कार्य	-	-	-	-	
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास)	1,374,769	901,521	-	-	
पूर्व अवधि समायोजन लेखा		-	-	-	
योग (क)	294,947,518	203,283,657	20,510,682	26,825,894	
<u>व्यय</u>					
स्थापना व्यय	57,878,552	59,840,986	-	-	
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	47,486,923	28,324,143	7,608,090	-	
अनुदान/सहायता आदि पर हुआ व्यय	144,344,078	87,550,609	-	-	
ब्याज	9,403	17,673	944	649	
मूलहास मूल्य हानि सहित	1,374,769	901,521	-	-	

पूर्व अवधि समायोजन लेखा	6,656,778	31,343,988		2,279,093
योग (ख)	257,750,504	207,978,920	7,609,034	2,279,742
आय का व्यय पर अधिक्य शेष (क–ख)	37,197,014	(4,695,263)	12,901,647	24,546,152
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग–अलग बताएं)	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण	-	-	-	-
कॉर्पस/पूंजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (घाटा)	37,197,014	(4,695,263)	12,901,647	24,546,152

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	राशि (रुपये में)
1. आदि शेष			1. व्यय			
क) उच्चंत (हाथ में नकद)			क) रथापना व्यय	43,847,114	44,055,110	
प्राधिकरण	2,601	25,000	ख) प्रशासनिक व्यय	46,856,751	20,499,501	
रांची शाखा	1,137	3,186				
गुवाहाटी शाखा	1,121	-6,262	2. निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान			
शिवमोगा शाखा	661	-				
पुणे शाखा	9,766	-				
ख) बैंक शेष राशि			क) विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध–IV)	70,262,519	57,946,469	
भारतीय स्टेट बैंक	14,053,733	20,066,070	ख) नए डीयूएस केन्द्र (अनुबंध–III)	27,827,017	28,224,113	
सिंडिकेट बैंक		32,415,441	ग) संदर्भ प्रयोगशालाएँ		-	-
खाता सं0 91532140000064	52,388	-	घ) फील्ड जीन बैंक (अनुबंध–V)	3,963,938	3,663,078	
खाता सं0 91532010008572	14,469,683	-	ड.) अन्य विभाग	5,762,086	-	
खाता सं. 91532140008630	1,365,857	-				
मार्गस्थ प्रेषण	-	-				
एसबीआई (जीन निधि)	2,496,562	3,106,549				
एसबीआई गुवाहाटी शाखा	34,405	8,015	3. अचल परिसम्पत्तियों तथा पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय			
एसबीआई रांची शाखा	24,009	16,056	क) अचल	2,035,942	2,454,170	

			परिसम्पत्तियों की खरीद (प्राधिकरण)		
एसबीआई पालमपुर शाखा	24,338	-			
केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	12,717	-			
		-	ख) पूँजीगत चालू कार्य पर व्यय	4,820,000	-
			4. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भवन निर्माण के लिए दी गई अग्रिम राशि	310,000,000	
2. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	550,976,000	170,322,000			
			5. प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी किया गया अनुदान (अनुबंध—VI)	1,920,500	5,010,000
3. बैंक जमा पर प्राप्त व्याज					
जीन निधि	-	-	6. बाहरी विभागों को अग्रिम	349,850	2,203,164
प्राधिकरण निधि (शाखाओं सहित)	2,091,782	14,954,007			
स्वीप पर व्याज (फ्लेक्सी जमा) (सिंडिकेट)	2,662	-	7. फ्रैंकिंग मशीन की रिफलिंग	200,000	200,000
स्थायी जमा पर व्याज (सिंडिकेट बैंक)	6,065,391	-			
फ्लेक्सी पर व्याज (जीन निधि)			8. जीन निधि में अंशदान 4,00,00,000		
स्थायी जमा पर व्याज (एसबीआई)			घटाएँ: जीन से वापसी (2,00,00,000)	20,000,000	20,524,450
			9. पीपीवी और एफआरए के कर्मचारियों को अग्रिम	1,242,058	2,928,890
4. फील्ड जीन बैंक से अनुदान की वापसी	.	.	10. वित्त प्रभार	-	17,424

5. संदर्भ किस्मों के अनुरक्षण से अनुदान की वापसी	1,385,537	385,249	11. बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती		-
6. प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुदान की वापसी	110,053	246,954	12. स्थायी जमा – जीन निधि	23,410,000	187,514,407
7. डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए अनुदान की वापसी	87,858	-	13. स्थायी जमा – प्राधिकरण		
8. पीपीवी एवं एफआरए कर्मचारियों से अग्रिम की वापसी	205,725	834,917	सिंडिकेट बैंक खाता सं. 91534050003894	-	54,335,034
			खाता सं. 91535030000206	-	54,000,000
9. संदर्भ प्रयोगशालाओं से अनुदान की वापसी	-	758,304	खाता सं. 915352010008572	350,000,000	-
10. अवर्गीकृत प्राप्तियां	270,450	-			
11. शुल्क/अभिदान/अन्य आय			14. आवर्ती जमा – सीपीएफ	-	-
आवेदन/पंजीकरण शुल्क	7,207,200	7,481,700			
आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क के लिए अग्रिम	114,000	-			
पीपीजे अभिदान शुल्क	2,172,500	152,000	15. अदा की गई वैधानिक देयताएं	9,330,950	8,812,937
विरोध की सूचना के लिए शुल्क		.			
वार्षिक शुल्क (बीज की बिक्री से प्राप्त हिस्से सहित) – जीन निधि	8,342,808	20,601,230	16. अन्य प्रेषण	93,526	45,257
डीयूएस परीक्षण शुल्क	5,843,500	5,793,500			
निरीक्षण शुल्क		.	17. ऑटी स्वीप का सृजन (फ्लेक्सी जमा)		
वार्षिक विवरणी फार्म		.	स्वीप (फ्लेक्सी जमा) का सृजन – एसबीआई	-	11,983,000
अन्य आय (पूर्व की अवधि सहित)	1,905,691	174,000	स्वीप (फ्लेक्सी जमा) का सृजन –	-	1,060,000

			एसबीआई –जीन		
प्रकाशनों की बिक्री	.	-	स्वीप (फ्लेक्सी जमा) का सूजन – सिंडिकेट	45,000	32,928,000
वार्षिक नवीकरण शुल्क	6,506,896	5,855,009			
पुराने समाचार–पत्रों/रद्दी की बिक्री	46,485	53,282	18. आईटीपीजीएफआरए को अंशदान	-	3,799,774
कार के प्रयोग हेतु वसूली	.	3,060			
उच्चंत की प्रतिपूर्ति/बैंक को राशि का अन्तरण	.	222,634	19. अंत शेष		
वापसी/लौटाई गई राशि (ऋणदाता)	.	-			
प्राधिकरण निधि से योगदान 4,00,00,000	.	-			
घटाएँ : प्राधिकरण निधि की वापसी (2,00,00,000)	20,000,000	21,059,050	क) उच्चंत (हाथ में नकदी)		
टीडीएस कटौती की वापसी	.	-	प्राधिकरण	25,000	2,601
			रांची शाखा	1,337	1,137
12. स्वीप (फ्लेक्सी जमा) का नकदीकरण – एसबीआई	.	19,395,643	गुवाहाटी शाखा	33	1,121
			शिवमोगा शाखा	1,891	661
13. 12. स्वीप (फ्लेक्सी जमा) का नकदीकरण – एसबीआई–जीन	.	122,830,859	पुणे शाखा	-	9,766
			ख) बैंक में शेष राशियां		
14. स्वीप (फ्लेक्सी जमा) का नकदीकरण – सिंडिकेट	.	112,368,091	भारतीय स्टेट बैंक	33,063,163	14,053,733
			सिंडिकेट बैंक		
15. स्वीप से ब्याज (फ्लेक्सी जमा)	.	-	खाता सं. 91532140000064	10,388	52,388
			खाता सं. 91532010008572	68,452,522	14,469,683
16. स्थायी जमा का नकदीकरण	.	-	खाता सं. 91532140008630	1,555,493	1,365,857
एसबीआई			मार्गस्थ प्रेषण	-	-
खाता सं. 34753570743	-	130,162	एसबीआई (जीन निधि)	18,596,218	2,496,562
खाता सं.	-	2,147,370	एसबीआई (गुवाहाटी)	128,471	34,405

37371154750			शाखा)		
खाता सं. 37437532695	-	79,555	एसबीआई (रांची शाखा)	121,283	24,009
सिंडिकेट बैंक – खाता सं. 91534050003894	-	36,335,034	एसबीआई (पालमपुर शाखा)	108,189	24,338
एसबीआई – जीन निधि	18,586,987	21,401,451	केनरा बैंक (शिवमोगा शाखा)	408,033	12,717
सिंडिकेट बैंक खाता सं. 91532010008572	379,841,725	-	महाराष्ट्र बैंक (पुणे शाखा)	129,921	-
17. सीपीएफ आवर्ती जमा	240,000	838,671			
18. अवकाश वेतन और पेषन अंषदान	-	-			
19. प्रतिभूति जमा	-	30,000			
20. बाहरी विभाग से वापसी	16,966	21,825			
कुल	1,044,569,192	620,109,613	कुल	1,044,569,192	620,109,613

अध्याय 11 : नागरिक आचार संहित

11.1 प्राधिकरण का परिदृश्य

पौधा किस्मों, कृषकों के अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करना।

11.2 प्राधिकरण के उद्देश्य

- ❖ पौधा किस्मों और कृषक के अधिकारों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना।
- ❖ अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने तथा नई किस्मों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा।
- ❖ नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार व उन्हें उपलब्ध कराने के लिए किसानों के योगदानों को मान्यता प्रदान करना।
- ❖ किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा रोपण सामग्री का उत्पादन व उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना।

11.3 प्राधिकरण के कार्य

- ❖ कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- ❖ परंपरागत बीज के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक और बहुवार्षिक फसलों के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना।
- ❖ पौधों की नई और विद्यमान किस्मों का पंजीकरण
- ❖ पंजीकृत पौधा किस्मों के प्रलेखन का विकास
- ❖ कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और सूची पत्रकरण
- ❖ पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्रकरण की सुविधा
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्य लाइसेंस उपलब्ध कराना।
- ❖ पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- ❖ पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को सहायता देने तथा इस प्रकार का संरक्षण करने के लिए पंचायतों की क्षमता निर्माण व टिकाऊ उपयोग तथा लाभ में भागीदारी से संबंधित स्कीमों के व्यय के साथ-साथ पणधारियों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जीन निधि का उपयोग। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के हितधारक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों सहित अनुसंधान संगठन, बीज उद्योग, स्वयं सेवी संगठन और इन सबसे बढ़कर आदिवासी कृषक समुदायों सहित सभी किसान हैं।

11.4 प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं

- कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं/पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित पौधों की किस्मों को पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) की सुरक्षा प्रदान करना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव जिसमें पौधा किस्मों तथा संबंधित प्रजनकों के अधिकारों का उल्लेख हो।

- यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार निष्पादन नहीं करती है, जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तो किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना।
- समुदायों/किसानों को पादप अनुवंशिक संसाधनों के योगदान/साझीदारी के लिए लाभ में भागीदारी की सुविधा उपलब्ध कराना।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता का सृजन व क्षमता का निर्माण।
- हितधारकों के लिए पौधा किस्म डेटाबेस का विकास
- आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे किसानों, कृषक समुदायों, विशेष रूप से आदिम जाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना व पुरस्कृत करना।

11.5 शिकायत के निपटारे की क्रियाविधि

पूर्व में डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में 22.11.2019 तक सूचना के अधिकार (आरटीआई) के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सेवा प्रदान की थी।

पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए को 23.11.2019 से आरटीआई मामलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किया गया है तथा उनसे निम्न पते पर सम्पर्क किया जा सकता है।

डॉ. रवि प्रकाश
महा पंजीकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली— 110 012
फोन — 011—25843316, फैक्स : 011—25840478
ई—मेल : prakash.ravi@nic.in; www.plantauthority.gov.in

उप पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को आरटीआई मामलों के निपटान के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पदनामित किया गया है और उनसे निम्न पते पर सम्पर्क किया जा सकता है।

श्री उमा कान्त दुबे
उप पंजीकार
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली— 110 012
फोन — 011—25842846
ई—मेल : uk.dubey@gov.in; www.plantauthority.gov.in

डॉ. आर.सी.अग्रवाल
अपीलीय प्राधिकारी
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली— 110 012
फोन — 011—25843316, फैक्स : 011—25840478
ई—मेल : rg-ppvfra@nic.in; www.plantauthority.gov.in

अनुबंध—I पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के सदस्य (31 मार्च 2020 को)

प्राधिकरण सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पता
1	डॉ. एस.के. मल्होत्रा	कृषि आयुक्त	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2	डॉ. ए.के. सिंह	उप महानिदेशक (फसल विज्ञान)	फसल विज्ञान प्रभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
3	श्री अश्विनी कुमार	संयुक्त सचिव (बीज)	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
4.	डॉ. अंजू राठी राणा	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	कमरा नं. 406 बी, चौथा तल, ए विंग, विधेय मामले अनुभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
5.	डॉ. बी.एन.एस. मूर्ति	बागवानी आयुक्त	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 238, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
6	डॉ. कुलदीप सिंह	निदेशक	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110 012
7	डॉ. मोहम्मद असलम	सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी'	जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 809, 8वां तल, ब्लॉक-2, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
8	डॉ. सुजाता अरोड़ा	सलाहकार	पर्यावरण एवं वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नंस. वी-235, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110 003
9	श्री बिहारी लाल शर्मा	कार्यकारी निदेशक	टिकाऊ विकास के लिए युवा, बी-2, एम.सी. कार पार्किंग-ए-व्यावसायिक परिसर, एच.पी. हाई कोर्ट के समीप, शिमला-171 001
10	श्री अरुण कुमार वीके	निदेशक	कृषि प्रयोग परिवार, कृषि निवास, कुरुवल्ली, थिरथहाली, सिवमोगा, जिला कर्नाटक- 577432

11	श्री एम. प्रभाकर राव	अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक	नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, एसएनएसल आईकॉन, चौथा तल, आईसीआईसीआई बैंक के सामने, मार्ग सं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तलंगाना— 500 034
12	डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव	कुलपति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर— 848 125
13	डॉ. निककी कुमारी (हेम्ब्रोम)	--	एमआईजी 52, हनुमान नगर, कंकड़बाघ, पटना— 800 020
14	प्रधान सचिव (कृषि)	प्रधान सचिव (कृषि)	महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई— 462 004
15	डॉ. राजेश रजोरा, आईएएस	प्रधान सचिव (कृषि)	मध्य प्रदेश सरकार, मंत्रालय, कमरा नं. 83, बल्लभ भवन, भोपाल— 462 004

अनुबंध-II: 31.03.2020 को प्राधिकरण का मानव संसाधन संबंधी विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन लेवल
1.	डॉ. के.वि. प्रभु	अध्यक्ष	लेवल 17 (रु. 225000/-)
2.	रिक्त (23.12.2019 से)	महा पंजीकार	लेवल 15 (रु. 182200-224100)
3.	डॉ. रवि प्रकाश	पंजीकार	लेवल 13 (रु. 123100-215900)
4.	डॉ. टी.के. नागरतन	पंजीकार	
5.	रिक्त (05.12.2018 से)	पंजीकार	
6.	रिक्त (01.07.2019 से)	वित्तीय सलाहकार	
7.	श्री डी.आर. चौधरी	संयुक्त पंजीकार	लेवल 12 (रु. 78800-209200)
8.	रिक्त (11.11.2017 से)	संयुक्त पंजीकार	
9.	श्री यू.के. दुबे	उप पंजीकार	लेवल 11 (रु. 67700-208700)
10.	श्री आर.एस. सेंगर	उप पंजीकार	
11.	श्री डी.एस. राज गणेश	विधि सलाहकार	
12.	रिक्त (23.05.2018)	विधि सलाहकार	
13.	डॉ. ए.के. सिंह	पीवीई	लेवल 7 (रु. 44900-142400)
14.	डॉ. डी.एस. पिलानिया	तकनीकी सहायक	लेवल 6 (रु. 35400-112400)
15.	श्री अरविंद कुमार राय	कम्प्यूटर सहायक	
16.	श्री संजय कुमार गुप्ता	कम्प्यूटर सहायक	
17.	श्रीमती शिप्रा माथुर	कम्प्यूटर सहायक	
18.	श्री नितेश कुमार वर्मा	कम्प्यूटर सहायक	
19.	श्री श्याम नारायण प्रसाद	कम्प्यूटर सहायक	

अनुबंध III : वर्ष 2019–20 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	वर्ष 2019–20 के दौरान जारी राशि (रुपयों में)
1	आईआईएचआर, आईसीएआर— यूनिट, बंगलुरु	पपीता और शरीफा	2,18,627
2	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	कार्नेशन	5,50,000
3	आईआईएचआर, आईसीएआर— यूनिट, बंगलुरु	चाइना ऐस्टर	1,89,308
4	टीएनएयू कोयम्बटूर	पपीता और शरीफा	2,37,097
5	यूएचएस, बागलकोट	मोरिंगा ओलिफेरा लैम	3,46,711
6	आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर	टेक्टोना ग्रेंडिस	4,41,620
7	सीआईएएच, आईसीएआर—यूनिट, बीकानेर	चिरौंजी और ईमली	47,680
8	सीआईएसएच, आईसीएआर—यूनिट, लखनऊ	बेल	5,23,761
9	सीआईएएच, आईसीएआर—यूनिट, बीकानेर	बेल	2,28,766
10	एनआरसी, आईसीएआर—यूनिट, पुत्तूर, कर्नाटक	काजू	2,45,088
11	टीएनएयू कोयम्बटूर	नीम, करंज और रतनजोत	3,77,906
12	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	विलो (सैलिक्स जातियां)	4,34,992
13	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बंगलुरु	गेंदा	4,64,227
14	सीसीएआरआई—आईसीएआर, गोवा	कोकम	8,05,394
15	एनआरसीएसएस, अजमेर	केसर	8,69,181
16	आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर	एलेंथस	4,52,469
17	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बंगलुरु	जरबेरा	3,21,234
18	सीटीआरआई, आईसीएआर—यूनिट, राजामुंदरी	फलयू क्यूर्ड वर्जिनिया और बिडी	5,60,233
19	सीपीसीआरआई, कर्नाटक	सुपारी	1,70,404
20	सीआईएएच, आईसीएआर —यूनिट, बीकानेर	खजूर	3,35,617

21	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सीबकथॉर्न	2,41,860
22	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), आईसीएआर–यूनिट, लखनऊ	आंवला	5,36,417
23	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), आईसीएआर–यूनिट, लखनऊ	जामुन	4,24,202
24	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, दपोली	जायफल	3,49,396
25	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईसीएआर यूनिट, नई दिल्ली	मूली और गाजर	12,46,483
26	आईएआरआई, फल एवं बागवानी प्रभाग, आईसीएआर– यूनिट, नई दिल्ली	नींबू और प्यूमेलो	9,28,182
27	आईसीएआर अनुसंधान परिसर, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उमियम	कटहल	6,83,876
28	एसएएसआरटी, नागालैंड विश्वविद्यालय	चाउ–चाउ	8,43,000
29	यूएएस, जीकैवीके, बंगलुरु	कटहल	4,52,048
30	एनआरसी, आईसीएआर–यूनिट, मुजफ्फरपुर	लीची और अमरुद	5,50,000
31	आईएआरआई, नई दिल्ली	ब्रोकली	4,81,674
32	बीएसकेकैवी, दपोली	कोकम	4,58,115
33	सीआईटीएच, श्रीनगर	जैतून	4,50,000
34	एनईआईएसटी, जोरहट	नींबू धास	8,00,000
35	आईएआरआई (क्षेत्रीय केन्द्र), कटराई, कुल्लू वैली	मूली और गाजर	4,60,028
36	आईसीएआर–उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उमियम, मेघालय	नींबू और प्यूमेलो	8,92,507
37	एसकेएयूएसटी– के, श्रीनगर	केसर	8,18,841
38	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	दहेलिया	8,95,590
39	बीएसकेकैवी, दपोली, महाराष्ट्र	बीज बैंक की नई स्थापना (कृषक किस्मों के दलहन, सब्जियां और अनाज)	7,56,237
40	एसएचयूएटीएस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	बीज बैंक की नई स्थापना (विधायन क्षेत्र के कृषक किस्मों के मक्का, मोटे अनाज, दलहन और सब्जियां)	9,00,000

41	एचएचएस, शिवमोगा, कर्नाटक	बीज बैंक की नई स्थापना	7,11,746
42	यूएचएस, शिवमोगा	अंथूरियम	9,00,000
43	आईसीएआर, आईआईएचआर, बंगलुरु	डोलिकॉस सेम	9,00,000
44	एसकेयूएसटी, श्रीनगर	कालाजीरा	9,00,000
45	एचआरसी, त्रिपुरा	केला	4,80,000
46	एनईएच, क्षेत्र, बारापाणी (नागालैंड)	जीमीकंद और तारो	2,00,000
47	बीसीकेवी, कल्याणी	दहेलिया और हिबिस्कस	9,00,000
48	एसीएचएच, एनएयू, नवसारी, गुजरात	यूकेलिप्टस यूरोफाइला	2,34,500
49	डीएफआर—आईसीएआर, पुणे	गुलाब	16,12,000
कुल			2,78,27,017

अनुबंध IV: वर्ष 2019–20 के दौरान वर्तमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी निधियों को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	2019–20 के दौरान जारी (₹.)
1	बीसीकेवी (बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	बण्डा और तारो	10,489
2	आईआईएचआर, आईसीएआर–यूनिट, बंगलुरु	रजनीगंधा	8,38,628
3	केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेंद्रम	शकरकंद और कसावा	4,00,000
4	एनबीआरआई, आईसीएआर–यूनिट, लखनऊ	ग्लेडियालस, बोगनवीलिया और केली	1,17,936
5	बीसीकेवी (बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	परवल	5,14,405
6	सीआरआरआई, आईसीएआर–यूनिट, कटक (आनुवंशिक विविधता)	चावल	27,11,000
7	आईआईएचआर, आईसीएआर–यूनिट, बंगलुरु	चमेली	3,65,328
8	सीआईटीएच (केन्द्रीय उष्णकटिबंधी बागवानी संस्थान), आईसीएआर–यूनिट, श्रीनगर	आड़ू आलूचा, सेब, बादाम, नाशपाती, खुबानी और अखरोट	8,85,892
9	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), आईसीएआर–यूनिट, लखनऊ	आम	8,68,869
10	आरएआरआई, दुर्गापुर, जयपुर	जौ	2,99,667
11	आईएआरआई, आईसीएआर–यूनिट, पुष्पविज्ञान प्रभाग	रजनीगंधा	1,90,000
12	आईएआरआई, पुष्पविज्ञान प्रभाग, नई दिल्ली	बोगेनवीलिया	3,26,531
13	सीआईएएच, आईसीएआर–यूनिट, बीकानेर	तरबूज और खरबूजा	2,12,894
14	एमपीकेवी (महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय), राहुड़ी, पुणे	चाइना एस्टर	3,14,654
15	आईएआरआई, पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण प्रभाग, नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	2,00,000
16	जेएनकेवीवी, जबलपुर	दाल मटर, अलसी	3,92,717
17	बीसीकेवी (बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	पान लता	4,90,949
18	सीआईएमएपी (केन्द्रीय औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), लखनऊ	औषधीय पौधे	4,38,394
19	सीआईएएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), आईसीएआर–यूनिट, बीकानेर	बेर	5,14,811
20	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान प्रभाग, नई दिल्ली	लौकी	6,35,848

21	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई	बंदगोभी और फूलगोभी	2,75,095
22	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बंगलुरु	आम	4,42,703
23	एनआरसी, आईसीएआर—यूनिट, ट्रिची	केला	4,42,309
24	टीआरए, टोकलाई	चाय	2,51,006
25	सीएआरआई, आईसीएआर—यूनिट, पोर्ट ब्लेयर	नोनी	2,74,586
26	टीएनएयू कोयम्बटूर	लघु मोटे अनाज	8,60,000
27	एनबीपजीआर, आईसीएआर—यूनिट, नई दिल्ली	दाना चौलाई	2,95,000
28	टीएनएयू कोयम्बटूर	चमेली	5,50,000
29	डीजीआर, (मूगफली अनुसंधान निदेशालय), आईसीएआर—यूनिट,, जूनागढ़	मूंगफली	3,56,850
30	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान प्रभाग, नई दिल्ली	मिर्च	7,36,288
31	जेएनकेवीवी, जबलपुर	तिल और रामतिल	4,14,978
32	आईआइएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बंगलुरु	तरबूज और खरबूजा	5,94,399
33	केन्द्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर	शहतूत	2,56,136
34	जेएयू (जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय), जामनगर	अरण्ड	20,09,948
35	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	पॉपलर जननद्रव्य	3,81,774
36	आईएफजीटीबी (वानिकी आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन) कोयम्बटूर	सफेदा और कैसुरीना	3,18,155
37	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बंगलुरु	चौलाई, पालक, नसदार तोरी	6,20,131
38	एनआरसीएसएस (राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र), आईसीएआर—यूनिट, अजमेर	बीज मसाले	6,45,582
39	एएयू (असम कृषि विश्वविद्यालय), जोरहट	चावल	4,06,685
40	आईएआरआई, पुष्पविज्ञान प्रभाग, आईसीएआर—यूनिट, नई दिल्ली	गेंदा	6,40,136
41	पीवीकेएस (विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान), आईसीएआर—यूनिट,, अल्मोड़ा	राजमा, सोयाबीन, मक्का	6,55,391
42	डीओजीआर (प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय), आईसीएआर—यूनिट,, राजगुरुनगर	प्याज और लहसुन	7,00,000
43	एनआरसी (राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र), आईसीएआर—यूनिट,, सिविकम	ऑर्किड	4,40,087
44	एनआरसीपी, आईसीएआर—यूनिट, शोलापुर	अनार	5,98,307
45	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईसीएआर—यूनिट, नई दिल्ली	प्याज और लहसुन	9,68,617
46	आईआईएसआर (भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान), आईसीएआर—यूनिट, लखनऊ	गन्ना	6,65,176

47	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट,, बंगलुरु	पान लता	4,50,063
48	सीएसएयूए एवं टी (चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	सरसों, गेहूं	10,36,000
49	आईआईएसआर (भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान), आईसीएआर—यूनिट, कालीकट	मसाले	7,01,708
50	डीएसआर (सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय), आईसीएआर—यूनिट, इंदौर	सोयाबीन	5,65,888
51	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	मूँग, उड्ड, मसूर, राजमा, सब्जी मटर	13,32,124
52	एनआरसीजी (राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र), पुणे	अंगूर	4,62,973
53	आईएआरआई, आईसीएआर—यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल	चावल	7,61,090
54	गन्ना प्रजनन संस्थान, आईसीएआर—यूनिट,, कोयम्बटूर	गन्ना	14,16,330
55	आईजीकेवी, रायपुर	ग्रो आउट परीक्षण (चावल)	6,29,736
56	गन्ना प्रजनन संस्थान, आईसीएआर—यूनिट, करनाल	गन्ना	3,74,861
57	आईआईडब्ल्यूबीआर, आईसीएआर—यूनिट, करनाल	जौ और गेहूं	21,22,891
58	डीआरएमआर (तोरिया सरसों अनुसंधान निदेशालय), आईसीएआर—यूनिट, भरतपुर	तोरिया ओर सरसों	6,93,994
59	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बंगलुरु	मिर्च	16,05,314
60	आरएयू बीकानेर — मंदौर, एआईसीपीएमआईपी, जोधपुर	बाजरा	5,85,471
61	पीएयू (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना)	जई, लोबिया, गीनी घास, कपास	9,23,007
62	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर—यूनिट, तिरुअनंतपुरम	जीमीकंद, तारो, याम बीन और ग्रेटर याम	2,55,689
63	पीडीकेवी (पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	अरहर और कुसुम	16,19,025
64	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान प्रभाग, नई दिल्ली	चौलाई, पालक, नसदार तोरी, लौकी	5,00,000
65	केएयू (केरल कृषि विश्वविद्यालय), त्रिशूर	ऑर्किड	7,50,531
66	डीएमएपीआर (औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय), आनंद	औषधीय एवं सगंधीय पौधे	6,66,527
67	सीसीएसएचएयू (चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय), हिसार	कपास, चना	5,57,858
68	आईएआरआई, आईसीएआर—यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	गेहूं	4,06,608

69	सीपीआरआई (केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान), आईसीएआर—यूनिट, शिमला	आलू	13,03,843
70	एनईएच, आईसीएआर—यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, बारापानी, मणिपुर	चावल	11,72,410
71	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान प्रभाग, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	6,64,497
72	पीजेटीएसएयू (जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का	15,91,950
73	टीएनएयू (तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय), कोयम्बटूर	चावल, सूरजमुखी, मूँगफली	4,99,736
74	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर—यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर	शकरकंद और कसावा	2,00,000
75	आईआईएमआर, आईसीएआर—यूनिट, हैदराबाद (मोटे अनाज)	ज्वार	3,83,172
76	सीआरआईजेएफआर (केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान), बैरकपुर और सीएसआरएस, बुदबुद	पटसन	3,37,852
77	आईआईओआर, आईसीएआर—यूनिट, हैदराबाद	सूरजमुखी, अरण्ड, कुसुम	7,96,508
78	सीपीसीआरआई, आईसीएआर—यूनिट, केरल	नारियल	3,96,778
79	यूएएस, जीकेवीके, बंगलुरु	लघु मोटे अनाज	9,05,536
80	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), आईसीएआर—यूनिट, लखनऊ	अमरुद और लीची	4,76,103
81	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), आईसीएआर—यूनिट, कानपुर	चना, अरहर	15,70,974
82	एमपीकेवी, राहुड़ी	ज्वार, बाजरा, चना	16,13,540
83	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, हैसरगट्टा, बंगलुरु	सब्जियां (लौकी)	23,25,216
84	यूएएस, (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय), धारवाड़	कपास, सोयाबीन, मूँगफली, ड्यूरम गेहूं और तिल	17,90,962
85	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	गुलाब और गुलदाउदी	5,53,737
86	आईआईआरआर, आईसीएआर—यूनिट,, हैदराबाद	चावल	11,95,431
87	आईआईएमआर, आईसीएआर—यूनिट,, नई दिल्ली	मक्का	23,87,021
88	सीआईसीआर, कोयम्बटूर	कपास	4,56,440
89	सीआईसीआर, आईसीएआर—यूनिट, (केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान), नागपुर	कपास	27,67,774
90	आईआईवीआर, आईसीएआर—यूनिट, (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी, फूलगोभी	19,27,000
91	आईआईएचआर, बंगलुरु	गुलदाउदी	4,75,000
92	आईएआरआई, नई दिल्ली	गुलदाउदी	5,25,000
कुल			7,02,62,519

अनुबंध V: वर्ष 2019–20 के दौरान फील्ड जीन बैंकों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	वर्ष 2019–20 में जारी की गई राशि (रुपयों में)
1	बीएयू रांची	6,62,041
2	डॉ. बालासाहब कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली	9,97,736
3	डॉ. वाई.एस. परमार, बागवानी एवं वानिकी (शीतोष्ण फल) (सेब, आडू, अलूचा, नाशपाती और अखरोट) विश्वविद्यालय	7,36,860
4	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	15,67,301
कुल		39,63,938

अनुबंध VI : वर्ष 2019–20 के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठनों/केन्द्रों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	वर्ष 2019–20 में जारी की गई राशि (रुपयों में)
1	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (बीसीकेवी)	80,000
2	एसकेयूएसटी, रजौरी, जम्मू	80,000
3	सीएसएयू एवं टी, कानपुर	1,60,000
4	सीटीसीआरआई, त्रिवेन्द्रम	4,00,000
5	एमएसएसआरएफ, चेन्नई	1,60,000
6	भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल	1,60,500
7	आईआईएचआर, बंगलुरु	80,000
8	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (ओयूएटी)	5,00,000
9	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	80,000
10	आईसीएआर—डीआरएमआर, भरतपुर	2,20,000
कुल		19,20,500

अनुबंध VII : पंजीकरण अधीन फसलें

क्र.सं.	फसल	वानस्पतिक नाम
1	चावल	ओराइज़ा सेटाइवा एल.
2	चपाती गेहूं	ट्रिटिकम इस्टाइवम एल.
3	मक्का	जी. मेज एल.
4	ज्वार	सोरघम बाइकलर एल. मोयंक
5	बाजरा	पेनिसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बीआर.
6	चना	साइसर एरिटिनम एल.
7	मूंग	विग्ना रेडिएटा (एल.) विलजेक
8	उड़द	विग्ना मूंगो (एल.) हैप्पर
9	दाल मटर	पाइसम सेटाइवम एल.
10	सेम	फेसियोलस वल्नोरिस एल.
13	भारतीय सरसों	ब्रेसिका जंसिया एल. सीजर्न व कॉस
14	करन राई	ब्रेसिका कैरीनाटा ए ब्राउन
15	तोरिया	ब्रेसिका रैपा एल.
16	गोभी सरसों	ब्रेसिका नैपस एल.
17	मूंगफली	एरेकिस हाइपोजिया एल.
18	सोयाबीन	ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मेरिल
19	सूरजमुखी	हैलिएथर ऐनस एल.
20	कुसुम	कार्थमस टिंक्टोरियस एल.
21	अरण्ड	रिसिनस कोम्युनिस एल.
22	तिल	सेसेमम इंडियम एल.
23	अलसी	लिनियम यूसिटेटिसिमम एल.
24	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आरबोरियम एल.

25	द्विगुणित कपास	गोसिपियम हरबोरियम एल.
26	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.
27	चतुर्गुणित कपास	गोसिपियम बार्बेंडेस एल.
28	पटसन	कोरकोरस ओलिटोरस एल.
29	पटसन	कोरकोरस कैप्सेलोरिस एल.
30	गन्ना	सेकरम एल.
31	काली मिर्च	पाइपर नाइग्रम एल.
32	छोटी इलायची	इलेटेरिया कार्डमोम मैटन
33	हल्दी	करकृष्णमा लोंगा एल.
34	अदरक	जिंगीबेर ऑफिसिनेट रॉस्क.
35	टमाटर	लाइकोपर्सियन लाइकोपर्सिकम (एल.) कास्टन एक्स. फार्व.
36	बैंगन	सोलेनम मेलोंजेना एल.
37	भिण्डी	एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंट्स (एल.) मोयंक
38	फूलगोभी	ब्रैसिका ओलेरेसिया एल. किस्म बोट्राइटिस
39	बंदगोभी	ब्रैसिका ओलेरेसिया एल. किस्म कैपिटाटा
40	आलू	सोलेनम द्यूबरोसम एल.
41	प्याज	एलियम सेपा एल.
42	लहसुन	एलियम सेटाइवम एल.
43	गुलाब	रोजा जातियां (आर. डेमासेना के अलावा)
44	गुलदाउदी	क्राइसेंथेमम जातियां
45	आम	मेंगीफेरा इंडिका एल.
46	झ्यूरम गेहूं	ट्रिटिकम झ्यूरम डेस्फ.
47	डाइकोकम गेहूं	ट्रिटिकम डाइकोकम एल.
48	अन्य ट्रिटिकम जातियां	
49	ईसबगोल	प्लांटेगो ओवाटा फोस्कर्स

50	मेंथॉल पुदीना	मेंथा आर्चिस एल.
51	दमस्क गुलाब	रोजा डेमासेना मिल
52	सदाबहार	कैथारेथस रोजियस एल.
53	ब्रह्मी	बैकोपा मोनिएरी एल. पैन्नल
54	नारियल	कोकोस न्यूसिफेरा एल.
55	ऑर्किड	वाण्डा
56	ऑर्किड	डेंड्रोबियम
57	ऑर्किड	सिम्बिडियम
58	अनार	प्यूनिका ग्रेनेटम एल.
59	ऑर्किड	कोटलेया लिंडल
60	ऑर्किड	फैलोनोमिस ब्लूम
61	सफेदा	यूकोलिप्टस कमाल्डुलेसिस डेहन
62	सफेदा	यूकोलिप्टस टेरेटिकोर्निस एसएम.
63	कैसुरीना	कैसुयारिना इक्वीसेटिफोलिया एल.
64	कैसुरीना	कैसुयारिना जंघुहिनियाना मिक.
65	लौकी	मोमोर्डिका करेशिया एल.
66	लौकी	लोगोनेरिया साइसेरिया (मोल.) स्टेंडल
67	खीरा	क्यूक्यूमिस सेटाइवस एल.
68	कदू	कुकरबिटा मोस्काटा डच. एक्स. पॉयर
69	जौ	होर्ड्यम वल्वोरे एल.
70	धनिया	कोरिएंड्रम सेटाइवम एल.
71	मेथी	ट्राइगोमेला फोएनम ग्रीकम एल.
72	बादाम	प्रूनस डलिक्स (मिल.) डी.ए. वैब
73	सेब	मैलस डोमेस्टिका बॉर्क
74	नाशपाती	पायरस कम्प्यूनिस एल.
75	खुबानी	पायरस आर्मेनियाका एल.

76	चेरी	प्रूनस इवियम एल.
77	अखरोट	लुगलांस रेगिया एल.
78	अंगूर	विटिस जातियां
79	बेर	जिजिफस मौरिशियाना लाम्क
80	चाय	कैमेलिया साइनेंसिस
81	चाय	कैमेलिया एसेमिका
82	चाय	सी. एसेमिका जातियां लैसियाकैलिक्स
83	खट्टा	सिट्रस औरेंटिफोलिया स्वींगल
84	संतरा	सिट्रस रेटिकुलेटा ब्लांको
85	मोसम्बी	सिट्रस साइनेंसिस (एल.) ओस्बैक
86	बोगनवीलिया	बोगनवीलिया कॉम. एक्स जस.
87	केला	स्यूसा जातियां
88	ऑर्किड	आन्सिडियम एसडब्ल्यू
89	केली	केन्ना एल.
90	ग्लेडियोलस	ग्लेडियोलस एल.
91	खरबूजा	क्यूक्यूमिस मेलो एल.
92	तरबूज	सिट्रुलस लैनेटस (थन्ब), मांसफ.
93	चमेली	जैस्मीनम ऑरिकुलेटम एल.
94	रजनीगंधा	पॉलीइंथस ट्यूबरोज एल.
95	पपीता	कैरिका पपाया एल.
96	चाइना ऐस्टर	कैलिस्टेफस चाइनेंसिस (एल.) नीस
97	आडू	प्रूनस पर्सिका एल. बाट्सक
98	जापानी अलूचा	प्रूनस सेलिसिना एल.
99	स्ट्राबेरी	फ्रेगेरिया x एनानासन डच.
100	मिर्च, शिमला मिचै और पैपरिका	कैप्सीकम एनम एल.

101	कंगनी	इलेयूसीन कोराकाना (एल.) गिर्टन.
102	रागी	सेटेरिया इटेलिक (एल.) बीयू
103	सब्जी चौलाई	एमरेथस ट्राइकलर एल.
104	नसदार तौरी	लूफा एक्यूटेंगुला (एल.) रॉक्सब.
105	स्पेनिच बीट	बीटा वल्नेरिस किस्म. बॅगालेसिस रॉक्सब.
106	कार्नेशन	डाइरेथस कॉरियाफाइलस एल.
107	ऑर्किड	पेफियोपेडिलम पीफिट्ज.
108	नोनी	मारिंडा सिट्रिफोलिया एल.
109	बेल	एइरले मर्मलॉस (एल.) कोरी
110	जामुन	सिजियम क्यूमिनी (एल.) स्कील्स.
111	जायफल	मायरिस्टिका फ्रेंगरांस हाउट.
112	चमेली / मोगरा	जैस्मीनम सैम्बैक एल.
113	शरीफा	एनोना स्कवेमोसा एल.
114	कालमेघ	एङ्गोग्राफिस पेनिकुलेटा (बुर्म. एफ.) वाल एक्स. नीस
115	करंज	पांगेमिया पिन्नाटा (एल.) पियरे
116	नीम	एजाडिरेक्टा इंडिका ए. जस.
117	भारतीय गूज़बेरी	एम्बिलिका आफिसिनेलिस गेइर्टन.
118	अमरुद	सिडियम गुआजावा एल.
119	लीची	लीची चाइनेसिस सोन.
120	गेंदा	टेगेट्स जातियां एल.
121	पान लता	पाइपर बीटल एल.
122	देवदार	सेंड्रस डियोडारा (रॉक्सब.) जी. डॉन
123	चीड़	पाइनस रॉक्सबर्धी सार्जेंट
124	शहतूत	मोरस जातियां
125	चमेली	जैस्मीनम मल्टीफ्लोरम एल.
126	सामान्य / स्वीट बग़लीट	फैगोपाइरम एस्क्यूलेंटम

127	टार्टरी / बिटर बकव्हीट	फैगोपाइरम टेटारिकम
128	राजगीरा या रामदाना	एमरेंथस हाइपोकोंड्रिकस
129		एमरेंथस क्रूरेंट्स
130		एमरेंथस काउडेट्स
131		एमरेंथस एडुलिस
132	बाकला	विसिया फाबा एल.
133	रतनजोत	जेट्रोफा कर्कास एल.
134	प्रोसो मिलेट	पैनिकम मेलिएसियम एल.
135	बार्न्यार्ड मिलेट	इकाइनोकोला फ्रेमेंटेसीई (रॉकसब.) लिंक
136	लिटल मिलेट	पैनिकम सुमात्रेंस रॉथ, एक्स. रोइमर और स्वल्ट्स
137	कोदो	पैसपेलम स्कोर्बिंकुलेटम एल.
138	जीमीकंद	एमोर्फोफेलस पीओनिफोलियस
139	तारो	कोलोकोसिया एस्क्यूलेंटा
140	जाइंट स्वेम्प तारो	सायटर्स्पर्मा कैमीसियोनिस / सी. मरक्यूसी
141	काजू	एनार्डियम ऑक्सीडेंटल एल.
142	सुपारी	एरेका कटेचू एल.
143	चिराँजी	बुकानेनियालेजान र्पर्ग.
144	इमली	टेमरेंडस इंडिका एल.
145	शकरकंद	आइपोमिया बटाटास (एल.) लैम
146	कसावा	मैनीहाट स्क्यूलेंटा क्रांटज.
147	पापलर	पोप्युलुस्डेटॉयडेस बार्ट.
148–154	विल्लो (7 जातियां)	सेलिक्स टेट्रास्पर्मा, सेलिक्स नाइग्रा, सेलिक्स जेसोएंसिस, सैलिक्स x रूबेंस, सैलिक्स मैटसुडाना, सैलिक्स एल्बा, सैलिक्स एक्मोफाइला
155	जई	एवेना सेटाइवा एल.
156	खजूर	फीनिक्स डेक्टाइलोफेरा एल.
157	मोरिंगा	मोरिंगा ओलिएफर्स एल.

158	मेलिया	मेलिया डुबिया कैव.
159	परवल (पंजीकरण केवल विद्यमान किस्मों के लिए खुला है)	ट्राइकॉसएंथस डाइयोका रॉक्सब.
160	क्रोसेंड्रा (पंजीकरण केवल विद्यमान किस्मों के लिए खुला है)	क्रॉसेंड्रा इंफंडीबुलीफोर्मिस (एल.) नीस.
161	लोबिया (पंजीकरण केवल विद्यमान किस्मों के लिए खुला है)	विग्ना एंगवीकुलेटा (एल.) वाल्प. जातियां, एंगवीकुलेटा और विग्ना एंगवीकुलेटा (एल.) वाल्प जातियां, सेर्स्कवीपेडेलिस (एल.) वार्डक (एल.) वाल्प

अनुबंध VIII : वर्ष 2019–20 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण—पत्र

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म का प्रकार	नाम	फसल	आवेदक का नाम
1.	2019 का 104	विद्यमान (वीसीके)	एनएसएफएल-701ए	सूरजमुखी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
2.	2019 का 105	नई	राजेन्द्र हाइब्रिड मक्का-3	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
3.	2019 का 106	विद्यमान अधिसूचित	संकेश्वर 814 (सीओ एसएनके 05104)	गन्ना	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
4.	2019 का 107		संकेश्वर 049 (सीओ एसएनके 05103)		
5.	2019 का 108		डीएचआरएस 1	कंगनी	
6.	2019 का 109	नई	डीबीडब्ल्यू 168	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
7.	2019 का 110	विद्यमान (अधिसूचित)	डीबीडब्ल्यू 173		
8.	2019 का 111		डीबीडब्ल्यू 71		
9.	2019 का 112		बीआरजी 5	अरहर	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
10.	2019 का 113		सीएसवी 32एफ (एसपीवी 2128)	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
11.	2019 का 114		सैट्रल बार्ले डीडब्ल्यूआरबी 137	जौ	
12.	2019 का 115		भीमा सफेद	प्याज	
13.	2019 का 116		यूएएस-334	गेहूं	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
14.	2019 का 117		यूएएस-335		
15.	2019 का 118		फुले मधुर (आरएसएसजीवी 46)	ज्वार	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
16.	2019 का 119		पूस मालवी (एचडी 4728)	ड्यूरम गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
17.	2019 का 120		भीमा शुभ्रा एनआरसीडब्ल्यूओ - 4 / डब्ल्यू-009)	प्याज	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
18.	2019 का 121		सीएसवी 30 एफ	ज्वार	
19.	2019 का 122		दपोली सफेद-1	कंगनी	
20.	2019 का 123		स्वर्ण तृप्ति	दाल मटर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
21.	2019 का 124		कृषि गौरव (वीआर-338)	मिर्च	
22.	2019 का 125		काशी सिंदुरी (आईवीपीबीसी-535)	पैपरिका	

23.	2019 का 126		काशी गंगा (डीवीबीजी-1)	लौकी	
24.	2019 का 127		काशी शारद (आईआईवीआर सेल-2)	टमाटर	
25.	2019 का 128		काशी विशेष (सीएच-86)		
26.	2019 का 129		काशी अमृत (डीवीआरटी-1)		
27.	2019 का 130		काशी अनुपम		
28.	2019 का 131		काशी हेमंत (आईआईवीआर सेल-1)		
29.	2019 का 132		काशी तारु (आईवीबीएल-0)	बैंगन	
30.	2019 का 133		बीआरजी-4 (बीजीजी 10-2)	अरहर	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
31.	2019 का 134		राज विजय छीट 4106 (एमपी 4106)	गेहूं	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
32.	2019 का 135	ईडीवी	एनसी-113 बीटी	चतुर्गुणित कपास	नुजीवीडु सीड़स लिमिटेड
33.	2019 का 136		एनसी-2153 बीजी II		
34.	2019 का 137		एनसी-126 बीटी		
35.	2019 का 138		एनसीएस-913 बीटी		
36.	2019 का 139		एनसी-1207 बीजी-II		
37.	2019 का 140		एनसी-47 (जीएमएस)		
38.	2019 का 141		मल्लिका बीजी II (एनसीएस 207 बीजी II)		
39.	2019 का 142		एनसी-1108 बीटी		
40.	2019 का 143		मल्लिका बीटी (एनसीएस 207 बीटी)		
41.	2019 का 144		बन्नी बीटी (एनसीएस 207 बीटी)		
42.	2019 का 145		जेकेसीएच 226 बीटी	चतुर्गुणित कपास	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
43.	2019 का 146		जेके वरुण (जेकेसीएच 555) बीटी		
44.	2019 का 147		जेके आईएसएचडब्ल्यूएआर (जेकेसीएच 634) बीटी		
45.	2019 का 148	नई	सी 5714		महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
46.	2019 का 149		सी 5538		
47.	2019 का 150		सी 5715		

48.	2019 का 151		एनसी-811 (जीएमएस)		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
49.	2019 का 152		एनसी-2051		
50.	2019 का 153	विद्यमान (अधिसूचित)	जीएनआर-3	चावल	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय
51.	2019 का 154	कृषक	नताकी		अर्जुन सिंह
52.	2019 का 155		कनक चम्पा		बलीराम मुंडा
53.	2019 का 156		कलमदानी		बलीराम मुंडा
54.	2019 का 157	विद्यमान (वीसीक)	बिधान रूपाली (बीसी-4)	पटसन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
55.	2019 का 158	नई	पूसा बासमती 1509 (आईईटी 21959)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
56.	2019 का 159		एनपी-922 आर	चावल	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
57.	2019 का 160		एनसी-1185	चतुर्गुणित कपास	
58.	2019 का 161	विद्यमान (अधिसूचित)	सोमनाथ (डब्ल्यूजीएल-347: आईईटी-20898)	चावल	प्रो. जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय
59.	2019 का 162	विद्यमान (वीसीक)	कोरीलाल	गुलाब	डब्ल्यू कोर्ड्स सोहने रोजेनसोलेन जीएमबीएच एंड को केजी
60.	2019 का 163	कृषक	एनएमके-1 गोल्डन	शरीफा	श्री कास्पाटे नवनाथ मल्हारी
61.	2019 का 164	कृषक	हंगोले	खुबानी	हसन खान
62.	2019 का 165		श्रीकांत		नदीम हुसैन
63.	2019 का 166		ग्यालचीमा टीली		त्सेरिंग एंग्मो
64.	2019 का 167		खांते हल्मान		मोहम्मद हुसैन
65.	2019 का 168		निरमा चुली		त्सवांग पुनचॉक
66.	2019 का 169		शालीचुली		हाजी मूसा
67.	2019 का 170		शिकंडा तिली		मिस्किन त्सेरिंग
68.	2019 का 171		किर चुली		मोहम्मद यासीन
69.	2019 का 172		स्को चुली		नदीम हुसैन
70.	2019 का 173		बिचुली		हाजी मोहम्मद रजा

71.	2019 का 174		गुलतिली		मिस्किन त्सेरिंग
72.	2019 का 175		शबयार चुली		हाजी मोहम्मद ग्रोंगझू
73.	2019 का 176		नार्मा गोसिमन		खाटिजा बानू
74.	2019 का 177		खान चुली		हाजी अली खान
75.	2019 का 178		सरिता पर्फल सीडलैस	अंगूर	दत्तात्रे नानासाहेब काले
76.	2019 का 179		नानासाहेब पर्फल सीडलैस		दत्तात्रे नानासाहेब काले
77.	2019 का 180		जय सीडलैस		हरिबाहु मारुति वायेकर
78.	2019 का 181		सुधाकर सीडलैस		सुधाकर भास्कर के श्रीसागर
79.	2019 का 182	नई	मंजरी मेडिका		राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र
80.	2019 का 183	कृषक	खुस्टा चुली	खुबानी	हाजी मोहम्मद हसन ग्रोंगझू
81.	2019 का 184		खारा जांगी		अली जाफर
82.	2019 का 185		खांटे चुली		मूसा मोहम्मद
83.	2019 का 186		खांचू चन		फातिमा बानो
84.	2019 का 187		खांटे स्टिंगचोस		मोहम्मद इसाक
85.	2019 का 188		स्टोंग नरमो		गुलाम मेंहदी
86.	2019 का 189		जगोकसम		अहमद अली
87.	2019 का 190		नरमो गोक्टसोस चुली		हुसैन अली
88.	2019 का 191		स्नो चुली		रहीम उल्ला
89.	2019 का 192		मेरक		काचो विलायत अली खान
90.	2019 का 193		पियोग—पोंग चुली		मुख्तार हुसैन
91.	2019 का 194		बादाम चुली		हाली मोहम्मद हसन
92.	2019 का 195		स्टारगाचा चुली		ग्रोंगझू
93.	2019 का 196		स्टोनचोले		मोहम्मद अली गुलाम नबी
94.	2019 का 197		जान चुली		मोहम्मद यासीन
95.	2019 का 198		खांटे फाटिंग		
96.	2019 का 199	नई	केएमएल 2006	मवका	सादिक अली मल्लाह

97.	2019 का 200		केएमएल 5253		
98.	2019 का 201		केएमएल 2293		
99.	2019 का 202		केएमएल 2078		
100.	2019 का 203		एनएम-250		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
101.	2019 का 204	विद्यमान (वीसीके)	जीपी-एम27		यागंती सीड प्राइवेट लिमिटेड
102.	2019 का 205	विद्यमान (अधिसूचित)	जेएस-20-69	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
103.	2019 का 206		कनकमहालक्ष्मी	गन्ना	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय
104.	2019 का 207		भास्कर	काजू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
105.	2019 का 208		पीकेवी पिंक (एकेएस 311)	कुसुम	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
106.	2019 का 209		डीआरआर धान 43 (आईईटी 22080)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
107.	2019 का 210		जगजीवन (आईईटी-19487) (आरपी-463-46-6-5-1-1-1)		
108.	2019 का 211		आईआर-64 डीआरटी । (आईआर 87707-44-5-बी-बी-बी) (आईईटी 22836)		
109.	2019 का 212		आईजीआरकेवीआर-1244 (आर-1244-1246-1-605-1) (आईईटी 19796)		इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
110.	2019 का 213		आमरा (एमटीयू 1064)		आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय
111.	2019 का 214		सीआर धान 304 (आईईटी 22117)		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
112.	2019 का 215		श्रीसत्या (आरजीएल-1880)		आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय
113.	2019 का 216		डीआरआर धान-40 (आईईटी 21452) रपी बायो 4918-248-एस		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
114.	2019 का 217		नैल्लोर महसुरी (एलएलआर-34449)		आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय
115.	2019 का 218		डीआरआर धान 44 (आईईटी 22081)		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
116.	2019 का 219	विद्यमान (वीसीके)	आरसीएच-134-बीजी ॥	चतुर्गुणित कपास	रासी सीड्स प्राइवेट लिमि.
117.	2019 का 220		एसीजी-28-॥ (अजीत-28 बीजी-॥)		अजीत सीड्स लिमिटेड
118.	2019 का 221		जेकेसी 725		जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड

119.	2019 का 222		सी 5118		महाराष्ट्र हाइब्रिड सीडस कपनी लिमिटेड
120.	2019 का 223		सी 5618		प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड
121.	2019 का 224		पीसी–पी 8011 बीटी		एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
122.	2019 का 225		जेकेसी 757		भारतीय सीडस
123.	2019 का 226		3944192 बी		
124.	2019 का 227		नई	पटसन	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
125.	2019 का 228	विद्यमान (वीसीके)	जेकेसी 612	चतुर्गुणित कपास	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
126.	2019 का 229		पीसी–पी 1512		प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड
127.	2019 का 230	विद्यमान (अधिसूचित)	केएचपी–10	चावल	कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय
128.	2019 का 231	कृषक	चामर मोनी		सयद अराफात अली
129.	2019 का 232		सुरसुरिया		मसांग ओडेया
130.	2019 का 233		धानी गोदा धान		उर्लु मुँडा
131.	2019 का 234		सफेद हम्बाला		दुर्गा मुँडा
132.	2019 का 235		चांगो जीरा फुल		मानिकचंद
133.	2019 का 236		बाधामेचा		बाबूलाल दहिया
134.	2019 का 237		सोनागुटी धान		राम सहाय मुँडा
135.	2019 का 238		करे मद्रास चुड़ी		डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति
136.	2019 का 239		सुफल धान—1		सुफल कांदिर
137.	2019 का 240		जेरेंग धान		बिरसा मुँडा
138.	2019 का 241		लाल मोटा धान		सानिका हसा पुर्ती
139.	2019 का 242		दुद कलाम		दिलीप राय
140.	2019 का 243		रेखा डोकी धान		सुखराम वेक
141.	2019 का 244		करपुरकांति		सुनील जाना
142.	2019 का 245		कटरई भोग		चित्या रंजन सांतरा
143.	2019 का 246		चामर मोनी		उज्ज्वल मॉडल
144.	2019 का 247		केरला सुंदरी		उत्पल दास

145.	2019 का 248		पिला धान		पिलाराम
146.	2019 का 249		अरिरमन		प्रदीप हालदर
147.	2019 का 250		बोरोझेरी		एम.आर. गुप्ता
148.	2019 का 251		झोरी धान		जागेश्वर
149.	2019 का 252		संतोष लाल धान		संतोष कुमार
150.	2019 का 253		लालू धान		राजीव कुमार
151.	2019 का 254		सिंकी धान		एरेंड कृषक समुदाय
152.	2019 का 255	नई	सीआईटीएच-डब्ल्यू-1	अखरोट	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
153.	2019 का 256		सीआईटीएच-डब्ल्यू-2		
154.	2019 का 257		सीआईटीएच-डब्ल्यू-3		
155.	2019 का 258		सीआईटीएच-डब्ल्यू-4		
156.	2019 का 259	विद्यमान (अधिसूचित)	पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31 (पीडीजेड-1)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
157.	2019 का 260	कृषक	सुंदरगढ़ – कालाजीरा	चावल	गुरुचरन प्रधान
158.	2019 का 261	विद्यमान (वीसीके)	एनसी-201	चतुर्गुणित कपास	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
159.	2019 का 262		एनसी-217		
160.	2019 का 263		पीसी-पी99		
161.	2019 का 264		सी 5624		महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
162.	2019 का 265	विद्यमान (अधिसूचित)	सीआर धान 500 (आईईटी 20220)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
163.	2019 का 266	नई	पीसी- पी751	चतुर्गुणित कपास	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड
164.	2019 का 267	विद्यमान (वीसीके)	एनसी-166		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
165.	2019 का 268		एनसी-187		
166.	2019 का 269	विद्यमान (अधिसूचित)	आरएचबी-0711 (फुले धारा)		महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
167.	2019 का 270	नई	एनपी-279 (पूझीता)	चावल	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
168.	2019 का 271		सी 5711	चतुर्गुणित कपास	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड

169.	2019 का 272		सिरी	चावल	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
170.	2019 का 273		3ए	बंदगोभी	
171.	2019 का 274	विद्यमान (वीसीके)	एनटीएफ–9035	टमाटर	
172.	2019 का 275	नई	एस–ईनी–039	बैंगन	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
173.	2019 का 276	विद्यमान (वीसीके)	एनबीजे–98		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
174.	2019 का 277		एनबीजे–33		
175.	2019 का 278		एनबीजे–34		
176.	2019 का 279		एनबीजे–67		
177.	2019 का 280		एनबीजे–95		
178.	2019 का 281		एनबीजे–39		
179.	2019 का 282		एनबीजे–23		
180.	2019 का 283		पूसा सदाबहार	टमाटर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
181.	2019 का 284		बीजे 60283	बैंगन	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
182.	2019 का 285		बीजे 60214		
183.	2019 का 286		एस–ईपी–040		सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
184.	2019 का 287		बी 2037	बाजरा	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
185.	2019 का 288	नई	एनबीजे–29	बैंगन	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
186.	2019 का 289	विद्यमान (वीसीके)	एस–ईपी–023		सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
187.	2019 का 290	नई	एनटीएफ–9048	टमाटर	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
188.	2019 का 291	विद्यमान (वीसीके)	एनटीएफ–9036		
189.	2019 का 292		एनटीएफ–9042		
190.	2019 का 293		ए–ईपी–008	बैंगन	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
191.	2019 का 294		एनबीजे–97		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
192.	2019 का 295	नई	एस–ईपी–021		सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
193.	2019 का 296	विद्यमान	एस–ईपी–063		

194.	2019 का 297	(वीसीके)	एनटीएफ–9014	टमाटर	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
195.	2019 का 298		एनटीएफ–9041		
196.	2019 का 299		एस–ईपी–318	बैंगन	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
197.	2019 का 300		एस–ईपी–028		
198.	2019 का 301	विद्यमान (वीसीके)	एस–ईपी–054		
199.	2019 का 302		एस–ईपी–012		
200.	2019 का 303		टीएम 61476	टमाटर	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
201.	2019 का 304		टीएम 61485		
202.	2019 का 305	विद्यमान (वीसीके)	एससीएफ–5057	फूलगोभी	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
203.	2019 का 306	नई	जेकेसीएमएस–24	अरहर	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
204.	2019 का 307		सीएसवी 28	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
205.	2019 का 308	विद्यमान (वीसीके)	एससीएफ–5016	फूलगोभी	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
206.	2019 का 309		पूसा अगेती	बंदगोभी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
207.	2019 का 310		मोक 60034	भिणडी	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
208.	2019 का 311	विद्यमान (वीसीके)	एनबीजे–17	बैंगन	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
209.	2019 का 312		एनसीएफडी–7122	फूलगोभी	
210.	2019 का 313		बीजे 60248	बैंगन	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
211.	2019 का 314	नई	एनबीजे–02		
212.	2019 का 315		एनबीजे–07		
213.	2019 का 316		एनबीजे–01		
214.	2019 का 317	विद्यमान (वीसीके)	एस–ईपी–446	गेहूं	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
215.	2019 का 318	नई	बीजे 60209		महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
216.	2019 का 319		अजीत–110 (एटीडब्ल्यू–102)		अजीत सीड्स लिमिटेड
217.	2019 का 320		एनसीएफडी–53	फूलगोभी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
218.	2019 का 321	विद्यमान (वीसीके)	बीजे 60281	बैंगन	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड

219.	2019 का 322	नई	एनआर 486	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
220.	2019 का 323	विद्यमान (वीसीके)	बीजे 60282	बैंगन	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
221.	2019 का 324		बीजे 60287		
222.	2019 का 325		बीजे 602555		
223.	2019 का 326		ओके-78	भिण्डी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
224.	2019 का 327		ओके-79		
225.	2019 का 328	विद्यमान (वीसीके)	एनबीजे-03	बैंगन	
226.	2019 का 329	नई	एस-ईपी-495		सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
227.	2019 का 330	विद्यमान (वीसीके)	एस-ईपी-032		
228.	2019 का 331		बीए-1028	टमाटर	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
229.	2019 का 332		एससीएफ-5029	फूलगोभी	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
230.	2019 का 333	नई	एस-ईपी-006	बैंगन	
231.	2019 का 334	विद्यमान (वीसीके)	बीजे 60252		महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
232.	2019 का 335		बीजी 60301		
233.	2019 का 336		एनबीजे-94		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
234.	2019 का 337	नई	पीएसपी68	बाजरा	बायर बायोसाइंस प्रावेट लिमिटेड
235.	2019 का 338	विद्यमान (वीसीके)	टीए 61460	टमाटर	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
236.	2019 का 339		टीएम 61469		
237.	2019 का 340	नई	डब्ल्यू07एनवी037	गेहूं	
238.	2019 का 341	विद्यमान (वीसीके)	बीजे 60218	बैंगन	
239.	2019 का 342	नई	एससीएफ-608	फूलगोभी	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
240.	2019 का 343	विद्यमान (वीसीके)	एमओके-60036	भिण्डी	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
241.	2019 का 344	विद्यमान (वीसीके)	एससीएफ-5026	फूलगोभी	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
242.	2019 का 345	नई	एनटीएफ-9049	टमाटर	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
243.	2019 का 346	विद्यमान (वीसीके)	एस-ईपी-124	बैंगन	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड

244.	2019 का 347	नई	एससीएफ–5061	फूलगोभी	
245.	2019 का 348	विद्यमान (वीसीके)	बीजे 60259	बैंगन	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
246.	2019 का 349	नई	टीएम 61486	टमाटर	
247.	2019 का 350		एस–ईपी–062	बैंगन	सुंगरो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
248.	2019 का 351	विद्यमान (वीसीके)	एस–ईपी–043		
249.	2019 का 352		बीजे 60205		महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
250.	2019 का 353	नई	एनटीएफ–9047	टमाटर	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
251.	2019 का 354		निर्मल–554 (एनटीएल–554)	अरहर	
252.	2019 का 355	विद्यमान (वीसीके)	एनबीजे–19	बैंगन	
253.	2019 का 356	नई	एनसीएफडी–83	फूलगोभी	
254.	2019 का 357	विद्यमान (वीसीके)	बीजे 60308	बैंगन	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
255.	2019 का 358	नई	पीपी63	बाजरा	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
256.	2019 का 359		डीजीबी–017		मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड
257.	2019 का 360		एनसीएफडी–56	फूलगोभी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
258.	2019 का 361		एमआईपी 007	बाजरा	मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड
259.	2019 का 362		एनटीएम 62	टमाटर	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
260.	2019 का 363		जेकेआर–104	अरहर	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
261.	2019 का 364	विद्यमान (अधिसूचित)	वम्साधारा (आरजीएल–11414)	चावल	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय
262.	2019 का 365		डीआरआर धान 41 (आईईटी 22729) (आरपी 5311–पीआर 26703–3बी–पीजे7)		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
263.	2019 का 366		बादशाह भोग सलेक्शन 1		इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
264.	2019 का 367		सुरभि (आईईटी 24760)		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
265.	2019 का 368		चन्द्रा (आईईटी 23409) (एमटीयू 1153)		आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय
266.	2019 का 369		दुबराज सलेक्शन 1		इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
267.	2019 का 370	विद्यमान (अधिसूचित)	तरुणभोग सलेक्शन 1	चावल	

268.	2019 का 371		इंद्रा (एमटीवी–1061)		आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय
269.	2019 का 372		तरंगिनी (एमटीयू–1156)		
270.	2019 का 373		सिद्धि (डब्ल्यूजीएल–44) (आईईटी–19387)		प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय
271.	2019 का 374		डीआरआरएच–3 (डीआरआरएच–44) (आईईटी–19543)		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
272.	2019 का 375		डीआरआरएच–2 (डीआरआरएच–20) (आईईटी–18076)		
273.	2019 का 376	विद्यमान (वीसीके)	एसी–710	चतुर्गुणित कपास	एशियन एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
274.	2019 का 377		एनसी–2151		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
275.	2019 का 378		आईआईएसआर केदारम	हल्दी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
276.	2019 का 379	नई	आईआईएसआर प्रगति		
277.	2019 का 380	विद्यमान (वीसीके)	डब्ल्यूसीवी 02	मक्का	डॉउ एग्रोसाइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
278.	2019 का 381		बीएस 112		
279.	2019 का 382	नई	टीडब्ल्यूवी 14		
280.	2019 का 383	विद्यमान (अधिसूचित)	फुले भारती (जे.ए.ल 776)	मूँगफली	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
281.	2019 का 384		जीएनआर–5 (एनवीएसआर–6137)	चावल	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय
282.	2019 का 385	विद्यमान (वीसीके)	एनपी 8001–ए	चावल	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
283.	2019 का 386		पीसी–पी–17 बीटी	चतुर्गुणित कपास	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड
284.	2019 का 387		एनसी–5040		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
285.	2019 का 388		सी 5081	द्विगुणित कपास	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
286.	2019 का 389	विद्यमान (वीसीके)	एनपी 1001–आर	चावल	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
287.	2019 का 390		एनसी–161	चतुर्गुणित कपास	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
288.	2019 का 391		एनसी–1130		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
289.	2019 का 392		जेकेसी 611		जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
290.	2019 का 393		बायो 6010211		डीसीएम श्रीराम लिमिटेड
291.	2020 का 394		जेकेसी 721		जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड

292.	2020 का 1		एनबीजे–एन03	बैंगन	
293.	2020 का		एनबीजे–15		नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
294.	2020 का 3		एस–ईपी–001		सुंगरो सीडस प्राइवेट लिमिटेड
295.	2020 का 4	नई	एनसीएफडी–60	फूलगोभी	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
296.	2020 का 5		एनसीपएल–1029	बंदगोभी	
297.	2020 का 6	विद्यमान (वीसीके)	एस–ईपी–004	बैंगन	सुंगरो सीडस प्राइवेट लिमिटेड
298.	2020 का 7	नई	एनसीपीएल–1006	बंदगोभी	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
299.	2020 का 8	विद्यमान (वीसीके)	एस–ईपी–047	बैंगन	सुंगरो सीडस प्राइवेट लिमिटेड
300.	2020 का 9		ओके–48	भिणडी	
301.	2020 का 10	नई	अजीत–349	गेहूं	अजीत सीडस लिमिटेड
302.	2020 का 11	विद्यमान (वीसीके)	एनबीजे–18	बैंगन	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
303.	2020 का 012		बीए–2385	टमाटर	
304.	2020 का 13	नई	एफएन–9005	टमाटर	
305.	2020 का 14	विद्यमान (वीसीके)	एनबीजे–35	बैंगन	
306.	2020 का 15		एनबीजे–63		
307.	2020 का 16		एनबीजे–12		
308.	2020 का 17		एनबीजे–11		
309.	2020 का 18		एनबीजे–31		
310.	2020 का 19		एनबीजे–32		
311.	2020 का 20		एनटीएफ–9050	टमाटर	
312.	2020 का 21		एनबीजे–04	बैंगन	
313.	2020 का 22		एमआईपी–008	बाजरा	मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड
314.	2020 का 23		एनएस–509ए	ज्वार	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
315.	2020 का 24	नई	डीजीजे–027	ज्वार	मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड
316.	2020 का 25	विद्यमान (वीसीके)	जे 1119	ज्वार	सुंगरो सीडस प्राइवेट लिमिटेड
317.	2020 का 26		एस–ईपी–002	बैंगन	सुंगरो सीडस प्राइवेट लिमिटेड

318.	2020 का 27		एससीएफ–5033	फूलगोभी	सुंगरो सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
319.	2020 का 28		बीजे60210	बैंगन	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड़स कंपनी लिमिटेड
320.	2020 का 29		एनटीएफ–9013	टमाटर	नुजीवीडु सीड़स लिमिटेड
321.	2020 का 30		एससीएफ–5022	फूलगोभी	सुंगरो सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
322.	2020 का 31		बीए–1089	टमाटर	नुजीवीडु सीड़स लिमिटेड
323.	2020 का 32		एनबीजे–62	बैंगन	
324.	2020 का 33		बीए–1599	टमाटर	
325.	2020 का 34		एनटीएफ–9051		
326.	2020 का 35	विद्यमान (अधिसूचित)	डब्ल्यूबी 2	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
327.	2020 का 36		सेंट्रल बार्ल डीडब्ल्यूआरबी 123 (डीडब्ल्यूआरबी123)	जौ	
328.	2020 का 37		जीएनएन–7	कंगनी	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय
329.	2020 का 38		डब्ल्यूएच 1124	गेहूं	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
330.	2020 का 39	नई	पालामुख जोन्ना (एसपीवी–2122)	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
331.	2020 का 40	विद्यमान (अधिसूचित)	जीएनवी–3	लघु मोटे अनाज	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय
332.	2020 का 41		गुजरात जूनागढ़ ग्राम 6 (जीजेजी 6)	चना	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय
333.	2020 का 42		फुले नचानी–1 (केओपीएन–235)	कंगनी	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
334.	2020 का 43		गुजरात आनंद मूंग बीन–5 (जीएएम–5)	मूंग	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
335.	2020 का 44		करन वंदना (डीबीडब्ल्यू 187)	गेहूं	आनंद कृषि विश्वविद्यालय
336.	2020 का 45		पूसा व्हीट 1612 (एचआई 1612)		
337.	2020 का 46		कुफरी मोहन (एमएस / 5–1543)	आलू	
338.	2020 का 47		पूसा उजाला (एचआई 1605)	गेहूं	
339.	2020 का 48		कुफरी फ्राई सोना (एमपी / 98–71)	आलू	
340.	2020 का 49	कृषक	एचआईएचआई गंधेश्वरी	चावल	अमरकानन रुरल सोसियो–एन्वायरमेंटल वेल्फेयर सोसायटी (एआरएसडब्ल्यू सोसायटी)
341.	2020 का 50		चाटुर्झ मुखी		

342.	2020 का 51		खजूरफूल		
343.	2020 का 52		कालो गंधेश्वरी		
344.	2020 का 53		मोतीबास		
345.	2020 का 54		श्याम		
346.	2020 का 55		परमानंद		
347.	2020 का 56		मेघजवाई		शशांक कुमार ओहदर
348.	2020 का 57		संभू धान		संभुनाथ सेठिया
349.	2020 का 58	विद्यमान (वीसीके)	सी 5534	चतुर्गुणित कपास	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
350.	2020 का 59		पसी—पी17		प्रभात एग्रो बायोटेक लिमिटेड
351.	2020 का 50		पीसी—पी801		
352.	2020 का 61		सी 5605		महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
353.	2020 का 62	नई	सी 5713		
354.	2020 का 63	विद्यमान (वीसीके)	पीएससीपी—04		प्रवर्धन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
355.	2020 का 64	कृषक	गंगा प्रसाद—1	चावल	कलाम साई
356.	2020 का 65		कपूर भोग		सुतम साई
357.	2020 का 66		बंद गोडा		अंलियस डुंगडुंगा
358.	2020 का 67	विद्यमान (वीसीके)	सी 5707	चतुर्गुणित कपास	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
359.	2020 का 68		एनसी—171		नीजुवीडु सीड्स लिमिटेड
360.	2020 का 69		पीसी—पी102		प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड
361.	2020 का 70		पीसी—पी061 बीटी		
362.	2020 का 71	नई	पी126	चावल	बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड
363.	2020 का 72		बी099		
364.	2020 का 73		एम048		
365.	2020 का 74		एनपी—9361		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
366.	2020 का 75		एनपीएस—2098आर		

367.	2020 का 76	कृषक	राजगा		श्री भादु साई
368.	2020 का 77		जेनजेने		धानेश्वर साई
369.	2020 का 78		बेरमीफूल		श्रीमती निराली उराव
370.	2020 का 79		गंगटई		धनेश्वर साई
371.	2020 का 80		रानीकाजल		मोहनलाल
372.	2020 का 81		भंजना		युविष्ठिर वारिक
373.	2020 का 82		सोनाचुर		मनरखन सिंह
374.	2020 का 83		सावंसार		श्री भुनेश्वर सिंह
375.	2020 का 84		कैलाश राणा		कैलाशराण मांगेर
376.	2020 का 85		बोची		भबेन बर्मन
377.	2020 का 86	विद्यमान (अधिसूचित)	वीएनआर 2375 प्लस (आईईटी 21423 (वीएनआर-203))		वीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
378.	2020 का 87	कृषक	बिरोई		पूजन बार्मेन
379.	2020 का 88		दुधकलाम-1		
380.	2020 का 89		खय्याम धान		
381.	2020 का 90		पहाड़ीबोची सलेक्शन-1		
382.	2020 का 91		मनगमुथी		
383.	2020 का 92		बिट्टी		राम कृष्ण बारमेन
384.	2020 का 93		धुसुरी बाराती		
385.	2020 का 94		कालो ध्यापा		
386.	2020 का 95		खामा		हरेन्द्र नंदी
387.	2020 का 96		काउका		
388.	2020 का 97		जल ध्यापा-3		जोतिन चंद्रा मंडल
389.	2020 का 98		हरिकाजली		आशामंजोन बर्मन
390.	2020 का 99		देसी मसूर गोल	मसूर	राजदेव प्रजापति
391.	2020 का 100		देसी मटर चोटका	दाल मटर	ओम प्रकाश सिंह
392.	2020 का 10		चिकनी लाल (लूस पैनिकल)	ज्वार	यहा मोगी माता थानिक बियानी सावर्धन समिति

393.	2020 का 1012		देसी सफेद—2	दाल मटर	प्रमोद कुमार डांगी एवं अन्य
394.	2020103 का		चना—15	चना	रामधारी राम
395.	2020 का 104		देसी लाल	मसूर	योगेन्द्र यादव
396.	2020 का 105		देसी मटर चोटा—2	दाल मटर	विनय कुमार यादव
397.	2020 का 106		लुक्की	बैंगन	ब्रह्मर बौरी
398.	2020 का 107		मोती सफेद जुवार	ज्वार	याहा मोगी माता स्थानिक बियानी सावर्धन समिति
399.	2020 का 108		मोती मणि जुवार		
400.	2020 का 109		देसी सफेद	मसूर	आनंद कुमार
401.	2020 का 110		एएचजेपी—07 (एचजेपी—07)	अरहर	जय प्रकाश सिंह
402.	2020 का 111		देहाती मसूर—1	मसूर	दिनेश राजजक
403.	2020 का 112		एएचजेपी—09 (एचजेपी—09)	अरहर	जय प्रकाश सिंह
404.	2020 का 113	विद्यमान (वीसीके)	एफएन—9022	टमाटर	नीजुवीडु सीड्स लिमिटेड
405.	2020 का 114	कृषक	चना—2000	चना	आकम सिंह
406.	2020 का 115		चना—1		पृथ्वीनाथ सिंह
407.	2020 का 116		कांता मकरा	बैंगन	दीपक मॉडल
408.	2020 का 117		पटाकटा		असीम कुमार मेहतो
409.	2020 का 118		अलंकार अडोली	उड़द	मणिराम साके
410.	2020 का 119		लाल भेंडी	भिण्डी	श्री अनंत डिगम्बर प्रभुआजागोंकर
411.	2020 का 120	विद्यमान (वीसीके)	टीएम 61481	टमाटर	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
412.	2020 का 121	नई	जेकेसीएमएस—9	अरहर	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
413.	2020 का 122		बीए—1559	टमाटर	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
414.	2020 का 123		अजीत—111 (एटीडब्ल्यू—109)	गेहूं	अजीत सीड्स लिमिटेड
415.	2020 का 124		टीएम 61487	टमाटर	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
416.	2020 का 125	विद्यमान (वीसीके)	एफएन—1902		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
417.	2020 का 126	नई	एनपीए—84	बाजरा	निर्मल सीड्स प्राइवेट

418.	2020 का 127		एनपीए—168		लिमिटेड
419.	2020 का 128	कृषक	बूटी चना	चना	श्रवण कुमार यादव
420.	2020 का 129	विद्यमान (अधिसूचित)	पूसा व्हीट 8777 (एचआई 8777)	डियूरम गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
421.	2020 का 130		पूसा तेजस (एचआई 8759)		
422.	2020 का 131		फुले विक्रम (फुले जी 0405)	चना	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
423.	2020 का 132		एचजे 541	ज्वार	चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय
424.	2020 का 133	विद्यमान (वीसीके)	गुजरात जूनागढ़ पीजनपी 1 (जीजपी—1)	अरहर	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय
425.	2020 का 134		ओके— 425	भिण्डी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
426.	2020 का 135	नई	केटीएल 3290	टमाटर	कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड
427.	2020 का 136	विद्यमान (अधिसूचित)	पीकेवी—एनएल—260 (एनएल—260)	अलसी	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
428.	2020 का 137	नई	एनएम— 183	मक्का	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
429.	2020 का 138		पीएचबीईटी		पायनियर ओवरसीस कारपोरेशन
430.	2020 का 139		बायो 82015 एचआई		डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

अनुबंध IX: संक्षिप्तियां

संक्षिप्तियां

एआईसीआरपी	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
बीएयू	विरसा कृषि विश्वविद्यालय
बीएमसी	जैवविविधता प्रबंध समिति
बीसीआईएल	बायोटैक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
सीएआरआई	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान
सीबीडी	जैविक विविधता पर सम्मेलन
सी एम डी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सी एच ई एस	केन्द्रीय बागवानी प्रायोगिक केन्द्र
सी एस एस आर आई	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
डीएसी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीयूएस	विशिष्टता, एकरूपता एवं रसायित्व
ईवीआरसी	विद्यमान किस्म संस्तुति समिति
ईटीएल	आर्थिक गहाई स्तर
जीएटीटी	सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता
आईएआरआई	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीएफआरई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आईएनडीयूएस	डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली
आईपीजीआरआई	बायोवर्सिटी इंटरनेशनल
आईटीपीजीआरएफए	खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय संधि
केएयू	केरल कृषि विश्वविद्यालय
केवीके	कृषि विज्ञान केन्द्र
एनएएससी	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
एनजीओ	गैर-शासकीय संगठन
एनओआरवी	भारत की अधिसूचित एवं जारी की गई किस्में
एनएसएआई	नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एनआरसीपीबी	राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र
एनएसआरटीसी	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
एम एस ई जैड	मंगलौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड
ओ ई सी डी	आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन
पी एस	प्रधान वैज्ञानिक
पी डी	परियोजना निदेशक
पी जी आर	पादप आनुवंशिक संसाधन
पी पी वी एंड एफ आर ए	पौधा किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
पी वी ई	पौधा किस्म परीक्षक
पी वी आई एस	पौधा किस्म सूचना प्रणाली

पी वी जे	भारतीय पौधा किस्म जरनल
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आर टी आई	सूचना का अधिकार
एस ए औ	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
एस ए यू	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
एस टी ओ	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
टी आर आई पी एस	बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू
यू पी ओ वी	पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय यूनियन
वी सी के	सामान्य ज्ञान की किस्म
डब्ल्यू टी ओ	विश्व व्यापार संगठन

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012

ईमेल: *chairperson-ppvfra@nic.in*, दूरभाष: 011-25848127, 25843316